नवम माला, खंड 3, अंक 11

Friday, 28th December, 1990.

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 1990/7 पौष, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (iii)	8	"संरक्षरण" के स्थान पर "संरक्षण" पढ़िये।
विषय सूची (iii)	17	"घेरों" के स्थान पर "घंटों" पढ़िये ।
1	8	"किदेशी" के स्थान पर "विदेशी" पढ़िये ।
4	नीचे से पंक्ति 8	"दण्दवते" के स्थान पर "दण्डवते" पढ़िये ।
42	नीचे से पंक्ति 3	"(क) से (ग)" के स्थान पर "(क) से (घ)" पढ़िये ।
43	9	शीर्षक में "खर्ब" के स्थान पर "खर्व" पढ़िये ।
81	3	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
	21	"495" के स्थान पर "295" पढ़िये ।
85	अंतिम पंक्ति	"(ख) से (ग)" के स्थान पर "(ख) से (घ)" पढ़िये ।
110	नीचे से पंक्ति 3	"प्रो. के.वी. थामश" के स्थान पर "प्रो.के.वी.थामस" पढ़िये ।
152	प्रथम पंक्ति	"न्त्रायाधिकरणों" के स्थान पर "न्यायाधिकरणों" पढ़िये ।

विषय सूची

न ं र्श माला, खंड 13, छठा सत्र, 1990-91/1912 (शक)

अंक 2, शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 1990/7 पौष, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—8 8—19
*तारांकित प्रश्न सख्या : 21, 22, 24 और 33	
मन्त्रियों का परिचय	8
प्रश्नों के लिखित उत्तर	19—205
तारांकित प्रश्न सख्या : 23, 25 से 32 और 34 से 40	
अतारांकित प्रश्न सख्या : 231 से 429, 431 से 453 और 455 से 461	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	205—214
सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति	214—218
(एक) चौथा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	214
(दो) कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखे गए	215—218
ई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में	218—227
ेना में कौशल की कमी के बारे में	227—228 229—230
श्रीलंका से नारियल का तेल आयात करने के बारे में	228—229
भा का कार्य	230—236
मिति के लिए निर्वाचन	236—239
:) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	236
तम्बाकू बोर्ड	237
ाक्कलन समिति	237—238

सी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही स्य ने पूछा था।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
165	5	"(क) और (ग)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये ।
169	नीचे से पंक्ति 9	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
171	14	"प्राधना" के स्थान पर "प्रार्थना" पढ़िये
190	9	"श्री मुल्लापले रामचन्द्रन" के स्थान पर "श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन" पढ़िये ।
194	नीचे से पंक्ति 6	पंक्ति के प्रारम्भ में "नीति" शब्द निकाल दीजिए ।
205	8	"फंड" के स्थान पर "फूड" पढ़िये ।
260	17	"घेरों" के स्थान पर "घंटों" पढ़िये ।

विषय सूची

. मं माला,	खंड 13,	छठा सत्र, 1990-91/1912 (शक)
अंक 2,	शुक्रवार, 28 दिसम्बर,	1990/7 पौष, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—8 8—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21, 22, 24 और 33	
मन्त्रियों का परिचय	8
प्रश्नों के लिखित उत्तर	19—205
तारांकित प्रश्न संख्या : 23, 25 से 32 और 34 से 40	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 231 से 429, 431 से 453 और 455 से 461	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	205—214
सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति	214—218
(एक) चौथा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	214
(दो) कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखे गए	215—218
ई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में	218—227
देश में डीजल की कमी के बारे में	227—228 229—230
श्रीलंका से नारियल का तेल आयात करने के बारे में	228—229
भा का कार्य	230—236
मिति के लिए निर्वाचन	236—239
·) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	236
तम्बाकू बोर्ड	237
ाक्कलन समिति	237—238

सी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही स्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	238
(पांच) लोक लेखा समिति	238—239
(छह) लोक लेखा समिति में राज्य सभा से एक सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सिफारिश	249
कार्य मंत्रणा समिति	239--240
सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	
नियम 388 के अधीन प्रस्ताव	240
31 दिसम्बर, 1990 और 1 जनवरी, 1991 के लिये सूचीबद्ध किए गए प्रश्नों को क्रमश: 9 और 10 जनवरी, 1991 को लिया जाना	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (जम्मू और कश्मीर) 1990-91	240
विवरण प्रस्तुत	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	240—244
सूरीनाम में हाल की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति	
प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा	240—243
श्री विद्या चरण शुक्ल	243—244
कानूनी (संशोधन) विधेयक	244—258
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री ललित विजय सिंह	244—245
श्री हरीश रावत	246—247
श्री गिरधारी लाल भार्गव	247-- 248
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा	248—250
श्री मान्धाता सिंह	250
श्री सत्यगोपाल मिश्र	250—251
श्री तेज नारायण सिंह	251
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	252—252
श्री दाऊ दयाल जोशी	253
श्री आर० एन० राकेश	253—254
प्रो० रामा सिंह रावत	254—255
श्री के० मानवेन्द्र सिंह	255
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री ललित विजय सिंह	256—258

विषय	पृष्ठ
विधेयक पुर:स्थापित	258—262
(1) रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक	
(पूरे नाम आदि के स्थान पर नए पूरे नाम का प्रतिस्थापन	
श्री वसुदेव आचार्य	258
(2) सिविल अधिकार सरक्षण (संशोधन) विधेयक (धारा 3 आदि में संशोधन)	
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	258
(3) रेल संरक्षरण बल (संशोधन) विधेयक	
(पूरे नाम आदि के स्थान पर नए पूरे नाम का प्रतिस्थापन)	
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	259
(4) कृषि प्रतिरोपण कर्मकार कल्याण विधेयक	
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	259
(5) एक-कुटुम्ब एक-पद (सरकारी सेवा में) विधेयक	
श्री के० राममूर्ति	259—260
(6) आयात और निर्यात व्यापार विधेयक	
श्री के० राममूर्ति	260
(7) लोक कार्यालय (लोक अवकाश दिनों और कार्य के घंटों का नियतन) विधेयक	
श्री के० राममूर्ति	260
(8) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक (धारा 3 तथा 4 में संशोधन)	
श्री के० राममूर्ति	260—261
(9) गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक (धारा 3 तथा 4 में संशोधन)	
श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता	260
(10) मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
श्री ए० बी० एस० राम बाबू	261
(11) भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक	
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	262

(12) उधार सीमा नियतन विधेयक	
श्री चित्त बसु	262
(13) संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (उत्तर प्रदेश) आदेश (संशोधन) विधेयक	
(अनुसूची में संशोधन)	
श्री हरीश रावत	293
निःशक्त व्यक्ति (पुनर्वास तथा कल्याण) विधेयक— वापस लिया गया	262—291
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री उत्तम राठौड़	263—265
	289—291
श्री गुलाब चन्द कटारिया	265—268
श्री मान्धाता सिंह	268—271
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	271—272
श्री शिवाजी पटनायक	273
श्री जग पाल सिंह	273—275
प्रो० प्रेम कुमार धूमल	275—276
श्री सूर्य नारायण यादव	276—278
प्रो० रासा सिंह रावत	278—279
श्री गोपी नाथ गजपति	279—280
श्री एम० एस० पाल	280—281
श्री राम लाल राही	281—282
श्री शीतलाल प्रसाद वर्मा	282—283
श्री दाऊ दयाल जोशी	283—284
श्री तेज नारायण सिंह	284—285
श्री ए० चार्ल्स	285—286
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	286—287
श्री रामजी लाल सुमन	287—289
संविधान (संशोधन) विधेयक	291—292
(अनुच्छेद 341 तथा 342 में संशोधन)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राम लाल राही	291—292

लोक सभा

शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 1990/7 पौष, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशी मुद्रा कोष

[अनुवाद]

*21. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से विदेशी मुद्रा कोष कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 से इस कोष में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी कमी आई है और वर्ष 1990 के दौरान इसमें अब तक आई कमी का महीनेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विदेशी मुद्रा कोष की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर विदेशी मुद्रा भंडारों की स्थिति निम्न प्रकार है :

	(करोड़ रुपए)
1-1-1988	7145.19
1-1-1989	6218.14
1-1-1990	5277.30
वर्ष 1990 के महीनों के अन्त में स्थिति	
जनवरी	4871.01
फरवरी	5559.97

मार्च	5787.17
अप्रैल	5092.87
मई	5403.55
जून	5356.17
जुलाई	5050.12
अगस्त	5479.82
सितम्बर	4511.64
अक्तूबर	3820.45

(ग) निर्यात में तेजी से वृद्धि के बावजूद वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडारों में कमी हुई जिसका कारण, अन्यों के साथ-साथ, आयात बिल में वृद्धि और विस्तारित निधि सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को काफी अधिक वापसी अदायगियां किया जाना था।

अनेक कारकों, जिनमें खाड़ी संकट के फलस्वरूप पी० ओ० एल० की आयात कीमतों की वृद्धि और विदेशी वाणिज्यिक उधारों में मंदी शामिल है के कारण वर्ष 1990-91 के दौरान भंडारों में और कमी हुई।

(घ) विदेशी मुद्रा भंडारों में कमी के संबंध में सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और गैर-जरूरी आयातों से कटौती करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। विदेशी सहायता के त्वरित संवितरण सहित पूंजी अन्तर्प्रवाहों के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, जो चार्ट दिया गया है उसके अनुसार वर्ष 1989-90 में दो कारणों से कमी आई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे निर्यात की योजना इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी जिनके कारण इनमें इतनी अधिक कमी आई है। किन कारणों से वर्ष 1989-90 में इसमें कमी आई है तथा क्या योजना निर्धारित करते समय इनको ध्यान में नहीं रखा गया था। सरकार ने और अधिक निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा की खराब स्थिति में सुधार लाने की योजना बनाई है। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहां सरकार निर्यात को बढ़ावा देना चाहती है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी? उन्होंने यह भी कहा है कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए विदेशी धन भारत में लाया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितना विदेशी धन भारत में लाये जाने की संभावना है तथा इस बारे में क्या बातचीत की जा रही है?

श्री यशवन्त सिन्हा : वास्तव में माननीय सदस्य ने तीन-चार अनुपूरक प्रश्नों को एक ही प्रश्न में पूछ लिया है। जहां तक निर्यात से सम्बन्धित विस्तृत प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी उस प्रश्न का उत्तर देने में अधिक सक्षम हैं।

श्री जुल्फिकार अली खां : हम ऐसा नहीं सोचते।

श्री यशवन्त सिन्हा : परन्तु जहां तक निर्यात का संबंध है, मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मैं एक तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा उत्तर में दिए गए आंकड़ों को यदि आप देखें तब आप पायेंगे कि दिनांक 1-1-91 तक 5277 करोड़ रु० का विदेशी मुद्रा भंडार था। इस वर्ष सितम्बर तक ये आंकड़े

बरकरार रखने की निरन्तर कोशिश की जाती रही थी और तभी से इसमें कमी आनी शुरू हो गई थी जहां तक निर्यात का संबंध है वर्ष 1989-90 में अप्रैल-अक्टूबर की अवधि के दौरान 14,417 करोड़ रु० का निर्यात किया गया था। जबकि चालू वर्ष में 19,149 करोड़ रु० का निर्यात किया गया जो चालू वर्ष में तैंतीस प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 1989-90 में उसी अवधि के दौरान 17,010 करोड़ रु० का आयात हुआ था तथा वर्ष 1990-91 में यह बढ़कर 22868 करोड़ रु० तक हो गया जो राशि के अनुपात में चौंतीस प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अत: निर्यात में वास्तव में तैंतीस प्रतिशत तथा आयात में चौंतीस प्रतिशत वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप व्यापार घाटा 2593 रु० से बढ़कर 3719 रु० हो गया अर्थात लगभग तैंतीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अत: चालू वर्ष में भी व्यापार घाटा बढ़ गया है। जहां तक कोष में कमी आने का सवाल है माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि हम इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं। हम अनेक कदम उठाने जा रहे हैं जिसमें चालू वर्ष की शेष अवधि में निर्यात बढ़ाना भी शामिल है तथा सभी वस्तुओं तथा उत्पादों के निर्यात पर विशेष जोर दिया जा रहा है जिससे हमारे निर्यात में वृद्धि हो सकती है।

श्री लोकनाथ चौधरी : उन्होंने उत्तर में यह भी कहा है कि वे गैर जरूरी आयातों को रोक रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां ऐसे गैर जरूरी आयातों को रोकना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि निर्यात की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार आर० ई० पी० लाइसेंस की अवधि 18 महीने से बढ़ाकर 24 महीने करना आवश्यक समझती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सोवियत संघ से निर्यात समझौता करते समय निर्यात के लिए लगाई गई संतुलन की शर्त को समाप्त करने का विचार कर रही है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा की स्थिति बेहतर होगी।

श्री यशवन्त सिन्हा : जहां तक आयात का संबंध है माननीय सदस्य जानते हैं कि जब से हमारे लिए यह संकट उत्पन्न हुआ है हमने अनेक कदम उठाए हैं जिससे कि अनावश्यक अथवा गैर जरूरी आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके। एक उपाय यह भी किया गया था कि हमारे पास खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तुओं की सूची है तथा हमारे पास शेष सामान की सूची भी है। पहले एक निर्णय यह लिया गया था कि इस शेष सामान की सूची को खुले सामान्य लाइसेंस की सूची में बदल दिया जाए ताकि आसानी से आयात हो सके। इस संकट के पश्चात शेष सामान की सूची को प्रतिबंधित सामान की सूची में बदल दिया गया है और अब इनका अनियंत्रित आयात नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह है कि जहां तक पूंजी की उपलब्धता का सम्बन्ध है गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात को और अधिक कठिन बना दिया गया है तथा ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि गैर-आयातों को कम किया जा सके। लेकिन साथ ही सरकार उत्पादकता के उद्देश्य के लिए आवश्यक आयात में कमी करना नहीं चाहती है। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है।

जहां तक आर० ई० पी० लाइसेंस का संबंध है मैं अपने मित्र डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी की बात समझ सकता हूं कि वह निर्यात में सहायता देने सम्बन्धी मुद्दे पर विचार कर रहे हैं ताकि इसे और अधिक सार्थक बनाया जा सके। सरकार हमेशा यह प्रयत्न करती रहेगी कि निर्यात को सभी अपेक्षित सहायता तथा प्रोत्साहन मिले जो कि उसे मिलना चाहिए ताकि हमारे निर्यातकों को न केवल विदेशी बाजारों में निर्यात का अवसर लगातार मिलता रहे बल्कि वे इसे बढ़ा भी सकें।

श्री लोकनाथ चौधरी : माननीय मंत्री ने मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना

चाहता था कि सरकार ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वे विदेशी पूंजी देश में लाकर इस स्थिति में सुधार लाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से ठोस कदम हैं जो सरकार द्वारा विदेशी पूंजी देश में लाने के लिये उठाए जा रहे हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : यह सही है कि हम विदेशी पूंजी देश में लाने की सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। एक संभावना बिल्कुल स्पष्ट है कि अनिवासी भारतीय इसे देश में अपना पैसा लगायें। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं हमारे यहां एफ० सी० एन० आर० डिपोजिट हैं जिसमें अनिवासी भारतीयों का हम पैसा जमा करते हैं। स्टेट बैंक आफ इंडिया ने भी 1 नवम्बर से एक बौंड जारी किया है जो सात वर्षीय अप्रत्यावर्तनी बौंड है तथा जिसमें अनिवासी भारतीयों से हमें पैसा प्राप्त होता है। हम विदेशी पूंजी बाजारों में भी अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उन सभी सरकारों से, जहां से विभिन्न प्रकार के ऋणों की संभावनाएं हो सकती हैं, बातचीत कर रहे हैं। अतएव यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हम इस थोड़े समय के लिये आई कठिनाई से छुटकारा पा सकें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि विदेशी मुद्रा की समस्या क्या इन दो कारणों से है पहला तो यह कि आयात और निर्यात में काफी असंतुलन है तथा दूसरे यह कि लगातार बढ़ता हुआ विदेशी ऋण जिसका विदेशी ऋणों की अदायगी के लिए विदेशी मुद्रा पर भारी बोझ पड़ता है। तीसरे, परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में देश को उपलब्ध कतिपय सहायता का उपयोग न किया जाना तथा चौथे यह कि जो उन्होंने बताया है मुझे यह मानना चाहिए कि सितम्बर से खाड़ी संकट के कारण आयातित तेल के मूल्यों में 16 से 40 डालर की वृद्धि हुई है। यदि हम यह मान लें कि इन सब के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है तथा विशेष रूप से सितम्बर से इसमें और अधिक कमी आई है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो उपाय पहले ही किए गए हैं उन्हें जारी रखने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं तथा और आगे क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि यह संकट समाप्त हो जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रो० दण्डवते जी के ज्ञानबोध से अत्यधिक प्रभावित हूं। **(व्यवधान)** यह केवल आंशिक है कि··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं मंत्री महोदय से इसका उत्तर चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि मंत्री महोदय के समर्थक इसका उत्तर दे रहे हैं। वे उत्तर ऐसे दे रहे हैं जैसे कि वे भी मन्त्रालय में शामिल हों। **(व्यवधान)**

श्री सन्तोष मोहन देव : यह प्रश्न आपने पूछा था। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : आप आंकड़े देखिए। मैं मंत्री महोदय का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने सही स्थिति का उल्लेख किया है। बिना सूचना ज्ञात किए हुए वे इस पर कोई बयान देने का प्रयत्न कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री यशवन्त सिन्हा : माननीय सदस्य तथा पूर्व वित्त मंत्री जिन्होंने केवल कुछ ही दिन पूर्व अपने पद से इस्तीफा दिया था उनकी पूर्वधारणा सही है। मैं समझता हूं कि वह अन्य किसी और से बेहतर जानते हैं। जहां तक इस बारे में कोई कदम उठाने का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहूंगा कि हम पूर्व सरकार द्वारा उठाये गये कदमों को न केवल जारी रख रहे हैं बल्कि हम कई क्षेत्रों में भी इसे बढ़ा

रहे हैं, क्योंकि खाड़ी संकट जो अगस्त में उत्पन्न हुआ उससे भी हमें तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता है। खाड़ी से उत्पन्न संकट से निपटने में इस देश को एक भी दिन नहीं गंवाना चाहिए। मुझे इस सभा में यह कहते हुए बहुत खेद है कि पिछली सरकार इस संबंध में सोई रही और उसने यह स्थिति अपने हाथ से निकल जाने दी। (व्यवधान)

श्री अजीत पांजा : प्रश्न (ग) के उत्तर में जोकि विदेशी मुद्रा कोष में कमी आने के बारे में है, माननीय मंत्री ने कहा है — "....विस्तारित निधि सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को काफी अधिक वापसी अदायगिया किया जाना।" मुझे समाचार पत्र की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों से पता चला है कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से काफी बड़ी राशि और ऋण लेने का विचार कर रही है। क्या मंत्री महोदय ने इस बारे में सोचा है या वे पहले ही इस संबंध में औपचारिकताओं को अन्तिम रूप दे चुके हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इतनी अधिक वापसी अदायगियां किया जाना और दूसरी तरफ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इतना बड़ा नया ऋण लेना, दोनों एक साथ कैसे सम्भव है?

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, जैसे कि आप और माननीय सदस्य जानते हैं 1981 में हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5 बिलियन डालर का ऋण मांगा था। उसकी वापस अदायगी एक निश्चित अवधि में की जानी थी और वे अदायगियां आज तक की जा रही हैं। जब मैंने अपने उत्तर में कहा था कि विदेशी मुद्रा कोष में कमी आने का यह भी एक कारण था तो मेरा यही तात्पर्य था। यह सच है कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कुछ चर्चायें हुई थीं और हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण उपलब्ध होने के दो तरीकों पर गौर कर रहे हैं। हाल ही में खाड़ी संकट के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर विचार करने के बाद नवम्बर माह में आकस्मिक और प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा के नाम से एक तरीका ईजाद किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने खाड़ी संकट से बुरी तरह प्रभावित सभी देशों को एक सूत्र के आधार पर क्षतिपूर्ति करने का फैसला किया है। इस सुविधा के तहत हमें यह अधिकार है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मांगें और अपना हिस्सा प्राप्त करें। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह देकर कोई परोपकार नहीं कर रहा है। यह कोई ऐसी चीज नहीं दे रहा है जिसके हम हकदार नहीं हैं। यह सत्य है कि भारत एक ऐसा देश है जो खाड़ी संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ है बल्कि अन्य देशों से कहीं अधिक प्रभावित हुआ है।

दूसरा तरीका जिस पर हम गौर कर रहे हैं वह वैकल्पिक ऋण का तरीका है जोकि अल्पकालिक ऋण है जिसे 12 से 15 महीनों तक बढ़ाया जा सकता है। हम इन दोनों पर गौर कर रहे हैं। हमने इन दोनों सम्भावनाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अधिकारिक स्तर पर चर्चायें की हैं।

जहां तक इस संबंध में शर्तों की बात है अभी बातचीत चल रही है, इस समय मेरे लिए यह कहना संभव नहीं है कि अन्ततः शर्तें क्या होंगी। लेकिन मैं सभा को आश्वासन देना चाहूंगा कि भारत का ऐसी कोई भी शर्तें स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता जो हमारे राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों से मेल न खाती हों।

श्री अजीत पांजा : कितनी राशि है?

श्री यशवन्त सिन्हा : जहां तक धनराशि की बात है इस पर भी बातचीत चल रही है। इस सुविधा या धनराशि को देने के लिए, जोकि आकस्मिक और प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा के अन्तर्गत

मिल पायेगी, एक बहुत जटिल सूत्र विकसित किया गया है। यह सब कुल निर्यात निष्पादन, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और इन सभी बातों से संबद्ध है। इसलिए इस वक्त इसकी गणना की जा रही है।

श्री राम नाईक : मैं जानना चाहता हूं कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को इस वर्ष, अगले वर्ष और तीसरे वर्ष कुल कितनी धनराशि अदा करनी है। आज कितना कर्जा अदा करना है और अगले तीन वर्षों में कितना वापस करना है? क्या हमने उनसे कभी यह अनुरोध किया है कि हमसे वसूल किया जा रहा ब्याज माफ कर दिया जाए?

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे जा रहे सभी तथ्यों का उत्तर देने के लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात है, हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण चुका रहे हैं। दिनांक 31-3-90 को हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2362 करोड़ रुपये अदा करने बाकी हैं।

श्री राम नाईक : वह कम से कम अदा की जाने वाली कुल धनराशि और ब्याज के बारे में जानकारी दे सकते हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : कुल बकाया राशि 79000 करोड़ रुपये के लगभग है। यह देश पर कुल बाहरी कर्जा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कुल नहीं।

आप अल्पकालिक ऋणों को शामिल नहीं कर रहे हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : जैसे कि माननीय सदस्य जानते हैं अल्पकालिक ऋणों का अलग लेखा जोखा रहता है। यदि निर्यातकों का कर्जा और सप्लाईकर्ताओं का कर्जा होता है तो वह वर्ष के अन्त में बराबर हो जाता है तथा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई देश इन अल्पकालिक ऋणों का हिसाब रख सके।

मान लो, यदि कोई व्यक्ति तीन महीने के लिए दे रहा है तो आप उसका कैसे हिसाब रखेंगे क्योंकि वह तो समाप्त हो जायेगा? इसलिए किसी देश के सम्पूर्ण बाहरी ऋण की गणना करने के लिए कभी भी अल्पकालिक ऋणों का हिसाब नहीं रखा जाता है। हम ऐसा नहीं करते हैं।

दूसरी बात यह है कि हमारी भी ऋण वापस करने की कतिपय जिम्मेदारी है जो कि वर्ष दर वर्ष इस बात पर निर्भर करते हुए बदलती जाती है कि कितना मूल धन और ब्याज देय है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो तथ्य माननीय सदस्य ने पूछे हैं उनके लिए मुझे एक अलग नोटिस चाहिए।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात है हम पहले ही उसे पूरा कर चुके हैं। केवल ब्याज का बोझ है। मैं आपको सही आंकड़े नहीं दे पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको बाद में आंकड़े दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं दे दूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : मेरा प्रश्न अभी तक बाकी है। क्या हमने चर्चा के दौरान कभी ब्याज माफ करने के लिए कहा है? यह जानकारी मंत्री महोदय से मिल सकती है।

अध्यक्ष महोदय : हमें देखना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : माननीय वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि विदेश से पूंजी प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे क्या यह तात्पर्य है कि हम राष्ट्रीय पार्टियों के लिए अपने सारे दरवाजे खोल रहे है ? क्या इससे यह मतलब है कि हम विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम में परिवर्तन करने पर विचार कर रहे हैं ?

जहां तक निर्यात की बात है यह सर्वविदित है कि हमारी एकाधिकार तथा अव रोधक व्यापारिक व्यवहार के तहत जो कम्पनियां हैं उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। क्या निर्यात को बढ़ावा देने के नाम पर उनका एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के तहत जो कम्पनियों हैं उन्हें आगे कोई रियायत देने का विचार है ?

क्या उन्हें देश में निरन्तर अनावश्यक रूप से आयात की जाने वाली विलास वस्तुओं की सूची वाणिज्य मंत्रालय से मिली है या नहीं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश और उनकी भूमिका के बारे में हम सदैव माननीय सदस्य और उनके दल की अपेक्षा अधिक चिंतित रहे हैं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या इस तथ्य के बारे में भी आपको पूरा विश्वास है।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : अतः, हम जिन अस्थायी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को असीमित तरीके से अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि विदेशी निवेश से परिसंमापन बढ़े ही क्योंकि ऐसा बहुत लम्बी अवधि में होता है। अतः हमारी अल्पकालीन कठिनाइयों के परिणामस्वरूप, अपने दरवाजे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोलने का कोई अर्थ नहीं है। जहां तक आयात का संबंध है, माननीय सदस्य ने विलासिता की वस्तुओं की बात कही है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारे आयात सीमित हैं और इन सीमित श्रेणियों में सभी विलासिता की वस्तुएं हैं जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : महोदय, माननीय सदस्य ने विस्तारित निधि सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अधिक भुगतान का उल्लेख किया है। मेरे विचार से, माननीय सदस्य जानते हैं कि ऋण सेवा अनुपात सामान्य अनुपात को पार कर गया है। हमारे देश के वर्तमान निर्यात की दृष्टि से यह 30% तक पहुंच गया है।

इस स्थिति को देखते हुए क्या सरकार यह देखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतेगी कि जैसे ही ब्याज की दरें बढ़ें तो व्यापारिक स्रोतों से कोई ऋण न लिए जाएं। यदि ऋण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उपलब्ध नहीं हैं और अन्य स्रोतों से भी उपलब्ध नहीं हैं, तो सरकार वाणिज्यिक ऋणों के बारे में अन्य कौन से उपायों पर विचार कर रही है ? सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है ?

श्री यशवन्त सिन्हा : माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल सही है कि ऋण भुगतान देयता बढ़ गई है और यह देश के कुल निर्यात का 30 प्रतिशत है। अभी मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि हम वाणिज्यिक ऋण नहीं लेंगे। वाणिज्यिक ऋण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध है और प्रायः सिर्फ

सरकार और सार्वजनिक उपक्रम ही नहीं, अपितु कई निजी क्षेत्र भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार से ऋण लेते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि हम किन शर्तों पर ऋण प्राप्त करते हैं। वे हमारी देयता में वृद्धि अवश्य करते है किन्तु इस कठिन स्थिति में मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि माननीय सदस्य और इस सदन को यह आश्वासन दे सकूं कि भारत वाणिज्यिक ऋण लेने की सम्भावना पर विचार नहीं करेगा।

————

11.23 म० प०

मंत्रियों का परिचय

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न लेने से पूर्व, मैं दो माननीय मंत्रियों का परिचय देने के लिए श्री देवी लाल को आमंत्रित करता हूं।

[हिन्दी]

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : स्पीकर साहब मैं आज इस सदन के मुअज्जिज मेम्बरान के सामने दो इम्पोर्टेंट मैम्बर्स जो कैबिनेट में लिए गये हैं जिनका इंट्रोडक्शन कराना जरूरी नहीं समझता हूं लेकिन फिर भी उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी—वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री

श्री अशोक कुमार सेन—इस्पात और खान मंत्री

————

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—(जारी)

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

+

*22. **श्री हाराधन राय :**

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बर्नपुर, स्थित इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के आधुनिकीकरण के मामले में कोई प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार "इस्को" की आधुनिकीकरण योजना को अन्तिम रूप देने की कार्रवाई कर रही है। सरकार द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय ले लिए जाने के पश्चात् सदन को ब्यौरे से अवगत करा दिया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : अध्यक्ष महोदय, 15-16 साल पहले बर्नपुर स्थित इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का टेक-ओवर करके नेशनलाइजेशन किया था और कहा गया था कि इसका माडर्नाइजेशन किया जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा और एक्सपेंशन किया जाएगा लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले पांच सालों से हम सुन रहे हैं कि जापानी कनसर्न से इसका माडर्नाइजेशन किया जाएगा और कभी कहते हैं कि दस्तूर कम्पनी द्वारा होगा लेकिन सरकार इस बारे में क्या ठोस कदम उठा रही है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें तो यह तक सुनने को मिल रहा है कि इस कारखाने को बन्द कर दिया जाएगा इसको लेकर लोगों में घबराहट है। सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण हमें इस बारे मे नहीं मिल रहा है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पर आयें।

श्री हाराधन राय : मैं उस पर आ रहा हूं।

श्री हाराधन राय : इसलिए मैं मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कब तक उसका काम शुरू हो जाएगा? उसका प्रोग्राम क्या है और होगा कि नहीं होगा?

अध्यक्ष महोदय : आपका दूसरा सवाल भी है। आप दो सवाल पूछ सकते हैं, हाराधन बाबू।

श्री हाराधन राय : यह हमारा "क" हो गया, इसके बारे में यहां पूरा स्पष्टीकरण होना चाहिए कि उसका प्रोग्राम क्या है और कब तक शुरू होगा। "ख" में हमारा है कि जो 35000 मजदूर कारखाने में काम करते हैं, उनके बारे में सरकार क्या चिन्ता कर रही है, उसके बारे में क्या होगा, उसमें भर्ती होगी या नहीं होगी, क्या होगा? "ग" उस कारखाने में कितना रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा? पहला सवाल मेरा यह है।

[अनुवाद]

श्री अशोक कुमार सेन : सरकार बहुत सक्रिय रही। पूर्व प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने स्वयं इस कार्य में जापान के लोगों को बुलाने का कार्य आरम्भ किया था। उनकी रिपोर्ट 1987 में आई और तत्पश्चात् मापदण्ड निर्धारित किए गए और इसे लागू करने के बारे में हम बहुत गंभीर हैं, और स्पष्टीकरण यह है कि इसे कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना को ठीक समय अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं यह कहूंगा कि श्रमिकों की संख्या तीस हजार नहीं है, बल्कि चौबीस हजार है योजना में उनकी संख्या और उनके उचित उपयोग का पूरा ध्यान रखा गया है। सभी कर्मचारी संघ सहयोग कर रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें सभी कर्मचारी संघ सहयोग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : ठेका मजदूर मिलाकर करीब-करीब 35000 मजदूर होंगे, मंत्री जी को मालूम नहीं है। 24000 परमानेन्ट वर्कर्स हैं लेकिन ठेकेदार के मजदूर सालों साल से काम कर रहे हैं इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट का दूसरा कारखाना है, बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी, उसकी आठ रिफैक्ट्री यूनिट्स हैं, जिसका कैप्टिव स्टेटस है। इस

कारखाने का माडर्नाइजेशन नहीं होने के कारण इसका कैप्टिव स्टेटस खत्म कर दिया गया जिससे उसको आर्डर मिलते थे, वह भी बन्द हो गए। इसका क्लोजर करने के लिए कहा गया और दो यूनिट्स में क्लोजर का नोटिस भी लगा दिया गया। मुझे इसके साथ ही मंत्री जी को कहना है कि पहले इसका जो कैप्टिव स्टेटस था उनको मिनिस्ट्री आफ स्टील के अन्दर लेकर फिर से कैप्टिव स्टेटस देना चाहिए और वह कारखाना बन्द नहीं होना चाहिए। इसके लिए मंत्री जी क्या ठोस कदम उठा रहे हैं, वह भी बतायें ?

[अनुवाद]

श्री अशोक कुमार सेन : बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आती है न कि इस्पात मन्त्रालय के। यह एक राष्ट्रीयकृत कम्पनी है और इस विषय में उचित मन्त्रालय से प्रश्न किया जाना चाहिए।

ठेके पर काम करने वाले मजदूरों आदि का दूसरा प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : हम जानते हैं कि पूर्व सरकार के पास कई प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने पहले ही दस्तूर कम्पनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और पी० आई० बी० की अनुमति के लिए भेज दिया था। मैं यह नहीं समझा कि इसे अन्तिम रूप देने का प्रश्न पुन: क्यों उठा है। मैं जानना चाहूंगा कि इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है। दूसरे, यदि इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण किया जाता है, तो आसनसोल और बुर्नपुर में स्थित सहायक उद्योगों को क्या लाभ होगा ?

श्री अशोक कुमार सेन : लागत में कमी करने के बारे में जे० सी० सी० की रिपोर्ट आने के पश्चात् पिछली सरकार ने दस्तूर कम्पनी राम पर विचार किया था। उस पर भी विचार हो रहा है और दस्तूर कम्पनी की रिपोर्ट को मंजूरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण दस्तूर कम्पनी की रिपोर्ट से सहमत नहीं था और उन्होंने एक दूसरी रिपोर्ट बनाई। यह सब विचाराधीन है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं समझता हूं कि एक अनुभवी नेता होने के बावजूद श्री सेन पूरा ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। उन्हें सदन में पूरा ब्यौरा देना चाहिए। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट 1987 में प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट के पीछे किसकी विचारधारा थी; इस रिपोर्ट को तैयार करने में किसने इतना समय लगाया और वर्ष 1987-90 के दौरान क्या हुआ था ? वर्ष 1990 में क्या हुआ ? इस रिपोर्ट में किसने गड़बड़ी की है ? यह भी सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष को सिर्फ इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन्होंने उस समय के मन्त्री के साथ मिलकर रिपोर्ट में गड़बड़ी करने से इंकार कर दिया था। मंत्री महोदय को इन सब प्रश्नों का जवाब देना होगा। उन्हें अपने भूतपूर्व सहकर्मी का समर्थन नहीं करना चाहिए। आज वे मन्त्री हैं। उन्हें हमें यह बताना होगा कि 1990 में क्या हुआ; किसने इसे दबाया और श्री कृष्णामूर्ति को क्यों हटाया गया। क्या यह सच है कि उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने मन्त्री के साथ मिलकर रिपोर्ट में गड़बड़ी करने से साफ इंकार कर दिया था।

श्री अशोक कुमार सेन : जापानी कन्सल्टेंसी रिपोर्ट जुलाई 1997 में प्राप्त हुई। सितम्बर, 1989 को भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने उस आधार पर एक निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह सच है कि उस समय श्री कृष्णामूर्ति भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे एक प्रतिष्ठित उद्यम प्रबन्धक है और उन्हें किसी तरह का प्रलोभन देकर गड़बड़ी कराने का सवाल ही

पैदा नहीं होता। अगर ऐसा कुछ हुआ भी हो तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय उनकी सेवा उपलब्ध नहीं है। प्रयत्न किए गए थे······

श्री पी० चिदम्बरम : उन्हें किसलिए हटाया गया ?

श्री अशोक कुमार सेन : मैं यह नहीं जानता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत हो जाइए।

श्री अशोक कुमार सेन : जो उत्तर दिए जा रहे हैं उनमें लिए मैं बहुत अनुगृहीत हूं किन्तु यह आरोप बेबुनियाद है कि हमने प्रबन्धक को निकाल दिया। वे हमारे उत्तम प्रबंधकों में से हैं।

प्रो० मधु दंडवते : यह सदन की परम्परा रही है कि सदन में अधिकारियों के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की जाए। यह बहुत समय से चली आ रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि चिदम्बरम इससे अवगत हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, अब स्थिति बिल्कुल अस्पष्ट हो गई है। इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जो हमारे देश की सबसे पुरानी मिलों में से है, के आधुनिकी करण का उल्लेख इस सदन में कई बार किया गया है। जहां तक मुझे याद है, इस कम्पनी के आधुनिकीकरण के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए तत्कालीन इस्पात मन्त्री, श्री दिनेश गोस्वामी ने जुलाई में यह स्पष्टतः कहा था।···

श्री पी० चिदम्बरम : उस प्रस्ताव में किसने गड़बड़ी की।

श्री बसुदेव आचार्य : उस प्रस्ताव में कोई गड़बड़ी नहीं की गई।

तत्कालीन मन्त्री ने कहा था कि जुलाई, 1990 के अन्त तक आधुनिकीकरण के इस कार्य को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। क्या मैं मन्त्री से यह जान सकता हूं कि जब मन्त्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दे दिया गया था तो जुलाई के अन्त तक आधुनिकीकरण को अन्तिम रूप क्यों नहीं दिया गया। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस कब अन्तिम रूप दिया जायेगा क्योंकि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण पिछले 4 वर्षों से लम्बित पड़ा है? दो संयंत्रों को बन्द कर दिया गया है, परिणाम स्वरूप उत्पादन कम हो गया है। संयंत्र को काफी हानि हुई है। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि इस बारे में अन्तिम निर्णय कब लिया जाएगा? इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के आधुनिकीकरण की सही स्थिति क्या है? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जापानी कम्पनी ने जब अपनी रिपोर्ट दे दी थी तो उसके बाद लगभग 300 करोड़ रुपये तक का निवेश किया गया था। क्या मैं मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है और आधुनिकीकरण कब तक पूरा हो जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न को भली-भांति समझ लिया गया है। कृपया बैठ जाएं।

श्री अशोक कुमार सेन : इतने बड़े भाषण की भूल-भुलैया में, मुख्य प्रश्न यही है, "हम कब तक इस बारे में अन्तिम निर्णय ले रहे हैं।" उत्तर है "जितनी जल्दी सम्भव होगा।"

अध्यक्ष महोदय : कृपया, श्री जनार्दन यादव।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता

हूं कि बर्नपुर आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्री के आधुनिकीकरण के पिछली सरकार द्वारा वचन दिया गया था, लेकिन सरकार बदल जाने से, मन्त्री बदल जाने से इस वचन में की हुई बातें भी बदल जाती हैं, इससे मुझे दुख होता है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बर्नपुर आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्री के आधुनिकीकरण के लिए सरकार क्या करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में आलरेडी आन्सर दिया जा चुका है।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू : अध्यक्ष महोदय, श्री अशोक बाबू हमारे माननीय मन्त्री एक योग्य वकील है। मैंने उन्हें उच्चतम न्यायलय में कई मामलों में बहस करते देखा है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न करें।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : माननीय मन्त्री से मेरा सीधा प्रश्न है। यदि वे अब फाइलें नहीं देख सकते, तो वे यह याद करें कि आधुनिकीकरण के इस मामले में क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और क्या आधुनिकीकरण की इस योजना में किसी विशेष देश को यह काम सौंपा गया था और क्या इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गयी थीं जबकि उस देश द्वारा जो कीमत लगाई थी वह चार गुना अधिक थी? यह उनके पूर्ववर्ती मन्त्री के समय में नहीं हुआ बल्कि उस पूर्ववर्ती मन्त्री से भी पहले के मन्त्री के समय हुआ था जब श्री राजीव गांधी प्रधान मन्त्री थे। वे इसकी जांच कर सकते हैं कि क्या इसमें भूतपूर्व मन्त्री की कोई भूमिका थी। वे इन विषयों पर कृपया प्रकाश डालें। हम इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में बहुत इच्छुक हैं, हम राउरकेला स्टील संयंत्र के आधुनिकीकरण में भी बहुत इच्छुक हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल बर्नपुर स्टील संयंत्र के सम्बन्ध में है। कृपया अपनी जगह पर बैठें। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री सेन को बुलाऊंगा।

श्री अशोक कुमार सेन : मुझे अति प्रसन्नता है कि यह प्रश्न पूछा गया क्योंकि जापानी परामर्श प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ने सीधे जापान के प्रधानमन्त्री से बात करके आरम्भ की थी जिसके परिणामस्वरूप जापान की सबसे बड़ी पांच कम्पनियों के सहयोग के लिए उनके समूह को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के आधुनिकीकरण के ब्लू प्रिंटस बनाने के लिए नियुक्त किया गया। हम विश्व में सबसे संयंत्र बनाना चाहते थे। यदि उनकी रिपोर्ट का हमारे कार्य के अनुरूप आवश्यक परिवर्तनों के साथ पालन किया जाता है तो भारत का वह संयन्त्र विश्व में आधुनिकतम संयंत्रों में से एक होगा जैसा हमारे यहां विभाग में है। क्योंकि 2.25 मिलियन स्टील टन की क्षमता वाले इस संयंत्र से उत्पादन की कीमत 6000 करोड़ रुपये प्रति टन से घटकर 3200 करोड़ रुपये प्रति टन हो जायेगी।

निर्माताओं को उत्पाद-शुल्क की वापसी

+

***24. श्री माधवराव सिंधिया**

श्री जनार्दन पुजारी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के आरम्भ में निर्माताओं को लौटाई गई उत्पाद-शुल्क की राशि को उनसे पुनः वसूल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार पुन: वसूल की गई धनराशि कितनी है;

(ग) क्या इस बात की कोई जांच कराई गयी है कि उत्पाद शुल्क लौटाने के अनुदेश किन परिस्थितियों के जारी किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) उत्पाद शुल्क की वापसी की अनुमति इस विषय पर कतिपय न्यायिक उद्घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, न्यायालयों के निर्णयों के अनुसरण में अथवा मार्च, 1990 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर दी गई है। तथापि, सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि विनिर्माताओं को उत्पाद शुल्क वापस करना सिद्धांत रूप में उचित नहीं होगा क्योंकि उन्होंने शुल्क के भार को पहले ही अपने ग्राहकों पर डाल दिया होगा। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विधान तैयार किया जा रहा है।

उत्पाद-शुल्क वापसी का मामला

+

*33. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री हर्ष वर्धन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 सितम्बर, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "गवर्नमेंट इन ए जैम ओवर एक्साइज रिफंड ईश्यू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें उठाये गये मुद्दों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) उत्पाद शुल्क की वापसी की अनुमति इस विषय पर कतिपय न्यायिक उद्घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, न्यायालयों के निर्णयों के अनुसरण में अथवा मार्च, 1990 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर दी गई है। तथापि, सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि विनिर्माताओं को उत्पाद शुल्क वापस करना सिद्धांत रूप में उचित नहीं होगा क्योंकि उन्होंने शुल्क के भार को पहले ही अपने ग्राहकों पर डाल दिया होगा। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विधान तैयार किया जा रहा है।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं 21 सितम्बर, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स के अंक से उद्धरण देना चाहूंगा।

"अब समय है जब सरकार को इस विषय पर पूरा वक्तव्य दे देना चाहिए जिससे सभी शंकाओं और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उन्हें समाप्त किया जा सके।"

"हमारी ओर से तथ्यों को सामने लाने में देरी होने से स्थिति बदतर हो सकती है और लोगों के मन में अधिक भ्रान्ति और गलतफहमी बढ़ सकती है।"

"कांग्रेस (ई) के प्रवक्ता द्वारा लगाए गए आरोप की ओर ध्यान दिलाया गया था कि 350 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए थे।"

"22 सितम्बर, 1988 को सी० बी० ई० सी० द्वारा टैलेक्स निर्देश जारी किए गए जिसमें विभाग के सभी सम्बद्ध अधिकारियों को यह सुझाव दिया गया था कि वे राशि को वापसी के आदेश को जारी न करें। यह यथास्थिति 21 मार्च, 1990 तक रही फिर, अचानक अप्रत्याशित रूप से टैलेक्स से सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया कि राशि की वापसी के दावों को मंजूरी दे दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंधिया, आप एक योग्य सदस्य हैं। आप बिना उद्धरण के बोल सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं यह कहना चाहता हूं कि ये शब्द संसद सदस्य, श्री यशवन्त सिन्हा के हैं। सौभाग्य से ऐसा संयोग ही है कि इसी नाम के हमारे वित्त मन्त्री भी हैं। मेरा विचार में, यही समय है कि वित्त मन्त्री, श्री यशवन्त सिन्हा अब संसद सदस्य, श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें।

मैं वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूं क्या वे अपने पूर्ववर्ती मन्त्री से सहमत हैं कि उत्पाद-शुल्क की राशि की वापसी में कुछ असामान्य बात नहीं है और मार्च, 1990 में जो निर्देश जारी किए गए थे, वे एक असामान्य घटना थी और कुल धनराशि कितनी थी। मुख्य रूप से किन कम्पनियों को इसका लाभ पहुंचा था और टेलेक्स द्वारा किस प्रकार निर्देश जारी किए गए थे, जो मेरे विचार में बहुत असामान्य है।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, वित्त मन्त्री, श्री यशवन्त सिन्हा ने संसद सदस्य के रूप में जो कुछ भी कहा है, वह उस पर दृढ़ हैं। मैं इसे पूर्णतया स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे साथी श्री दिग्विजय सिंह और स्वयं मैंने इस इस विषय की जांच की है।

अब, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने न केवल यह कहा कि जहां तक 21 मार्च, 1990 को टेलेक्स द्वारा दिए गए निर्देशों का सम्बन्ध है, यह असामान्य नहीं था, अपितु राज्य सभा में दिए गए अपने वक्तव्य में उन्होंने यह कहा था कि "मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं कि बोर्ड की कार्यवाही कानूनी और प्रशासनिक तौर पर सही थी और इसके द्वारा जारी स्पष्टीकरण के लिए वह पूर्ण रूप से सक्षम थे। मेरे पास जो दस्तावेज हैं, उनको देखने के पश्चात् मुझे लगता है कि पूर्व वित्त मंत्री की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय में इस प्रश्न पर घृणा पैदा होने तक की हद तक चर्चा हो चुकी है। परन्तु वित्त मंत्रालय में इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए राजनैतिक इच्छा-शक्ति की कमी रही है। कानून मंत्रालय वित्त मंत्रालय से यह कहता रहा कि इस सम्बन्ध में आप नीतिगत निर्णय लीजिए कि आप इस सम्बन्ध में कानून बनाना चाहते हैं या नहीं। वित्त मंत्रालय इस मुद्दे को टालता रहा। अब हमने कहा है कि हमने निर्णय ले लिया है। हमने यह कहा है कि हम कानून बनाना चाहते हैं और हमने यह भी कहा है कि हम वर्तमान सत्र में सम्बन्ध में कानून बनाने की कोशिश करेंगे।

अब मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि कानून बनाने का निर्णय पिछली सरकार ने लिया था। तत्कालीन महान्यायवादी को भी इस सम्बन्ध में लिखा गया था। उन्होंने भी अपना मत दिया था। उनका मत क्या था ?

न्यायालय के निर्णय को मद्देनजर रखते हुए, जिसके अनुसार टेलैक्स के द्वारा वे हिदायतें दी

गई जिनका कि माननीय सदस्य ने हवाला दिया है, उन्होंने कहा :

"इस निर्णय को मद्देनजर रखते हुए मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अवैध लाभ को रोकने के लिए अधिनियम के संशोधन के प्रश्न पर व्यावहारिक, वैधानिक तथा संवैधानिक सभी पहलुओं पर गहन विचार करने की आवश्यकता है और यह इतना सुस्पष्ट होना चाहिए जितना कि माननीय पटुता से संभव हो सकता है। यह काम अविलम्ब परन्तु बिना किसी जल्दबाजी के किया जाना चाहिए।"

यह बात उन्होंने 12 अक्तूबर को लिखा तथा तत्कालीन कानून मंत्री ने उस फाइल पर अपनी टिप्पणियां दर्ज कीं। उन्होंने भूतपूर्व वित्त मंत्री की कार्यवाही को उचित ठहराया जिन्होंने परिपत्र के कार्यान्वयन पर उन मुद्दों को लेकर रोक लगा दी थी जिनकी हमने अभी-अभी चर्चा की और उन्होंने यह टिप्पणी करते हुए उसे उचित ठहराया :

"इस मामले को समक्ष रखते हुए मैं यह सुझाव देता हूं कि राजस्व विभाग के दिनांक 28 मार्च के परिपत्र के कार्यान्वयन पर रोक जारी रहनी चाहिए। इसके साथ-साथ हमें पिछली तिथि से प्रभावी कानून भी बनाना चाहिए।"

यह सिफारिश भूतपूर्व कानून मंत्री ने 12 अक्तूबर, 1990 को की और मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद है कि यह फाईल भूतपूर्व वित्त मन्त्री के अपना पद छोड़ने के काफी समय बाद तक उनके पास रही और मुझे 5 दिसम्बर, 1990 को मिली।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री सिंधिया।

श्री माधव राव सिंधिया : श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा सदन के समक्ष उजागर किए गए तथ्यों को सामने रखते हुए, मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस खेदजनक मामले की उच्चस्तरीय जांच करवायेंगे; और क्या वे इसके लिए एक समय अवधि निश्चित करेंगे ताकि सारा देश यह जान सके कि इन असाधारण आदेशों के जारी होने के पीछे क्या कारण थे तथा वे कौन लोग थे; और मैंने अपने पूर्व प्रश्न में भी यह पूछा था कि कुल राशि कितनी थी तथा कौन-कौन-सी कम्पनियां इसके लाभान्वित हुई।

दूसरा पूरक प्रश्न मैं श्री यशवन्त सिन्हा से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गई जबकि साधारणतया उच्च न्यायालय के ऐसे आदेशों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है, जो सरकार के विरुद्ध होते हैं। मैं श्री यशवन्त सिन्हा संसद सदस्य के अथक प्रयत्नों की प्रशंसा करता हूं और यह जानना चाहता हूं कि क्या वे अब सर्वोच्च न्यायालय में इस सम्बन्ध में अपील दायर करेंगे। मूल मुद्दे ये हैं कि क्या आप अपील दायर करेंगे। क्या आप इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करवायेंगे, तथा यह पता लगाएंगे कि कितनी राशि थी और इससे कौन-कौन लाभान्वित हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : जहां तक जांच का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा है कि बातें प्रकाश में आ रही हैं और हम इस मामले में विचार कर रहे हैं।

जैसाकि मैंने कहा कि मेरे सहयोगी श्री दिग्विजय सिंह तथा मैं इस मामले में व्यक्तिगत रुचि

से रहे हैं। अगर तथ्यों के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई भी कार्य गलत नीयत से किया गया, तब हम निश्चित रूप से इस मामले की जांच करवायेंगे।

प्रथम दृष्टि में यह मामला बनता है।...(व्यवधान)...

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : आप यहीं पर जांच की घोषणा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, मैंने आपके बोलने के लिए नहीं कहा है। आपके सहयोगी हैं। मैं आपको भी बोलने के लिए कहूंगा।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : माननीय मंत्री जी ने जो कहा है, उसके स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रथम दृष्टि में मामला बनता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें मामले की जानकारी है।

(व्यवधान)

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : इसे स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह वित्त मन्त्री हैं और उन्हें अपने कर्तव्य की जानकारी है। श्री कुरियन, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? मैं श्री जनार्दन पुजारी को बोलने का अवसर देना चाहता हूं जिन्हें प्रश्न का अधिकार प्राप्त है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, कृपया, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रश्न काल में नियम-पुस्तिका मत देखिए।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझ रहा हूं। मैं उनकी चिन्ता में सम्मिलित हूं। यह मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। इस माननीय सदन से कोई भी जानकारी छिपाने की मेरी कोई इच्छा अथवा इरादा नहीं है। मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं उनके साथ प्रत्येक जानकारी का आदान-प्रदान करूंगा। परन्तु वह वास्तविक मुद्दा जिस पर गौर किया जाना चाहिए, वह यह है कि अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं; वे कुछ निर्णय भी लेते हैं, परन्तु महत्व इस बात का है कि राजनैतिक स्तर पर क्या निर्णय लिया गया और जबकि इस निर्णय में भूतपूर्व वित्त मंत्री तथा इस सदन के माननीय सदस्य प्रो॰ मधु दण्डवते शामिल हों। इसलिए, मुझे इस सम्बन्ध में काफी सावधान तथा सचेत रहना होगा और मैं यह कहने में असमर्थ हूं कि हम जल्दी ही कोई जांच करवायेंगे। कृपया, मेरी बात सुनिए, हम इस मामले में भी जांच कर रहे हैं और अगर इस मामले और जांच करवाने की आवश्यकता होगी तो मैं आपके सलाह लूंगा।

श्री सिंधिया ने जो प्रश्न उठाया है, उसका एक और पक्ष भी है। यह जानकारी हमने पहले ही कई माननीय सदस्यों को लिखकर उपलब्ध कराई है। यह एक लम्बी सूची है, और अगर आप सहमत हों तो मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी।

श्री पी० चिदम्बरम : जो मत प्रकट किया गया, उसे सभा पटल पर रखिए।

श्री जनार्दन पुजारी : कौन तीन व्यक्ति सबसे अधिक लाभान्वित हुए, बताइए। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : जहां तक एक करोड़ या इससे अधिक राशि की अदायगी का सम्बन्ध है, तो 21-3-90 से 24-8-90 जिस तिथि को परिपत्र वापस लिया गया, यह राशि 52 करोड़ रुपए से थोड़ी सी अधिक थी। जहां तक 50 लाख या इससे अधिक राशि की अदायगी का प्रश्न है, कुल राशि 17 करोड़ 34 लाख रुपए है। इस अवधि के दौरान ही परिपत्र जारी किया गया तथा वापस लिया गया। अब एक और हास्यास्पद बात यह है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने एक ओर अपनी कार्यवाही को उचित ठहराते हुए बहुत ही उद्वेलित करने वाला वक्तव्य दिया और दूसरी ओर अपनी बात बदलते हुए परिपत्र वापिस ले लिया। अगर वह इतने आश्वस्त थे कि वह परिपत्र उचित, वैधानिक मूल्यों पर आधारित था, तो उन्हें खड़े होकर यह कहना चाहिए था इस परिपत्र को वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु, उन्होंने इस परिपत्र को वापस लिया इसलिए, मैं इन दो विरोधाभासपूर्ण वक्तव्यों से सहमत नहीं हो सकता।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय वित्त मंत्री द्वारा कुछ जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आज समूचा सदन इस रहस्योद्घाटन को सुनने के लिए बेचैन है। यह इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : बोफोर्स का क्या हुआ।

श्रीमती सुभाषिनी अली : श्री संजय सिंह का अपमान मत कीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : वर्तमान प्रधानमन्त्री द्वारा 30 सितम्बर, 1990 को "वीक" पत्रिका को दिए गए अपने साक्षात्कार में यह बताया गया कि प्रधानमन्त्री कार्यालय भी इसमें शामिल था। अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एक घोटाला हुआ है और देश के माननीय प्रधानमन्त्री जो आज देश को चला रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से पिछली सरकार और माननीय भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यालय पर यह कहकर आरोप लगाया है कि उनका कार्यालय इस घोटाले में शामिल था। मेरा निवेदन यह है कि हालांकि माननीय वित्त मन्त्री ईमानदार व्यक्ति हैं फिर भी क्या वह किसी और का बचाव कर रहे हैं या उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का बचाव करके अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में कोताही बरती है।

माननीय वित्त मन्त्री ने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री को पत्र लिखकर सभी कागजात मांगे हैं क्योंकि समूचा सदन, समूचा राष्ट्र सच्चाई जानना चाहता है।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुद्दे पर आइए।

श्री जनार्दन पुजारी : जनता दल के माननीय सदस्यों ने सभी कागजातों को प्रस्तुत करने और कार्यवाही करने की मांग की है। नियम 370 में यह कहा गया है···

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी कृपया मुद्दे पर आइये। आप वित्त मंत्रालय के भूतपूर्व राज्य मंत्री हैं। कृपया नियमों को उद्धृत मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रश्न काल से सम्बन्धित नियम को उद्धृत कर रहा हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पुजारी को बोलने की अनुमति दी है।

श्री जनार्दन पुजारी : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 370 में कहा गया है।

"कि यदि कोई मन्त्री किसी प्रश्न के उत्तर में या वाद-विवाद के दौरान किसी ऐसे परामर्श या राय को प्रकट करे जो उसे सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दी गई हो, तो वह साधारणतया उस राय या परामर्श वाला संगत दस्तावेज या दस्तावेज का भाग या उसका संक्षेप पटल पर रखेगा।"

महोदय, मैं सभी कागजात को सभा-पटल पर रखे जाने की मांग करता हूं···

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री जनार्दन पुजारी : क्या माननीय वित्त मन्त्री सभा पटल पर सभी दस्तावेज रखेंगे और क्या इस मामले की जांच के लिए वह संसदीय समिति गठित करने जा रहे हैं ?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया वित्त मंत्री को सुनिए।

श्री यशवन्त सिन्हा : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उद्धृत नियम का संबंध है, उस नियम के अनुसार मुझे वह सभी दस्तावेज सभा पटल पर रखने चाहिएं, जो मैं उद्धृत करता हूं। नियमों का पालन करते हुए, जिस फाइल का मैंने उल्लेख किया है, उसे मैं सभा पटल पर रख दूंगा। यह स्पष्ट है कि यह विवरण मैं सभा पटल पर रख दूंगा।

जहां तक संसदीय जांच का संबंध है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कि हम मामले को देखेंगे और यदि हम यह महसूस करते हैं कि संसदीय बोर्ड को गठित करने की आवश्यकता है, तब हम स्वयं सदन में इसका प्रस्ताव रखेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यह जानना चाहता हूं कि बावन करोड़ रुपए जो आपने पिछले साल वापस किए, उसके पहले जब कांग्रेस का शासन था तो तब कितने करोड़ रुपए वापस किए गए ? यह पिछले कई सालों से वापस किया जा रहा है, यह रुपया जनता का है, जो पूंजीपतियों से लेकर सरकार ने वापस उनको दे दिया। इस कारण यह बड़ा भारी स्कैण्डल बन गया है। आप इसकी जांच करायें। क्या यह रुपया वापस लेने की सरकार कोशिश करेगी और वापस लेकर उपभोक्ताओं के लिए जो फण्ड बनाया था उसको आप पूरा करेंगे ? जब चन्द्र शेखर जी प्रधान मंत्री बने उससे पहले उन्होंने सदन में तीन बार यह सवाल उठाया था कि यह 10 हजार करोड़ रुपया जो दिया गया है यह वापस लेना चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री यशवन्त सिन्हा : ऐसा है कि जब हम सरकार के बाहर थे तो हजारों करोड़ रुपए की बात हुई थी। भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने जो फिगर्स दिए थे कि कितना रिफण्ड हुआ ··(व्यवधान)···रामधन जी कम से कम इसमें तो साथ न दें। मैं यह कह रहा था कि दो हजार करोड़ रुपए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुकदमे हैं उनमें फंसे हुए हैं। 40 हजार केसेज ट्रिब्यूनल के सामने और कलेक्टर अपील के सामने पेंडिंग हैं। हम लोगों ने अधिसूचना निकाली है कि अगर विभाग खुद कहता

है कि रिफंड को मत रोको क्योंकि जो विभाग के अधिकारी है कलेक्टर अपील है और असिसटेंट कलेक्टर उसको डिसकस करते हैं जो ट्रिब्यूनल के लोग हैं उनके मानस पर इसका असर पड़ेगा। जो हजारों करोड़ रुपए की बात हुई थी उसके कंटेक्स्ट में यह बात हुई थी कि जो हजारों करोड़ रुपए के मामले कोर्ट में लम्बित हैं उनके ऊपर इस सर्कुलर का असर पड़ेगा और वहां पर सरकारी पक्ष कमजोर होगा। कोई भी सरकारी वकील जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस करेगा वह इस सर्कुलर से जो कहा गया है कि रिफंड करो उसके अगेंस्ट में खड़े होकर कभी भी यह नहीं कह सकता है कि रिफंड मत करो। इसलिए अगर उस सब मामले को देखा जाए तो यह बहुत बड़ी राशि बनती है। अभी जैसाकि हमने कहा, हम लोग कानून के बारे में सोच रहे है जिसे इस सत्र में लाने का इरादा है जिसके अन्तर्गत हम इसको रोकेंगे और जो पैसा इस तरह अनजस्ट एण्ड एनरिचमेंट के माध्यम से कलेक्ट हुआ है, उसे कंज्यूमर वेलफेयर फण्ड या किसी एक प्रकार की निधि बनाकर उसको सौंपा जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

"दिल्ली में प्रदूषण का स्तर"

*23. श्री उत्तम राठौड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 सितम्बर, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डेल्ही मोस्ट पोल्यूटेड सिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इस शहर में इतने अधिक प्रदूषण के कारणों की जांच की गई; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां। समाचार पत्र की रिपोर्ट में सामान्यतः तेजी से हो रहे शहरीकरण की समस्याओं और विशेषकर दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या का उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण मुख्यतः चार प्रकार के क्रियाकलापों के कारण है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्रोत और प्रदूषण में उनके योगदान का प्रतिशत इस प्रकार है : वाहन (53), ताप बिजली संयंत्र (27), उद्योग (11) और घरेलू (9)। आसपास की वायु के स्तर की जांच के आंकड़ों से पता चलता है कि उल्लिखित पैरामीटरों में से केवल निलम्बित धूल कणों की मात्रा ही मानकों से अधिक हैं। यह ग्रीष्मकाल में विशेष रूप से अधिक होता है, क्योंकि उस अवधि में प्राकृतिक धूलभरी परिस्थितियां होती हैं। शीतकाल की रातों में भी प्रदूषण का स्तर काफी खराब होता है, क्योंकि भूमि पर निर्धारित उत्क्रमण होते हैं, जो प्रदूषकों को वातावरण में फैलने से रोकते हैं। इस प्रकार, प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ-साथ उत्सर्जन के अभाव के फलस्वरूप दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अधिक होता है। मूलतः इसका कारण भारी संख्या में मोटर वाहनों और विशेषकर दुपहिया और तिपहिया गाड़ियों का चलना है।

वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

1. वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण

(1) पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए सकल उत्सर्जन मानक संशोधित मोटर (वाहन) अधिनियम, 1988 के तहत 2-6-1989 को अधिसूचित किए गए हैं और इन्हें 1 मार्च, 1990 से लागू किया जा रहा है। तरल उत्सर्जन मानक भी अधिसूचित कर दिये गए है और ये अप्रैल, 1991 (पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए) तथा अप्रैल, 1992 (डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए) से लागू हो जायेंगे।

(2) जन जागरूकता अभियान और मुकदमे चलाये गये हैं।

(3) पेट्रोलियम उद्योग से कहा गया है कि पेट्रोल में सीसे की मात्रा कम करके अप्रैल, 1993 तक इसे प्रति लीटर 0.15 ग्राम कर दें।

(4) सरकार ने 6 दिसम्बर, 1990 को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है कि 1 अप्रैल, 1991 के पश्चात विनिर्मित वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहनों के प्रत्येक विनिर्माता को उसके द्वारा विनिर्मित वाहनों का एक आदि प्ररूप प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी एजेंसी द्वारा यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए की जायेगी कि क्या वाहन उत्सर्जन मानकों के संबंध में नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

(5) दिल्ली प्रशासन, परिवहन निदेशालय के जरिए "मोटर वाहनों की निकास नली से वायु प्रदूषण पर नियन्त्रण" की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। दिसम्बर, 1987 से अप्रैल, 1989 के बीच 24 पेट्रोल पम्पों पर प्रदूषण की जांच की निःशुल्क सुविधायें प्रदान की गयीं। मई, 1989 से यह सुविधा परिवहन निदेशालय के सभी कार्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही है। नवम्बर, 1990 तक 60.17 लाख वाहनों से भी अधिक के मालिकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। 1.06 लाख से अधिक वाहनों के मालिकों (मार्च से नवम्बर, 1990 के बीच), जिन्होंने केन्द्रीय मोटर वाहन नियमवाली, 1989 में निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया था, "चेतावनी पर्ची" जारी कर दी गई है।

(6) सरकार ने दिल्ली में पंजीकृत प्राइवेट वाहनों के प्रदूषण मानकों के प्रमाणन के लिए जुलाई, 1990 में एक विस्तृत स्कीम तैयार की। इस स्कीम के तहत वाहनों के मालिकों को एक निर्धारित समय-सूची के मुताबिक अपने वाहनों की पंजीकरण संख्या के अनुसार अपने वाहनों के संबंध प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है। इस कार्य के लिए, 87 प्राइवेट कार्यशालाओं और पेट्रोल पम्पों को प्रदूषण की जांच और ट्यूनिंग सुविधाएं देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इन केन्द्रों ने जुलाई से नवम्बर, 1990 के बीच लगभग 3.5 लाख वाहनों को प्रदूषण की जांच की सुविधा प्रदान की है। लगभग 1.05 लाख प्रदूषण वाहनों की ट्यूनिंग की गई और उनका प्रदूषण स्तर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा गया।

(7) अप्रैल, 1980 से परिवहन प्राधिकरण ने एक अभियोजन अभियान चलाया है। मोटर (वाहन) अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के उपबंधों के तहत नवंबर, 1990 तक लगभग 1600 वाहनों के मालिकों पर मुकदमा चलाया गया। इसके अलावा, 1600 से भी अधिक वाहनों के "फिटनेस प्रमाण-पत्र" रद्द कर दिये गये हैं और वाहनों के मालिकों से कहा गया है कि "फिटनेस प्रमाण-पत्र" प्राप्त करने से पूर्व वे अपने वाहनों को निर्धारित मानकों के अनुसार ठीक करा लें।

उद्योगों से उत्सर्जन

(1) परिवेशी वायु के स्तर के मानक निर्धारित किये गये हैं।

(2) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत वायु प्रदूषण उद्योगों के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं।

(3) दिल्ली के वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(4) अधिक प्रदूषक उद्योगों को निदेश दिया गया है कि वे एक समय-बद्ध आधार पर स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन करें। दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कारंवाई शुरू की गई है। दिल्ली में स्थित तीनों ताप बिजली संयंत्रों ने इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर लगा लिए हैं। ये ताप बिजली संयंत्र अब निर्धारित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन कर रहे हैं।

(5) सल्फर की अधिक मात्रा वाले भट्ठी के तेल के स्थान पर कम सल्फर वाले हैवी स्टाक की सप्लाई की जा रही है, जिससे उद्योगों से सल्फर डाइआक्साइड का उत्सर्जन कम हो गया है।

(6) बिना जले हाइड्रो-कार्बनों का स्तर कम करने के लिए जलाने की लकड़ी और कोयले के स्थान पर साफ ईंधन के रूप में एल० पी० जी० की सप्लाई को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(7) दिल्ली में स्थित पत्थर तोड़ने की इकाइयों में से 14 इकाइयों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत नोटिस जारी किए गए। 9 मामलों में (8 लाल कुआं में तथा एक राजोकरी में) इकाइयों को बन्द कर देने के निदेशों की पुष्टि की गई। इन 9 इकाइयों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। रिट याचिका के अन्तरण के लिये सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। इस मामले में तेजी से कारंवाई की जा रही है।

चुनाव सुधार

*25. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 9 जनवरी, 1990 को तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक सम्मेलन में किन-किन चुनाव-सुधारों का सुझाव दिया गया, इनमें से किन-किन सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया, किन-किन को स्वीकार किया गया तथा कौन-कौन से सुझाव क्रियान्वयनाधीन हैं; और

(ख) स्वीकार किये गये सुझावों, विशेष रूप से चुनाव खर्च कम करने और काला धन जमा करने और उसके उपयोग से संबंधित सुझावों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सरकार ने कौन-सी कार्यवाही योजना तैयार की है?

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) 9 जनवरी, 1990 को हुए सम्मेलन के समक्ष रखे गए निर्वाचन सुधार संबंधी विभिन्न सुझाव, संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं। उक्त सम्मेलन में किये गये विनिश्चयों के अनुसरण में, सरकार ने एक निर्वाचन सुधार समिति गठित की थी। इस समिति ने निर्वाचन सुधार के सभी पहलुओं पर विचार किया। समिति द्वारा की

गई मुख्य सिफारिशें लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 10471, तारीख 24-5-1990 के उत्तर में पहले ही उपदर्शित की जा चुकी हैं। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर चार विधेयक, अर्थात, (i) संविधान (सत्तरवां) संशोधन विधेयक 1990; (ii) संविधान (इकहत्तरवां) संशोधन विधेयक, 1990; (iii) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1990; और (iv) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा-शर्तें) विधेयक, 1990, संसद में पुर:स्थापित किये जा चुके हैं।

(ख) स्वीकृत सुझावों के कार्यान्वयन का कार्य, इन विधेयकों के अधिनियमन के पश्चात ही प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

विवरण

1. धन, माफिया और राजनीतिज्ञों के बीच गठजोड़ का मुकाबला करना।
2. निर्वाचनों का सरकार द्वारा वित्तपोषण।
3. राजनैतिक दलों द्वारा लेखाओं का अनिवार्य रूप से रखा जाना और निर्वाचन आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा उनकी संपरीक्षा, राजनैतिक दलों के कार्यकरण के लिए नियम/उपविधियां विरचित करना, उनका पालन न किए जाने पर उनके रजिस्ट्रीकरण का समपहरण।
4. विपक्षी दलों के परामर्श से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, पदावधि की समाप्ति के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों द्वारा कोई पद स्वीकार किये जाने पर रोक, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करना।
5. निर्वाचन आयोग का स्वतन्त्र सचिवालय।
6. सचिवालय पर व्यय का प्रभारित व्यय होना।
7. बूथ पर कब्जा करना, उस अभ्यर्थी को निरर्हित करना जिसकी ओर से बूथ पर कब्जा करने का प्रयत्न किया जाता है।
8. बहु-उद्देश्यीय फोटो-पहचान-पत्र।
9. निर्वाचन विवादों को शीघ्र निपटान।
10. समय पर उपनिर्वाचन कराना।
11. नये सिरे से परिसीमन।
12. आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रमण।
13. जिला या निचले स्तरों पर निर्वाचन पद धारण करने के लिए विधायकों पर रोक लगाना।
14. दल-बदल विरोधी विधि में सुधार।
15. गैर संजीदा अभ्यर्थियों को हटाना।
16. किसी निर्दलीय अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर निर्वाचन का प्रत्यादिष्ट न किया जाना।

17. केवल दो निर्वाचन क्षेत्रों से ही निर्वाचन लड़ने की अनुज्ञा देना।

18. संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य चुने जाने के लिये आयुसीमा घटाना।

19. लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण।

20. आदर्श आचार संहिता के उपबंधों को कानूनी आधार प्रदान करना।

21. निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों को कानूनी आधार प्रदान करना।

22. निर्वाचन आयोग को उस दशा में पुन: मतदान कराने की शक्ति, जब मतदाताओं को बड़े पैमाने पर अभित्रस्त किया गया हो और निष्पक्ष मतदान के लिये आयोग के विशिष्ट निदेशों का अतिक्रमण किया गया हो।

23. आनुपातिक प्रतिनिधित्व-सूची प्रणाली।

24. सरकारी तन्त्र का उपयोग।

गुजरात राज्य के स्टाकयार्डों में इस्पात की सप्लाई

[हिन्दी]

*26. **श्री सी० डी० गामित** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० द्वारा जनवरी से नवम्बर, 1990 तक की अवधि में गुजरात राज्य के विभिन्न स्टाकयार्डों को कितना और किस किस्म का इस्पात सप्लाई किया गया; और

(ख) इन स्टाकयार्डों से विभिन्न संस्थाओं तथा अन्य ग्राहकों को सप्लाई किए गए इस्पात की मात्रा तथा किस्म का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) लोहे और इस्पात की सप्लाई के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के गुजरात में दो स्टाकयार्ड अहमदाबाद और बड़ोदा में एक-एक हैं। जनवरी से नवम्बर, 1990 के दौरान इन स्टाकयार्डों में लगभग 1,80,000 मी० टन अच्छी किस्म की इस्पात सामग्री तथा 10 '0 मी० टन दोषपूर्ण श्रेणी की अन्य सामग्री प्राप्त हुई।

(ख) जनवरी से नवम्बर, 1990 के दौरान "सेल" द्वारा इन स्टाकयार्डों की मार्फत गुजरात विद्युत बोर्ड, गुजरात लघु उद्योग निगम लिमिटेड इत्यादि प्राथमिकता क्षेत्र वाले और अन्य उपभोक्ताओं जिनमें सरकारी विभाग, औद्योगिक इकाइयां आदि शामिल हैं, को लगभग 1,55,000 मी० टन अच्छी किस्म की इस्पात सामग्री तथा 200 मी० टन दोषपूर्ण श्रेणी की सामग्री की सप्लाई की गई थी।

"वृक्षारोपण"

*27. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितने भू-क्षेत्र में तथा कितने पेड़ लगाये गये;

(ख) इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) आगामी वर्ष के लिये वृक्षारोपण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण लक्ष्य, निजी भूमि पर रोपण के लिये वितरित पौद के रूप में तथा सार्वजनिक भूमि, जिसमें वन भूमि भी शामिल है, के लिए क्षेत्र के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। दिनांक 30-11-90 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य सरकारों द्वारा बताई गई प्रगति के अनुसार निजी भूमि पर रोपण के लिए 91.06 करोड़ पौध का वितरण किया गया है और 5.44 लाख हैक्टेयर सार्वजनिक भूमि जिसमें वन भूमि भी शामिल है, पर कार्य पूरा किया गया है।

(ख) केन्द्र और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के लिए कुल आबंटन क्रमश: 222 करोड़ और 353 करोड़ रुपए हैं। व्यय की गई वास्तविक धनराशि के बारे में राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में सूचित किया जाता है।

(ग) और (घ) वर्ष 1991-92 के परिव्ययों और लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप से निर्धारित किया जाना है।

विजया बैंक के चेयरमैन के विरुद्ध जांच

*28. **डा० गंगासी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विजया बैंक के चेयरमैन द्वारा की गई तथाकथित अनियमितताओं के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गयी जांच पूरी हो जाने पर, विजया बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष को कुछ खातों के वित्तपोषण से संबंधित अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी पाया गया था। अत: उन्हें सरकार द्वारा 21-9-90 को उनके कार्यभार से मुक्त कर दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनकी जिम्मेवारी और आपराधिक दायित्व, यदि कोई हो, से संबंधित मामले की जांच कर रही है।

मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक के कार्यालय के अन्तरण का प्रस्ताव

[अनुवाद]

*29. **श्री हुन्नान मोल्लाह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक के कार्यालय को वित्त मंत्रालय के नियंत्रणाधीन लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्यालय कब तक अन्तरित कर दिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भुगतान शेष की स्थिति

[हिन्दी]

*30. श्री मदन लाल खुराना :

डा० चिन्ता मोहन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को भुगतान शेष की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) अक्तूबर, 1989 और अक्तूबर, 1990 में भुगतान शेष की स्थिति के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) सरकार भुगतान शेष की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। भुगतान शेष की स्थिति मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा भंडारों के स्तर में परिलक्षित होती है। अक्तूबर, 1990 के अन्त में विदेशी मुद्रा भंडारों की राशि 3820.42 करोड़ रुपए थी जबकि इसकी तुलना में 1989 की तदनुरूप अवधि के दौरान यह राशि 5158.38 करोड़ रुपए थी।

(ग) सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और गैर-जरूरी आयातों में कटौती करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। विदेशी सहायता के त्वरित संवितरण सहित पूंजी अंतर्प्रवाहों के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत बिजनेस इन्टरनेशनल लिमिटेड को बंद करना

[अनुवाद]

*31. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत बिजनेस इंटरनेशनल लिमिटेड को बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) और (ख) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त भारत बिजनेस इंटरनेशनल लिमिटेड को समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करने का निश्चय किया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सरकार और व्यापारिक निगमों के बीच एक अतिरिक्त संस्था बी० बी० आई० एल० का होना अनावश्यक समझा गया।

बी० बी० आई० एल० को समाप्त करने के निर्णय पर परामर्शदात्री समिति में 20-12-1990 को चर्चा की गई और समिति ने एकमत से इस निर्णय पर सहमति दे दी।

बजट संबंधी घाटा

*32. श्री शंकर सिंह वघेला :

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार बजट घाटा कितना था तथा चालू वर्ष में बजट घाटा कितना होने का अनुमान है;

(ख) खाड़ी संकट के कारण चालू वर्ष में कितना अतिरिक्त घाटा होने तथा आगामी वर्ष में कितना घाटा होने का अनुमान है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं तथा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) संशोधित अनुमानों 1990-91 और बजट अनुमानों 1991-92 में बजट घाटे को यथा समय अन्तिम रूप दे दिया जाएगा और 1991-92 के बजट दस्तावेजों में दर्शाया जाएगा।

विवरण

केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1990-91 (बजट अनुमान) में तथा पिछले तीन वर्षों में समग्र बजटीय घाटा नीचे दिया गया है :

	(करोड़ रुपए)
1987-88 (वास्तविक)	5816
1988-89 (वास्तविक)	5642
1989-90 (अनन्तिम)	10625
1990-91 (बजट अनुमान)	7206

2. बजट के पश्चात् की गतिविधियों को देखते हुए, सरकार ने बजट घाटे को नियन्त्रित करने के लिए पहले ही कई उपाय किए हैं। इन उपायों में से व्यय में किफायत बरतने, नए संसाधनों को जुटाने के साथ-साथ राजस्व संचयन प्रक्रिया में तेजी लाने, निर्यात बढ़ाने और विदेशी सहायता का कारगर उपयोग सुनिश्चित करने सम्बन्धी उपाय उल्लेखनीय हैं।

"अयोध्या हिल का विकास"

*34. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अयोध्या हिल के विकास सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अयोध्या की पहाड़ियों में वनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे लोगों के विकास की एक प्रायोजना विदेशी सहायता से वित्त-पोषित किए जाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुई थी। इस मामले को आर्थिक कार्य विभाग के साथ उठाया गया था और यह पाया गया कि प्रायोजना का वर्तमान स्वरूप उद्देश्य के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रायोजना में मछली पालन, रेशम कीट-पालन, लाख कृषि, बढ़ईगिरि, कृषि औजारों का विपणन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, सुअर पालन आदि जैसे अनेक कार्यकलाप शामिल थे। चूंकि पर्यावरण और वन मंत्रालय सीधे इन सभी कार्यकलापों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकता है अतः राज्य सरकार को

सुझाव दिया गया कि वह प्रायोजना को मानक प्रपत्र और मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के अनुसार संशोधित करे। इसी बीच, विश्व बैंक की सहायता से पश्चिम बंगाल राज्य के लिए एक व्यापक वानिका प्रायोजना तैयार की गई है ताकि चल रही सामाजिक वानिकी प्रायोजना के पूरा हो जाने के बाद ऐसी प्रायोजना को शुरू किया जा सके। राज्य सरकार को सलाह दी गई कि वह अयोध्या की पहाड़ियों की प्रायोजना के प्रस्तावित सभी सम्बन्धित कार्यकलापों को इस नई प्रायोजना में शामिल कर ले।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एकीकृत परती भूमि विकास प्रायोजना स्कीम के अन्तर्गत सहायता हेतु एक प्रायोजना प्रस्ताव तैयार करे।

रुपए का मूल्य

[हिन्दी]

*38. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौंड, डालर, जर्मन मार्क और जापान के येन की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है;

(ख) वर्ष 1960 के आधार वर्ष के मूल्य की तुलना में भारतीय रुपए का वर्तमान मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार का भारतीय रुपए के गिरते हुए मूल्य को रोकने के लिए ब्याज दर में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रुपए के मूल्य में और गिरावट रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) के व्युत्क्रम के रूप में मापित भारतीय रुपए का मूल्य जुलाई, 1990 में लगभग 11 पैसे बैठता है।

(ग) ब्याज दरों में उच्च वृद्धि प्राय: मुद्रा स्फीति-विरोधी उपाय के रूप में लागू नहीं होती। लेकिन, व्यापक स्थल आर्थिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं।

(घ) सरकार ने कीमतों को नियन्त्रण में रखने के लिए मांग और पूर्ति दोनों के संबंध में उपाय किए हैं और इससे भारतीय रुपए की क्रय-शक्ति में गिरावट स्थिर हो गई है। मांग के संबंध में सरकारी व्यय में कमी करके नकदी की वृद्धि रोकने और बजट घाटे का कठोरता से अनुवीक्षण (मानीटरिंग) करने के साथ-साथ मुद्रा पूर्ति वृद्धि को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। पूर्ति के सम्बन्ध में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक आबंटन करके आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाने और सट्टेबाजी प्रवृत्तियों को रोकने के उपाय किये जा रहे हैं। कीमतों में मध्यावधिक अस्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण

[अनुवाद]

*36. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 11 महीनों के दौरान उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में की गई न्यायाधीशों की नई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस अवधि के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच किए गए न्यायाधीशों के स्थानांतरणों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) पिछले ग्यारह मास में अर्थात् जनवरी—नवम्बर, 1990 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 3 न्यायाधीशों और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 113 न्यायाधीशों/अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गई थीं।

(ख) छह अवर न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित किया गया था और उन्हें दूसरे उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसी प्रकार, चार अवर न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को हुई हानि

[हिन्दी]

*37. श्री राम लाल राही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारी घाटे में चल रहे कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों को रुग्ण एकक घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं और इन बैंकों को भारी होने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कितने बैंकों के प्रबंधक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का ऐसे बैंकों का प्रबन्ध गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की थी। यह पाया गया कि कुछ बैंकों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसका कारण मुख्य रूप से मूल्यांकन एवं मंजूरी-पूर्व दोनों ही स्तरों पर उनके ऋण प्रशासन में कमियां होनी है।

किसी दूसरे उद्योग की तरह, अलग-अलग बैंकों की वित्तीय स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। न्यू बैंक आफ इण्डिया और यूको बैंक को छोड़कर, वर्ष 1989-90 के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के वार्षिक लेखों के अनुसार, 18 अन्य बैंकों ने लाभ दर्शाया है। वर्ष 1988-89 के लिए 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल 203.28 करोड़ रुपए के वार्षिक लाभ की तुलना में इन बैंकों ने कुल 249.60 करोड़ का लाभ अर्जित किया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को वित्तीय स्थिति एवं कार्य निष्पादन की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरन्तर आधार पर समीक्षा की जाती है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन एवं लाभप्रदता में वृद्धि करने के वास्ते कई उपाय किये हैं। इनमें ये शामिल हैं : उनकी पूंजी में वृद्धि करना, सेवा प्रभारों और ब्याज दर ढांचे को युक्तिसंगत बनाना तथा कार्यशील सीमाओं के अनुप्रयुक्त हिस्से हर प्रतिबद्धता प्रभार वसूल करना। बैंकों से स्टेशनरी, प्रचार आदि के उपभोग के खर्चे को नियंत्रित करने, अपनी परिचालनात्मक दक्षता को सुधारने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने और कारगर कारोबार आयोजना एवं विकास के माध्यम से अपनी अर्थक्षमता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के वास्ते अन्य उपाय करने के लिए भी कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से धोखाधड़ियों के मामलों में अन्तर्ग्रस्त पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए भी कहा है।

सरकार का इन बैंकों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का कोई विचार नहीं है।

विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं का विलय

[अनुवाद]

*38. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की सभी शाखाओं के विलय संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार विलय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव किन विशेष कारणों से विचाराधीन है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में यदि कोई निर्णय ले लिया गया है, तो वह क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के कार्यकरण की सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरन्तर आधार पर समीक्षा की जा रही है। भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों का पुनर्गठन करने संबंधी प्रस्ताव इसी निरन्तर प्रक्रिया का एक अंग है। अभी तक इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए व्यक्तियों को सहायता

*39. श्री भजमन बेहरा :

श्री अनादि चरण दास : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1984 में जारी किए गए सामान्य मार्ग-निर्देशों को बाढ़, तूफान, भू-स्खलन, दंगों इत्यादि के शिकार हुए व्यक्तियों को बैंकों द्वारा दी जाने वाली सहायता का क्षेत्र व्यापक करने की दृष्टि से वर्ष 1989 में संशोधित किया गया था ताकि तटीय क्षेत्र के जिलों में प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता/आवास/कृषि ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सकें;

(ख) यदि हां, तो उक्त मार्ग निर्देशों के अनुसार उड़ीसा में वर्ष 1989 तथा वर्ष 1990 में आज तक कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा के गंजाम जिले में आई अप्रत्याशित बाढ़/तूफान के कारण

प्रभावित व्यक्तियों को और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस जिले में वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को कोई नये अनुदेश जारी किए गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) हर समय भारतीय रिजर्व बैंक से निर्देशों की प्रतीक्षा किए बगैर बाढ़, सूखा, बवण्डर आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1984 में बैंकों को स्थाई मार्गनिर्देश जारी किए थे। इन मार्ग निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ इनकी परिकल्पना की गई है : (I) अल्पावधिक उत्पाद ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में परिवर्तित करना है, (II) वर्तमान सावधि ऋण की किस्तों को पुनर्निर्धारित करना/स्थगित करना और (III) आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त फसल/निवेश ऋणों का प्रावधान करना आदि।

दंगे/उपद्रव हो जाने पर सम्बद्ध राज्य सरकार से यह सूचना प्राप्त होने पर कि कितने लोगों की जानें गई, कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ आदि के संबंध में सामान्यतया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से कहा जाता है कि वे प्रभावित लोगों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त मार्ग निर्देशों का पालन करें। गृह सम्पत्ति को हुए नुकसान की सीमा का ब्योरा देते हुए जब कभी संबद्ध राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होते हैं तब क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत करने पुनर्निर्माण करने के लिए बैंक आवास वित्त भी प्रदान करते है। किसी प्रभावित व्यक्ति को अपना व्यापार/कार्य फिर से करने के लिए नए अग्रिमों या दूसरे प्रकार की राहत के रूप में बैंकों द्वारा प्रदान की गई राहत उस क्षेत्र के लिए उनके अग्रिमों का एक हिस्सा हो जाती है और इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए अलग से कोई सूचना प्रणाली निर्धारित नही की गई है।

(ग) और (घ) उड़ीसा के कुछ जिलों में हाल ही में आए बाढ़ को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 4 दिसम्बर, 1990 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से एक बार फिर कहा कि वे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए अगस्त, 1984 के स्थाई मार्गनिर्देशों को कार्यान्वित करें। दिनांक 27 नवम्बर, 1990 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा कि वे राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़/बवण्डर से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि उन प्रभावित ऋणकर्ताओं को, जिन्होंने खरीफ ऋण लिए हैं, रबी की फसल शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति, उड़ीसा के संयोजक यूको बैंक ने सूचित किया है कि पुनर्वास कार्यक्रम पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 15 नवम्बर, 1990 को गंजम जिले में जिला परामर्शदात्री समिति की विशेष बैठक आयोजित की गई थी जिसमें बैंकों के लिए कार्य योजना तैयार की गई थी। जिले में कार्य कर रहे बैंकों के क्षेत्रीय प्रमुखों से भी उन्होंने कहा था कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार वापसी अदायगी को पुनर्निर्धारित करने सहित बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करें।

कुवैत और इराक से भारतीयों की वापसी

*40. **प्रो० पी० जे० कुरियन** :

श्री बी० एस० बासवराज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष में दौरान केन्द्रीय सरकार को कुवैत और इराक से भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि भेजा जाना बन्द होने से कारण कितनी हानि हुई है;

(ख) कुवैत और इराक से भारी संख्या में भारतीय राष्ट्रिकों की वापसी के कारण इस वर्ष देश के विदेशी मुद्रा कोष में कितनी कमी आई है;

(ग) हाल के खाड़ी संकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) अनुमान यह है कि चालू वित्तीय वर्ष के 8 महीनों के दौरान कुवैत और इराक से धनराशि के रुक जाने के कारण 2·0 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त, कुवैत और इराक में कार्यरत भारतीयों के देश प्रत्यावर्तन की विदेशी मुद्रा लागत सितम्बर के मध्य तक 90 करोड़ रुपये और वर्तमान में 300 करोड़ रुपये आने का अनुमान है।

(ग) खाड़ी संकट के परिणामस्वरूप सितम्बर, 1990 से 12 महीने की अवधि के लिए तेल की बढ़ी हुई कीमत की वजह से आयात बिल पर प्रभाव का अनुमान कच्चे तेल की 25 अमेरिकी डालर प्रति बैरल औसत कीमत पर 5000 करोड़ रुपए, 30 अमेरिकी डालर प्रति बैरल की उच्च दर पर 6300 करोड़ रुपए और 35 अमेरिकी डालर प्रति बैरल के अभी भी ऊंचे स्तर पर 8300 करोड़ रुपए होगा। इसमें प्रेषणाओं के कारण हुई हानि, निर्यात हानि, आपातकालीन स्वादेशागमन की लागत शामिल है किन्तु इसमें अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष प्रभाव शामिल नहीं है।

(घ) निर्यात संवर्धन, निर्यातों पर नियंत्रण और विदेशी सहायता के त्वरित संवितरण सहित बढ़े हुए विदेशी पूंजी प्रवाहों के संबंध में विभिन्न उपाय शुरू किए जा चुके हैं।

कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड का कार्य निष्पादन

231. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड के कार्य निष्पादन की रिपोर्ट मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कम्पनी का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (नवम्बर, 1990 तक) कम्पनी के कार्य निष्पादन को नीचे दर्शाया गया है :

			(मात्रा : हजार शुष्क मी० टन)
			वास्तविक : 1990-91 (नवम्बर : 1990 तक)
उत्पादन			
सांद्रण			3940
पैलेट्स			1133
निर्यात			
सांद्रण			2654
पैलेट्स			1045
क्षमता का उपयोग			
सांद्रण	79%	पैलेट्स	57%
बिक्री	13850 लाख रुपये		
निवल लाभ	3588 लाख रुपये		

भारत को अमरीकी सहायता

232. श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेयर तथा कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज नाम अमरीकी एजेंसियो द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भारत में कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरी व्हेयर तथा कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज की एजेंसियों के अतिरिक्त भारतीय एजेंसियों/व्यक्तियों को दिए गए खाद्य पदार्थ तथा राहत सामग्री की मात्रा का वर्षवार और एजेंसीवार ब्योरा क्या है;

(ख) राजस्थान को कितनी सामग्री प्रदान की गई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को उपरोक्त एजेंसियों के लेखा परीक्षकों द्वारा वितरक एजेंसियों पर लगाए गए आरोपों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या इन अनियमितताओं की जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेयर (सी० ए० आर० ई०) तथा कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज (सी० आर० एस०) द्वारा दिए गए खाद्य और राहत सामग्री की मात्रा नीचे दी गई है :

अप्रैल 1987—मार्च, 1988

एजेंसियां	मात्रा (मीट्रिक टन)
सी० ए० आर० ई०	146,747
सी० आर० एस०	58,315
जोड़ :	205,062

अप्रैल 1988-मार्च 1989

सी० ए० आर० ई०	148,718
सी० आर० एस०	120,608
जोड़ :	269,326

अप्रैल, 1989-मार्च, 1990

सी० ए० आर० ई०	134,203
सी० आर० एस०	39,387
जोड़ :	173,590

पिछले तीन वर्षों में राजस्थान को दी गई खाद्य वस्तुओं की मात्रा नीचे दी गई है :

(मात्रा मीट्रिक टन)

	अप्रैल, 87 मार्च, 88	अप्रैल, 88 मार्च, 89	अप्रैल, 89 मार्च, 90
सी० ए० आर० ई०	3218	9219	8228
सी० आर० एस०	1030	2480	144

तथापि, संबंधित मंत्रालयों के साथ प्रत्यायोजित ढांचे को ध्यान में रखते हुए एजेंसियों के से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) से (ङ) सरकार के सी० आर० एस० के संबंध में यू० एस० ए० आई० डी० के लिए तैयार की गई प्राइस वाटरहाउस की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जानकारी है। रिपोर्ट, जो कि विदेश मंत्रालय में प्राप्त हुई थी, से एक समयावधि में खाद्य सामग्री के दुर्विनियोग का पता चलता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्ट में प्रकाशित अनियमितताओं की जांच-पड़ताल करने के लिए कहा गया है। कल्याण विभाग ने यह सूचित किया है कि उन्हें रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि लेखा परीक्षा यू० एस० ए० आई० डी० द्वारा की गई थी इसलिए अनुवर्ती कार्रवाई भी उनको ही करनी चाहिए। सी० ए० आर० ई० के संबंध में हमें जानकारी नहीं है कि यू० एस० ए० आई० डी० ने कोई लेखा परीक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट सौंपी है।

इण्डियन बैंक की इन्द्र-ज्योति योजना

233. श्री वी० वैयरावन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बैंक ने एक नई योजना, इन्द्र-ज्योति शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। इंडियन बैंक म्यूचुअल फण्ड ने राष्ट्रीय आय और संवृद्धि योजना, 1990 के नाम से एक नई

योजना शुरू की थी जिसके अन्तर्गत जनता को पहली अक्तूबर, 1990 से 30 नवम्बर, 1990 तक के दौरान अंशदान देने हेतु "इन्द्र ज्योति" यूनिट प्रस्तुत किए गए थे।

(ख) इस योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :—

इन्द्र ज्योति यूनिट आय और संवृद्धि प्राप्त करने हेतु 100/-रुपये के अंकित मूल्य की भुक्त करने योग्य ब्याज रहित प्रतिभूति है। इन यूनिटों के निर्गमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(i) निर्गम राशि : कोई विशिष्ट सीमा नहीं

(ii) निर्गम मूल्य : सममूल्य पर नकदी हेतु 100 रुपए प्रति यूनिट

(iii) अंशदान की न्यूनतम राशि : 1000 रुपये अर्थात प्रत्येक 100 रुपये के 10 यूनिट और उसके गुणज।

(iv) अंशदान की अधिकतम राशि : कोई अधिकतम सीमा नहीं।

"इन्द्र ज्योति" योजना दो विकल्पों के रूप में प्रस्तुत की गई अर्थात् योजना 'क' और योजना 'ख'। योजना 'क' निवेशकर्ताओं को निश्चित रूप से न्यूनतम वार्षिक प्राप्तियां सुनिश्चित करती है। योजना 'ख' संचयी यूनिटें प्रदान करती है जिसमें यूनिटों की कीमत सुनिश्चित न्यूनतम प्राप्तियों अथवा घोषित उच्च प्राप्तियों के अनुसार बढ़ेगी।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

234. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) इन शाखाओं में से कितनी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य में कितनी शाखाएं खोलने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) दिनांक 30-6-90 को स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंक की 4409 शाखाएं कार्य कर रही थीं।

(ख) उपर्युक्त (क) में से 1792 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही थीं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सितम्बर, 1990 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को उनकी भावी शाखा विस्तार योजना के संबंध में मार्गनिर्देश जारी किए हैं। उन्हें ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों से संबंधित नीति के अन्तर्गत शाखाएं खोलने के वास्ते बैंकों से अभी तक समेकित अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं। जहां तक शहरी और महानगरीय केन्द्रों का संबंध है, बैंक रहित/कम बैंक सुविधा प्राप्त स्थानों का पता लगाने के लिए गठित कार्यकारी दल की सिफारिशें भारतीय रिजर्व के विचाराधीन हैं। अत: वर्ष 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र में खोली जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की संख्या बताना फिलहाल संभव नहीं होगा।

नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी लि० (नेल्को) द्वारा निर्यात

235. श्री कालकोमाल मिश्र : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों को अल्युमिना के निर्यात के मामले में सरकारी क्षेत्र के नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की देश-वार क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ख) इससे कितनी मुद्रा की आय हुई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहब पाटिल) : (क) और (ख) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की एल्यूमिना के निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन के प्रसंग में उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

	1987-88		1988-89		1989-90	
	मात्रा (मी०टन)	राशि (करोड़ रु०)	मात्रा (मी०टन)	राशि (करोड़ रु०)	मात्रा (मी०टन)	राशि (करोड़ रु०)
	1	2	3	4	5	6
संयुक्त राज्य अमरीका	—	—	94,883	48.10	45,381	25.70
ब्राजील	—	—	120,727	49.86	33,993	9.32
बहरीन	35,307	7.40	45,488	14.62	50,862	40.11
चीन	—	—	74,038	28.70	15,001	11.77
सोवियत रूस	—	—	17,751	19.09	214,368	181.18
मिस्र	—	—	—	—	44,520	32.80
नार्वे	30,173	6.33	—	—	24,077	6.98
द० कोरिया	11,160	2.25	21,183	11.49	20,350	16.44
इंडोनेशिया	—	—	10,091	9.35	—	—
जोड़	76,640	15.98	384,161	181.21	448,554	324.30

"वन क्षतिपूर्ति हेतु वनरोपण"

236. श्री हरीश पाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को विकास परियोजनाओं के क्षेत्रों में वन क्षतिपूर्ति हेतु वनरोपण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं जिसके पूरे न होने की स्थिति में वह वन भूमि के स्थानांतरित करने संबंधी उनकी भावी योजनाओं को स्वीकार नहीं करेगी;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने वन क्षतिपूर्ति हेतु वनरोपण के सम्बन्ध में हुई प्रगति की पुनरीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे एक विशेष अभियान चलाकर चालू वर्ष के दौरान ही अब तक उपयोग में लाए गए सभी वन क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वनरोपण का काम पूरा कर लें। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यदि क्षतिपूरक वनरोपण का कार्य वन भूमि को उपयोग में लाने की रफ्तार से न किया गया तो केन्द्र सरकार के लिए भविष्य में वन भूमि को उपयोग में लाने के ऐसे प्रस्तावों पर विचार करना कठिन होगा। मंजूर प्रस्तावों के संबंध में केवल गोवा, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ने निर्धारित क्षतिपूरक वनरोपण को पूरा किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) 31-12-1989 तक उपयोग में लाए गए वन क्षेत्र के बारे में निर्धारित 2.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में नवम्बर, 1990 तक 0.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वनरोपण किया गया है।

राज्यों में केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय की स्थापना

237. **श्री मंगाराम मलिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय में रेलवे तथा डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों पर विचार किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में ऐसे केन्द्रीय कार्यालय स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रिजर्व बैंक में खिदमतगारों की नियुक्ति

238. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों की आरक्षित श्रेणी में "खिदमतगार" के पर्याप्त पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या रोजगार कार्यालय द्वारा भेजी गयी उम्मीदवारों की सूचियां लम्बे समय से विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) चयन औपचारिकताएं कब तक पूरी कर ली जायेंगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके नई दिल्ली स्थित कार्यालय में खिदमतगारों के चार पदों के लिए, स्थानीय रोजगार कार्यालयों के पास भेजे गये मांगपत्र की तुलना में, बैंक के पास अक्तूबर, 1990 तक चार सूचियां आयी थीं जिनमें 181 नाम दिये गये थे। चार रिक्त स्थानों में से 2 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। चूंकि बैंक को, रोजगार कार्यालयों से उम्मीदवारों के जीवन-वृत्त (बायो-डाटा) प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः बैंक ने प्रायोजित उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मंगवाये हैं और आशा है कि मार्च, 1991 के अन्त तक चयन प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

239. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल संकट से निपटने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अभाव में विकास तथा निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोलियम उत्पाद उद्योग, परिवहन और अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण निविष्टियां हैं। इसलिए पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि होने और वर्तमान भुगतान शेष की स्थिति के कारण आयातों में मितव्ययिता बरतने से उत्पादन की वृद्धि में कमी आ सकती है जिसके फलस्वरूप आयातों पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।

अभ्रक उद्योग में अनुसंधान विकास प्रभाग

240. **श्री ए० के० राय :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक संबंधी रेड्डी समिति ने अभ्रक उद्योग के लिए अनुसंधान व विकास प्रभाग की स्थापना का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) रेड्डी समिति ने न केवल अभ्रक खनन बल्कि शीट अभ्रक के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मांग में गिरावट को देखते हुए अभ्रक तथा अभ्रक उत्पादों के विभिन्न नए प्रयोगों के निर्धारण के संबंध में भी अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकार अभ्रक/अभ्रक उत्पादों के लिए कोई निश्चित अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ करे।

मिटको/एम० एम० टी० सी० ने अभ्रकनगर, झुमरीतलैया (बिहार) में 2.94 करोड़ रु० के अनुमानित परिव्यय से एक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित करने के बारे में कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी है।

रबड़ का आयात

241. श्री ए० विजयराघवन :

प्रो० के० वी० थामस :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया और यह किन-किन देशों से आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार का चालू वर्ष में रबड़ का आयात करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान आयात की गई रबड़ की मात्रा निम्नानुसार है :

1988-89	51,363 एम० टी० एस०
1989-90	26,549 एम० टी० एस०

ये आयात मलयेशिया, थाइलैंड तथा श्रीलंका से किए गए थे।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के लिए प्राकृतिक रबड़ की मांग और पूर्ति के अन्तर का अनुमान 40,000 एम० टी० एस० लगाया गया था। इसमें से लगभग 8300 एम० टी० मात्रा का आयात फरवरी-मार्च, 1990 के दौरान किया गया और लगभग 31,700 एम० टी० मात्रा का आयात अप्रैल, 1990 से शुरू हुआ ताकि जून-जुलाई, 1990 से फरवरी-मार्च, 1991 के दौरान इसके कम उत्पादन अवधि में इसकी कमी को पूरा किया जा सके।

अखिल भारतीय न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

242. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय न्यायिक पद्धति अपने वर्तमान स्वरूप में सभी न्यायालयों में ढेर सारे लम्बित पड़े मामलों को निपटाने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो न्यायिक पद्धति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अब न्यायिक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सेवा के प्रारंभ में और सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) यद्यपि यह सच है कि न्यायालयों में बहुत अधिक संख्या में मामले लंबित हैं तथापि यह कहना सही नहीं है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली ऐसी स्थिति पर काबू नहीं पा सकेगी।

(ख) लंबित मामलों के निपटान में शीघ्रता लाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, यथा, न्यायाधीशों की नियुक्तियां शीघ्र करना, अपर न्यायाधीश नियुक्त करना, प्रक्रिया में सुधार आदि। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जनवरी, 1989 में सरकार द्वारा गठित तीन न्यायाधीशों की समिति ने जिसके अध्यक्ष केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री वी० एस० मलियामथ थे, लंबित मामलों

की समस्या का व्यापक अध्ययन करके सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशें, संबंधित प्राधिकारियों अर्थात, राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों और कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों को, आवश्यक अनुगामी कार्रवाई के लिए, उपलब्ध कर दी गई हैं।

(ग) न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

"राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण योजना"

243. **श्री सीताराम पोटदुखे :**

श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाले उद्योगों से प्रदूषण को रोकने के लिए अपनी "राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण योजना" के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस योजना के भाग के रूप में किन क्षेत्रों, प्रदूषकों तथा उद्योगों का पता लगाया गया है;

(घ) इस कार्य को आरम्भ करने के लिए तैयार किए गए चरणबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर, राज्य-वार तथा उद्योग-वार कितने पूंजीगत परिव्यय का अनुमान है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक परियोजना तैयार की जा रही है। परियोजना के एक भाग को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित करने के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) परियोजना की विस्तृत रूपरेखाओं में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संस्थागत ढांचे का विकास करना तथा आठ क्षेत्रों में अर्थात कागज और लुगदी, कीटनाशक और कृमिनाशी, रंगाई, दवाइयां और औषधियां, उर्वरक, चीनी और मद्यनिर्माणशालाओं, पेट्रो-रसायन, चर्म और चर्मशोधन तथा छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों के समूहों के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों में प्रदूषण के उपशमन के लिए उद्योगों के वास्ते ऋण की व्यवस्था करना शामिल हैं। उम्मीद है कि यह परियोजना वित्तीय वर्ष 1991-92 से शुरू की जाएगी। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा 200 मिलियन डालर की राशि दिए जाने का संकेत दिया गया है।

पंजाब में ऋण माफ करना

244. **बाबा सुच्चा सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कृषि और ग्रामीण ऋण सहायता योजना, 1990 के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया है और ऋण की कुल कितनी रकम माफ की गई है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और इसके सहायक बैंकों ने ऋण की कितनी रकम मंजूर की है;

(ग) इसमें पंजाब सरकार और केन्द्रीय सरकार का कितना अंशदान है;

(घ) ऋण समाप्त करने के लिए अन्य बैंकों को कितनी रकम हस्तांतरित की गई है;

(ङ) वास्तविक लाभार्थियों को यानि समाप्त की गई ऋण की राशि का ब्यौरा क्या है;

(च) उपरोक्त (ख) में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर किए गए ऋण की राशि और (ङ) में हस्तांतरित की गई राशि में यदि कोई अन्तर है तो कितना है; और ऋण प्राप्तकर्ताओं को पूरी राशि का लाभ न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या पंजाब सरकार द्वारा अपनाया गया मापदंड, केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों द्वारा अपनाया गया मापदंड से भिन्न है; और

(ज) पंजाब में कुछ श्रेणियों के ऋण प्राप्तकर्ताओं को अलग रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) केंद्रीय सरकार की कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत राहत के लिए हिताधिकारियों की पहचान के वास्ते अपनाये गए मानदंड निम्नलिखित हैं :

(i) 2 अक्तूबर, 1986 की स्थिति के अनुसार अतिदेय राशियां, जिन्हें पुरानी अतिदेय राशियां कहा गया है, ऐसे ऋणकर्ताओं को उनकी खराब फसल वर्षों पर ध्यान दिये बगैर राहत के लिए पात्र माना जायेगा।

(ii) 2 अक्तूबर, 1986 के पश्चात् परन्तु 2 अक्तूबर, 1989 से पूर्व की अतिरिक्त राशियां राहत के वास्ते पात्र होंगी बशर्ते कि ऋणकर्ता ने दो खराब फसल वर्षों का सामना किया हो और खराब फसल वर्ष (वर्षों) के दौरान चूक की हो।

(iii) ऐसे मृतक ऋणकर्ता जिनके 2 अक्तूबर, 1989 को ऋण बकाया थे और जिनकी 2 अक्तूबर 1989 से पहले मृत्यु हो गई थी, राहत के पात्र हैं।

(iv) 2 अक्तूबर, 1989 की स्थिति के अनुसार, ऐसे ऋणकर्ताओं की अतिदेय राशियां जो दिवालिया घोषित हो गये थे या 2 अक्तूबर, 1989 की स्थिति के अनुसार दिवालिया घोषित किये जाने के लिए जिनकी दिवालिया याचिका न्यायालय में लम्बित थी, राहत पाने के पात्र हैं।

(v) संपत्तियों के नुकसान हो जाने के कारण 2 अक्तूबर, 1989 को जिन कारीगरों की अतिदेय राशियां बकाया थीं वे राहत पाने के लिये पात्र हैं।

पंजाब में, राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों/प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने राहत के रूप में 2,28,973 हिताधिकारियों को 106.68 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की है।

(ख) और (ग) ऋण राहत योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकार के हिस्से के रूप में पंजाब राज्य सहकारी बैंक को 50 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया जबकि राज्य भूमि विकास बैंक के लिए 3 करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार के हिस्से के रूप में इन

संस्थाओं को समान धनराशि का अनुदान दिया गया है। सहकारी समितियों के लिये ऋण राहत योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार और भारत सरकार का भाग 50 : 50 के आधार पर है।

(घ) ऋण राहत योजना के अन्तर्गत अनुदान और ऋणों के रूप में सहकारी समितियों को मंजूर की गई अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये में)

बैंक का नाम	अनुदान	ऋण	जोड़
राज्य सहकारी बैंक	50.00	50.00	100.00
भूमि विकास बैंक	3.00	3.00	6.00

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त मद (क) में दिया गया है।

(च) अनुदान और अग्रिमों की सम्पूर्ण धनराशि पात्र हिताधिकारियों को प्रदान कर दी गई है।

(छ) चूंकि भारत सरकार की योजना के आधार पर ही पंजाब सरकार ने योजना को तैयार किया था, अतः राज्य सरकार के ऋण राहत योजना के अन्तर्गत राहत के लिये अपनाए गए मानदंडों में कोई अन्तर नहीं है।

(ज) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उनके पास पंजाब में ऋणकर्ताओं को छोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है जो उपर्युक्त (क) पर दिए गए मानदण्डों के अनुसार अन्यथा पात्र ऋणकर्ता हैं।

आन्ध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना

245. श्री राजमोहन रेड्डी : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना किये जाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सभी औपचारिकताओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) और (ख) सुसंगत विधेयक, जिसे राज्य सभा द्वारा पहले पारित किया जा चुका था, लोक सभा द्वारा विचार किए जाने के लिए लंबित है।

"अपर वर्धा सिंचाई परियोजना"

246. प्रो० राम गणेश कापसे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 13 अगस्त, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 88 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर वर्धा सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र की सही स्थिति का पता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय ने सूचित किया है कि इस परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों का उल्लंघन हो रहा है। राज्य सरकार से स्थिति की पुष्टि करने और एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था, रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और मामले पर निर्णय लेने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

महाराष्ट्र में शहरी बैंक खोलने हेतु लाइसेंस जारी करना

247. **डा० वेंकटेश काबडे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नये शहरी बैंक खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने का है;

(ख) महाराष्ट्र में शहरी बैंक खोलने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए; और

(ग) अब तक कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) नए शहरी बैंक खोलने के वास्ते लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के (जो सहकारी समितियों पर लागू हैं) अनुसार जारी किए जाते है न कि सरकार द्वारा।

(ख) महाराष्ट्र में नए शहरी सहकारी बैंकों के गठन के लिए 01 अप्रैल, 1990 से 15 दिसम्बर, 1990 की अवधि के दौरान नौ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ग) इनमें से पांच प्रस्तावों की भारतीय रिजर्व बैंक जांच कर रहा है। चार प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में गैर सरकारी निदेशक

248. **श्री बलवंत मनवर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में गैर सरकारी निदेशकों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने में अत्यधिक विलम्ब किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं में रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और ये रिक्तियां कब भरी जाएंगी ?

उप वित्त मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों के वर्तमान रिक्त स्थानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्रम सं०	संस्था का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या
1.	20 राष्ट्रीयकृत बैंक	80
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	7
3.	भारतीय साधारण बीमा निगम	5
4.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	4
5.	भारतीय निर्यात आयात बैंक	4
6.	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	4

उपर्युक्त रिक्त स्थानों को भरने के लिए पहले से ही कारंवाई चल रही है।

वाणिज्य मंत्रालय के अधीन निगमों द्वारा किया गया खर्च

249. **श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्तीय वर्ष में उनके मंत्रालय के विभिन्न निगमों/उपक्रमों द्वारा कुल कितना मूलभूत/संस्थापन संबंधी व्यय किया गया और इन संस्थाओं ने कुल कितनी धनराशि का कारोबार किया तथा इन्हें कितना लाभ/घाटा हुआ ; और

(ख) इस अवधि के दौरान इन संस्थाओं ने कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) और (ख) भारतीय चाय व्यापार निगम और भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि० को छोड़कर वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ अन्य निगमों के वित्त वर्ष 1989-90 के दौरान प्रशासनिक व्यय, कारोबार, लाभ/हानि और विदेशी मुद्रा व्यय के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

निगम का नाम	प्रशासनिक व्यय	कारोबार	कर पश्चात लाभ	हानि	विदेशी मुद्रा व्यय
1	2	3	4	5	6
खनिज और धातु व्यापार निगम	46.82	5097.25	41.94	—	1.27*
राज्य व्यापार निगम	37.1	1855.24	31.70	—	6.13*
परियोजना और उपस्कर निगम	4.52	110.77	0.55	—	1.26
भारतीय काजू निगम	0.25	7.85	0.92	—	—
मसाला व्यापार निगम	0.33	15.05	0.05	0.04	—
भारतीय व्यापार मेला	5.18	22.36	1.82	—	11.09
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि०	5.29	31.70	0.35	—	3.40

टी० टी० सी० आई० और अभ्रक व्यापार निगम के बारे में इस तरह के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सदन पटल पर रख दिए जाएंगे।

चीन के साथ व्यापार

250. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीन के साथ और व्यापार बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान भारत-चीन व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) : जी हां। भारत-चीन व्यापार बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में मंत्री-स्तर और सरकारी स्तर पर बातचीत, विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधिमंडलों का अधिक आदान-प्रदान, प्रत्येक देश के व्यापार मेलों में और अधिक भाग लेना, बाजार-अध्ययन आदि शामिल हैं।

परिवार अदालत मामले पर वकीलों द्वारा हड़ताल

[हिन्दी]

*251. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के वकील परिवार अदालत स्थापित किए जाने के विरोध में दिसम्बर, 1990 के दौरान हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो इन वकीलों द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वकीलों की मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ग) जी हां। अनेक अधिवक्ताओं ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना का इस आधार पर विरोध करते हुए हड़ताल की कि उनके विचार से कुटुम्ब न्यायालयों की, जिनके समक्ष किसी भी पक्षकार को विधि व्यवसायी द्वारा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार नहीं है, स्थापना दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए, उसमें विद्यमान परिस्थितियों की दृष्टि से, अनुपयुक्त होगा। यह विनिश्चय किया गया है कि इस विषय पर पुनर्विचार किया जाए।

पलामू, बिहार में खनिजों का खनन

2`2. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पलामू जिले में किए गए भू-विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार इस क्षेत्र के खनिज बहुल इलाकों के नाम क्या हैं; और

(ख) उनका ठीक से खनन किये जाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) बिहार का पलामू जिला खनिज सम्पदा से भरपूर है। इस जिले में खनिज निक्षेपों का ब्यौरा इस प्रकार :

खनिज का नाम		स्थान
1.	बाक्साइट	ओर्सापत, चीरो तथा कुकुड
2.	डोलोमाइट	तुसलीडामर, सिमरा तथा दत्ताम
3.	फेलस्पार	जराम बसारियाकला, नवाडीह, बालू व बाणालत नागाई
4.	फायर क्ले	चांदवा तथा बालुमठ
5.	ग्रेकानट तथा संगमरमर	चैनपुर, तेलियाडीह (छतरपुर) तथा हरिहरगंज
6.	ग्रेफाइट	खामडीह मनसोती, बिश्रामपुर, सोकरा, आरापुर, चैनपुर तथा पार्की
7.	चूना पत्थर	भऊनाथपुर, डेमू, नरसिंहगढ़ तथा बकोरिया
8.	मैग्नेटाइट	नवाडीह, गोरे, दत्ताम तथा सुआ
9.	क्वार्टज	बाढा तथा बालुमठ

(ख) पलामू जिले में प्राप्त अनेक खनिजों का पहले ही सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रों में विदोहन हो रहा है। जिले में विभिन्न खनिजों के 76 खनन पट्टे स्वीकृत हैं। इसके अलावा, बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बिहार सरकार का उपक्रम) ने ग्रेनाइट के खनन, तराशी व पालिश हेतु एक संयंत्र, मैग्नेटाइट पिसाई यूनिट तथा ग्रेफाइट परिष्करण संयंत्र लगाने के लिए कार्यवाही शुरू की है। इससे जिले में खनिजों का बेहतर दोहन सुनिश्चित होगा।

आंध्र प्रदेश में परिवार अदालतें

[अनुवाद]

253. श्रीमती टी० चंद्रप्रभा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में परिवार अदालतें स्थापित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनी अदालतें कार्य कर रही हैं और इन अदालतों ने 1990 के दौरान कितने मामले निपटाए ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चाय बागान मालिकों को दिया गया चाय का मूल्य

254. श्री पी० सी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चाय बागानों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान चाय बागानों के मालिकों को चाय का महीने-वार कितना मूल्य दिया गया; और

(ग) सरकार का चाय बागान-मालिकों को दिए जा रहे चाय के मूल्य में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) चाय उत्पादन, उत्पादकर्ता तथा संसाधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, चाय बोर्ड विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से चाय उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये योजनाएं हैं : पुनर्रोपण वित्त पोषण योजना, नए चाय एककों की वित्त पोषण योजना, चाय मशीनरी किराया खरीद योजना, पुनर्रोपण उपदान योजना, आदि।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय नीलामी में सभी चाय की समुचित औसत नीलामी कीमतों का महीने-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े : रुपए/किग्रा०)

महीना	1987	1988	1989
जनवरी	25.55	22.97	27.79
फरवरी	24.08	23.28	27.54
मार्च	22.76	21.87	28.95
अप्रैल	26.03	22.61	30.41
मई	26.15	25.17	32.97
जून	26.43	24.78	33.00
जुलाई	25.76	25.17	36.53
अगस्त	26.13	24.92	39.03
सितम्बर	24.97	24.18	45.91
अक्तूबर	2[illegible].66	24.33	41.84
नवम्बर	24.59	25.68	40.97
दिसम्बर	23.26	26.06	38.29
(वार्षिक)	25.12	24.36	36.62

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1939 में भारतीय नीलामियों में पर्याप्त सुधार हुआ।

संसाधनों की कमी

255. **श्री भगवान सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस समय संसाधनों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संकटपूर्ण स्थिति से उबरने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां, देश में संसाधनों की कमी इस दृष्टि से है कि हमारा चालू व्यय, चालू राजस्व की तुलना में अधिक है और यह अन्तर पिछले वर्षों के दौरान और अधिक बढ़ गया है।

(ख) संसाधनों की कमी के कारण इस प्रकार हैं :

(i) सरकार के व्यय पर बढ़ता हुआ दबाव जो हाल के खाड़ी संकट के कारण और ज्यादा बढ़ गया है;

(ii) आयोजना भिन्न राजस्व व्यय में लगातार वृद्धि और

(iii) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन जुटाने में कमी।

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों का उद्देश्य सरकारी व्यय को नियंत्रित करना और अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इस दिशा में पहले से किए गए उपायों में, व्यय में मितव्ययिता और सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्कों में हाल में की गई वृद्धि शामिल हैं।

पकड़े गए सोने और चांदी का निपटान

2‘6. **श्री सन्त कुमार मंडल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 (30-11-90 तक) के दौरान सीमा शुल्क और अन्य प्राधिकारियों द्वारा कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का निषिद्ध सोना और चांदी पकड़ी गई;

(ख) यह सोना किसकी सुरक्षा में रखा जाता है और इसका निपटान किस तरह से किया जाता है;

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए देश के स्वर्ण भंडार की एक हिस्से और पकड़े गए सोने को व्यापार में लगाने, पट्टे पर देने अथवा बेचने की संभावनाओं पर बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वित्तीय वर्ष 1990-91 (अप्रैल, 1990 से नवम्बर, 1990 तक) के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अन्तर्गत समग्र देश में पकड़े गए निषिद्ध सोने और चांदी की कुल मात्रा नीचे तालिका में दी गई है :

जिन्स	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
सोना	3468	118.24
चांदी	129064	83.42

(ख) से (घ) जब्तशुदा सोने को भारत सरकार की टकसाल में जमा करा दिया जाता है।

हाल ही में इस सोने के एक भाग को भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से आभूषण निर्यातकों को बेचने का निर्णय किया गया है ताकि विदेशी मुद्रा बचाने की दृष्टि से स्वर्ण आभूषण निर्यात संवर्धन और पुन: करण योजना को कार्यान्वित किया जा सके।

"नदियों में बहिःप्रवाह बहाने वाले औद्योगिक घरानों के विरुद्ध कार्यवाही"

257. **श्री सुदर्शन राय चौधरी :**

श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे बड़े औद्योगिक घरानों/इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है जो नदियों में निरूपित किये बिना औद्योगिक बहिःप्रवाह बहाकर जलजीवों तथा इन इकाइयों के आसपास रह रहे लोगों की तबाही का कारण बनते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जहां उद्योग अपने बहिःस्रावों के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने में असफल रहते हैं, ऐसे मामलों में बड़ी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत कार्यवाही की जाती है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा 10 क्षेत्रों में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योगों के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही शुरू कर दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उद्योग एक समय बद्ध कार्यक्रम के भीतर निर्धारित मानकों का अनुपालन करें। इन क्षेत्रों में तेल शोधक, लुगदी और कागज, मौलिक औषधियां, डाई एवं डाई इंटरमीडिएट्स, कीटनाशी दवाओं का विनिर्माण, पेट्रो-रसायन, चर्म-शोधन शालाओं के समूह, चीनी और औषधियां तथा उर्वरक शामिल हैं।

इलायची के मूल्य

258. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का कृषकों के हित में इलायची के मूल्य स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषकों को दी जाने वाली राज सहायता कम करने का भी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) मसाला बोर्ड ने इलायची की खेती करने वाले किसान के हित में कीमतों को स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, इनमें नीलामियां आयोजित करना, मांग को बढ़ाने के लिए और अधिक अन्त्य प्रयोग का विकास तथा साथ ही इलायची की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए निर्यात सम्वर्धन करना शामिल है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस समय उन्नत कृषि प्रणाली अपनाने के लिए किसानों की मदद करने हेतु अन्तर्निविष्ट साधनों पर आर्थिक सहायता जारी रखना आवश्यक है।

गैर सरकारी क्षेत्र का वित्त पोषण

259. **श्री अम्बारासु इरा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के मुख्य वित्त पोषण सरकार द्वारा संचालित और स्थापित वित्तीय संस्था है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को वर्ष वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) ऐसी वित्तीय सहायता/ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने सम्बन्धी मार्गनिर्देश क्या हैं और क्या इन मार्गनिर्देशों में कोई परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) इन संगठनों का ब्योरा क्या है जिनमें विरुद्ध वित्त पोषण सम्बन्धी निर्धारित शर्तों में उल्लंघन के लिए प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गैर सरकारी क्षेत्र के लिए निधिकरण के मुख्य स्रोत सावधी ऋण दात्री संस्थाएं वाणिज्यिक बैंक तथा आन्तरिक रूप से जुटाई गई नकदी हैं। तथापि, नवीन कम्पनियों को स्थापित करने और उनके विस्तार एवं विद्यमान कम्पनियों की परियोजनाओं के विविधीकरण के लिए, निधीकरण के मुख्य स्रोत वित्तीय संस्थान हैं तथा किसी हद तक पूंजी बाजार हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकारी समितियों और संयुक्त क्षेत्रों सहित गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जैसी पांच वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई सहायता और संवितरित राशि नीचे दी गई है।

वर्ष	स्वीकृति	वितरण
		(करोड़ रुपए)
1987-88	5869.17	4154.76
1989-89	8956.46	5379.36
1989-90	10639.50	5769.15

(ख) संस्थानिक ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने के विस्तृत मार्गनिर्देश इस प्रकार हैं :

(i) कुल शेष तथा प्रस्तावित सहायता का परिवर्तन निर्धारित करने के लिए अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए है।

(ii) सामान्यत: ऋणों/डिबेन्चरों के 20% को परिवर्तित करने की छूट दी जाती है बशर्ते कि संस्थानों की संयुक्त शेयरधारिता एम० आर० टी० पी० कंपनियों के मामले में 40% और गैर एम० आर० टी० पी० कंपनियों के मामले में 26% हो।

(iii) परिवर्तन की अवधि इष्टतम उत्पादन की घोषणा की तारीख से सामान्यत: 3 वर्षों के लिए होती है।

(iv) पुनर्वास परियोजनाओं के मामलों में परिवर्तन को पूरी छूट होती है, चाहे सहायता की राशि कुछ भी हो और संस्थागत नियन्त्रक कम्पनी के स्तर को ऋण की सम्पूर्ण अवधि में बनाए रखा जाता है।

(v) गैर परियोजना वित्त पोषण के लिए विदेशी मुद्रा ऋणों में उन ऋणों के मामले में परिवर्तन की छूट होती है जिनका 5 वर्षों की अवधि के दौरान भुगतान करना होता है, जो उद्योग रहित जिलों के पिछड़े इलाकों में वर्ग "क" की नई परियोजनाएं होती हैं और जो ऋण विद्यमान एककों के आधुनिकीकरण के लिए होते हैं।

(ग) संबंधित सावधि ऋणदात्री संस्थाएं अपने स्वयं के निर्णय के अनुसार निर्धारित शर्तों के उल्लंघन होने पर प्रशासनिक/कानूनी कारंवाई करते हैं। अलबत्ता, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिससे इस बारे में चर्चा की गई थी, ने सूचित किया कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके विरुद्ध प्रशासनिक या कानूनी कारंवाई की गई हो।

इस्पात संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

260. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1989 और 1 अप्रैल, 1990 को देश में संयंत्र-वार इस्पात उत्पाद की स्थापित क्षमता क्या थी;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की क्षमता का, अलग-अलग कितना उपयोग किया गया; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) और (ख) 1-4-89 और 1-4-90 की स्थिति के अनुसार देश में संयंत्र-वार अपरिष्कृत/पिंड इस्पात उत्पादन की संस्थापित क्षमता और वर्ष 1989-90 के दौरान क्षमता उपयोग का ब्योरा निम्नानुसार है :

(हजार मी० टन)

संयंत्र	1-4-89 और 1-4-90 की स्थिति के अनुसार संस्थापि क्षमता	प्राप्य क्षमता 1-4-89 को	1-4-90 को	वर्ष 1989-90 के दौरान प्राप्य क्षमता के सन्दर्भ में क्षमता उपयोग की प्रतिशतता
भिलाई	4000	4000	4000	81
दुर्गापुर	1600	1150	1150	74
राऊरकेला	1800	1456	1456	84
बोकारो	4000	4000	4000	66
इस्को	1000	373	340	92
टिस्को	2400	2400	2400	97

गौण क्षेत्र में संबंध में वास्तविक रूप से चालू की गई इकाइयों के लिए लाइसेंसीकृत क्षमता का ब्यौरा निम्नानुसार है :

1-4-89 की स्थिति के अनुसार 54 लाख मी० टन

1-4-90 की स्थिति के अनुसार 59 लाख मी० टन

वर्ष 1989-90 के दौरान इस क्षेत्र में क्षमता का उपयोग 65 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच रहा ।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना द्वारा 15 लाख मी० टन तरल इस्पात की निर्धारित क्षमता की प्राप्ति कर लिए जाने की सम्भावना है । गौण क्षेत्र में 2 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता (इसमें वर्धित/नई क्षमता भी शामिल है) संस्थापित किए जाने की भी सम्भावना है ।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

[हिन्दी]

261. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कितनी परियोजनाएं विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दो वर्ष से भी अधिक समय से लंबित पड़ी हैं; और

(ख) इन्हें पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं तथा ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए सामान्य क्रियान्वयन अवधि 6-7 वर्ष है । तथापि, विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं, जिनका क्रियान्वयन प्रारम्भिक समापन तिथि के बाद दो से अधिक वर्षों से लंबित है, का ब्यौरा उनके पूर्ण होने की हाल ही में अनुमानित तारीख के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है ।

परियोजनाओं के समय से पूर्ण न होने के कारण पर्यावरणीय और अन्य अनिवार्य निकासियां, पूरक संसाधनों की अनुपलब्धता और तकनीकी समस्याओं जैसे अनेक कारक हैं ।

विवरण

नाम	राज्य	मूल अन्तिम तारीख	अनुमानित नवीनतम अन्तिम तारीख
हरियाणा सिंचाई II	हरियाणा	31-3-1988	31-3-1991
मध्य प्रदेश मुख्य सिंचाई	मध्य प्रदेश	30-6-1987	30-6-1991

1	2	3	4
उ०प्र० पब्लिक ट्यूबवैल II	उत्तर प्रदेश	31-3-1988	31-3-1991
पश्चिमी बंगाल सामाजिक वानिकी	पश्चिमी बंगाल	31-12-1987	31-3-1991
जम्मू तथा कश्मीर/हरियाणा सामाजिक वानिकी	जम्मू तथा कश्मीर, हरियाणा	31-3-1988	31-3-1991
कर्नाटक सामाजिक वानिकी	कर्नाटक	13-12-1988	31-12-1990
रामगुंडम विद्युत	आंध्र प्रदेश	30-6-1988	30-6-1991
गुजरात जल आपूर्ति	गुजरात	30-9-1987	30-9-1991

छोटे पैकेटों में चाय

[अनुवाद]

262. **श्री राम नाईक :** क्या वाणिज्य मन्त्री चाय को छोटे पैकेटों में बिक्री के बारे में 31 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1990 तक चाय उत्पादकों द्वारा स्थानीय एजेंसियों को बिक्री के लिए लगभग 40/- रुपए प्रति किलोग्राम की दर वाले चाय के कुल कितने किफायती पैकेट प्रदान किए गए और उनका कुल भार कितना था ;

(ख) इस संबंध में निगरानी समिति कब गठित की गई थी और 31 अक्तूबर, 1990 तक उसकी कितनी बैठकें हुईं ; और

(ग) इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) चाय उत्पादकों द्वारा दिनांक 31-10-1990 तक रियायती कीमत पर बिक्री के लिए किफायती पैकटों में 10.67 मि० किग्रा० चाय उपलब्ध कराई गई।

(ख) मानीटरिंग समिति दिनांक 22-9-1989 को स्थापित की गई 31 अक्तूबर, 1990 तक समिति की बारह बैठकें हुई थीं।

(ग) समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों के ब्योरे में ये शामिल हैं :

(1) चाय उत्पादन में सुधार के लिए प्रयास करना।

(2) चुनिन्दा शहरों/नगरों में रियायती कीमत पर किफायती पैकों और "नागरिक" खुली चाय उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना।

(3) वर्ष 1990 के लिए उत्पादन और निर्यात की श्रेणीवार वार्षिक योजना तैयार करना और उसके कार्यान्वयन की मानीटरिंग करना।

(4) एक चाय विकास समन्वय समिति स्थापित करना।

(5) राज्य सरकार से अनुरोध करना कि वे अपने यहां उपलब्ध साधनों से ग्रामीण उपभोक्ताओं को इन किफायती पैकों की आपूर्ति के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना।

(6) नीलामी में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।

(7) वर्ष 1990 के दौरान सोवियत संघ को चाय का श्रेणीवार निर्यात लक्ष्य निर्धारित करना और उसके कार्यान्वयन की मानीटरिंग करना।

(8) मूल्य वृद्धित चाय के निर्यात में वृद्धि की आवश्यकता पर बल देना।

काफी का निर्यात

263. श्री बी० कृष्ण राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी काफी का निर्यात किया;

(ख) क्या तीन वर्षों के दौरान काफी के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो काफी के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान काफी की कुल मात्रा निम्नानुसार रही है :

1987-88	—	92,533 मी० टन
1988-89	—	98,266 मी० टन
1990-91	—	1,34,076 मी० टन

उपर्युक्त आंकड़ों से यह विदित होगा कि विगत तीन वित्तीय वर्षों में काफी के निर्यात में मात्रा की दृष्टि से वृद्धि रही है।

त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ

264. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक विशेष न्याय पीठ की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार दक्षिणी क्षेत्र में भी उच्चतम न्यायालय की एक न्याय पीठ स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण

[हिन्दी]

265. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में गरीबी दूर करने के लिए चालू वर्ष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंकों से कहा गया है कि वे सामान्य रूप से गरीबी दूर करने के लिए और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की गरीबी को दूर करने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण प्रदान करें। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। सहकारी समितियों सहित वाणिज्यिक बैंकों ने वर्ष 1989-90 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में 1.8 लाख उधारकर्ताओं को 31.84 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। चालू वर्ष के दौरान क्योंझर और मयूरभंज जिलों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संवितरित ऋणों और इसमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिस्से से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"गंगा नदी की सफाई"

266. **प्रो० रघुनाथ पाण्डेय** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन तीर्थस्थलों में गंगा नदी की सफाई की गई है और इस पर कुल कितना खर्च किया गया है;

(ख) बिहार में गंगा जल को साफ रखने तथा गंगा के किनारे स्थित नगरों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए किए जा रहे कार्यों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या बिहार में गंगा नदी की सफाई का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है और यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं तथा नदी किनारों की मरम्मत और पानी की सफाई संबंधी कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और इस पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) उत्तर-प्रदेश में गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए तीर्थ स्थल, हरिद्वार-ऋषिकेश, इलाहाबाद और वाराणसी हैं। अब तक हरिद्वार-ऋषिकेश में 11.04 करोड़ रुपए, इलाहाबाद में 13.93 करोड़ रुपए और वाराणसी में 35.91 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

(ख) बिहार राज्य में गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत पांच नगर, पटना, भागलपुर, मुंगेर छपरा और मोकामेह-बरौनी शामिल किए जा रहे हैं। 45 स्कीमें, जिसमें (i) अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन (17), (ii) सीवेज उपचार संयंत्र (7), (iii) अल्प-लागत स्वच्छता (7), (iv) विद्युत शवदाह-गृह (8), (v) नदी तटाग्र विकास (3) और (vi) ठोस अपशेष प्रबंध (3) की स्कीमें शामिल हैं तथा ये 38.65 करोड़ रुपए की कुल लागत पर संस्वीकृत की गई हैं।

(ग) सीवेज उपचार संयंत्र की स्कीमों में कुछ विलम्ब, भूमि अधिग्रहण में देरी होने के कारण हुआ है परन्तु ये सभी स्कीमें अक्टूबर, 1992 तक पूरी हो जाएंगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने की अनुमानित लागत 43.04 करोड़ रुपए है।

करोड़ों रुपए के कर अपवंचन का तथाकथित घोटाला

[अनुवाद]

267. श्री आर० गुण्डू राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर गुप्तचर विभाग ने हाल ही में राजधानी में करोड़ों रुपये की कर चोरी के घोटाले और फोटोग्राफिक फिल्मों में की गई जालसाजी का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के फोटोग्राफिक फिल्मों की एक निर्माता कंपनी के एजेंट और उसके एक वितरक के अहातों पर मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अधीन दिनांक 20 सितम्बर, 1990 को फोटोग्राफिक फिल्मों का विनिर्माण करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के एक स्टाकिस्ट के व्यापारिक तथा आवासीय परिसरों की तलाशियां ली गई। इस तलाशी की कार्यवाही के दौरान बिचौलिए के माध्यम से फर्जी डीलरों को अनेक करोड़ रु० की फोटोग्राफिक फिल्मों की बिक्री संबंधी अभिगृहीत अपराध-आरोपणीय दस्तावेजों के अतिरिक्त 7.46 लाख रु० के मूल्य के जेवर-जवाहिरात भी अभिगृहीत किए गए थे, तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(4) के अधीन रिकार्ड किए बयान में 5.95 लाख रु० की छिपाई गई आय घोषित की गई थी।

आयकर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां की गई हैं।

यूको बैंक का अन्य बैंक में विलय

268. श्री मनोरंजन सुर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बसन्त साठे :
श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, यूको बैंक को वित्तीय संकट से बचाने के लिए उसका किसी अर्थक्षम बैंक के साथ विलय करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस बैंक के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) यूको बैंक का किसी अन्य बैंक के साथ विलय करने का भी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार का, बैंक के प्रबंधन संबंधी ढांचे और वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ उपाय करने का विचार है।

"कानपुर में पर्यावरणीय प्रदूषण"

[हिन्दी]

269. **श्री केसरी लाल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कानपुर में अन्य महानगरों की तुलना में कितना पर्यावरणीय प्रदूषण है;

(ख) कानपुर में पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रमुख मामले कौन से हैं; और

(ग) सरकार वहां पर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) कानपुर में प्रदूषण का स्तर सामान्यतः अन्य महानगरों की तुलना में कम है। 12 महानगरों में से कानपुर में अनुमानित यानीय प्रदूषण की मात्रा दिल्ली के यानीय प्रदूषण का लगभग 12वां भाग है और नदी में अशोधित अपशिष्ट जल के विसर्जित किए जाने के कारण कानपुर में जल प्रदूषण दिल्ली में जल प्रदूषण का लगभग चौथा भाग है। कानपुर में वायु प्रदूषण का स्तर मानकों के भीतर है। महानगरों में भारी मात्रा में घरेलू मल-जल के कारण जल की गुणवत्ता घटती जा रही है और वायु की गुणवत्ता औद्योगिक कार्यों तथा वाहनों के उत्सर्जनों से प्रभावित हो रही है।

(ग) कानपुर में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

2. परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक विकसित किए गए हैं और परिवेशी वायु गुणवत्ता केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

3. उद्योगों के स्थान-निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

4. उद्योगों से बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन को निर्धारित सीमाओं के भीतर रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है।

5. सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए वाहनों से निकलने वाले निस्राव के मानक निर्धारित किए गए हैं।

6. कानपुर को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

7. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से उद्योगों को हटाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

8. कानपुर स्थित पनकी ताप विद्युत संयंत्र को उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने तथा मानकों का अनुपालन करने के निदेश दिए गए हैं।

9. सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही गंगा कार्य योजना के तहत नगरों से आने वाले मल-जल और औद्योगिक बाहिस्रावों की सफाई का काम भी शुरू किया गया है। इसमें कानपुर नगर की सीमाओं के भीतर गंगा पर निगरानी केन्द्रों की स्थापना करना भी शामिल है।

वोल्टास द्वारा मशीनरी का आयात

[अनुवाद]

270. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा :**

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वोल्टास ने वर्ष 1989 में 83,87,899/- रुपये और 59,50,358/- रुपये के दो प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के अन्तर्गत शीतल पेय के लिए मशीनरी के आयात हेतु रियायती दर पर आयात शुल्क लगाने के लिए आवेदन किया था;

(ख) क्या वोल्टास को पेपसी कोला बनाने का अधिकार मिल गया है; और

(ग) क्या वातित जल मशीनरी के आयात की अनुमति दी जाती है और क्या इन मशीनों पर रियायती दर पर आयात शुल्क लगता है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) शीतल पेयों को तैयार करने वाली मशीनरी का आयात करने हेतु शुल्क रियायत के बारे में मैसर्ज वोल्टास से राजस्व विभाग में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) नए माल के लाइसेंसों के मूल्यों के बराबर राशि छोड़ने पर मैसर्ज वोल्टास लि०, बम्बई को अक्तूबर, 1989 में 83,87,899 रुपये तथा 59,50,358 रुपये के दो आयात लाइसेंस जारी कर दिए गए थे।

शीतल पेयों को तैयार करने के लिये प्रयुक्त की जाने वाली मशीनें रियायती शुल्क दर के लिए पात्र नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश में रुग्ण चाय बागान

[हिन्दी]

271. **श्री हरीश रावत :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रुग्ण चाय बागानों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन रुग्ण चाय बागानों को अर्थक्षम बनाने के लिए इनका राष्ट्रीयकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश में रुग्ण चाय बागानों का जनपदवार ब्योरा निम्नानुसार है :

जनपद	चाय एस्टेट का नाम
देहरादून	(1) आर्केडिया (2) हरबन्सवाला
	(3) ईस्ट होपटाऊन (4) गुडरिक
	(5) उदियाबाग (6) मोहकमपुर
	(7) हरबर्टपुर
अल्मोड़ा	(1) छेरापानी (2) विजयपुर (3) कौसानी
पिथौरागढ़	(1) बेरीनाग (2) चौकुरी (3) झालटोला

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान चाय बागानों के नवीकरण के लिए उ० प्र० सरकार ने इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित निधियों तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने सहित सम्भाव्यता-सह-पूर्व-निवेश का अध्ययन करने के लिए एक परामर्शी फर्म की नियुक्ति की है। उपर्युक्त परामर्शी परियोजना की लागत के लिए चाय बोर्ड ने उ० प्र० सरकार को 9.5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है। परामर्शी फर्म ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अगली कार्रवाई उस रिपोर्ट पर उ० प्र० सरकार की सिफारिश पर निर्भर करती है।

"जल प्रदूषण नियंत्रण"

[अनुवाद]

272. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न तकनीकों के प्रयोग से जल प्रदूषण नियन्त्रण करने वाली डिस्टिलरियों के नाम क्या हैं;

(ख) उन डिस्टिलरियों के नाम क्या हैं, जो जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए मेथिलीन गैस का उत्पादन कर रही हैं और इसी गैस का प्रयोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में भी कर रही हैं;

(ग) क्या प्रयोग में लाई जा रही तकनीक कारगर सिद्ध हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) विभिन्न प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली मद्य निर्माणशालाओं के नाम नीचे दिए

गए हैं। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इनमें से कोई भी यूनिट निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं :—

1. मैसर्स अनाकापल्ली को-आपरेटिव शुगर लिमिटेड, थुम्मापाला।
2. मै० आंध्र शुगर लि० वेंकटरय्यापुरम।
3. मै० दक्किन शुगर्स, नावा भारत फैरो एलायस लि०, समालकोट।
4. मै० हिन्दुस्तान पालीमरस, पेंडुरथी रोड, विशाखापत्तनम।
5. मै० के० सी० पी० लि० (डिसटीलरी), वेय्यरू।
6. मै० मैकडोवैल एण्ड कं० लि०, नाचाराम।
7. मै० श्री सरवारिया शुगर लि०, चेल्लरू।
8. मै० मैनकाया डिसटीलरी, मैनकाया।
9. मै० मैकडोवैल एण्ड कं० लि०, हाथीभह।
10. मै० अशोक आरगैनिक इण्डस्ट्रीज कि०, अंकलेश्वर।
11. मै० चेल्लुलोज प्रोडेक्ट्स आफ इण्डिया लि०, पी० ओ० काठियावाड़।
12. मै० गुजचेम डिस्टीलरीज इण्डिया लि०, देवसार।
13. मै० श्री बिलेश्वर खंड उद्योग खेदत, सहकारी मण्डली लि०, कोडिनार।
14. मै० श्री चेलयम विभाग खान उद्योग सहकारी मण्डली लि०, चेलयन।
15. मै० योस्ट एल्स एन्जाइम्स लि०, पालीटना।
16. मै० मोहन मेकिन लिमिटेड, सोलन ब्रेवरी।
17. मै० मोहन मेकिन लिमिटेड, कासालुई।
18. मै० कापचेम लिमिटेड, बेलागोला इंडस्ट्रीयल एरिया, मैसूर।
19. मै० खोदे डिस्टीलरीज लि०, फर्स्ट मेन रोड, गांधीनगर।
20. मै० श्री हरिप्पाकेशी एस० एस० के० नियामित, संकेश्वर।
21. मैसर्स सोमय्या आरगनि केमिकल्स लि०, समीरवादी।
22. मै० उगार शुगर वर्क्स लि०, उगार-खुर्द।
23. मै० को-आपरेटिव शुगर्स लि०, चित्तूर मेननपाड़ा।
24. मै० मैकडवैल एण्ड कं० लि०, चेरतल्ली।
25. मै० ट्रावनकोर शुगर एंड केमिकल लि० तिरूवेल्ला।
26. मै० ग्वालियर डिस्टीलरिज लि०, आगरा-बॉम्बे रोड, रायपुर फार्म।
27. मै० एम० पी० स्टेट इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, रतलाम।

28. मै० रायल डिस्टीलरीज लि०, आगरा-बाम्बे रोड, रायपुर फार्म, ग्वालियर।

29. मै० विंध्याचल डिस्टीलरीज लि० प्रा० लि०, शिवाजी नगर।

30. मै० दि भोपाल डिस्टीलरीज, भिजलेरी विलेज।

31. मै० भिकान महाराष्ट्र शुगर सिंडीकेट लि०, श्रीपुर।

32. मै० डेलट शेटकारी एस० एस० के० लि०, हुल्कारनी।

33. मै० गाधींगलाज तालुक एस० एस० के० लि०, गाधींगलाज।

34. मै० गिरना एस० एस० के० लि० भाऊसाहब हिराय नगर।

35. मै० कोल्हापुर शुगर मिल्स लि०, कासाबा बावाड़ा।

36. मै० कोपरगांव एस० ए० के० लि० गौतम नगर।

37. मै० के० के० वाही एस० एस० के० लि०, नासिक।

38. मै० कृष्णा एस० एस० के० लि०, रेथारे बुद्रक।

39. महाराष्ट्र डिस्ओलरीज लि०, चिवकालथाना।

40. मै० निफाड़ एस० एस० के० लि० पिम्पलस।

41. मै० नीरा-वैली को-आपरेटिव डिस्टीलरीज लि०, फालयन।

42. मै० पालीकेम लि० (डिस्टीलरीज), नीरा।

43. मै० प्रावाड़ा एस० एस० के० लि०, प्रावाड़ा नगर।

44. मै० राहुरी एस० एस० के० लि०, राहुरी फैक्टरी।

45. मै० राजारम्बापुर पाटिल एस० एस० के० लि०, राजाराम नगर।

46. मैसर्स सहकार महर्षि शंकर राव मोहिते पाटिल एस० एस० के० लि०, अकलुज।

47. मै० सह्याद्री एस० एस० के० लि०, यशवंत नगर।

48. मै० संगमनेर बाग एस० एस० के० लि०, अमृत नगर पोस्ट।

49. मै० श्री पंचगंगा एस० एस० के० लि० गंगा नगर।

50. मै० शेतकारी एस० एस० के लि०, सांगली।

51. मै० श्री सतपुड़ा तापी परिसर एस० एस० के० लि०, पुरुषोत्तम नगर।

52. मै० श्री सिद्धेश्वर एस० एस० के० लि०, कुमेठा।

53. मै० वारना एस० एस० के० लि० वारना नगर।

54. मै० श्री दत्ता एस० एस० के० लि०, शिरोल।

55. मै० श्री ज्ञानेश्वर एस० एस० के० लि०, ज्ञानेश्वर नगर।

56. मै० सोमय्या आरगेनिक केमिकल्स लि०, सकारवाडी।

57. मै० तेरना शेतकारी एस० एस० के० लि०, ढोकी ।
58. मै० दि बेलगंगा एस० एस० के० लि० चेल्लीसगोन ।
59. मै० दि सजीवनी (तकली) एस० एस० के० लि०, सहाजनन्द नगर ।
60. मै० दि श्रीगोंडा एस० एस० के० लि०, श्रीगोंडा ।
61. मै० दि सिद्धेश्वर एस० एस० के० लि०, माणिक नगर ।
62. मै० तिलकनगर डिस्टीलरीज एण्ड इंडिया लि०, तिलकनगर ।
63. मै० यूनाइटेड को-आपरेटिव डिस्टीलरीज, पारोटी ।
64. मै० वसन्त एस० एस० के० लि०, कसोडा ।
65. मै० वालचन्दनगर इण्डस्ट्रीज लि०, वालचन्दनगर ।
66. मै० वेस्टर्न महाराष्ट्र डिवे कारपोरेशन लि०, चितली ।
67. मै० दि मेलागांव एस० एस० के० लि०, मेलागांव ।
68. मै० जयपुर शुगर कंपनी लि०, रायगढ़ ।
69. मै० सुधी डिस्टीलरीज, सुधी ।
70. मै० भगत इण्डस्टीज कारपोरेशन लि०, डिस्टीलरीज खासा ।
71. मै० जगतजीत इण्डस्ट्रीज लि०, जगतजीत नगर ।
72. मै० पटियाला डिस्टीलरीज एंड मैनूफेक्चरर्स प्रा० लि० पटियाला ।
73. मैसर्स पंजाब खांड उद्योग लि०, गुरदासपुर ।
74. मै० गंगानगर शुगर मिल्स लि०, श्रीगंगानगर ।
75. मै० मेवाड़ डिस्टीलरीज एण्ड केमिकल वर्क्स, भोपालसागर ।
76. मै० उदयपुर डिस्टीलरीज कं० लि०, उदयसागर रोड ।
77. मै० केमिकल एंड प्लास्टिक इंडिया लि०, कृष्णागिरी ।
78. मै० कोयम्बटूर एल्कोहल्स एण्ड केमिकल प्रा० लि०, सिंग्नापुल्लइयूर ।
79. मै० साकती शुगर लि०, साकती नगर ।
80. मै० साउथर्न एग्रीफ्यूरेन इंडस्ट्रीज लि०, मंटीयम्बक्कम ।
81. मै० त्रिची डिस्टीलरीज एण्ड केमिकल लि०, सेनबानीपुरम ।
82. मै० बारायान केमिकल एण्ड डिस्टीलरीज लि०, वेवानरायणपुरम ।
83. मै० अजुध्या डिस्टीलरीज, राजकाणेसपुर ।
84. मै० बाजपुर को-आपरेटिव शुगर फैक्टरी लि०, बाजपुर ।
85. मै० कैप्टनगंज डिस्टीलरीज, कैप्टनगंज ।

86. मै० कारयू एंड कंपनी लि०, रोसा।

87. मै० सेन्ट्रल डिस्टीलरीज एण्ड ब्रेवरीज लि०, मेरठ कैन्ट।

88. मै० बाजला शुगर वर्क्स, बाजला।

89. मै० करमचन्द थापर एण्ड ब्रदर्स (सी० एस०) लि०, उन्नाव।

90. मै० औध शुगर मिल्स लि०, हरगाम।

91. मै० पिलखनी डिस्टीलरीज एंड केमिकल वर्क्स, सहारनपुर।

92. मैसर्स रामपुर डिस्टीलरीज एण्ड केमिकल कंपनी लि०, बरेली रोड, रामपुर।

93. मै० शामली डिस्टीलरीज एण्ड केमिकल वर्क्स, शामली।

94. मै० ग्राम आरगेनिक केमिकल्स लि०, भारतीय ग्राम, गजरोला।

95. मै० कारयू एंड कम्पनी लि०, आसनसोल।

96. मै० आई० एफ० बी० एग्रो इंडस्ट्रीज लि०, अलीपुर।

97. मै० केसर इंटरप्राइसेज लि०, बहेड़ी।

98. मै० मंझोला डिस्टीलरीज एण्ड केमिकल वर्क्स, मंझोला।

99. मोहन मेकिन लि०, लखनऊ डिस्टीलरीज, डालीगंज।

100. मोदी डिस्टीलरीज, मोदी नगर।

(ख) जिन मद्यनिर्माण शालाओं ने मिथेन उत्पादन सहित प्राथमिक शोधन प्रणाली स्थापित कर ली है उनके नाम नीचे दिए गए हैं। इस प्रकार से उत्पादित मिथेन गैस का प्रयोग इन उद्योगों के बायलरों में किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 80-90% ईंधन की बचत होती है।

क्रम सं०	उद्योग के नाम
1.	मैसर्स आंध्र शुगर लि०, तनुकू।
2.	मै० हिन्दुस्तान पालीमर्स, विशाखापत्तनम।
3.	मै० के० सी० पी० लि०, वीय्यूरू।
4.	मै० मैकडोवैल एण्ड कंपनी लि०, हैदराबाद।
5.	मै० श्री सरवारैया शुगर्स लि०, चेल्लूर।
6.	मै० मैकडोवैल एण्ड कंपनी लि०, हर्षीदाह।
7.	मै० न्यू स्वदेशी डिस्टीलरीज, नारकटियागंज।
8.	मै० यूनाइटिड डिस्टीलरीज लि०, मीरगंज।
9.	मै० गुजकेम डिस्टीलरीज इंडिया लि०, बिलमोड़ा।
10.	मै० अमित एल्कोहल एण्ड कार्बन-डाई-आक्साइड लि०, वापी।

क्रम सं०	उद्योग का नाम
11.	मै० सेलुलोज प्रोडेक्ट आफ इण्डिया लि०, कठवाड़ा।
12.	मै० अशोक आरगेनिक इण्डस्ट्रीज लि०, बड़ोदरा।
13.	मै० मोहन मीकिन लि०, सोलन।
14.	मै० उगार शुगर वर्क्स लिमिटेड, उगार खुर्द।
15.	मै० पम्पासार डिस्टीलरीज लि०, आस्पेट।
16.	मै० मैक्डोवेल एण्ड कंपनी लि०, चेरतल्ली।
17.	मै० प्रावारा सहकारी सखार के० लि०, प्रावारानगर।
18.	मै० गार्घींगलाज तालुका एस० एस० के० लि०, गार्घींगलाज।
19.	मै० आस्का को-आपरेटिव शुगर इण्डस्ट्रीज लि०, आस्का।
20.	मै० पंजाब खांड उद्योग लि०, गुरदासपुर।
21.	मै० पटियाला डिस्टीलरीज एण्ड मैनुफैक्चरर्स, पटियाला।
22.	मै० त्रिची डिस्टीलरीज एण्ड केमिकल लि०, तिरूचिरापल्ली।
23.	मै० कोयम्बटूर एल्कोहल एण्ड केमिकल प्रा० लि०, कोयम्बटूर।
24.	मै० शक्ति शुगर्स लि०, शक्ति नगर।
25.	मै० वारियन कैमिकल्स एण्ड डिस्टीलरीज, चिंगलपुट।
26.	मैसर्स केमिकल्स एण्ड प्लास्टिक इंडिया लि०, कृष्णागिरि।
27.	मै० ई० आई० डी० पैरी (इण्डिया) लि०, नेल्लीकुप्पम।
28.	मै० अजुध्या डिस्टीलरीज, राजाकासाहासपुर।
29.	मै० बाजपुर को-आपरेटिव शुगर फैक्टरी लि०, बाजपुर।
30.	मै० केरयू एण्ड कंपनी लि, रोसा।
31.	मै० करमचन्द थापर एण्ड ब्रदर्स, (सी० एम०) लि०, उन्नाव।
32.	मै० केसर एण्टरप्राइजेज लि०, बहेड़ी।
33.	मै० मझोला डिस्टीलरीज एण्ड केमिकल वर्क्स, मझोला।
34.	मै० मोहन मीकिन लि०, लखनऊ।
35.	मै० मोदी डिस्टीलरीज, मोदी नगर।
36.	मै० औध शुगर मिल्स लि०, हारगान।
37.	मै० रामपुर डिस्टीलरीज एंड केमिकल कंपनी लि०, रामपुर।
38.	मै० वाम आरगेनिक केमिकल्स लि०, गजरौला।
39.	मै० शामली डिस्टालरीज एण्ड केमिकल वर्क्स, शामली।
40.	मै० मोहन मीकिन लि०, मोहननगर।
41.	मै० पिलखनी डिस्टीलरीज एंड केमिकल वर्क्स, पिलखनी।
42.	मै० आरगेनिक शुगर एंड इण्डिया लि०, सेहारा डिस्टीलरीज, सेहारा।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्राथमिक शोधन अर्थात मिथेन उत्पादन के साथ एनेरोबिक बायजेशन तथा गौण शोधन की सिफारिश की है जो मद्य निर्माणशालाओं के बहिःस्राव के शोधन के लिए प्रभावी प्रौद्योगिकी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"बिहार में बांध संरक्षण क्षेत्र का सीमांकन"

[हिन्दी]

273. श्री तेज नारायण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का बिहार के पटना, समस्तीपुर, दरभंगा और भोजपुर जिलों के वन क्षेत्रों के अन्तर्गत बांध संरक्षण क्षेत्र का सीमांकन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बांध संरक्षण क्षेत्र का सीमांकन कब तक किए जाने की संभावना है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से राजस्व की प्राप्ति

[अनुवाद]

274. श्री कल्पनाथ राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से 30 नवम्बर, 1990 तक कुल कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा देय बकाया करों को वसूल करने में सफल हो सकी है; और

(ग) यदि हां, तो 30 नवम्बर, 1990 तक राजस्व विभाग में कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ और क्या सरकार अपने कर संग्रह के प्रयास के परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अनुमानित बजट घाटे को कम कर सकेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तारीख 30-11-90 तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से राजस्व वसूली के अनंतिम आंकड़े क्रमशः 3444.79 करोड़ रुपये तथा 27,327.00 करोड़ रुपये हैं।

(ख) बकाया राशि का संचयन और करों की वसूली निरन्तर प्रक्रिया है तथा बकाया राशि को वसूल करने के लिये समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं।

(ग) तारीख 30-11-1990 तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से राजस्व की कुल वसूली 30,769.79 करोड़ रुपये हुई है।

इस समय यह अनुमान लगाना कठिन है कि राजस्व वसूली का बजट अनुमानों के घाटे को कम करने में क्या प्रभाव पड़ेगा।

विजय नगर इस्पात संयंत्र

275. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हाल ही में प्रधानमन्त्री से अनुरोध किया है कि बहुत दिनों से लम्बित तथा संयुक्त क्षेत्र में प्रस्तावित विजय नगर इस्पात संयंत्र को मंजूर किया जाये,

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने लम्बित इस्पात संयंत्र योजना को मंजूर करने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) से (ग) कर्नाटक के पूर्व मुख्य मन्त्री ने अगस्त, 1990 में तत्कालीन इस्पात और खान मन्त्री को विजय नगर स्थित इस्पात परियोजना को केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र में में कार्यान्वित करने के बारे में पत्र लिखा था। आठवीं योजना के लिए आबंटनों के बारे में निर्णय ले लिए जाने के पश्चात् ही इस प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से निर्णय लिया जा सकेगा।

बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

276. श्री सोम जीभाई डामोर :

श्री शिखिहो सेमा :

श्री जगपाल सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की एसोसिएशनों की समन्वयन इकाई से तीसरे पेंशन लाभ के रूप में पेंशन आरम्भ करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) पेंशन योजना कब से प्रभावी होगी; और

(घ) पेंशन राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) बैंकिंग उद्योग में कर्मकार यूनियनों तथा साथ ही साथ अधिकारी संघों द्वारा पेंशन योजना को लागू करने की मांग काफी समय से चली आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे संघों के समन्वयक निकाय/बैंकों/बीमा/वित्तीय संस्थाओं में परिसंघों आदि से, अंशदायी भविष्य निधि तथा उपदान के अलावा तीसरे सेवानिवृत्ति लाभ के रूप मे पेंशन देने के सम्बन्ध में एक ज्ञापन मिला है। जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक का सम्बन्ध है, केन्द्र सरकार में प्रचलित पेंशन योजना के अनुरूप, अंशदायी भविष्य निधि की बजाय, एक पेंशन योजना बैंक में 1 नवम्बर, 1990 से लागू कर दी गयी है। जहां तक सरकारी क्षेत्र में बैंकों का सम्बन्ध है, भारतीय बैंक संघ ने, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबन्धन की ओर से चर्चा करता है, सूचित किया है कि पांचवें द्विपक्षीय समझौते के समय, उनके

अंशदायी भविष्य निधि के स्थान पर पेंशन देने की पेशकश की थी। बताया गया है कि बैंकों की बहुसंख्यक कर्मकार यूनियन ने यह पेशकश सिद्धांत रूप में मान ली थी। अलबत्ता, इस समय, यूनियन इसे लागू करने की मांग नहीं कर रही है। अलबत्ता, बहुसंख्यक अधिकारी एसोसियेशन ने, अंशदायी भविष्य निधि के स्थान पर पेंशन देने के सम्बन्ध में भारतीय बैंक संघ द्वारा रखी गयी पेशकश को अस्वीकार कर दिया था। अगर अंशदायी भविष्य निधि को हटाये बिना ही पेंशन दे दी जाती है, तो उस सूरत में अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेवारियों को देखते हुए, तीसरे सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में पेंशन देने के वास्ते यूनियनों/संघों द्वारा रखी गयी मांग को स्वीकार करना कठिन है।

नागालैंड को वित्तीय सहायता

277. **श्री शिकिहो सेमा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 30 अक्तूबर, 1990 तक नागालैंड सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) क्या राज्य को देय सम्पूर्ण सहायता राशि उसे प्रदान की जा चुकी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप वित्त मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) नागालैंड सरकार को 30-10-1990 तक देय तथा दी गई वित्तीय सहायता की राशि निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपए में)

		30-10-90 तक देय राशि	30-10-90 तक दी गई राशि
1.	राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता (सामान्य)	64.75	64.75
2.	राज्य आपदा राहत कोष में केन्द्र का अंशदान	0.5625	0.1875*
3.	अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान	69.18	69.18
4.	करों में हिस्सा	60.18	60.68
5.	लघु बचत ऋण	0.92	0.92

* राज्य आपदा राहत कोष में केन्द्र का अंशदान बराबर की चार तिमाही किस्तों में दिया जाना है। निधि स्थापित करने तथा उसके लेन-देन की रूप-लेखा को अन्तिम रूप देने के अनिर्णीत रहते हुए एक किस्त दे दी गई है।

उपरोक्त के अलावा नवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1989-90 के लिए सिफारिश किए गए अपग्रेडेशन और विशेष आपदा अनुदानों की 7.69 करोड़ रु० की पहले की रकम में से 30 अक्तूबर, 1990 तक 5.01 करोड़ रुपए की राशि रिलीज कर दी गई है। शेष राशि समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर रिलीज की जानी है।

इसके अलावा, 1-4-1990 की स्थिति के अनुसार प्रारम्भिक घाटे के कारण हुई संसाधन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को 28 करोड़ रुपए का योजना-भिन्न ऋण रिलीज किया गया है।

कृत्रिम कपड़ों पर उत्पाद शुल्क

278. श्री काशीराम राणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृत्रिम कपड़े पर लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) वित्त मन्त्री जी ने वर्ष 1990-91 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि वस्त्रों के स्तर पर बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की बजाए उसे सूत के स्तर पर लगाने के बारे में वह मुख्य मन्त्रियों के साथ परामर्श करेंगे। इसके पश्चात् 10 अक्तूबर, 1990 को हुई अन्तर-राज्यीय परिषद की पहली बैठक में, इस विषय पर राज्य सरकारों के मुख्य मन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया और सिद्धांत रूप में इस बात पर सहमति हो गई कि बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को वस्त्र स्तर पर लगाने की बजाए उसे सूत/रेशे के स्तर पर लगाया जाए।

हल्दिया पेट्रो कैमिकल्स प्रोजेक्ट में सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा पूंजी निवेश

279. श्री चित्त महाता :

श्री चित्त बसु :

श्री अमर रायप्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वित्त संस्थानों को प० बंगाल की हल्दिया पेट्रो कैमिकल्स प्रोजेक्ट में पूंजी निवेश करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) हल्दिया पेट्रो-कैमिकल परियोजना के एक अंग के रूप स्थापित किए जाने वाले क्रैकर के आकार को बढ़ाने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के परिणामस्वरूप अग्रणी वित्तीय संस्था, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को परियोजना का वित्त पोषण करने के वास्ते पैरामीटर निर्धारित करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 1989 में राज्य सरकार के साथ आगे और बातचीत करने की सलाह दी गई थी।

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

280. श्री प्यारे लाल हाण्डू : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हाल में भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की ओर से जम्मू कश्मीर और उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कोई सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ख) क्या इस बीच ये नियुक्तियां कर दी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ये नियुक्तियां कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ग) जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में छह व्यक्तियों की नियुक्तियों की सिफारिश की थी। इनमें से अब तक उच्च न्यायालय में दो व्यक्ति नियुक्त किए जा चुके हैं और एक व्यक्ति की नियुक्ति का, भारत के मुख्य न्यायामूर्ति के परामर्श से, अनुमोदन कर दिया गया है।

"नाहरगढ़ को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करना"

[हिन्दी]

281. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाहरगढ़, जयपुर में 1100 हैक्टेयर भूमि को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करके एक अभयारण्य में परिवर्तित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आरक्षित वन क्षेत्र से गुजरने वाले किसी राष्ट्रीय अथवा राजकीय राजमार्ग का निर्माण करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) क्या इसके निर्माण से वन्य जीवन प्रभावित होने की संभावना नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त सड़क के निर्माण की योजना में संशोधन करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बचत बैंक खातों में जमा राशि पर ब्याज दर

[अनुवाद]

282. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बचत बैंक खाताधारियों द्वारा लम्बी अवधि तक धनराशि न निकालने के बावजूद उनके खातों में जमा राशि पर सावधि जमा खाताधारियों द्वारा 46 दिनों तक जमा की गयी राशि से कम दर पर ब्याज मिलता है;

(ख) क्या 46 दिनों तक राशि न निकालने वाले बचत बैंक खाताधारियों को भी समान दर पर अधिक ब्याज देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बचत बैंक खातों पर ब्याज की दर इस बात को ध्यान में रखे बिना लागू होती है कि खातों में से जमा राशि 46 दिनों के बाद निकाली जाती है या नहीं। इन खातों पर प्रचालन के लिए उदार सुविधाओं का लाभ मिलता है जबकि 46 दिन या उससे अधिक के सावधि खातों से जमाराशि की निकासी परिपक्वता से पहले नहीं हो सकती। चूंकि प्रत्येक प्रकार के खातों का अपना अलग लाभ होता है, अतः इन अलग-अलग खातों के लिए निर्धारित ब्याज दरों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। इस समय बचत बैंक खातों पर लागू ब्याज दर में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बैंकों के चेयरमैनों की नियुक्ति

283. **श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और उससे सम्बन्ध बैंकों के चेयरमैनों की नियुक्ति के लिए नीति संबंधी दिशा-निर्देश क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं और उनमें से कितने संबंधित बैंकों से नहीं आये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और भारतीय स्टेट बैंक में अध्यक्ष की नियुक्ति, केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों के निदेशक-बोर्डों का पदेन अध्यक्ष होता है। ये नियुक्तियां संबद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसरण में तथा बैंकिंग के क्षेत्र में व्यावसायिक अनुभव, सक्षमता, विशेषज्ञता आदि के आधार पर की जाती हैं।

1 दिसम्बर, 1987 से आज की तारीख तक, सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के 22 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों की तथा भारतीय स्टेट बैंक के दो अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इनमें से राष्ट्रीयकृत बैंकों के 18 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उसी बैंक में कार्यपालक निदेशक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद का कार्य देख रहे थे और भारतीय स्टेट बैंक का एक अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक में प्रबन्ध निदेशक के पद का कार्य संभाल रहा था।

नागपुर में टंगस्टन का दोहन

284. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर ने लगभग तीन वर्ष पूर्व नागपुर जिले में फ्रांस के विशेषज्ञों की सहायता से टंगस्टन का दोहन आरंभ किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके दोहन के कार्य में क्या प्रगति हुई है, केन्द्रीय सरकार का नागपुर जिले में इसके दोहन को बढ़ावा देने के लिए और क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब पाटिल) : (क) और (ख) खान

विभाग के अधीन एक सरकारी उपक्रम, खनिज गवेषण निगम लि० (एम० ई० सी० एल०) ने प्रौद्योगिकी अंतरण द्वारा भारत में टिन-टंगस्टन निक्षेपों के गवेषण एवं विकास की एक संयुक्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु मई, 1988 में फ्रांस के भूवैज्ञानिक एवं खनिज अनुसंधान ब्यूरो (बी० आर० जी० एम०) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना में टंगस्टन के लिए नागपुर जिले में खोदना प्रखंड का मूल्यांकन करने और इसे दो चरणों के द्वारा पूरा का कार्यक्रम था। कार्य का प्रथम चरण मार्च, 1989 में पूरा हुआ। प्रथम चरण की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर द्वितीय चरण का काम आरंभ किया गया और इसके फरवरी, 1991 तक पूरा होने की आशा है। द्वितीय चरण की रिपोर्ट मिलने पर सरकार परवर्ती कार्यवाही पर विचार करेगी।

उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठें स्थापित करना

[हिन्दी]

*285. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य स्थानों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खंडपीठों को कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) और (ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यायपीठ स्थापित करने के लिए जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से, उसके कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव या निश्चित विचार, अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अत: केन्द्रीय सरकार अभी तक इस विषय में कोई विनिश्चय नहीं कर सकी है।

(ग) यह बताना संभव नहीं है कि ये न्यायपीठें कब तक स्थापित की जा सकेंगी।

बहुपक्षी पूंजी-निवेश गारंटी एजेंसी

[अनुवाद]

286. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सदस्य देशों में आर्थिक विकास के लिए गैर सरकारी पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन देने के प्रमुख उत्तरदायित्व से प्रभारित बहुपक्षी पूंजी-निवेश गारंटी एजेंसी में शामिल होने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन

287. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये सम्वत वर्ष 2047 की पूर्व संध्या पर (परम्परानुसार) भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या अड़चनें हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारतीय अर्थव्यवस्था की लगातार समीक्षा होती रहती है ताकि जब भी आवश्यक हो, सरकार समय पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सके। तथापि, आर्थिक समीक्षा के रूप में प्रतिवर्ष एक विस्तृत दस्तावेज निकाला जाता है और संघ सरकार के बजट के प्रस्तुतीकरण से पूर्व उसे संसद के समक्ष रखा जाता है।

वर्तमान संकेतों के अनुसार अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र लगातार उत्पादकता दिखा रहे हैं। कृषि उत्पादन में 1765 लाख मीट्रिक टन के खाद्यान्नों के पूर्वानुमानित लक्ष्य के साथ एक नए शिखर को प्राप्त करने की संभावना है। औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में आंकड़े सितम्बर माह तक उपलब्ध हैं। अप्रैल-सितम्बर के दौरान उत्पादन में 11.7 प्रतिशत की सराहनीय वृद्धि दर्ज की गई है जो पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में दर्ज की गई 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर से काफी अधिक है।

फिर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ मुख्य समस्याओं का लगातार सामना कर रही है। उनमें से राजकोषीय असंतुलन, जिनके कारण बजटीय घाटा बढ़ता जा रहा है, भुगतान शेषों की गम्भीर समस्या जो खाड़ी संकट के कारण और अधिक विकट हो गई है तथा मुद्रास्फीति की दर जो कि बहुत ऊंची है, प्रमुख हैं।

परिवार अदालतों की स्थापना

288. श्री बी० एन रेड्डी : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में परिवार अदालतें स्थापित करने का कोई निर्णय लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) (क) और (ख) : कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 का अधिनियमन, विवाह और उससे सम्बन्धित विषयों से उत्पन्न होने वाले विवादों के सुलह और शीघ्र निपटारा को सुकर बनाने की दृष्टि से कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने के लिए किया गया था। अधिनियम की स्कीम के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य के ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में जिसमें ऐसे नगर या शहर हैं जिनकी जनसंख्या दस से अधिक है, कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है और इसके साथ ही ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है जहां वे आवश्यक समझें। अभी तक 12 कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए गए हैं जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

	न्यायालयों की संख्या
उत्तर प्रदेश	4
राजस्थान	3
महाराष्ट्र	2
तमिलनाडु	1
कर्नाटक	1
पांडिचेरी	1

कुछ अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र भी कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करना चाहते हैं।

पूर्व यूरोपीय देशों के साथ संयुक्त उद्यम

289. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व यूरोपीय देशों में स्वदेशी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर पाए गए बल का, भारत के निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या पनिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार का पूर्वी यूरोपीय देशों में पनप रहे बाजारों का लाभ उठाने के लिए इन देशों में उत्पादन सुविधाओं के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी नहीं, सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार पूर्व यूरोपीय देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए संगठनों को, प्रोत्साहित करने के सतत प्रयास कर रही है। रसायन टैक्सटाइल्स, जूट, चमड़ा, कृषि संसाधन जंगल पर आधारित उत्पाद इलैक्ट्रानिक्स आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के प्रस्ताव भारत के पक्षकारों और विभिन्न पूर्व यूरोपीय देशों विशेषत: सोवियत संघ के पक्षकारों के मध्य वार्ताओं के विभिन्न स्तरों पर हैं। जहां तक सोवियत संघ का सवाल है सहयोग के नए तरीकों पर इण्डो-सोवियत संयुक्त आयोग के तत्वावधान में एक भारत-सोवियत कार्यदल की स्थापना की गई है ताकि संयुक्त उद्यमों का विस्तार और सवर्धन किया जा सके।

"सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य के लिए भूमि का अधिग्रहण"

[हिन्दी]

290. **श्री मक्खनलाल मीणा** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राजस्थान में सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य में कितने आदिवासी किसानों की जमीन अधिग्रहीत की है तथा इन किसानों का किन-किन स्थानों पर पुनर्वास किया गया है; और इन्हें कहां-कहां वैकल्पिक भूमि दी गई है;

(ख) क्या सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य के लिए और अधिक भूमि अधिग्रहीत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण कितने परिवारों के बेघर होने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें कृषि भूमि आवंटित करके उनकी क्षतिपूर्ति करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) आदिवासी किसानों की कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई।

(ख) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सह्याद्री पर्वत श्रेणी में खनिज भंडार

[अनुवाद]

291. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सह्याद्री पर्वत श्रेणी में खनिज के विशाल भंडार हैं;

(ख) क्या वहां खोज कार्य आरम्भ किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) सह्याद्री पर्वत श्रेणी में लोह व मैंगनीज अयस्कों, बाक्साइट, सिलिमेनाइट-कायनाइट, क्ले, एस्बस्टस तथा अन्य गौण खनिजों के निक्षेप हैं।

(ख) और (ग) सह्याद्रि पर्वत श्रेणी और उसके चतुर्दिक कुछ चुनिंदा सम्पन्न क्षेत्रों में समय-समय पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य भूविज्ञान तथा निदेशालय आदि द्वारा गवेषण किया गया है। गवेषण से लौह अयस्क, बाक्साइट आदि के पर्याप्त भंडारों की पुष्टि हुई है, जिनका इस समय कुद्रेमुख आयरन कंपनी, विश्वेश्वरया आयरन एंड स्टील लिमिटेड तथा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इत्यादि द्वारा विदोहन किया जा रहा है।

अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

292. **श्री कमल चौधरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय में और उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अन्य कार्यालयों/उपक्रमों में कार्यरत कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है और प्रत्येक मामले में यह कार्यवाही किस तिथि से लम्बित पड़ी है;

(ख) कितने मामलों में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को पूछताछ अधिकारी के रूप में अनुबंधित किया गया है और इन्हें प्रत्येक मामलों में किस-किस तिथि से अनुबंधित किया गया है;

(ग) क्या ऐसे भी मामले हैं जिनमें कार्यवाही प्रतिदिन न करके अत्यधिक लम्बे अंतराल के बाद केवल छुट्टियों के दिन ही की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामलों में पूछताछ अधिकारियों द्वारा अब तक सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथियों का ब्यौरा क्या है; तथा अत्यधिक लम्बे अंतराल के बाद केवल छुट्टी के दिन ही कार्यवाही करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने पूछताछ अधिकारियों द्वारा जांच कार्य को अन्तिम रूप दिए जाने में किए जा रहे अत्यधिक विलम्ब को दूर करने और इनमें अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) वाणिज्य मंत्रालय उसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वस्तु बोर्डों और स्वायत्त संस्थाओं में दिनांक 31-7-1990 की स्थिति के अनुसार अधिकारियों के खिलाफ 108 मामले चल रहे हैं। जिस तारीख से ये जांच लंबित है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) संलग्न विवरण II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 4 मामलों में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(ग) और (घ) अनुबंध II में दर्ज भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से सम्बन्धित दो मामलों में से पहला मामला अवकाश यात्रा रियायत के दावे का जाली मामला है। पहले जांच अधिकारी की मृत्यु हो गई और दूसरे की नियुक्ति करनी पड़ी, जिन्होंने जांच जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की। इसलिए, तीसरे जांच अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ी। वर्तमान जांच अधिकारी ने कुछ सुनवाई की थी लेकिन दोषी अधिकारी द्वारा विलम्बकारी चाल अपनाने के कारण, जांच में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है। संगठन से इस जांच की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। दूसरा मामला आई० आई० एफ० टी० के एक अधिकारी के कार्यालय में उपद्रवी व्यवहार करने, कार्यालय का अनुशासन भंग करने आदि से सम्बन्धित है। इनमें से एक मामले में दोषी अधिकारी ने न्यायालय में अपील की, लेकिन 18-1-1988 को उसे खारिज कर दिया गया। निर्णय प्राप्त होने तक जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। जांच अधिकारी को तीन बार बदलना पड़ा क्योंकि दो कार्यरत अधिकारी जांच को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि एक तो दोषी कर्मचारी विलम्बकारी चाल का सहारा ले रहे थे और दूसरे, यह भी आरोप लगाया गया कि जांच अधिकारी उनके खिलाफ पक्षपात कर रहे थे। तीसरे जांच अधिकारी सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी थे और आशा की गई थी चूंकि वह प्रबन्धक मंडल से सम्बन्धित नहीं है इसलिए दोषी अधिकारी सहयोग करेंगे और जांच कार्य निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन दोषी अधिकारी ने आरोप लगाया कि यह अधिकारी पक्षपाती है। उन्होंने अपने प्रतिरक्षा सहायक की मार्फत 21-4-1990 को यह आपत्ति भी की कि सुनवाई की कार्यवाही शनिवार को नहीं होनी चाहिए। जांच अधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि दोषी अधिकारी के आक्रामक रुख के कारण जांच करना कठिन हो गया है और उन्होंने सुनवाई की अधूरी रिपोर्ट अनुशासन प्राधिकारी को पहले ही प्रस्तुत कर दी है। संगठन से मामले की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) सम्बन्धित संगठनों से जांच के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कहा गया है।

विवरण—1

वाणिज्य मंत्रालय, उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, उसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों वस्तु बोर्डों और स्वायत्त संस्थानों में लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने की तारीख

संगठन का नाम	शामिल व्यक्ति	तारीख जब से मामला लंबित है
वाणिज्य मंत्रालय	श्री बी० एस० रावत	28-7-89
(8 मामले)	श्री एस० एन० शर्मा	11-6-90
	श्री एम० एम० हालदार	17-8-87
	श्री ओ० पी० गहलात	3-4-89
	श्री केदार नाथ	31-8-90
	श्री एच० सी० डबराज	11-9-85
	श्री जे० मुखर्जी	20-12-79
	श्री शफात अहमद	6-5.88
मुख्य नियंत्रक, आयात	सर्वश्री के० जे० सोलंकी	21-1-87
एवं निर्यात का कार्यालय	बी० बी० साकरवाला	4-8-83
(27 मामले)	पी० एच० जान	6-7-89
	वाई० एम० गांधी	23-7-90
	आई० खान	20-7-90
	एस० पी० सोलंकी	20-7-90
	पी० एन० तोरण	20-7-90
	एस० आर० द्विवेदी	25-1-77
	एस० आर० द्विवेदी	9-12-87
	अवतार सिंह	7-2-89
	कृष्ण लाल	26-5-89
	मिस रीता गुप्ता	28-12-87
	एस० मेहता	13-5-88
	अशोक गुलाटी	23-8-89
	पी० एन० शर्मा	1-6-89
	मोहन लाल	29-9-89
	एच० सी० मल्होत्रा	9-1-90
	ज्ञान चंद	9-1-90
	एम० सुन्दरम	18-5-83
	एस० दामोदरम	1-9-86

1	2	3
	धीर सिंह	23-8-90
	के० एम० नोटवानी	6-2-87
	के० सुन्दरम	6-9-88
	डी० चक्रवर्ती	14-8-89
	के० मुखर्जी	14-8-89
	एल० खारमनलांग	14-8-89
	एल० खारमनलांग	25-5-90
शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक (मामला)	श्रीमती वी० वी० राज्याध्यक्ष	8-11-89
सान्ताक्रुज निर्यात संसाधन क्षेत्र (2 मामले)	पी० जी० सोलवांडे	15-2-88
	जी० डी० सूर्यवंशी	19-5-88
कांडला निर्यात संसाधन क्षेत्र (मामला)	एफ०डी० सागर एवं आई० एस० पटेल	10-10-88
भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० (9 मामले)	सर्व श्री	
	एच० एल० मुखर्जी	20-7-90
	एम० आर० साहा	25-6-90
	ए० के० कटियाल	2-4-90
	वी० श्रीनिवास	20-2-70
	पन्नी लाल	6-11-89
	एस० आर० गुप्ता	14-8-89
	जे० सी० चुग	10-5-90
	योगेन्द्र राज	16-2-88
	के० सी० हजारिका	16-8-88
भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० (5 मामले)	एस० एन० ठाकुर पी० के० चक्रवर्ती	15-4-87
	पी० ओ० जान	15-11-87
	ए० सवारियर	15-6-88
	बी० वी० नायक	15-6-88
	वाई० पी० मित्तल	15-1-90

1	2	3
निर्यात निरीक्षण परिषद	जयमल	15-10-88
(16 मामले)	एस० एन० गुहन	21-9-89
	एस० के० शिवदासारी	4-11-89
	आर० एस० ओझा	4-5-90
	श्रीमती निरूपा दे	2-2-90
	एस० एम० बघेला	17-5-90
	जे० के० मलिक	23-5-90
	पी० एस० दत्ता	16-7-88
	जी० एन० झा	6-1-90
	वी० जार्ज	12-8-88
	सी० वी० राजगोपालन	17-7-90
	इंदरविजय	25-5-84
	एस० के० शर्मा	24-3-90
	ए० बेनीवाल	22-4-89
	एच० सी० वशिष्ठ और मूल चन्द	10-5-90
	के० सी० अम्बार	28-6-90
भारतीय व्यापार मेला	बी० आर० सागर	26-12-85
प्राधिकरण (4 मामले)	रामेश्वर सिंह	8-5-89
	बी० एस० त्यागी	8-3-90
	दिनेश कुमार	21-3-90
रबड़ बोर्ड	आर० गंगाधरन नायर	22-3-88
(9 मामले)	पी० एस० कुट्टपन	22-3-88
	एस० सेहादरी	29-9-88
	एन० रघुनाथन नायर	9-2-89
	शिशिर बर्मन	17-1-89
	एस० राजेन्द्रन कानी	25-1-89
	के० ए० बर्गीज	2-6-89
	पी० के० मोहनन	3-11-89
	के० एम० विजयन	22-12-89
काफी बोर्ड	सी रामानुजम	3-5-84
(3 मामले)	एस० नटराजन	11-12-84
	श्रीमती एच० बसंथा	20-1-88

विवरण—2

वाणिज्य मंत्रालय तथा उसके अधीन विभिन्न कार्यालयों आदि में उन अनुशासनिक कार्यवाहियों के ब्यौरे जिनमें सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है :

संगठन का नाम	जांच अधिकारी की नियुक्ति की तारीख	क्या जांच कार्य काफी लम्बे समय के अन्तराल पर/अवकाश के दिनों हो रहा है	यदि हां, तो प्रत्येक मामले की सुनवाई की तारीख
वाणिज्य मंत्रालय (1 मामला)	28-7-89	नहीं	लागू नहीं
स्पाइसेस बोर्ड (1 मामला)	14-2-90	नहीं	,,
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड (2 मामले)	पहला मामला 15-4-85	जी हां, काफी समय के अन्तराल पर	22.9-88 7-10-88 26-10-88 16-11-88 30-11-88 19-12-88 3-2-89 7-3-89 7-4-89 26-4-89 26-5-89 20-6-89 25-7-89
	*दूसरा मामला 4-11-88	जी हां तेजी से निपटान के प्रयोजन से	30-11-88 19-12-88 26-12-88 31-12-88 25-1-89 4-2-89

*उसके ब्यौरों एवं परिस्थितियों के लिए, कृपया उत्तर के कालम

1	2	3	4
		शनिवारों को	25-2-89
			18-3-89
			8-4-89
			25-4-89
			22-4-89
			6-5-89
			13-5-89
			20-5-89
			10-5-89
			17-6-89
			8-7-89
			15-7-89
			29-7-89
			5-8-89
			12-8-89
			19-8-89
			21-4-90
तम्बाकू बोर्ड	सर्वश्री एम० पी० राव आदि		8-10-87
(13 मामले)	एन० एम० एस० राव		28-11-88
	एन० बी० राव		21-12-88
	सुश्री आर० दुर्गा कुमारी		18-10-89
	एस० के० ए० रहमान		18-10-89
	एम० एम० राव		18-10-89
	एम० के० मागर शरीफ		18-10-89
	के० वेंकटे वर्लु		18-10-89
	ए० के० राव		24-10-89
	बी० वेंकटेश्वर्लु		22-?-90
	के० जयप्रकाश		17-7-90
	बी० एम० राव		19-10-89
चाय बोर्ड	एस० आर० चक्रवर्ती		30-5-90
(3 मामले)	डी० स्वानपथी		30-4-90
	गोपाल कृष्णन्		29-11-89

1	2	3	4
मसाला बोर्ड	जार्ज मैथ्यू		14-2-90
(4 मामले)	ए० सी० गनपथी		26-3-90
	के० के० गोपाला गाउडा		5-7-90
	ए० यसुदासन		5-7-90
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (2 मामले)	के० सी० गुप्ता		15-4-85
	के० जे० थिम्बर		अगस्त 84
व्यापार विकास प्राधिकरण	जसवन्त सिंह		28-6-90

"पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रति चेतना"

[हिन्दी]

293. श्री शिवशरण वर्मा :

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रदूषण के प्रति चेतना जागृत करने तथा प्रदूषण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए लोगों को शिक्षा प्रदान करने के आर्थिक सहायता देने का हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थावार दी गई आर्थिक सहायता की राशि का विवरण क्या है; और

(ग) प्रदूषण रोधी अभियान में लगी संस्थाओं की संख्या क्या है और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इन संस्थाओं का चयन किस आधार पर किया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्री मेनका गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पिछले तीन सालों के दौरान इस मंत्रालय द्वारा जिन गैर-सरकारी संगठनों को को वित्तीय सहायता प्रदान की गई उनकी सूची तैयार करने के लिए सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए गठित मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समितियों द्वारा विचार किया जाता है । संस्थाओं का जनना के साथ उनके कार्य करने के अनुभव और उनकी प्रमाणित सक्षमता के आधार पर किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अफीम की नई नीति के प्रभाव

294. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफीम की नई नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में पोस्त के प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन को निर्धारित करने में अनियमितता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के पोस्त उत्पादकों से नई नीति पर पुनर्विचार करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ताकि इस अनियमितता को दूर किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) फसल वर्ष 1990-91 के लिए पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस देने के सम्बन्ध में सामान्य शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि वे खेतिहर, जिन्होंने फसल वर्ष 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रति हेक्टेयर 34 किलोग्राम से अन्यून और उत्तर प्रदेश में 32 किलोग्राम से अन्यून अफीम की पैदावार नहीं दी है, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इस तथ्य के अलावा कि उत्तर प्रदेश में अफीम की पैदावार, जलवायु और मिट्टी की विभिन्न प्रकार की स्थितियों के कारण परम्परागत रूप से अपेक्षाकृत कम है, उत्तर प्रदेश में 1989-90 के दौरान समय पर वर्षा न होने और ओलावृष्टि के कारण पोस्त की फसल पर और भी बुरा प्रभाव पड़ा तथा मध्य प्रदेश की तुलना में उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर औसत उपज में भारी कमी हो गई थी इन तथ्यों के कारण ही उत्तर प्रदेश में पोस्त के खेतिहरों के लिए अर्हकारी उपज अपेक्षाकृत कम निर्धारित की गई थी ताकि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में खेतिहरों के लाइसेंस रद्द होने की समस्या से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश के खेतिहारों को फसल वर्ष 1987-88 में ऐसी रियायत पहले भी दी गई थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के खेतिहारों के लिए उपज की अलग-अलग अर्हकारी सीमा निर्धारित करने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में लाइसेंस देने सम्बन्धी अपने सिद्धांतों में कोई परिवर्तन न करने का निर्णय लिया है क्योंकि लाइसेंस देने के लिए शर्तें विभिन्न संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

अनिवासी भारतीयों के लिए नई जमा योजना

495. **श्री बालेश्वर यादव :**

श्री यशवंतराव पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का अनिवासी भारतीयों के लिए नई जमा योजना आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्योरा क्या है और इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) इन योजनाओं से अनिवासी भारतीयों को तथा सरकार को क्या लाभ प्राप्त होगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश को आकृष्ट करने सम्बन्धी बनाई गई नीतियों और स्कीमों की अनिवासी भारतीयों और अनिवासी भारतीय संगठनों सहित विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए लगातार समीक्षा की जाती रही है। भावी अनिवासी भारतीय निवेशकों के सामने आने वाले क्षोभ और कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से प्रक्रिया को सुग्राही बनाने के लिए भी लगातार प्रयत्न किए जाते रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आकस्मिकता प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा

[अनुवाद]

296. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकस्मिकता प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा के अन्तर्गत सहायता प्राप्ति हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की योजना में पहले तेल को शामिल नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भारत द्वारा जोर दिए जाने पर अब आकस्मिकता प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा के अन्तर्गत सहायता प्राप्ति हेतु तेल को इस योजना में शामिल कर लिया गया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस योजना के सम्बन्ध में एक लचीला दृष्टिकोण अपनाने का तथा खाड़ी संकट को ध्यान में रखते हुए इसमें उपयुक्त संशोधन करने का आश्वासन दिया है;

(ग) यदि हां, तो योजना में किस प्रकार के संशोधन का सुझाव दिया गया है; और

(घ) संशोधित योजना के अन्तर्गत भारत को कितनी सहायता का प्रस्ताव किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) आकस्मिक और प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा (सी० सी० एफ० एफ०) के अन्तर्गत तेल को शामिल नहीं किया गया चूंकि यह हाल के संशोधन से पूर्व विद्यमान था। खाड़ी में राजनीतिक घटनाओं के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि के पश्चात् अस्थाई अवधि के लिए सी० सी० एफ० एफ० में तेल को शामिल करने के लिए अन्तरिम समिति में सर्वसम्मति थी। तदनुसार, कच्चे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के आयातों की अधिक लागत को पूरा करने के लिए वर्ष 1991 के अन्त तक सी० सी० एफ० एफ० में तेल के आयात तत्व को शुरू किया गया है। तेल के तत्व सहित संशोधित सी० सी० एफ० एफ० के अन्तर्गत वृद्धि कोटे का 20 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत हो सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ऊपरी ऋण ट्रांस व्यवस्था के अन्तर्गत यह वृद्धि कोटे का अधिकतम 82 प्रतिशत भी हो सकती है।

जापान के साथ व्यापार वार्ता

297. **श्री आर० एन० राकेश : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 नवम्बर, 1990 को नई दिल्ली में भारत-जापान द्विपक्षीय व्यापार वार्ता बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(घ) आगामी बैठक कब होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) चर्चा के मुद्दे अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार प्रणाली और द्विपक्षीय वाणिज्यिक सम्बन्ध पर केन्द्रित रहे।

(ग) प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों की संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) अगली बैठक वर्ष 1991 में किसी भी समय अथवा वर्ष 1990 के प्रारम्भ में हो सकती है।

विवरण

जापानी प्रतिनिधिमण्डल का गठन

1. श्री कोजी वातानाबे — नेता
   उपमन्त्री,
   विदेश मन्त्रालय।
2. श्री ताकाशी कोएजूका,
   निदेशक,
   विदेश मन्त्रालय।
3. श्री कोजी सेकोहू,
   उप निदेशक,
   अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालय।
4. श्री हिरोशी सुजूकी,
   अधिकारी,
   विदेश मन्त्रालय।

दूतावास

5. श्री अकीरा मात्सुई,
   मन्त्री।
6. श्री रियूजी इशी,
   काउन्सलर।
7. श्री ताकाशी साकुराई,
   प्रथम सचिव।
8. श्री मासाभिची साइगो,
   प्रथम सचिव।
9. श्री एइमोन उएदा,
   प्रथम सचिव।

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का गठन

1. श्री एस० पी० शुक्ल, — नेता
   सचिव,
   वाणिज्य मंत्रालय।
2. श्री वी० एस० वेंकटरामन,
   अपर सचिव,
   वाणिज्य मन्त्रालय।

3. श्री एम० सी० जयरामन,
संयुक्त सचिव,
वाणिज्य मन्त्रालय ।

4. श्री ललित शर्मा,
संयुक्त सचिव,
वाणिज्य मन्त्रालय ।

5. श्री एन० के० सम्भरवाल,
संयुक्त सचिव,
उद्योग मन्त्रालय ।

6. श्री श्याम शरण,
संयुक्त सचिव,
विदेश मंत्रालय ।

7. श्री कमल पांडे,
संयुक्त सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग ।

8. एस० वी० एस० राघवन,
अध्यक्ष,
बी० बी० आई० एल० ।

9. श्री दिनकर खुल्लर,
उप सचिव,
वाणिज्य मंत्रालय ।

"करेंसी सीज्ड एट एयरपोर्ट" शीर्षक से समाचार

298. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री बालेश्वर यादव :

श्री जनकराज गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 दिसम्बर, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "करेंसी सीज्ड एट एयरपोर्ट" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई-अड्डा, नई दिल्ली में तैनात सीमा शुल्क

के अधिकारियों ने थाई एयरवेज फ्लाइट सं० जी०जी०-315, जो 29 नवम्बर, 1990 को 18.45 बजे पहुंची थी, के परिचर्या करने वाले ग्राउण्ड स्टाफ का गतिविधियों पर नजर रखी और थाई एयरवेज (अनुरक्षण स्टाफ) की एक मारुति जिप्सी को रोककर उसकी तलाशी ली थी। तलाशी के परिणाम-स्वरूप एक पैकिट बरामद करके उसे जब्त कर लिया गया था। इस पैकिट में मुद्रा, यात्री चैकों तथा चैकों के रूप में 1,00,005 अमरीकी डालर पाए गए थे। लगभग 1,10,000 रुपये के मूल्य की मारुति जिप्सी को भी जब्त कर लिया गया था। इस सम्बन्ध में विरेन्द्र कुमार ग्रोवर नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

अक्तूबर-नवम्बर, 1990 के दौरान लिए गए निर्णय

299. श्री अमर रायप्रधान : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अक्तूबर-नवम्बर, 1990 के दौरान लिए गए सभी प्रमुख निर्णयों की समीक्षा कर रही है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनकी समीक्षा पूरी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	समीक्षा किए गए प्रमुख निर्णय के ब्यौरे	क्या समीक्षा पूरी हो गई गई है	समीक्षा के फलस्वरूप यदि कोई परिवर्तन हुए हों।
1.	निम्नलिखित मदों के लिए नकद मुआवजा सहायता (क) हेयर बेल्टिंग के अलावा वूल वर्स्टेड फैब्रिक्स (20% से अधिक मात्रा में ऊन वाले) (ख) डाई-सोडियम पैंटोऐट, एक औषधि मध्यवर्ती सामान (ग) 1-एच-टेट्राजोलीऐस्टिक (घ) सभी किस्म के टेलीफोन केबिल्स, सालिड सेलुअर सहित कन्डक्टर थर्मो प्लास्टिक इन्सलेटड और भरे/गैर भरे फोम स्किन पोलीथीन (ङ) आयातित चाय के ब्लैंड के साथ पैकेट चाय	हां	कोई परिवर्तन नहीं
2.	जापान के ऋण से अग्रिम बैंक द्वारा वित्तपोषित भारतीय रेलों को पैसेन्जेर लोको की आपूर्ति पर माने गए निर्यात का लाभ।	हां	कोई परिवर्तन नहीं
3.	इंजीनियरी उत्पादों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति स्कीम में छूट	हां	कोई परिवर्तन नहीं
4.	माइका स्क्रैप को छोड़कर संसाधित माइका का गैर-सरणीयन और माइका स्क्रैप के निर्यात को पूरी तरह से सरणीकृत करना	हां	कोई परिवर्तन नहीं
5.	अल्युमीनियम के निर्यात पर से कन्ट्रोल हटाना	हां	कोई परिवर्तन नहीं
6.	निम्नलिखित मदों को ओ० जी० एन० से हटाकर स्वीकार्य/प्रतिबंधित श्रेणी में किया गया।	हां	कोई परिवर्तन नहीं

1	2	3	4
	(i) हाई स्पीड इस्पात मदें		
	(ii) ग्लिसरीन		
	(iii) बूटाक्लोर (टेक०)		
	(v) प्लेट/फ्लोट ग्लास		
	(iv) अल्यूमीनियम रोल्ड उत्पाद, शीटें, स्ट्रिप्स, सरक्यूल्स तथा स्लग्स		
7.	कच्चे माल, संघटक तथा अतिरिक्त पुर्जों और जिग्स, फिक्सचर्स, माउल्ड्स जिनको आयात नीति पुस्तिका में अन्यत्र सूचीबद्ध नहीं किया गया है उनके ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयात की सुविधाओं को तीन महीनों की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया था ।	हां	कोई परिवर्तन नहीं
8.	रबड़ बोर्ड का पुनर्गठन	नहीं	समीक्षा की जा रही है ।
9.	काफी बोर्ड का पुनर्गठन	नहीं	समीक्षा की जा रही है ।
10.	एस० टी० सी० यूनियन के परिसंघ के साथ मजदूरी करार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया ।	हां	कोई परिवर्तन नहीं
11.	हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लि० (एच० डी० सी० एल०), बम्बई के सी० एम० डी० श्री एस० एन० शर्मा के कार्यकाल को दिसम्बर, 1990 के बाद बढ़ाना।	हां	कोई परिवर्तन नहीं
12.	काजू बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय को स्थगित करना	हां	अब काजू बोर्ड की स्थापना के लिए कदम उठाने का निर्णय किया गया है।
13.	चाय बोर्ड के लिए श्रमिक सदस्यों का नामांकन	नहीं	समीक्षा की जा रही है।

चाय का उत्पादन

[हिन्दी]

300. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान चाय का कितना उत्पादन हुआ ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान उत्पादित चाय की राज्यवार मात्रा निम्नानुसार है :

राज्य	वर्ष 1988-89 के दौरान अनुमानित उत्पादन (मिलियन किग्रा०)	वर्ष 1989-90 के दौरान अनुमानित उत्पादन (मिलियन किग्रा०)
असम	367.49	382.29
पश्चिम बंगाल	150.15	150.48
उत्तर भारत के अन्य राज्य	6.70	6.71
तमिलनाडु	94.11	97.84
केरल	60.33	61.73
कर्नाटक	3.88	3.76
समस्त भारत	682.66	702.81

संगमरमर का निर्यात

301. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान से संगमरमर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इसके निर्यात से वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में इसके निर्यात में वृद्धि करने के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहन देने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) संगमरमर की टाइलों और पट्टियों के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति है। जो निर्यातक रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकृत हैं उन्हें विदेशी मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी विदेशों में निर्यात संवर्धन दौरों और रियायती दरों पर विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए विदेशों में प्रचार की सुविधा प्रदान की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान संगमरमर की टाइलों और पट्टियों के निर्यात का अनुमान निम्नानुसार है :

वर्ष	मूल्य लाख रुपए में
1987-88	78.2
1988-89	78.8
1989-90	62.0

(घ) व्यापारियों को अपना निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना सरकार की नीति रही है।

भाड़ा समानीकरण के क्षेत्र का विस्तार करना

[अनुवाद]

302. श्री बसन्त साठे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्यों के बीच भाड़े को समाप्त करने के सम्बन्ध में उनके भिन्न-भिन्न विचारों को देखते हुए भाड़ा समानीकरण के क्षेत्र में विचार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पारेषण करके सर्वमान्य समाधान के बारे में आगे क्या कार्रवाई की गयी है या करने का विचार है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में मुख्य-मन्त्रियों की एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) 10 अक्तूबर, 1990 को आयोजित अन्तर-राज्य परिषद की बैठक में सभी राज्यों के वित्त मन्त्रियों की एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया था ताकि क्षेप कर के उद्ग्रहण से छूट को मंजूरी के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश जारी करने के सिलसिले में आम सहमति प्राप्त की जा सके। इस मामले में आगे कार्रवाई उस बैठक में लिए गये निर्णय को ध्यान में रखकर दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

"वन्यजीवों का संरक्षण"

303. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, देश में तेजी से लुप्त हो रहे वन्यजीवों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार, बहुमूल्य वन्यजीवों को, चोर-शिकारियों तथा अवैध हाथी दांत के व्यापारियों से बचाने के लिए किसी विशेष कार्ययोजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) अवैध शिकार और अवैध व्यापार के साथ-साथ वास-स्थलों के अवक्रमण का विशेषकर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से बाहर के क्षेत्रों में, वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) (1) भारत सरकार "वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार का नियन्त्रण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्यों को सहायता देती रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में चोरी-छिपे शिकाररोधी आधारभूत ढांचों को सुदृढ़ बनाने के लिए इस स्कीम के तहत सहायता के रूप में 100 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। वर्ष 1990-91 के दौरान अब तक इस स्कीम के तहत 15.4 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के तहत वन्यजीवों की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों, खासकर, गैंडा, हाथी, कस्तूरी मृग, सांप, समूर वाले पशुओं तथा ऐसी प्रजातियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिन पर चोरी-छिपे शिकार और व्यापार का गम्भीर प्रभाव पड़ता है। अन्य प्रजापतियों के शिकार और व्यापार की अनुमति केवल अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस के अन्तर्गत दी जाती है।

(3) भारत सरकार "वन्य प्राणीजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन (साइटस)" की एक पक्षकार है, जिसके तहत अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि वन्य जीवों और अवैध रूप से एकत्र किए गए उनके उत्पादों का भारत से निर्यात नहीं किया जाए।

(4) भारत सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के उपबन्धों के, कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए चार क्षेत्रीय कार्यालयों सहित एक केन्द्रीय वन्यजीव निदेशालय की स्थापना की है। यह निदेशालय यह सुनिश्चित करने में सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सहायता देने के लिए उत्तरदायी है कि देश की निर्यात नीति के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी भी वन्यजीव और उसके उत्पादों का निर्यात न किया जाए।

कॉफी व्यापार

304. **श्री जॉस फर्नाण्डीज** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी के मुक्त व्यापार की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बचत संगठन

305. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय बचत संगठन की विभिन्न योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कुल कितने एजेंट कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय बचत संगठन को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राष्ट्रीय बचत संगठन की विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए देश में लगभग 2,34,00 एजेंट कार्य कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय बचत संगठन का उद्वेषण करने अथवा उसे बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राऊरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण-कार्य में अनियमितताएं

306. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राऊरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण-कार्य के लिए सामग्री की खरीद और निर्माण-कार्य में कोई अनियमितताएं बरते जाने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) सरकार को इस प्रकार की किसी अनियमितताओं के बारे में पता नहीं चला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कूम्बारा, केरल में बैंक शाखा खोलना

307. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1991 के दौरान किन-किन स्थानों पर अनुसूचित बैंकों को अतिरिक्त शाखाएं खोलने का विचार है;

(ख) क्या केरल के कोझीकोड जिले में, स्थित महत्वपूर्ण कृषि केन्द्र कूम्बारा के लोगों को एक मात्र बैंकिंग सुविधा 8 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां एक बैंक शाखा खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो वहां बैंक शाखा कब तक खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को उनकी भावी शाखा विस्तार योजना के संबंध में मार्गनिर्देश जारी किए हैं। उन्हें ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों से संबंधित नीति के अन्तर्गत शाखाएं खोलने के वास्ते बैंकों से अभी तक समेकित अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं। जहां तक शहरी और महानगरीय केन्द्रों का सम्बन्ध है, बैंक रहित/कम बैंक सुविधा प्राप्त स्थानों का पता लगाने के लिए गठित कार्यकारी दल की सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है। अत: वर्ष 1991 के दौरान केरल में खोली जाने वाली प्रस्तावित अतिरिक्त शाखाओं का स्थान बताना फिलहाल संभव नहीं होगा ।

(ख) से (घ) कूम्बारा में बैंक शाखा खोलने के लिए 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति के

अन्तर्गत अग्रणी बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा इस केन्द्र का चयन नहीं किया गया था। साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक की एक शाखा मरंचट्टी में कार्य कर रही है जो कूम्बारा से केवल 2 कि० मी० दूर है। सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत कूम्बारा केन्द्र को केनरा बैंक की ककदमपाइल शाखा को आवंटित किया गया है और यह भी काफी नजदीक है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्तावित केन्द्र में बैंक शाखा खोलने की तत्काल कोई आवश्यकता महसूस नहीं की।

इस्पात और धातु उद्योग

308. **श्री प्रताप सिंह :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हमारे इस्पात और धातु उद्योग क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालवराज पाटिल) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कच्चे माल तथा अन्य आदानों की लागत और क्वालिटी, प्रौद्योगिकी और कार्य पद्धतियों की दक्षता जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इनमें तथा अन्य प्राचलों में सुधार लाने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। इस समय, हालांकि अल्यूमिनियम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी है, फिर भी इस्पात, जस्ता तथा शीशे जैसे क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की परियोजनाएं चल रही हैं।

तमिलनाडु में खनिजों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

309. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने तमिलनाडु में खनिजों का पता लगाने के लिए कोई खनन कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों/क्षेत्रों में खनन कार्य किया गया; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालवराज पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"बेतवा नदी की सफाई"

[हिन्दी]

310. **श्री राघवजी :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बेतवा नदी को प्रदूषण रहित करने हेतु कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है और यदि हां, तो कब; और

(ख) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है और यह योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) बेतवा नदी की सफाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई एक स्कीम फरवरी, 1990 में भारत सरकार को प्रस्तुत की गई।

(ख) कार्य योजना, निधियों की उपलब्धता और गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर शुरू की जाएगी।

कुल विश्व व्यापार में भारत का प्रतिशत

[अनुवाद]

311. डा० विप्लव दास गुप्त : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में होने वाले कुल व्यापार में इस समय भारत का हिस्सा कितने प्रतिशत है तथा सन 1950, 1960, 1970, 1980 के तत्सम्बन्धी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विदेशी व्यापार को विशेषकर विकासशील देशों के साथ किए जाने वाले व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) वर्ष 1950, 1960 1970, 1980 और 1989 (अद्युनातन अवधि जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान विश्व व्यापार में भारत का प्रतिशत हिस्सा निम्नलिखित है :

वर्ष	विश्व व्यापार में भारत का प्रतिशत हिस्सा
1950	1.97
1960	1.38
1970	0.64
1980	0.42
1989	0.56

(ख) विकासशील देशों सहित सभी देशों को निर्यात बढ़ाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वे हैं : निर्यात के लिए घरेलू बेसी का सृजन, प्रौद्योगिकी में समकालीन तथा कीमतों में प्रतिस्पर्धात्मक माल का उत्पादन सुनिश्चित करना, व्यापार प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित करना, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित करना तथा व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी।

सौराष्ट्र क्षेत्र में गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ

312. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र में गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि इस संबंध में गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जमा की गयी राशि को निर्धारित समय से पहले निकालने पर दण्ड लगाना

313. डा० सी० सिलवेरा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी प्राइमरी सहकारी बैंकों को इस आशय के निदेश जारी किए हैं कि जमाकर्ताओं द्वारा अपनी जमाराशि निर्धारित समय से पहले निकालने पर दण्ड न लगाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कदम उठाए हैं कि ये निदेश सहकारी बैंक द्वारा पूरी तथा ईमानदारी से लागू किए जाएं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक सहकारी बैंकों को इस आशय के निर्देश जारी नहीं किए हैं कि जमाकर्ताओं द्वारा परिपक्वता अवधि से पहले जमाराशियों की निकासी किए जाने पर वे दंड लगाएं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) बैंककारी विनियमन, 1949 की धारा 35 के अन्तर्गत किए गए बैंकों के निरीक्षणों के दौरान जानकारी में आए उल्लंघनों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्बद्ध बैंकों के साथ उठाया जाता है।

कृषि क्षेत्र में बैंकों की बकाया राशि

314. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों समेत वाणिज्यिक बैंकों की बकाया राशि, मांग के 43 प्रतिशत के खतरनाक स्तर तक पहुंच गयी है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1988 तक कुल बकाया राशि कितनी थी;

(ग) 30 जून, 1990 तक इस बकाया राशि में और कितनी वृद्धि हो गयी है,

(घ) वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में सहकारी बैंकों में बकाया राशि कितनी कम है;

(ङ) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) कृषि क्षेत्र से बकाया राशि जिसमें काफी वृद्धि हो गयी है, को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जून 1988 को समाप्त वर्ष के लिए, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के मामले में मांग की तुलना में अतिदेय रकमों की प्रतिशतता 40.65% (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में ये आंकड़े 51.11% और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में 43.2% थे।

(ख) 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार, कुल अतिदेय रकमें प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों

के मामले में 2132 करोड़ रुपये, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में 630 करोड़ रुपये और सरकारी क्षेत्र के मामले में 2207 करोड़ रुपये थीं।

(ग) से (च) जून, 1990 के अतिदेय रकमों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि सहकारी बैंक मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यों में वित्त पोषण में लगे हैं और वाणिज्यिक बैंकों के लिए भी वित्त पोषण का यही एक मात्र क्षेत्र है, इसलिए इन दोनों के बीच तुलना करना पूर्णतया समुचित नहीं होगा। बैंक अपने अग्रिमों से संबंधित वसूली के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के वास्ते कई उपाय करते हैं। ये मार्गनिर्देश बैंकों द्वारा किए जाने वाले इन कारगर उपायों से संबंधित हैं जैसे :—नियंत्रक कार्यालयों एवं क्षेत्र स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत और सुदृढ़ बनाना, ऋणों के मामले में व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना, ऋण-पूर्व मूल्यांकन प्रणाली और ऋण देने के बाद पर्यवेक्षण तकनीक को चुस्त बनाना जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ हिताधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क स्थापित करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चूकें कम-से-कम हों और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अधिकारियों की सहायता से वसूली अभियान चलाना। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको से उन मामलों में निरंतर एवं कारगर पर्यवेक्षण तथा वसूल के वास्ते नजदीकी शाखाओं के समूह के लिए अलग वसूली कक्ष स्थापित करने के लिए कहा है, जिनमें अतिदेय की रकमें मांग के 50% से अधिक हों और कृषि अग्रिम बहुत अधिक हों।

कर्नाटक में कच्चे लोहे के संयंत्र

315. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कच्चे लोहे के कितने संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में बेल्लारी में कच्चे लोहे के कुछ और संयंत्रों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या ये संयंत्र सरकारी, गैर-सरकारी अथवा संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किये जाएंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालवराज पाटिल) : (क) से (ग) कच्चा लोहा उद्योग को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है, बशर्ते इसमें कुछ स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्ध हैं। उद्यमियों को अपने विकल्प के स्थान का चयन करने की छूट है। इस्पात विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार मेसर्स यूनिमेटल इस्पात लिमिटेड का कर्नाटक राज्य में बेलारी में एक कच्चा लोहा परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव है। इस समय इस्पात विभाग को कर्नाटक में कच्चा लोहा संयंत्रों सरकारी निजी अथवा संयुक्त क्षेत्र किसी में भी, स्थापना करने से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पारेषण कर

316. श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक राज्य से दूसरे राज्य में लाए ले जाने वाले उस माल पर जिस पर केन्द्रीय बिक्री कर नहीं लगता, केन्द्रीय बिक्री कर की चोरी किस प्रकार रोकने का विचार है;

(ख) संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982 में निहित उपबंध के अतिरिक्त विधि आयोग की सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस विषय में मुख्य मंत्रियों की समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और इस संबंध में पिछली बैठक कब हुई थी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) माल की अन्तर राज्य खेप पर कर उद्गृहीत करने के प्रस्ताव का आशय माल की अन्तर राज्य खेप के साधन के जरिए भारी मात्रा में कर का परिहार रोकना है, क्योंकि ऐसी खेपों पर केन्द्रीय बिक्री कर उद्गृहीत नहीं किया जा सकता है।

(ख) विधि आयोग की रिपोर्ट की किसी विशिष्ट संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम 1982, 21 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर रखी गयी विधि आयोग की 61वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर आधारित था।

(ग) मुख्य मंत्रियों की समिति की पिछली बैठक 15 जुलाई, 1989 को हुई थी किन्तु इसकी सिफारिशें अनिर्णायक रही हैं।

खर्च में कटौती

317. श्री वो० वेंकटरामन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकृत वित्तीय प्रावधानों में से चालू वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में किए जाने वाले शेष खर्च में 10 प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ क्षेत्रों को इस कटौती की सीमा से अलग रखा गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस कटौती के संबंध में मंत्रालय/विभाग-वार ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। कटौती की सीमा से अलग रखे गए व्यय के क्षेत्र ये हैं :—

(I) रक्षा पेंशनों सहित पेंशन अदायगियां।

(II) अनिवार्य निक्षेपों पर ब्याज और ऋणों की वापसी अदायगी सहित ब्याज अदायगियां।

(III) विदेशी सहायता देने के प्रावधान।

(IV) अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों/संस्थानों को अदायगियां और विदेशी सरकारों की अदायगियां।

(V) राज्य सरकारों की वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सांविधिक अनुदान।

(VI) राज्यों को राज्य आयोजना स्कीमों के लिए ब्लाक ऋण और अनुदान।

(VII) राज्य सरकारों को अल्प बचत ऋण।

(VIII) ब्याज आर्थिक सहायताओं जैसी लेखा-प्रविष्टियां।

(ग) मंत्रालय/विभाग-वार की गई कटौती से संबंधित ब्यौरे वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमानों में दर्शाए जाएंगे जो वर्ष 1991-92 के बजट के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।

टाइपराइटरों के रिब्बनों का आयात

318. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 नवम्बर, 1990 के "इकोनामिक्स टाइम्स" में "टाइपराइटर रिब्बन इम्पोर्ट्स थ्रेटन डोमेस्टिक इण्डस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान आज तक सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने कितने बार बीजक मूल्यों की जांच की तथा शुल्क अपवंचन रोकने के लिए घोषित मूल्यों की अन्तर्राष्ट्रीय निर्माताओं के प्रकाशित मूल्यों से कितने बार तुलना की है;

(घ) इनमें क्या खामियां पाई गई हैं;

(ङ) क्या अन्य वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में भी ऐसी जांच शुरू करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) हाल के पिछले दिनों में कंप्यूटर/टाइपराइटर रिबनों के आयात किए जाने के बहुत कम मामले देखने में आए हैं। ऐसे मामलों में घोषित मूल्यों की समसामयिक आयातों के मूल्यों के साथ तुलना की जाती है। घोषित मूल्य स्वीकार कर लिए गए थे क्योंकि इन आयातों में कोई विसंगतियां नजर नहीं आई थीं।

(ङ) जी, हां। अन्य मदों के संबंध में भी ऐसे ही अंकुश लगाए जा रहे हैं।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सोने का मूल्य

319. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने के मूल्यों में हाल में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सोने के बढ़े हुए मूल्यों का मूल्य सूचकांक पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) सोने की तस्करी रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क)

और (ख) हाल के महीनों में सोने की कीमतों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतें लगभग 3500 रु० प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही है।

(ग) मूल्य सूचनांक सोने की कीमतों से स्वतन्त्र है।

(घ) और (ङ) तस्करी-निरोधक अभियान, देश भर में, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक तेज कर दिए हैं। सोने की तस्करी का पता लगाने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए अत्याधुनिक तस्करी-निरोधक उपस्कर उपयोग में लाए जा रहे हैं। सोने की तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम से संबंधित सभी अभिकरणों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया जा रहा है। इन उपायों के फलस्वरूप, सोने की तस्करी के कार्यों में काफी कमी आई है, जो जब्त किए गए सोने की मात्रा द्वारा प्रतिबिम्बित होती है।

भारतीय स्टेट बैंक में प्रबन्ध निदेशक

320. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक में प्रबन्ध निदेशकों की स्वीकृत संख्या क्या है;

(ख) इस बैंक में इस समय कितने प्रबन्ध निदेशक हैं;

(ग) इन पदों पर नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड हैं; और

(घ) इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कौन अधिकारी सक्षम है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में, भारतीय स्टेट बैंक में दो से अनधिक प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा ये नियुक्तियां, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से की जाती है। इस समय, भारतीय स्टेट बैंक में दोनों प्रबन्ध निदेशक कार्य कर रहे हैं। प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में तथा बैंकिंग के क्षेत्र में व्यावसायिक अनुभव, सक्षमता, विशेषज्ञता आदि के आधार पर की जाती है।

बन्दरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

321. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्दरों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर प्रतिबन्ध लगाने से पूर्व इससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती थी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बन्दरों के निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित है।

वर्ष	मूल्य (लाख रुपयों में)
1976-77	84.63
1977-78	80.96

"वन क्षतिपूर्ति हेतु वनरोपण कार्य पर निगरानी रखना"

322. श्री हरीश पाल :

श्री परसराम भारद्वाज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में वन क्षतिपूर्ति हेतु वनरोपण के क्रियान्वयन और राज्यों की योजनाओं की मंजूरी देते समय सरकार द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों पर निगरानी रखने हेतु कोई कम्प्यूटर व्यवस्था शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन राज्यों में अब तक वन क्षतिपूर्ति हेतु वनरोपण के प्रयोजनार्थ अपेक्षित कोष की स्थापना नहीं की है, उनके बारे में जानकारी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने वन क्षतिपूर्ति हेतु वनरोपण के लिए कोष की स्थापना करने की आवश्यकता पर राज्य सरकारों पर जोर देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की सहायता से पर्यावरण और वन मंत्रालय में दो कंप्यूटर टर्मिनल स्थापित किए गए हैं तथा साफ्टवेयर के विकास तथा आंकड़ों को एकत्र करने का काम चल रहा है।

(ग) अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर किसी भी राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश की सरकार ने क्षतिपूरक वनरोपण के लिए विशेष कोष की स्थापना नहीं की है।

(घ) क्षतिपूरक वनरोपण के लिए शीघ्र विशेष कोष स्थापित करने हेतु सभी राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है। सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के नाडल अधिकारियों की 12-12-1990 को इस मंत्रालय में हुई बैठक में पर्यावरण और वन राज्य मंत्री जी ने क्षतिपूरक वनरोपण के लिए शीघ्र ही विशेष कोष की स्थापना करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

आयकर आयुक्तों का सम्मेलन

323. श्री गंगाराम मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान आयकर आयुक्तों का कोई अखिलभारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर बातचीत हुई और क्या-क्या निर्णय किए गए ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। यह सम्मेलन जून, 1990 में हुआ।

(ख) जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ, उनके बारे में एक विवरण संलग्न है। यह सम्मेलन कोई निर्णय नहीं लेता है। यह केवल सिफारिशें करता है।

विवरण

इस सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया —

1. नई कर-निर्धारण कार्यविधि को कार्यान्वित करने के बारे में कठिनाइयां।
2. संवीक्षा के निमित्त मामलों का चयन करना तथा कर-निर्धारणों की गुणवत्ता में सुधार लाना।
3. तलाशियों के बारे में प्रशासनिक एवं कार्यचालनात्मक समस्याएं और तलाशी विषेयक कर-निर्धारणों का शीघ्र निपटान करना।
4. आयकर अधिनियम की धारा 133-क (1) तथा 133-ख के अन्तर्गत सर्वेक्षणों से संबंधित समस्याएं।
5. दिखावटी एवं वैभवशाली उपभोग को रोकने के उपाय।
6. प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत मुकदमेबाजी से संबंधित समस्याएं।
7. आयकर विभाग में संचार-व्यवस्था एवं नियन्त्रण।
8. अग्रिम-कर एवं स्रोत पर कर की कटौती विषयक वसूलियों तथा फार्म संख्या 16 में कर की कटौती विषयक प्रमाणपत्रों के बारे में निगरानी रखना।
9. सतर्कता के क्षेत्र में कार्य-निष्पादन में सुधार लाना।
10. सार्वजनिक शिकायतें, जनसम्पर्क, कर्मचारी-शिकायतें और कर्मचारी कल्याण।

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, स्वर्ण नियन्त्रण आदि योजनाओं का प्रचार

324. **श्री गंगाराम मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, स्वर्ण नियन्त्रण, स्वापक पदार्थों, नशीले पदार्थों की लत और पुरस्कार संबंधी योजनाओं का क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कितना प्रचार किया जा रहा है;

(ख) क्या, इस प्रकार के विज्ञापन केवल राष्ट्रीय समाचार पत्रों तक तथा प्रचार अभियान के माध्यम से बसों, बड़े-बड़े बोर्डों आदि तक और केवल शहरों तक ही सीमित रहते हैं न कि राज्यों में इस प्रकार का प्रचार किया जाता है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में किए गए इस प्रकार के प्रचार का ब्योरा क्या है और आगामी वर्ष में किस प्रकार का अभियान चलाया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) दूरदर्शन, राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय समाचार पत्रों, बसों की पट्टी, बड़े-बड़े बोर्डों और कियोस्कों

आदि द्वारा प्रचार किया जाता है। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली महानगरों के अतिरिक्त कुछ राज्यों में भी बसों की पट्टी और बड़े-बड़े बोर्ड आदि लगाए जाते हैं।

(ग) हाल ही में, भुवनेश्वर के अंग्रेजी दैनिक "सन टाइम्स" कटक के "प्रजातंत्र" और भुवनेश्वर के "प्रगतिवादी" जो कि उड़ीसा भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु "क्या आप विदेश यात्रा कर रहे हैं" शीर्षक के अन्तर्गत प्रचार विज्ञापन निकाला गया है।

गुजरात में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

325. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात मे अनिवासी भारतीयों के पूंजी निवेश की पुनरीक्षा करने के लिए गांधीनगर में एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों ने गुजरात में औद्योगिक परियोजनाओं में पूंजी निवेश करने के लिए अमरीका में कोई सहायता संघ गठित किया है;

(घ) अनिवासी भारतीय गुजरात राज्य में किन-किन परियोजनाओं में सहायता देने पर सहमत हुए हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात सरकार के द्वारा भेजे गए प्रस्तावों से सहमत है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सरकार को ऐसी किसी बैठक की जानकारी नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोवियत संघ के साथ संयुक्त उद्यम

326. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सोवियत संघ में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अनेक उपाय करने का था;

(ख) यदि हां, तो सोवियत संघ के साथ संयुक्त रूप से किन उपायों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या इस संबंध में किन्हीं ठोस प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) सरकार ने सोवियत संघ में संयुक्त उद्यमों सहित विदेशों में संयुक्त उद्यमों की इक्विटी मे भारतीय भागीदारी के अनुमोदन के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं। दोनों देशों में संयुक्त उद्यमों आदि के संवर्धन सहित आर्थिक

सहयोग के नए तरीके विकसित करने के लिए भारत और सोवियत संघ की सरकारों ने एक कार्य दल गठित किया है।

(ख) कार्य दल की पिछली बैठक के बाद दिनांक 16 अप्रैल, 1990 को नई दिल्ली में एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सोवियत संघ और भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के क्षेत्र में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई और आर्थिक सहयोग के नए तरीके विकसित करने में आने वाली समस्याओं/अवरोधों पर चर्चा की गई।

(ग) और (घ) सोवियत संघ में भारतीत संयुक्त उद्यम स्थापित करने के सत्ता इस प्रस्ताव अप्रैल, 1990 तक यू० एस० एस० आर० में पंजीकृत किए गए संयुक्त उद्यमों पर अन्त: मंत्रालयी समिति ने नवम्बर, 1990 तक चौदह विशिष्ट प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। इनसे से दो संयुक्त उद्यम कार्य कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अभ्रक की मांग और उत्पादन

327. श्री ए० के० राय : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा में कितने मूल्य के अभ्रक का उत्पादन हुआ, कितने अभ्रक की खपत अपने देश में हुई और कितने अभ्रक का निर्यात किया गया;

(ख) अभ्रक के स्क्रैप, परिष्कृत अभ्रक और इससे बनी वस्तुओं की देश में और निर्यात मंडियों में वस्तु-वार और वर्ष-वार मांग कितनी थी; और

(ग) नई प्रवृति की अभ्रक की मांग को पूरा करने के लिए अभ्रक उद्योग के पुनरूद्धार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहब वाडिल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अभ्रक के उत्पादन तथा देश में अभ्रक निर्यात के आंकड़े इस प्रकार हैं—

मात्रा —मी० टन

मूल्य —लाख रु०

वर्ष	कच्चे अभ्रक और स्क्रैप का उत्पादन (अनन्तिम) मात्रा	सोधित अभ्रक व अभ्रक उत्पाद का निर्यात (अनन्तिम) मात्रा	मूल्य
1987-88	10,331	40,884	4,608
1988-89	7,494	38,441	4,247
1989-90	7,307	34,186	4,374

अभ्रक प्रयोक्ता उद्योग लघु क्षेत्र में होने से, देश में अभ्रक खपत को पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, कैलेन्डर वर्ष 1985, 1986 तथा 1987 के दौरान संगठित उद्योग क्षेत्र की उपलब्ध सूचित खपत क्रमशः 3320, 3377 तथा 3634 टन है।

(ख) देश में अभ्रक की वर्तमान और भावी मांग के सर्वेक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित कार्य दल ने अभ्रक की घरेलू मांग का आकलन इस प्रकार किया है—

मात्रा मी० टन में

	वर्तमान 1988	भावी मांग 1994-95	घरेलू 2000 ई०
शीट अभ्रक व अभ्रक उत्पाद	1350	1,850	2,200
अभ्रक कतरन-चूरा	7500	11,000	16,000
जोड़	8,850	12,850	18,200

अभ्रक उद्योग के बारे में वर्तमान मूल्य स्तर पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्यात प्रायोजन इस प्रकार हैं—

लाख रु० में

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
शोधित अभ्रक	1900	1805	1714	1629	1550
अभ्रक कतरन	1010	1000	1050	1102	1558
अभ्रक उत्पाद	2000	2200	2420	2662	2928
जोड़	4910	5005	5184	5393	5636

(ग) औद्योगिकृत देशों में हुए प्रौद्योगिकी विकास के कारण, अनेक उपयोगों में शोधित अभ्रक अभ्रक शीटों का स्थान सस्ती अभ्रक कतरन व चूरे से निर्मित शीटें लेती जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ गति-क्रम बनाए रखने के लिए, भारत सरकार के उपक्रम अभ्रक व्यापार निगम (मिटको) ने मूल्य संवर्धित अभ्रक उत्पादों के निर्माण हेतु अनेक प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं। इस समय अभ्रक व्यापार निगम द्वारा अभ्रको कागज, रचतकृत अभ्रक, अभ्रक वाशिरों और सूक्ष्म अभ्रक चूर्ण का निर्माण किया जा रहा है। हीटर माइकानाइट और माइकाटेप के निर्माण का प्रोजेक्ट मार्च, 1991 तक पूरा होने की संभावना है। प्रायवेट उद्यमियों को भी अभ्रक उत्पादों के लिए निर्यात प्रोत्साहन देकर नवविकसित मूल्य संवर्धित अभ्रक उत्पादों के निर्माण की सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अभ्रक व्यापार निगम का कार्य-निष्पादन

328. श्री ए० के० राय : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अभ्रक व्यापार निगम की आर्थिक और उत्पादकता सम्बन्धी स्थिति क्या रही है और उसका यूनिट-वार और वर्ष-वार विवरण क्या है;

(ख) इस निगम का खनिज एवं धातु व्यापार निगम में विलय किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र में अभ्रक व्यापार की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि एवं न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) पिछले तीन पिछले वर्षों के लिए माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन (मिटको) के वित्तीय परिणाम तथा उत्पादकता निष्पादन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन (मिटको) का मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन (एम० एम० टी० सी०) में विलय करने का निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि एम० एम० टी० सी० से प्रबन्धकीय, विपणन तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके और अभ्रक व्यापार में कार्यचालन और प्रशासनिक कार्यकुशलता प्राप्त की जा सके। एम० एम० टी० सी० मूल्यवर्धित अभ्रक उत्पादों के निर्यात और अभ्रक के नए प्रयोग बढ़ाने तथा अभ्रक आधारित उत्पादों के विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए विपणन तथा वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

विवरण

वित्तीय परिणाम

लाख रु० में

	1987-88		1988-89	1989-90
बिक्री कारोबार	2360.50		2540.12	3228.49
सकल लाभ	194.96		171.49	301.80
कर-पूर्व लाभ (+)	146.96	(—)	174.49	11.17*
कर-पश्चात लाभ (—)	146.96	(—)	174.49	17.17*

*17.17 लाख रुपए का लाभ इस तथ्य को ध्यान में रखकर समझा जाए कि कम्पनी को एम० एम० टी० सी० से लिए गए विभिन्न ऋणों पर ब्याज से छूट मिलने की वजह से 351.88 लाख रु० का लाभ मिला है। 351.88 लाख रु० की राशि में से 165.16 लाख रु० की राशि लाभ एवं हानि खाते में और शेष आस्थगित राजस्व व्यय/कार्य-पूर्व व्यय में जमा की गई है।

मिटको का उत्पादकता-निष्पादन

वर्ष	प्रोसेसिंग क्षेत्र का उत्पादकता-निष्पादन			मिटको की परियोजनाओं का उत्पादकता-निष्पादन		
	इस क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की संख्या	क्षेत्र का कारोबार (लाख रु०)	प्रति कर्मचारी उत्पादकता अनुपात (लाख रु०)	नियोजित व्यक्तियों की संख्या* (अनन्तिम)	क्षेत्र का कारोबार (लाख रु०)	प्रति कर्मचारी उत्पादकता अनुपात (लाख रु०)
1987-88	1099	2253	2.05	278	107.50	0.39
1988-89	1129	2331	2.06	277	209.12	0.75
1989-90	1101	3005	2.73	277	223.49	0.81

* क्रियान्वयन के अधीन परियोजनाओं में नियोजित कार्मिकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है ।

"कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना"

329. श्री ए० विजयराघवन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह मंजूरी कब दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्री मेनका गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता (2400 मे० वा०) की एक व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

पूरे आंकड़े और कार्य योजनाएं प्राप्त होने के अधिकतम तीन माह के भीतर निर्णय लिया जाना जरूरी है।

विदेशी मुद्रा का भण्डार

330. **श्री शान्ताराम पोटदुखे :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी मुद्रा भण्डार के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुमानत: कितने मूल्य का सोना है;

(ख) क्या सरकार ने अपनी विदेशी मुद्रा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लिए अपने स्वर्ण भण्डार के मूल्यांकत संबंधी आकलन सिद्धान्त में परिवर्तन करने का निर्णय किया है; और

(ग) उक्त परिवर्तन भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार लाने में, कहां तक सहायक होगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) 17-10-90 के पूर्व देश में विदेशी मुद्रा भण्डार के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित सोने का मूल्य, शुद्ध सोने प्रति रुपया (10 ग्राम के लिए 84.396 रुपए) 0.118489 की दर से 280.67 करोड़ रुपए था। 15-10-90 को भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 2, 1934 की धारा 33(4) में संशोधन करते हुए स्वर्ण धारिताओं को ऐसी कीमत पर, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से अधिक न हो, पुनर्मूल्यांकित करने का अधिकार देता है। इस अध्यादेश के अनुसरण में स्वर्ण धारिताओं को लन्दन बाजार की पहली जुलाई से 30 सितम्बर, 1990 तक की तीन महीनों की औसत कीमतों को 10 प्रतिशत कम करके 17-10-90 को 6623.44 करोड़ रुपए पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है। समय-समय पर स्वर्ण धारिताओं का पुनर्मूल्यांकन अन्तर-देशीय तुलनाओं के उद्देश्य से हमारे विदेशी मुद्रा भण्डारों का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है परन्तु इससे भुगतान शेष की स्थिति सुगम नहीं होती है।

अनुभाग अधिकारियों और राजपत्रित आशुलिपिकों के वेतनमान

331. **श्री मदनलाल खुराना :** क्या वित्त मंत्री 24 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2764 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुभाग अधिकारियों और राजपत्रित आशुलिपिकों के वेतनमानों में संशोधन के मामले में अब कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो मामले को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) इस मामले पर विचार कर लिया गया है। चूंकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" आशुलिपिकों के वेतनमान विसंगति को दूर करने के लिए संशोधित किए गए थे और अनुभाग अधिकारियों और राजपत्रित आशुलिपिकों के वेतनमानों में ऐसी कोई विसंगति नहीं है, अतः उनके वेतनमानों को संशोधित करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

मन्त्रियों द्वारा विदेशी दौरे

332. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :**

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों द्वारा किए गए विदेशों दौरों के शिष्ट-मंडलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त दौरों पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) उनके द्वारा किए गए विदेशी दौरे किन कारणों से आवश्यक थे?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) ऐसी सूचना एक स्थान पर उपलब्ध नहीं है और इसे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित करना होगा। इस सूचना को एकत्रित करने में काफी समय और श्रम लगेगा तथा इससे प्राप्त होने वाला परिणाम इस सूचना को एकत्रित करने में लगने वाले समय और श्रम के अनुरूप नहीं होगा।

"पारादीप में जलजीवशाला का निर्माण"

333. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पारादीप में एक जलजीवशाला का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्माण कार्य के कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में सम्बलपुर में एच० आर० स्ट्रिप कारखाने की स्थापना

334. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्डस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड के सम्बलपुर उड़ीसा में एक एच० आर० स्ट्रिप कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बासवराज पाटिल) । (क) और (ख) सम्बलपुर जिले में 6 लाख मी० टन वार्षिक संयुक्त इस्पात संयंत्र की स्थापना से संबंधित इण्डस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (इपिकोल) के आवेदन पत्र को जुलाई 1988 में अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि उस समय की नीति के अनुसार ऐसे संयंत्रों की स्थापना स्वीकार्य नहीं थी ।

निर्यात और आयात

335. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

श्री जनकराज गुप्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में अब तक प्रतिमाह कुल कितने मूल्य का निर्यात और आयात हुआ है;

(ख) वर्ष 1990-91 की शेष अवधि में कुल कितने मूल्य का निर्यात तथा आयात होने की सम्भावना है; और

(ग) निर्यात से होने वाली आय बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) इस समय यह अनुमान लगाना कठिन है कि वर्ष 1990-91 की बाकी अवधि के दौरान कितना निर्यात और आयात होगा ।

(ग) निर्यात नीति के मुख्य तत्व विश्व कीमतों के आसपास कच्चे माल, संघटकों तथा पूंजीगत सामान की उपलब्धता, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को मजबूत बनाना, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार तथा कारगर मांग प्रबन्ध नीतियां हैं । साथ ही दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को निर्यात बढ़ाने और निर्यात लागत को करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

विवरण

(मूल्य करोड़ रुपये)

	1989-90 (अ)		1990-91 (अ)	
महीना	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
अप्रैल	1957.70	2278.23	2460.57	3225.11
मई	2065.60	2691.99	2620.39	2992.17
जून	1972.17	2644.99	2313.57	2925.76
जुलाई	2010.55	2382.71	2506.19	2977.62

1	2	3	4	5
अगस्त	1976.70	2471.11	4229.27	3203.11
सितम्बर	2211.41	2610.80	2567.30	3775.37
अक्तूबर	2203.56	2762.43	2620.69	3711.74
नवम्बर	2138.27	2815.15		
दिसम्बर	2332.74	3186.30		
जनवरी	2605.20	3192.78		
फरवरी	2402.67	3099.86		
मार्च	3173.17	3337.84		

अ : अनन्तिम

स्रोत : डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० कलकत्ता ।

फार्म उपज का निर्यात

336. श्री उत्तम राठोड़ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने मूल्य की फार्म उपज के निर्यात किए जाने की सम्भावना है;

(ख) निर्यात अधिकांशत: किन-किन फार्म उत्पादों का और किस-किस देश को किया जाता है; और

(ग) विशेषकर पूर्व यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को फार्म उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के लिए फार्म उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य लगभग 3300 करोड़ रुपए रखा गया है। इन निर्यातों के एक बड़े भाग के रूप में खली, चावल, काजू की गिरी, मछलियां, फल, संसाधित खाद्य मदें और तम्बाकू शामिल हैं। प्रमुख आयात देशों में सोवियत संघ, यू० के०, यू० ए० ई०, सऊदी अरब आदि शामिल हैं।

(ग) मुख्य प्रयासों में शामिल हैं क्वालिटी उन्नयन, पैकेजिंग में सुधार, बाजार विकास, व्यापार मेलों में भाग लेना और निर्यात प्रतिनिधिमंडल भेजना ।

भारत को विश्व बैंक से सहायता

337. श्री माधवराव सिंधिया :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री कल्पनाथ राय :

प्रो० मधुनाथ पांडेय :

श्री चित्त महाता :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री अमल दत्त :

श्री चित्त बसु :

डा० सुधीर राय :

श्री डी० एम० पुट्टे गोड़ा :

प्रो० रूपचन्द पाल

श्री अमर रायप्रधान :

श्री रामेश्वर प्रसाद :

श्री हर्ष वर्धन :

श्री बी० एस० बासवराज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष खाड़ी संकट से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए भारत के वित्तीय सहायता संबंधी अनुरोध से सहमत हो गये है;

(ख) यदि हां, तो भारत को कितनी सहायता-राशि मिलने की संभावना है, तथा यह किन शर्तों पर प्राप्त होगी; और

(ग) इस सहायता राशि का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) विश्व बैंक, एक अस्थायी उपाय के रूप में भारत में उनके द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के वित्त पोषण का हिस्सा बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है। अब तक वे 61 परियोजनाओं में बढ़ी हुई लागत अंश के लिए सहमत हुए है। विश्व बैंक की कुल परियोजनाओं की संख्या 95 है। यह छूट, विद्यमान शर्तों के अनुसार पहली सितम्बर, 1990 से 31 दिसम्बर, 1991 तक की अवधि के लिए वैध होगी। सदस्य देशों को उपलब्ध संसाधनों, विशेष रूप से कम्पेन्सेटरी एण्ड कन्टिनजेंसी फाइनेन्सिंग फेसिलिटी (सी० सी० एफ० एफ०) से, आहरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं।

(ग) इस सहायता का उपयोग, मध्य पूर्व में हाल की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विदेशी मुद्रा की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने हेतु भुगतान शेष की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना का कार्यान्वयन

338. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री राम नाईक :

प्रो० के० वी० थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों द्वारा कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऋण माफी योजना का कितना कार्यान्वयन किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना तैयार की है। राज्य सरकारों से सहकारी समितियों के लिए इसी तरह की योजनाएं तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया था। भारत सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा कृषि ऋण राहत योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी है। दिनांक 24-12-90 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत अब तक पता लगाये गये 272.82 लाख हिताधिकारियों में से 186.52 लाख हिताधिकारियों को विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा पहले ही राहत दी जा चुकी है जिसमें 4947.24 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त है।

रुपए का विनिमय मूल्य

[हिन्दी]

339. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत ग्यारह महीनों के दौरान विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपये के मूल्य में तेजी से गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो विश्व की विभिन्न बड़ी मुद्राओं की तुलना में रुपये के मूल्य में कितनी गिरावट आई है और दिसम्बर, 1989 और दिसम्बर, 1990 के दौरान रुपये का मूल्य उनकी तुलना में क्या-क्या था; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रुपए का विदेशी मूल्य निर्दिष्ट विनिमय दर के मासिक औसत के रूप में अमेरिकी डालर की तुलना में 6.1 प्रतिशत, पौंड-स्टर्लिंग की तुलना में 23.8 प्रतिशत, ड्यूश मार्क की तुलना में 19.9 प्रतिशत और येन की तुलना में 15.8 प्रतिशत गिर गया है।

(ख) रुपए का विदेशी मूल्य चार मुख्य करेंसियों के लिए विदेशी मुद्रा की प्रति यूनिट के अनुसार नीचे दर्शाया गया है :

	अमेरिकी डालर	पौंड स्टर्लिंग	ड्यूशमार्क	येन
दिसम्बर, 1989	16.96	27.05	9.75	0.1180
नवम्बर, 1990	18.07	35.51	12.18	0.1401
रुपए का मूल्य ह्रास	6.14	23.79	19.95	15.77

(ग) रुपए का विदेशी मूल्य मुद्राओं को डालरों, मुख्य रूप से उन देशों की जो भारत के मुख्य व्यापार भागीदार हैं, के मूल्य के अनुसार निश्चित किया है। घटती-बढ़ती विनिमय दर के युग में, रुपए के मूल्य की अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी गति, जो इन मुद्राओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है, एक सामान्य घटना है तथापि विनिमय दर में परिवर्तन सापेक्ष मुद्रा स्फीतिकारी प्रवृत्तियों और निर्यात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ अन्य कई कारकों को परिलक्षित करते हैं। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में इन कारकों का पता लगाना और उनका लगातार परिवीक्षण करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भुगतान सन्तुलन की स्थिति व्यवहार्य है।

विदेशी ऋण

[अनुवाद]

340. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री यशवन्तराव पाटिल :

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान भारत के विदेशी ऋण में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) मूलधन और उस पर ब्याज के अलग-अलग ब्योरे सहित विदेशी ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी ऋण का बोझ कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार भारत का बकाया विदेशी ऋण 79982 करोड़ रुपए था यह 31 मार्च, 1989 को 69361 करोड़ रुपए की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक था। डालरों में यह वृद्धि केवल छ: प्रतिशत है।

(ग) मार्च, 1990 के अन्त में बकाया विदेशी ऋण की राशि 79982 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है तथा वर्ष 1989-90 के दौरान बकाया ऋण पर दी गई ब्याज की राशि 3548 करोड़ रुपए निकलती है।

(घ) सरकार ने राजस्व प्राप्तियों में सुधार करने तथा गैर-जरूरी और न्यून प्राथमिकता वाले व्यय को कम करने, निर्यातों में तेजी लाने और अदृश्य आय को बढ़ाने, सक्षम आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने और व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार ली गई निधियों पर आश्रय को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

"गुजरात में भिलारी सिंचाई परियोजना"

[हिन्दी]

341. श्री सी०डी० गामित : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या गुजरात के सूरत जिले में झिलारी सिंचाई परियोजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा यह परियोजना स्वीकृति के लिए कब भेजी गई थी;

(ग) इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) इस परियोजना के लिए राज्य सरकार को कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) जी, नहीं। "झिलारी सिंचाई परियोजना" के नाम से कोई प्रस्ताव अभी गुजरात से विचारार्थ प्राप्त नहीं हुआ है।

खानों का आधुनिकीकरण

342. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खानों में काम आने वाले आधुनिक उपकरणों को आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जाएगी;

(ग) क्या खानों के आधुनिकीकरण की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) और (ख) खानों में काम आने वाले आधुनिक उपकरणों का विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा आयात किया जाता है। खान विभाग के अधीन छः सरकारी उपक्रमों में से, भारत गोल्ड माइन्स लि०, हिंदुस्तान कापर लि० तथा हिन्दुस्तान जिंक लि० का चालू वित्त वर्ष के दौरान क्रमशः 432.43 लाख रु०, 79.89 लाख रु० तथा 3436 लाख रु० के उपकरण आयात करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, भारत गोल्ड माइन्स लि० तथा हिन्दुस्तान जिंक लि० का क्रमशः 900 लाख रु० तथा 338 लाख रु० के उपकरण आयात करने की भावी योजनाएं हैं।

(ग) और (घ)। खानों के आधुनिकीकरण का उद्देश्य, पर्यावरण और परिवेश के संरक्षण के प्रति प्रति समुचित सावधानी के साथ, खनिज निक्षेपों का इष्टतम दोहन करना तथा उत्पादकता व सुरक्षा में सुधार लाना है। यह कम्प्यूटरीकृत खान आयोजन व डिजाइन, त्वरित खान निर्माण, उन्नत खनन विधियों व नूतन उपकरणों के उपयोग तथा योजनाओं के जरिये प्राप्त किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद एवं लंबित मामले

*343. **श्री हरिकेवल प्रसाद** :

श्री शंकरसिंह वघेला :

डा० ए० के० पटेल :

श्री मान्धाता सिंह :

श्री जनार्दन पुजारी :

प्रो० के० वी० थामस : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में 15 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार और न्यायालयवार कुल कितने मामले लंबित पड़े थे;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में 15 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार न्यायाधीशों के न्यायालयवार कितने पद रिक्त थे और ये पद किस तिथि से रिक्त हैं ;

(घ) न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार बढ़ते हुए मुकदमों की संख्या को देखते हुए उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाए जाने के अतिरिक्त, सरकार ने समय-समय पर अनेक अन्य उपाय भी किए हैं; जैसे, विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखना, विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन करना आदि। न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन करने और उस बाबत उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा गठित तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की समिति की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशें सभी संबंधित राज्य सरकारों, केन्द्रीय मन्त्रालयों और उच्च न्यायालयो को भेज दी गई हैं।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण 2 और विवरण 3 में दी गई है।

(घ) सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने के लिए संविधान के क्रमश: अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217(1) में परिकल्पित परामर्शी प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं।

(ङ) और (च) तारीख 9-5-1986 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित) प्राधिकृत पद संख्या 18 से बढ़ाकर 26 कर दी गई है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के 63 नए पद सृजित करने का विनिश्चय किया गया है। उच्च न्यायालयवार ब्योरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

विवरण-1

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामले
31-10-1990 को

न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या	
उच्चतम न्यायालय	44,500	(नियमित सुनवाई वाले मामले)
	1,45,150	(ग्रहण और प्रकीर्ण मामले जिसके अंतर्गत सिविल और दांडिक दोनों हैं)

	उच्च न्यायालय	सिविल	दांडिक
		(30-6-1990 को)	
1.	इलाहाबाद	405465	94283
2.	आन्ध्र प्रदेश	76387	1993
3.	मुम्बई	144284	12170*
4.	कलकत्ता	184431	16494*
5.	दिल्ली	104205	5290*
6.	गुवाहाटी	18084	3461
7.	गुजरात	68359	10279
8.	हिमाचल प्रदेश	11164	2412
9.	जम्मू-कश्मीर	38518	3581*
10.	कर्नाटक	85714	3605
11.	केरल	75343	3304
12.	मध्य प्रदेश	43515	21417
13.	मद्रास	198235	26182*
14.	उड़ीसा	27112	4366
15.	पटना	49456	17401*
16.	पंजाब और हरियाणा	82195	11730
17.	राजस्थान	78927**	
18.	सिक्किम	56	शून्य

*31-12-1989 को लंबित मामले।

**प्रवर्गवार ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण-2

क्र० सं० उच्च न्यायालय	स्वीकृत पदों की संख्या स्था० न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग	वास्तविक संख्या स्था० न्या०	अपर न्या०	योग	रिक्त पद स्था० न्या०	अपर न्या०	योग	सहमत नए पद स्था० न्या०	अपर न्या०	योग
1. इलाहाबाद	55	5	60	54	—	54	1	5	6	15	6	17
2. आंध्र प्रदेश	24	2	26	21	—	21	3	2	5	—	—	—
3. मुम्बई	42	12	54	40	9	49	2	3	5	—	6	6
4. कलकत्ता	45	1	46	43	1	44	2	—	2	—	4	4
5. दिल्ली	25	2	27	25	—	25	—	2	2	—	6	6
6. गुवाहाटी	13	—	13	12	—	12	1	—	1	4	2	6
7. गुजरात	23	7	30	23	7	30	—	—	—	—	—	—
8. हिमाचल प्रदेश	5	2	7	5	2	7	—	—	—	—	1	1
9. जम्मू कश्मीर	7	—	7	7	—	7	—	—	—	1	3	4
10. कर्नाटक	28	2	30	27	2	29	1	—	1	—	—	—
11. केरल	21	3	24	21	2	23	—	1	1	—	—	—
12. मध्य प्रदेश	23	7	30	20	4	24	3	3	6	—	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13. मद्रास		26	—	26	26	—	26	—	—	—	6	—	.
14. उड़ीसा		12	2	14	11	1	12	1	1	2	—	—	—
15. पटना		35	—	35	33	—	33	2	—	2	4	—	4
16. पंजाब और हरियाणा		23	—	23	21	—	21	2	—	2	—	5	5
17. राजस्थान		22	3	25	19	3	22	3	—	3	—	3	3
18. सिक्किम		3	—	3	2	—	2	1	—	1	—	—	—
	योग	432	48	480	410	31	441	22	17	39	30	33	63

उच्चतम न्यायालय स्वीकृत पद-26 वास्तविक पद 24 रिक्त पद 2

विवरण 3

15-12-1990 को स्थिति

क्र० सं० उच्च न्यायालय	रिक्त पद		तारीख जब से ये पद रिक्त हैं
	स्थाई	अपर	
1. इलाहाबाद	1	5	15-10-84 (अ)
			15-10-84 (अ)
			15-10-84 (अ)
			15-10-84 (अ)
			07-02-85 (स्था)
			15-12-80 (स्था)
2. आंध्र प्रदेश	3	2	26-11-82 (अ)
			29-11-82 (अ)
			20-03-90 (स्था)
			16-04-90 (स्था)
			10-07-90 (स्था)
3. मुंबई	2	3	28-9-90 (अ)
			29-10-90 (अ)
			29-12-90 (अ)
			22-10-90 (स्था)
			28-10-90 (स्था)
4. कलकत्ता	2	—	11-11-90 (स्था)
			02-12-90 (स्था)
5. दिल्ली	—	2	02-11-90 (अ)
			07-11-90 (अ)
6. गुवाहाटी	—	—	22-02-90 (स्था)
7. गुजरात	—	—	
8. हिमाचल प्रदेश	—	—	
9. जम्मू-कश्मीर	—	—	
10. कर्नाटक	1	—	29-11-90 (स्था)
11. केरल	—	1	13-08-90 (अ)

1 2	3	4	5
12. मध्य प्रदेश	3	3	20-11-89 (अ) 27-07-90 (अ) 27-07-90 (अ) 12-08-90 (स्था) 7-09-90 (स्था) 10-12-90(स्था)
13. मद्रास	—	—	
14. उड़ीसा	1	1	21-09-90 (अ) 28-10-90 (स्था)
15. पटना	2	—	05-09-90 (स्था) 15-11-90 (स्था)
16. पंजाब और हरियाणा	2	—	31-12-89 (स्था) 27-08-90 (स्था)
17. राजस्थान	3	—	30-06-90 (स्था) 08-10-90 (स्था) 28-11-90 (स्था)
18. सिक्किम	1	—	05-01-90 (स्था)
योग	22	17	
उच्चतम न्यायालय	2	—	18-12-89 25-9-90

(अ)=अपर पद

(स्था)=स्थायी पद

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण में सुधार

[अनुवाद]

344. **श्री मदन लाल खुराना :**

श्री शांताराम पोटदुखे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक ग्राहक-सेवा प्रदान करने, जमाराशि में वृद्धि करने और लाभप्रदता के मामले में बेहतर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक ने केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने को कहा है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) किसी उद्योग की तरह, अलग-अलग बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता, ग्राहक सेवा की स्थिति, जमा-राशियों में वृद्धि, लाभप्रदता का स्तर आदि अलग-अलग होता है । गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने छोटे आकार, क्षेत्रीय स्वरूप एवं कम कारोबार के कारण देश की बैंकिंग प्रणाली के अभिन्न अंग हैं । गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक नियंत्रण के अधीन हैं, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू है ।

(ग) और (घ) विश्व बैंक ने भारत के वित्तीय क्षेत्र पर 26 जून, 1990 की अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, मानव संसाधन प्रबन्ध को सुधारने और देश में वाणिज्यिक बैंकों को अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर टिप्पणी की है ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति एवं कार्य-निष्पादन की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरन्तर आधार पर समीक्षा की जाती है । सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन एवं लाभप्रदता में सुधार लाने के वास्ते कई उपाय किए हैं । इनमें ये शामिल हैं उनकी पूंजी में वृद्धि करना, सेवा प्रभारों और ब्याज दर ढांचे को युक्तिसंगत बनाना और कार्यशील सीमाओं के अनुप्रयुक्त हिस्से पर प्रतिबद्धता प्रभार वसूल करना । बैंकों से अपनी ग्राहक सेवा में सुधार लाने, अपने परिचालनों को आधुनिक बनाने और कारगर कारोबार आयोजना तथा विकास के माध्यम से अपनी अर्थक्षमता और लाभप्रदता में वृद्धि करने के वास्ते अन्य उपाय करने के लिए भी कहा गया है ।

बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियन्त्रण

345. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के कार्यकरण को प्रभावी रूप से नियमित करने के लिए और अधिक स्वायत्तता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में यदि कोई निर्णय लिया गया है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की 1989-90 की वार्षिक रिपोर्ट में केन्द्रीय बैंकों और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का हवाला दिया गया है। अलबत्ता सरकार को, इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

गैर-सरकारी बैंकों को सरकारी धन का लेन-देन करने की अनुमति

346. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों को भी सरकारी धन का लेन-देन करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकारी कारोबार में प्राप्तियों और भुगतानों का भारी लेन-देन अन्तर्ग्रस्त होता है जिसमें सही ढंग से हिसाब-किताब रखने तथा आंकड़ों को मिलाने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर यह काम उस बैंक को सौंपा जाता है जिसके पास पर्याप्त अनुभव, कई शाखाएं हों और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास करेंसी चेस्ट हों। गैर सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंक, क्षेत्रीय स्वरूप हैं और उनके पास सरकारी काम को देखने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं होती है।

निर्यात के लिए नकद मुआवजा सहायता

347. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कतिपय वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए अतिरिक्त नकद मुआवजा सहायता राशि (सी० सी० एस०) प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और निर्यातकों को इन वस्तुओं के लिए पहले कितनी नकद मुआवजा सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है; और

(ग) क्या वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य को प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) और (ख) सरकार किसी वस्तु विशेष के सम्बन्ध में केवल एक बार दी जाने वाली अतिरिक्त नकद सहायता पर विचार करेगी, जहां काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जन की संभावना है। कुछ प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) इसे पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

348. **श्री शंकर सिंह वघेला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी तेल क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे बढ़ते हुए विदेशी मुद्रा संकट को दूर करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने संबंधी भारतीय प्रयासों को आघात पहुंच सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) खाड़ी क्षेत्र में हुई घटनाओं के कारण तेल की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि ने हमारी भुगतान-सन्तुलन की स्थिति पर पहले से ही बढ़े हुए दबाव को और भी जटिल बना दिया है निर्यातों को बढ़ावा देने, आयातों को नियन्त्रित करने तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों द्वारा वचनबद्ध सहायता के संवितरण में सुधार करने के जरिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास किये गये हैं। इस

सन्दर्भ में, सदस्य देशों के लिए उपलब्ध स्रोतों, विशेष रूप से, आकस्मिक और प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा से आहरण की सम्भावना का पता लगाने के लिए आई० एम० एफ० के साथ चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं।

कर सम्बन्धी छापे

349. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री तेज नारायण सिंह :
प्रो० यदुनाथ पांडे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में वर्ष 1989 और 1990 के दौरान केन्द्रीय गुप्तचर विभाग, आय कर विभाग और राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों, संगठनों और सरकारी अधिकारियों सहित महत्वपूर्ण व्यक्तियों, जिन्होंने आयकर, उत्पाद शुल्क और अन्य करों की कथित रूप से चोरी की थी, के घरों पर छापे मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो अब तक जिन गरों आदि पर छापे मारे गये उनका राज्यवार, और महावार ब्योरा क्या है;

(ग) जब्त अघोषित परिसम्पत्तियों और दोषसिद्ध करने वाले दस्तावेजों आदि का ब्योरा क्या है;

(घ) कितने मामलों में संगत कानूनों के अन्तर्गत संबंधित पक्षों/व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है;

(ङ) क्या किसी पक्ष/व्यक्ति को आय कर विभाग द्वारा आगे कार्यवाही न किये जाने के कारण छोड़ दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य निष्पादन

350. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण का यह मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किया है कि राष्ट्रीय विकास में उनकी क्या भूमिका रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) बैंकों के कार्यकरण में ऐसे सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है जिससे वे अपना उद्देश्य पूरा कर सकें और कार्य ठीक से कर सकें; और

(घ) क्या बैंकों का प्रबंध करने के लिए एक भारतीय बैंकिंग प्राधिकरण और बैंकों के लेखों की नियमित रूप से जांच करने के लिए एक वृहद लेखा परीक्षा संगठन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के कार्यनिष्पादन की निरन्तर आधार पर समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कारगर ढंग से कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद, बैंकिंग उद्योग को, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयोजन से व्यापक सामाजिक भूमिका प्रदा करने के लिए प्रेरित किया गया है। वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विस्तार होने के कारण उद्योग का ढांचा बदल गया है। जमा राशियों के माध्यम से और अब तक समाज के उपेक्षित क्षेत्रों तथा वर्गों के लिए ऋण के प्रवाह में तेजी लाकर पर्याप्त मात्रा में बचतें जुटाई गई हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक/सरकारी सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं अन्य बैंकों का भी नियमित आवधिक निरीक्षण करती है जिसमें निरन्तर आधार पर कार्य निष्पादन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जाती है। बैंकिंग उद्योग को मजबूत बनाने के प्रयोजन से बैंकों द्वारा स्वयं वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं ताकि उनकी परिचालनात्मक दक्षता मे सुधार लाया जा सके। बैंकों से लाभप्रदता में सुधार लाने और बेहतर निधि प्रबंधन तथा बैंकों की देयराशियों की कारगर ढंग से शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए अपनी आय और व्यय की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। बैंकिंग उद्योग ने आधुनिकीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया के सहत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बैंक पट्टे, मर्चेन्ट बैंकिंग, आवास और म्यूचुअल फण्ड जैसे सम्बन्धित क्षेत्रों में अपने परिचालनों में भी विविधता ला रहे हैं।

(घ) सरकारी वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रबन्धन, लेखा परीक्षा और निरीक्षण तथा सतर्कता तन्त्र की भी विद्यमान प्रणाली सुचारु रूप से कार्य कर रही है। इन तथ्यों तथा इन बैंकों के वाणिज्यिक परिचालनों के स्वरूप तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्व के समुचित सम्मिश्रण को ध्यान में रखते हुए इन संस्थाओं के प्रबन्धन एवं लेखा परीक्षा को किसी अलग भारतीय बैंकिंग प्राधिकरण को सौंपना आवश्यक नहीं समझा जाता।

हिमाचल प्रदेश में ऋण राशि का दुरुपयोग

351. श्री के० डी० सुल्तानपुरी क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में चालू वित्त वर्ष के दौरान विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न सरकारी व अन्य संस्थाओं को लिए ऋणों का ब्यौरा क्या है,

(ख) इन ऋणों सम्बन्धी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इन ऋणों के दुरुपयोग की कोई जानकारी मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) मार्च, 1990 मे, हिमालय प्रदेश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल बैंक ऋण 462.01 करोड़ रुपए था। जून, 1990 (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) में यह रकम 473.64 करोड़ रुपए थी। यह हिमाचल प्रदेश के लिए 38.8 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात दर्शाता है।

व्यक्तियों या निगमित संस्थाओं या सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं से प्राप्त ऋण प्रस्तावों की

प्रत्येक बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, उनके गुण-दोषों के आधार पर जांच की जाती है, यह सुनिश्चित करना होता है कि ऋण तथा अग्रिम निम्नलिखित मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं :

(i) इस आधार पर अग्रिम मंजूर करना कि वे ठोस एवं वसूली योग्य हों।

(ii) उन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को उधार देने के मामले में, जिनमें लाभप्रदता के पहलू को व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ मिलाना होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों एवं परामर्श को ध्यान में रखते हुए बैंक की निधियों का लाभप्रद तरीके से निवेश करना।

(iii) उत्पादक तथा अन्य वांछित प्रयोजनों के लिए अपने परिचालन क्षेत्रों में लोगों की वैधानिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना।

बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि आन्तरिक सूचना प्रणाली, निरीक्षण तथा समीक्षा के माध्यम से एक सक्षम निगरानी प्रणाली अपनाएं।

आंकड़ा सूचना प्रणाली से कृषि क्षेत्र के लिए बैंक ऋणों की अतिदेय राशियों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। हिमाचल प्रदेश में कृषि के लिए दिए गए बैंक ऋणों के सम्बन्ध में मांग की तुलना में अतिदेय राशियों का प्रतिशत 29.2 था। बैंक का प्रबन्धन खातों की स्थिति की आवधिक आधार पर समीक्षा करता है और खातों का समुचित संचालन एवं उपलब्ध कराए गए कानूनी ढांचे के अन्दर अतिदेय रकमों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करता है।

उद्योगों की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ऋण

[हिन्दी]

352. **श्री राम लाल राही** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कम ब्याज दरों पर ऋण देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा राज्यवार उन उद्योगों के नामों का ब्योरा क्या है जिनके लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को और अधिक ऋण देने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) वाणिज्यिक बैंक उन ब्याज दरों पर हिताधिकारियों को ऋण प्रदान करते हैं जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ऐसी दरें सभी हिताधिकारियों के लिए समान हैं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों जैसे ऋणकर्ताओं की किसी श्रेणी के लिए अलग से ब्याज दरें निर्धारित नहीं की गई हैं। ऋण नीति का उद्देश्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और विशेष रूप से समाज के

कमजोर वर्गों के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि करना है। उस नीति के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्य कमजोर वर्गों के भाग होते हैं। बैंकों से कहा गया है कि वे कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले अपने कुल ऋण के 10 प्रतिशत के अनुपात को प्राप्त करें ताकि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें।

जून, 1990 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 92.6 लाख ऋणकर्ताओं को वित्तीय सहायता दी थी उनके कुल बकाया अग्रिम 3201 करोड़ रुपये के थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋणकर्ताओं को अर्थक्षम परियोजनाओं को, जिनमें लघु और कुटीर उद्योग भी शामिल हैं, शुरू करने के लिए, जिससे ऋणकर्ताओं की संख्या की न्यूनतम प्रतिशतता लाभान्वित हो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को बैंकों से राशि का प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में आरक्षण किया गया है।

अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को ऋण के प्रवाह में प्रवाह में वृद्धिकरने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को जारी मार्गनिर्देशों को सुनिश्चित करने के वास्ते उनके द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं :

(i) बैंकों की वार्षिक रिपोर्टें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए उनके ऋणों की प्रगति बताती हैं। इसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों के साथ-साथ प्रगति भी शामिल होती है।

(ii) बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों के वरिष्ठ कार्यपालकों को शाखाओं के अपने दौरों के दौरान कमजोर वर्गों के अग्रिमों की प्रतिशतता की जांच करनी होती है और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि शाखा अधिकारी मार्गनिर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं।

(iii) क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है, बैंकों के कार्यपालक सुनियोजित दौरे तैयार करते हैं। बैंक ऋण पर निगरानी रखते समय सभी सम्बन्धितों से यह आशा की जाती है कि वे विभेदी ब्याज दर योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत या प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों, सामान्य रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह की समीक्षा करें।

उड़ीसा में इस्पात/स्पंज आयरन संयंत्रों की स्थापना

[अनुवाद]

353. **श्री भजमन बेहेरा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशेष रूप से उड़ीसा में इस्पात संयंत्र और स्पंज आयरन फैक्टरियां स्थापित करने और लौह अयस्क खानों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है यदि इसके लिये कोई समय निर्धारित किया गया है तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) और (ख) सरकार

द्वारा इस्पात संयंत्रों तथा स्पंज लोहा संयंत्रों की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों को 8वीं योजना के परिव्यय के बारे में जानकारी मिलने के पश्चात् ही अन्तिम रूप दिया जा सकेगा। देश में लोह अयस्क खानों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति

354 श्री भजमन बेहेरा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का गठन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में पिछले दो वर्षों के दौरान गठित/पुनर्गठित की गई ऐसी समिति तथा उसके कार्यकाल, सदस्यों और उसकी गतिविधियों के कार्यक्षेत्र का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सामान्य कार्यकाल दो वर्ष का है। पिछली बार उड़ीसा में भुवनेश्वर में क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों सहित दिनांक 31-3-1989 को किया गया था :

1. मुख्य आयकर आयुक्त, पटना	अध्यक्ष
2. आयकर आयुक्त, भुवनेश्वर	संयोजक
3. श्री जी० सी० मुंडा, संसद सदस्य (लोक सभा) जिन्हें श्री एस० के० साहू, संसद सदस्य (राज्य सभा) के स्थान पर दिनांक 3-9-1990 को नामांकित किया गया था ।	
4. वित्त सचिव, उड़ीसा सरकार।	
5. श्री बी० एन० महापात्र	वकील
6. श्री के० डी० लाथ	चार्टर्ड एकाउन्टेंट
7. श्री शरत कुमार साहू	व्यापार, वाणिज्य तथा
8. श्री के० आनन्दराव कुमांदन	उद्योग के सामान्य प्रतिनिधि

यह समिति करदाताओं और आयकर विभाग के बीच परस्पर समझ-बूझ और सहयोग के विकास और प्रोत्साहन के उपायों तथा सामान्य किस्म के प्रशासनिक एवं कार्यविधिक कठिनाइयों को दूर करने के उपायों के बारे में सरकार को परामर्श देती है।

प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाली धनराशि में कमी आना

[हिन्दी]

355. डा० चिन्ता मोहन :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री कमल नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अक्तूबर, 1990 को इंडियन एक्सप्रेस में "रुपीज 400 करोड़ फाल इन कनेक्शन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष करों के जरिए कुछ और धनराशि वसूल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने वसूली राशि में वृद्धि करने के लिए कोई नए कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) (क) जी, हां। चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान निगम कर और आयकर की वसूली की मात्रा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान वसूली की मात्रा की तुलना में 413 करोड़ रु० कम है।

(ख) और (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष करों के बजट प्राक्कलन और 1989-90 के दौरान उनकी वसूली की मात्रा निम्नानुसार है।

	बजट प्राक्कलन (1990-91)	वर्ष 1989-90 के दौरान वसूली
	(करोड़ रुपयों में)	
निगम कर	6089	4714
आयकर	5426	5008
धनकर	175	179
व्यय कर	72	72
दानकर	9	8

(घ) दिनांक 15 अक्तूबर, 1990 को जारी किए गए एक अध्यादेश के तहत स्वदेशी कंपनियों के द्वारा संदेय आयकर पर अधिभार को 9% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। मुख्य आयकर आयुक्तों तथा आयकर आयुक्तों से कहा गया है कि वे राजस्व वसूलियों को अधिकतम बढ़ाने के लिए तथा बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों में दुगुनी वृद्धि करें। बकाया करों की वसूली करने के लिए भी उन पर दबाव डाला गया है।

भुगतान संतुलन की स्थिति

356. डा० चिन्ता मोहन :

श्री फूल चन्द वर्मा :

प्रो० पी० जी० कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 नवम्बर, 1990 को फाइनेन्शियल एक्सप्रेस में 22.4 परसेंट ग्रोथ रेट इन एक्सपोर्ट शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या निर्यात में वृद्धि के बावजूद नवम्बर, 1990 के अन्त में भुगतान संतुलन की स्थिति खराब रही थी;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयातों में असाधारण वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इन महीनों के दौरान आयातों में कितनी वृद्धि हुई; और

(ङ) इस सम्बन्ध में किन-किन मुख्य मदों का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) नवम्बर, 1990 के अन्त में सोना, एस० डी० आर० और विदेशी मुद्राओं सहित कुल विदेशी मुद्रा निधि 10342.39 करोड़ रुपये थी।

(ग) और (घ) अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-अक्तूबर, 1989-90 के दौरान 18430 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वित्त वर्ष (अर्थात् अप्रैल-अक्तूबर) 1990-91 के पहले सात महीनों के दौरान भारत का आयात 23060 करोड़ रुपये था। इस प्रकार इसमें 25.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ङ) आयात की मुख्य मदें हैं-पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लोहा और इस्पात, अलोह धातुएं, मेटली फेरस अयस्क और धातु की कतरन मोती, मूल्यवान और अर्द्ध मूल्यवान पत्थर, मशीनरी, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक का सामान आदि।

पीयरलेस जनरल फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी का राष्ट्रीयकरण

357. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संस्थानों तथा प्रतिनिधियों ने हाल ही में सरकार से पीयरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) पीयरलेस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 1987 में अवशिष्ट गैर बैंककारी कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1987 जारी किये हैं जो पीयरलेस जैसी कम्पनियां पर लागू है। इन निर्देशों में जमाकर्ताओं को निवेश पर समुचित प्रतिलाभ और सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीयरलेस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड का निरीक्षण किया था जिससे पता चला कि यह कम्पनी सामान्यतया इन निर्देशों का पालन कर रही है।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए सरकार कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करना अथवा इसका किसी दूसरी संस्था में विलय करना आवश्यक नहीं समझती है।

शहरों का दर्जा बढ़ाना

358. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रयोजनार्थ पर्यटक आकर्षण के केन्द्र त्रिवेन्द्रम, नैनीताल,

शिमला, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़ और देहरादून शहरों का दर्जा बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इन शहरों में आवश्यक वस्तुओं का और मकानों का किराया बहुत अधिक होने के बारे पता है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए शहरों एवं नगरों का दर्जा न बढ़ाने के क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) वर्तमान मानदण्ड के अनुसार मकान किराया भत्ता/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता मन्जूर किए जाने के प्रयोजन के लिए शहरों/कस्बों का वर्गीकरण किया जाना/उनका दर्जा बढ़ाया जाना दस वर्षीय जनगणना में दी गई उनकी जनसंख्या पर आधारित होता है। चौथा केन्द्रीय वेतन आयोग, जिसने नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रयोजन के लिए शहरों के वर्गीकरण के मुद्दे पर विशिष्ट तौर पर विचार किया था, शहरों के महंगा के मानदण्ड के आधार पर वर्गीकरण करने के हक में नहीं था। इस तरह, जनसंख्या के अलावा अन्य आधारों पर शहरों का दर्जा बढ़ाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मछुआरों के लिए सामूहिक बीमा योजना

359. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का विचार मछुआरों के लिए कोई सामूहिक बीमा योजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह योजना कब तक आरम्भ की जाएगी और इस योजना से लगभग कितने मछुआरे लाभान्वित होंगे?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रारम्भ में केरल राज्य में मछुआरों के लिए एक समूह बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। स्कीम में 30/- रुपए के वार्षिक प्रीमियम के प्रति दुहरे दुर्घटना लाभ के साथ 3,000/- रुपए के बीमा कवच की परिकल्पना की गई है। प्रीमियम का 50% केरल की राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जो एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी और शेष 50% का भुगतान सामाजिक सुरक्षा निधि से आर्थिक सहायता के रूप में किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित मछुआरों की संभावित संख्या 2 लाख के रेंज में है। यह योजना सामान्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद चालू हो जाएगी।

रबड़ उत्पादकों द्वारा सत्याग्रह

[अनुवाद]

360. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 सितम्बर, 1990 से शुरू किये गये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह के समर्थन में हाल ही में सैंकड़ों रबड़ उत्पादकों ने रबड़ बोर्ड के नियन्त्रण कार्यालय पर दिन भर धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो रबड़ उत्पादकों की मांगें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) जी हां। रबड़ उपजकर्ताओं की मुख्य मांगें ये हैं :

(I) रबड़ के उचित मूल्य तथा समर्थन मूल्य में वृद्धि;

(II) प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क 25% जो इस इस समय लिया जाता है, से बढ़ाकर 65% करना;

(III) स्टाफ मानदण्ड ये तीन महीने के उपभोग के वर्तमान स्तर से एक महीने के उपभोग के स्तर तक के बराबर कमी करना;

(IV) उपकर की अधिकतम सीमा वर्तमान 0.50 रुपये प्रति किग्रा० की दर से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति किग्रा० करने के प्रस्ताव को वापस लेना।

उपर्युक्त मांगों के सम्बन्ध में स्थिति क्रमानुसार नीचे दी गई है :

(I) वित्त मन्त्रालय की लागत लेखा शाखा जो प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में विभिन्न अन्तनिविष्टियों की लागत में समय-समय पर वृद्धि करने पर विचार करती है, की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और संशोधित बेंच मार्क कीमत की घोषणा करने से पहले उस पर सभी सम्बन्धितों के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है।

(III) प्राकृतिक रबड़ पर सीमा शुल्क सामान्यतया 65% है। किन्तु, किसी विशेष समूचे वित्त वर्ष के दौरान रबड़ का उपयोग करने वाले उद्योगों को एक समान दर पर आयातित रबड़ उपलब्ध कराने की दृष्टि से कम स्तर पर सीमा शुल्क निश्चित कराने के प्रयास किए जा रहे थे/हैं।

(III) इस समय, 3 महीने के स्टाक मानदंड को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

(IV) बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन कम से कम करने तथा विनिर्माता उद्योग की निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रबड़ बोर्ड ने देश में विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन और उत्पादकता अनेक योजनाएं लागू की हैं। रबड़ में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए रबड़ बागान उद्योग के लिए विकास योजनाएं लागू करने हेतु पर्याप्त निधियां सृजित करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया गया है कि उपकर की अधिकतम दर 0.50 रुपये प्रति कि०ग्रा० को वर्तमान दर से बढ़ा कर 2 रुपये प्रति कि०ग्रा० की जाए।

बिहार की विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं

[हिन्दी]

361. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित की जा रही परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) बिहार में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त जारी परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

विवरण

बिहार में विश्व बैंक की सहायता से जारी परियोजनाओं के विवरण

परियोजना का नाम	करार की तारीख	परियोजना लागत (करोड़ रुपयों में)	बिहार घटक की अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	विश्व बैंक समूह सहायता (मिलियन डालर)	नवम्बर, 1990 तक संवयी (मिलिन डालर)	टिप्पणी
1. बिहार सरकारी ट्यूब वेल	31-1-87	129.70	129.70	68.00	8.53	
बहुराज्यीय परियोजनाएं :						
2. राष्ट्रीय कृषि विस्तार-III	26-6-87	182.30	16.14	93.50	23.70	विश्व बैंक के सहायता तथा संवितरण के आंकड़ों में सभी भागीदारी वाले राज्य शामिल हैं।
3. तृतीय राष्ट्रीय बीज	22-12-88	239.60	उ० न०*	150.00	45.60	
4. राज्य सड़कें	17-11-88	654.20	143.85	250.00	18.30	
5. व्यावसायिक प्रशिक्षण	16-6-1989	687.80	20.40	280.00	26.70	
6. तकनीशियन शिक्षा	13-8-90	832.70	87.11	260.00	11.00	
7. सातवीं जनसंख्या	23-10-1990	320.60	74.22	106.70	अभी प्रभावी नहीं	

उ० न० = उपलब्ध नहीं।

* बिहार घटक की लागत उपलब्ध नहीं।

बिहार के भोजपुर जिले में लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना

362. श्री तेज नारायण सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के भोजपुर जिले में एक लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) सरकार को बिहार के भोजपुर में लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

"शीघ्र उगने वाले वृक्षों का रोपण"

363. श्री तेज नारायण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में शीघ्र उगने वाले वृक्षों को रोपने की वर्तमान नीति के फलस्वरूप वनों में परम्परागत वृक्षों की किस्मों के समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो पहले विद्यमान परिस्थिति की संतुलन को बनाये रखने के लिए वृक्ष रहित वनों में वृक्षों की परम्परागत किस्मों का रोपण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) देश में तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों की पौध रोपण करने की सरकार की कोई नीति नहीं है । 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि वनरोपण कार्यक्रमों के तहत तब तक कोई विदेशी प्रजाति न लगाई जाए जब तक पारिस्थितिकी, वानिकी और कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा शुरू की गई दीर्घ कालिक वैज्ञानिक जांच से यह सिद्ध न हो जाए कि स्थानीय वनस्पति और पर्यावरण पर उनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ।

कृषि ऋणों को माफ करना

[अनुवाद]

364. श्री ए० विजयराघवन :

श्री शिकिहो सेमा :

श्री वामनराव महाडीक :

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :

श्री गुलाब चन्द कटारिया :

श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

प्रो० के० वी० थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की 10,000 रुपए तक की राशि के कृषि ऋण माफ करने की नीति के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों ने कुल कितनी-कितनी राशि के कृषि ऋण माफ किये हैं तथा इससे कितने किसानों को लाभ पहुंचा है;

(ख) तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को राज्यवार, कुल कितनी राशि की सहायता दी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अब तक इस योजना के तहत पता लगाये गये 272.28 लाख लाभार्थियों में से 179.47 लाख लाभार्थियों को 4739.70 करोड़ रुपए की राशि की राहत पहले ही दी जा चुकी है।

दिनांक 17-12-90 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में ऋण राहत योजना की राज्य-वार प्रगति का ब्योरा क्रमश: संलग्न विवरण-1 और 2 में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अब तक भारत सरकार के हिस्से में से राज्य सहकारी बैंकों को 599.83 करोड़ रुपये, राज्य भूमि विकास बैंकों को 161.09 करोड़ रुपये और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 178.98 करोड़ रुपये के अग्रिम मन्जूर किये हैं। सरकार के हिस्से की अनुदानों का राज्यवार ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण-1

दिनांक 17 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार ऋण राहत योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र बैंकों की राज्य-वार प्रगति

लाख रुपए

क्र० सं०	राज्य संघ/राज्य क्षेत्र	जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सं०	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	688909	24946
2.	अरुणाचल प्रदेश	621	12
3.	असम	53494	2023
4.	बिहार	198783	5555
5.	गोआ	8629	237
6.	गुजरात	387805	11622
7.	हरियाणा	126630	4266
8.	हिमाचल प्रदेश	49204	1103

1	2	3	4
9.	जम्मू व कश्मीर	1212	40
10.	कर्नाटक	497857	15299
11.	केरल	12397	254
12.	मध्य प्रदेश	321143	10782
13.	महाराष्ट्र	489715	18676
14.	मणिपुर	5013	252
15.	मेघालय	3515	140
16.	मिजोरम	59	6
17.	उड़ीसा	334756	8037
18.	नागालैंड	8500	443
19.	पंजाब	152202	5468
20.	राजस्थान	391067	12589
21.	सिक्किम	466	11
22.	तमिलनाडु	691232	18985
23.	त्रिपुरा	16338	263
24.	उत्तर प्रदेश	701714	20739
25.	पश्चिम बंगाल	518744	9364
26.	चण्डीगढ़	854	23
27.	दादरा और नगर हवेली	1211	14
28.	दमन और द्वीप	200	5
29.	दिल्ली	13299	479
30.	लक्षद्वीप	—	—
31.	पाण्डिचेरी	10751	311
32.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—
	कुल	5685320	181344

विवरण-2

दिनांक 17 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में ऋण राहत योजना की राज्य-वार प्रगति

(करोड़ रुपए)

क्र०सं०	राज्य का नाम	राज्य सहकारी बैंक		राज्य भूमि विकास बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
		जारी किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि	जारी किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि	जारी किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
1.	असम	—	—	—	—	81,168	16.68
2.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	8,89,583	107.68
3.	गुजरात	7,09,634	299.55	1,10,511	49.50	46,135	8.53
4.	कर्नाटक	3,59,653	92.96	—	—	2,44,631	79.13
5.	महाराष्ट्र	16,06,715	316.60	2,64,356	110.86	21,294	10.32
6.	मणिपुर	—	—	—	—	5,027	0.65
7.	मध्य प्रदेश	3,57,778	176.19	82,535	20.52	1,05,252	23.95
8.	उड़ीसा	10,59,095	146.64	1,48,688	34.60	1,73,933	31.23
9.	पंजाब	2,28,973	106.68	—	—	4,004	1.89

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	राजस्थान	8,03,019	191.80	10,861	4.15	2,77,427	79.27
11.	तमिलनाडु	8,55,504	205.75	1,60,477	72.89	60,727	12.28
12.	उत्तर प्रदेश	27,23,327	446.80	2,21,869	74.47	3,42,555	71.36
13.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	2,08,232	28.84
14.	बिहार	—	—	—	—	2,30,575	44.38
15.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	669	0.04
16.	हरियाणा	33,972	13.63	40,135	18.35	53,869	16.64
17.	त्रिपुरा	—	—	—	—	51,452	7.92
18.	मेघालय	—	—	—	—	965	0.24
	कुल	67,37,670	1993.60	10,39,430	385.34	21,58,448	509.70

"पूयम कुट्टी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी"

365. श्री ए० विजयराघवन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में "पूयम कुट्टी" जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

इस परियोजना को निर्धारित सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करने की शर्त पर जून, 1985 में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी इस प्रस्ताव में 3001.8 हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाना अपेक्षित था, किन्तु आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत न किए जाने के कारण इसको 1988 में नामंजूर किया गया। हाल ही में प्रस्तुत किया गया संशोधित प्रस्ताव भी स्वीकार्य नहीं पाया गया।

मतदाता सूचियों में संशोधन के लिए नए मार्गनिर्देश

366. श्री कुसुम कृष्णमूर्ति : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदाता सूचियों में संक्षिप्त संशोधन के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने विशेष रूप से कुछ समस्याग्रस्त राज्यों में मतदाता सूचियों में संशोधन करने और चुनावों के दौरान तैनात किए जाने वाले अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कोई नए मार्गनिर्देश भी तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) निर्वाचन आयोग की परिपाटी यही रही है कि वह 1 जनवरी को अर्हक तारीख मानते हुए प्रत्येक वर्ष निर्वाचक नामावलियों का उद्देश्य से पुनरीक्षण करता है कि नामावलियां अद्यतन बनी रहें। निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी को अर्हक तारीख मानते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (असम को छोड़कर) के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के आदेश दिए हैं और आशा है कि अन्तिम नामावलियां 7 फरवरी, 1991 तक प्रकाशित कर दी जाएंगी।

(ख) पुनरीक्षण के कार्यक्रम के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रारूप निर्वाचक नामावलियां तारीख 17-12-1990 को प्रकाशित होनी थीं। यद्यपि यह माना जाता है कि सभी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया है, तथापि यह कहा जाता है कि निर्वाचन आयोग को, मुख्य निर्वाचन आफिसर आंध्र प्रदेश और जिला निर्वाचन आफीसर, अलीगढ़ ने यह सूचित किया है कि कुछ भागों/क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिए जाने के कारण वे कार्यक्रम के अनुसार, प्रारूप नामावलियां प्रकाशित नहीं कर सके हैं।

(ग) और (घ) निर्वाचन आयोग के अनुसार उसने किसी भी राज्य में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए कोई मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार नहीं किए हैं। जहां तक निर्वाचनों के संचालन के

लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रश्न है, ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था साधारणतया निर्वाचनों की घोषणा के पश्चात की जाती है।

विदेशी सहायता का उपयोग

367. श्री कुसुम कृष्णमूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अनुमानतः कितनी विदेशी सहायता अप्रयुक्त है और इसका उपयोग कब से नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने निर्धारित समय में अप्रयुक्त विदेशी सहायता का पूरी तरह उपयोग करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार सरकारी खाते में अप्रयुक्त विदेशी सहायता का अनुमान 45669 करोड़ रुपए बैठता है। अधिकांश विदेशी सहायता विशिष्ट परियोजनाओं से आबद्ध होती है और इसलिए संवितरण परियोजना कार्यान्वियन अनुसूची से संबद्ध होते हैं। वास्तविक कार्यान्वियम की गति प्रत्येक परियोजना में भिन्न होती है। तथापि, विदेश वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रयुक्त ऋण की राशि सामान्यतया व्ययगत नहीं होती और इस राशि को बाद के वर्षों में उपयोग के लिए आगे ले जाया जाता है। सरकार ने विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वियन और विदेशी सहायता के उपयोग में तेजी लाने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। इन उपायों में विदेशी मुद्रा जारी करने और टेंडर मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के परिवीक्षण को भी गहन बनाया गया है।

मेघालय में इस्पात-ग्रेड चूना पत्थर का खनन

368. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में इस्पात-ग्रेड चूना पत्थर, एक कच्चा माल, के भारी भण्डार हैं, जिसका इस समय इस्पात संयंत्रों के लिए आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मेघालय में चूना पत्थर के भंडारों के खनन के बारे में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या बंगलादेश से इस बारे में कोई समझौता हुआ है, जिसके अन्तर्गत बंगलादेश अपने सीमेंट के कारखाने के लिए चूना पत्थर का निश्चित मात्रा में आयात कर सके और भारत के इस्पात संयंत्रों के लिए कलकत्ता से जल मार्ग परिवहन द्वारा इस्पात ग्रेड किस्म का चूना पत्थर भेज सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पात संयंत्रों के लिए इस समय मेघालय के चूना-पत्थर का खनन कार्य सम्भारिकी दृष्टि से सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

चावल, गेहू, चीनी का निर्यात

369. श्री कुसुम कृष्णमूर्ति :

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए चावल, गेहूं, चीनी और अन्य कृषि वस्तुओं का भारी मात्रा में निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन वस्तुओं के निर्यात की कार्य विधि तैयार कर ली है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इन वस्तुओं के निर्यात के परिणामस्वरूप देश के उपभोक्ताओं पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव का भी अध्ययन किया है; यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) देश की जटिल भुगतान संतुलन स्थिति को देखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि बासमती इतर चावल गेहूं तथा चीनी और अन्य कृषि मदों का निर्यात उपलब्ध देशी माल के आधार पर किया जाएगा। उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए इन निर्यातों की उच्चतम सीमा का निर्धारण किया गया है ताकि घरेलू बाजार में इन वस्तुओं की कीमतों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। ये निर्यात विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किए जाएंगे।

आर्थिक नीति

370. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने सरकार से एक व्यापक दीर्घावधिक आर्थिक नीति तैयार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कोई स्थायी आर्थिक नीति तैयार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक दीर्घावधिक आर्थिक नीति तैयार करने का कार्य भारत सरकार के विचाराधीन है।

इन्जीनियरी सामान निर्यात संवर्धन परिषद पर खाड़ी संकट का प्रभाव

371. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरी सामान निर्यात संवर्धन परिषद से देश के इंजीनियरी-सामान

निर्यात पर वर्तमान खाड़ी संकट के प्रभाव का अध्ययन करने और निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक उपाय अपनाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इंजीनियरी-सामान निर्यात संवर्धन परिषद कब तक अध्ययन करेगी; और

(ग) सरकार द्वारा इंजीनियरी-सामान निर्यात संवर्धन परिषद को इसके निर्यात में वृद्धि करने हेतु प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) ई० ई० पी० सी० अगस्त, 1990 में भारत से खाड़ी क्षेत्र में इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात पर वर्तमान खाड़ी संकट के प्रभाव के बारे में एक अध्ययन करने के लिए कहा गया था। ई० ई० पी० सी० ने इसका अध्ययन किया और यह रिपोर्ट दी कि युद्ध के भय के कारण भारी मात्रा में निधियों के हस्तांतरण की वजह से स्थानीय व्यापारियों में धन के नकदीकरण का अभाव है। बैंकों के वित्त में भी कमी आई है और युद्ध के खतरे के कारण ऊंचे प्रीमियम से लदान लागतों में वृद्धि हुई है। निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित उपायों में ईरान, मिस्र, ओमान, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाजारों में संगठित संवर्धनात्मक प्रयास, क्रेता-विक्रेता बैठक, इन देशों में सम्पर्क बढ़ाना और प्रदर्शनियां लगाना तथा इस क्षेत्र में सरकार की भावी परियोजनाओं की ओर अधिक ध्यान शामिल है।

(ग) निर्यातकों की कठिनाइयों की ओर ध्यान देने तथा उनके बारे में निर्णय लेने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है ताकि भारत से होने वाले निर्यात प्रभावित न हों। निर्यातकों की सहायता करने के लिए इस समिति ने कुछ विशेष कार्रवाई की है जिसमें ये उपाय शामिल हैं : निर्यातकों की लदान सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने के लिए बम्बई पत्तन न्यास के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ट्रंम्प समिति को सक्रिय बनाना, खाड़ी देशों को होने वाले निर्यात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9.5% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर पैकिंग ऋण को 180 दिन से बढ़ाकर 270 दिन करने के सभी मामलों पर विचार करना, अधिकतम उचित बैंक वित्त निश्चित करने हेतु निर्धारित न्यूनतम निवल कार्यशील पूंजी का हिसाब लगाने के लिए इराक और कुवैत से प्राप्त निर्यात धनराशि को कुल चालू परिसम्पत्तियों से प्राप्त निर्यात मात्रा को अलग करने की अनुमति देने का निर्णय लेना। निर्यातकों को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर अपने उस माल को 10% तक की छूट पर अन्य खरीददारों को बेचने की अनुमति दी गई है जिसका इराक और कुवैत के लिए लदान किया जाता है लेकिन अन्य पत्तनों पर उतारा जाता है।

आयात और निर्यात नीति की समीक्षा

372. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री अमल दत्त :
डा० सुधीर राय :
श्री वामनराव महाडीक :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री बसवंतराव पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई आयात-निर्यात नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो आयात-निर्यात नीति में सामाजिक संशोधन का ब्योरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित संशोधन से कितना निर्यात बढ़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कान्तिलाल पुरुषोत्तम, भाई पटेल) : (क) से (ग) आयात तथा निर्यात की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात सहायता और अनावश्यक आयात को प्रतिबन्धित करने के प्रयोजन से समय-समय पर आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। नीति की समीक्षा करते समय निर्यात की निरन्तर और तेजी से वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में बैंक शाखाएं खोलना

[हिन्दी]

373. **श्री राजवीर सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गईं; और

(ख) वर्ष 1991 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी बैंक शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है और वे शाखाएं किन-किन जिलों में खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) दिसम्बर, 1989 को समाप्त पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 3461 शाखायें खोली गई।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सितम्बर, 1990 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को उनकी भावी शाखा विस्तार योजना के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश जारी किए हैं। उन्हें ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित नीति के अन्तर्गत शाखायें खोलने के वास्ते बैंकों से अभी तक समेकित अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं। जहां तक शहरी और महानगरीय केन्द्रों का सम्बन्ध है, बैंक रहित/कम बैंक सुविधा प्राप्त स्थानों का पता लगाने के लिए गठित कार्यकारी दल की सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं। अतः वर्ष 1991 के दौरान उत्तर प्रदेश में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या बताना सम्भव नहीं होगा।

अभ्रक व्यापार निगम में श्रमिक

[अनुवाद]

374. **श्री ए० के० राय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक व्यापार निगम में श्रेणीवार कुल कितने श्रमिक हैं;

(ख) इसमें प्रत्येक वर्ग के श्रमिकों की प्रतिमाह औसतन कितनी मजदूरी है;

(ग) क्या तकनीकी कार्यों में लगे सीधे उत्पादन से जुड़े श्रमिकों को, अन्य श्रमिकों को दिये जाने वाले धातु और खनिज व्यापार निगम के वेतनमान से वंचित रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम में श्रमिकों की कुल संख्या श्रेणीवार निम्न प्रकार है :

अधिकारी	134
कर्मचारी	341
कामगार	916
	1391

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक नीचे निम्नानुसार है :

श्रेणी	प्रतिमाह पारिश्रमिक की सीमा	
अधिकारी	2647/- से रुपए	6767/- तक रुपए
कर्मचारी	1605/- से रुपए	3105/- तक रुपए
कामगार	1148/- से रुपए	1388/ तक रुपए

(ग) से (ङ) मिटको के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान इसकी धारक कम्पनी, यानि एम० एम० टी० सी० के अधिकारियों और कर्मचारियों के बराबर हैं। मिटको के कामगारों के वेतनमान श्रम समझौतों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं क्योंकि एम० एम० टी० सी० में कामगारों के समान ग्रेड नहीं हैं।

अभ्रक के निर्यात के लिए पथ निर्देश नीति

375. **श्री ए० के० राय :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक के निर्यात के लिए हाल में कोई पथ निर्देश नीति लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह अभ्रक व्यापार निगम तथा राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के लिए किस सीमा तक लाभकारी सिद्ध होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) दिनांक 22 अक्तूबर, 1990 से अभ्रक वेस्ट/फैक्टरी कटिंग्स और अभ्रक स्क्रेप का मिटको/एम० एम० टी० सी० के जरिए पूरी तरह सरणीकरण कर दिया गया है। संसाधित अभ्रक की अन्य सभी मदों को गैर सरणीकृत किया गया है। निर्यात नीति में ये परिवर्तन अभ्रक व्यापार, और खरीददारों को प्रोत्साहन देने के लिए किये गये हैं जो मिटको और प्राइवेट व्यापारियों के बीच 50 : 50 के आधार पर सरणीकृत मदों को बांटने की व्यवस्था के आलोचक थे।

(ग) निर्यात नीति में ऊपर उल्लिखित परिवर्तनों के साथ मिटको के पूर्व-गोदाम निर्यात पर खास प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। परिवर्तित नीति के अन्तर्गत भी मिटको/एम० एम० टी०

सी० गैर सरणीकृत मदों का निर्यात कर सकते हैं। संसाधित अभ्रक और अभ्रक उत्पादों को कुल व्यापार के भी बढ़ने की आशा है।

सहायकों और आशुलिपिकों के संशोधित वेतनमान का लागू करना

376. **श्री सिरिकिहो सेमा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सहायकों और आशुलिपिकों के लिए 1640-2900 रुपए के संशोधित वेतनमान को मंजूरी के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आदेशों को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार के उन स्वायत्त निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों को कोई अनुदेश जारी किए गए हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार के नियम लागू होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों ने इन आदेशों को अभी तक लागू नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रतिलिपि

संख्या-2/1/90-के०सं०-IV

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 90

कार्यालय ज्ञापन

विषय—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" आशुलिपिकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली के ओ० ए० संख्या 1538/87 में दिनांक 23 मई, 1989 को दिए गए अधिनिर्णय की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय आदि में सहायकों के पद के लिए वेतनमान के पुनरीक्षण से संबंधित प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। राष्ट्रपति ने अब 1-1.1986 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों के ग्रेड में शामिल ड्यूटी पदों के लिए 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान के स्थान पर 1640-60-2600-द० रो०-75-2900 रुपए का वेतनमान निर्धारित किया

है। यह पुनरीक्षित वेतनमान विदेश मंत्रालय जैसे अन्य उन संगठनों के सहायकों और आशुलिपिकों पर भी लागू होगा जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित नहीं हैं लेकिन जहां पर वैसे ही वर्गीकरण और वेतनमान वाले तुल्य ग्रेडों के पद हैं और नियुक्ति का तरीका भी वैसी ही खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से है।

2. 1-1-1986 की स्थिति के अनुसार कार्यरत सहायकों और ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों का वेतन केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमावली, 1986 की शर्तों के अनुसार नियत किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के दिनांक 22-12-1986 तथा 27-5-1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-7(52)-संस्था-III-86 के साथ उसी नियम की दूसरी अनुसूची के परिशिष्ट के रूप में पठित उसी नियमावली के नियम 5 की शर्तों के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को यह छूट होगी कि वे पुनरीक्षित वेतनमान में अपना वेतन 1-1-1986 से अथवा किसी अनुवर्ती तारीख से ले सकते हैं। यह विकल्प इस का० ज्ञा० के जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जाएगा।

3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमावली, 1986 में औपचारिक संशोधन बाद में जारी किए जाएंगे।

4. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 30-7-1990 के अनौ० टि० संख्या 7 (43) आई० सी०/89 के तहत उनकी सहमति से जारी किया गया है।

ह०/-
(गुरनिहाल सिंह पीरजादा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग इत्यादि।

2. प्रति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (कार्यान्वयन एकक)

श्री बी० आर० सुन्दरम, डेस्क अधिकारी (आई० सी०), कमरा नं० 76-क, नार्थ ब्लाक को उनके दिनांक 30-7-90 के यू० ओ०

नोट संख्या 7(43)/आई० सी०/89 के संदर्भ में 200 प्रतियों सहित।

ह०/-
(गुरनिहाल सिंह पीरजादा)
अवर सचिव, भारत सरकार

फिल्मी सितारों पर बकाया आयकर

[हिन्दी]

377. प्रो० रघुनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक फिल्मी सितारों पर आयकर की भारी धनराशि बकाया है और यदि हां, तो उन फिल्मी सितारों का ब्यौरा क्या है, जिन पर 30 नवम्बर, 1990 को आयकर की 50,000/-रुपये से भी अधिक धनराशि बकाया थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन फिल्मी सितारों द्वारा अदा किए गए आयकर का वर्षवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) दिनांक 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार जिन फिल्मी-सितारों की तरफ अलग-अलग रूप में एक लाख रुपये से अधिक की आयकर की राशि बकाया थी, वह समग्र बकाया राशि 10.63 करोड़ रुपये है। यही नवीनतम उपलब्ध आंकड़े हैं। एक विवरण, जिसमें इन फिल्मी सितारों के नाम दिए गए हैं, संलग्न है। जिन फिल्मी-सितारों की तरफ एक लाख रुपये से कम की आयकर की मांग बकाया है, उनके बारे में सूचना मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ख) आयकर की वसूलियों के संबंध में आंकड़े व्यापार-वार अथवा व्यवसाय-वार नहीं रखे जाते हैं। इसलिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान फिल्मी-सितारों द्वारा भुगतान किए गए आयकर की राशि के बारे में आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, यदि माननीय सदस्य किसी मामले-विशेष के बारे में सूचना चाहते हों तो वह सूचना एकत्र करके प्रस्तुत की जा सकती है।

(ग) अनेक मामलों में, मांगें अपीलों में विवादग्रस्त हैं तथा अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे इन अपीलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करें। अनुकूल मामलों में किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दी गयी है। कुछेक मामलों में, बैंक खाते/किराए/चलचित्र-अधिकार, आदि की कुर्की की गयी है अथवा वसूली-कार्य के बारे में कर-वसूली-अधिकारियों के साथ पत्राचार किया गया है, जिन्हें चूककर्त्ताओं की परिसम्पत्तियों को कुर्क करने और उन्हें बेचने की शक्ति प्राप्त है एवं यहां तक कि जिन्हें अनुकूल मामलों में चूककर्त्ताओं को गिरफ्तार करने/नजरबन्द करने की शक्ति भी प्राप्त है।

विवरण

क्रम सं०	नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कु०)
1.	जी० माधव
2.	एन०टी० रामाराव
3.	अमजद खान
4.	राजेश खन्ना
5.	किशोर कुमार गांगुली (स्वर्गीय)
6.	रेखा गणेशन
7.	शत्रुघ्न सिन्हा
8.	नासिर खान सरवरखान (स्वर्गीय)
9.	रति अग्निहोत्री
10.	राज बब्बर

1	2
11.	आशीष सेन गुप्ता
12.	दिलीप कुमार
13.	दीप्ति नवल
14.	मौसमी चैटर्जी
15.	प्रवीण बाबी
16.	पद्मिनी कोल्हापुरे
17.	राजेन्द्र कुमार तुली
18.	शबाना आजमी
19.	सत्येन्द्र कुमार शर्मा
20.	श्रीराम लागू
21.	सारिका ठाकुर
22.	विक्रम उर्फ एम० एम० मकानदार
23.	विद्या सिन्हा
24.	संजय उर्फ अब्बास खान
25.	अमिताभ बच्चन
26.	शशि राजकपूर
27	डी० वेंकटश
28.	ई० वी सरोजा
29.	जी० विजया निर्मला
30.	जे० जमुना
31.	एम० आर० आर० वासु (स्वर्गीय)
32.	एम० आर० राधिका
33.	एस० एन० राजेन्द्र
34.	श्री विद्या जार्ज
35.	आर० जयाप्रदा
36.	एस० कमल हासन
37.	आर० रजनीकान्त
38.	ए० श्रीदेवी
39.	सी० सुहासिनी
40.	के० भाग्यराज
41.	विश्वजीत चटर्जी

बिहार में खानों का आधुनिकीकरण

378. प्रो॰ यदुनाथ पाण्डेय : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अभ्रक और लोह अयस्क की अनेक खानों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान खानों के आधुनिकीकरण के लिए और उनमें दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन वर्षों के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"कर्नाटक में सफाई योग्य नदियों का पता लगाना"

[अनुवाद]

379. श्री जनार्दन पुजारी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में किन-किन नदियों की सफाई के उद्देश्य से पहचान की गयी है; और

(ख) इस संबंध में कार्य कब तक आरंभ होगा ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) देश की प्रमुख नदियों की सफाई करने के लिए एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना आठवीं योजना के दौरान, सरकार के विचाराधीन है । जब भी यह कार्य योजना स्वीकृत हो जाएगी तो कर्नाटक से होकर बहने वाली कृष्णा और कावेरी नदियों को इस कार्य योजना में शामिल कर लिया जाएगा ।

तकनीकी उद्यमियों को ऋण

[हिन्दी]

380. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं द्वारा तकनीकी उद्यमियों को ऋण मंजूर करते समय उनसे यह हलफनामा लिया जाता है कि वे कोई राजनीतिक साहित्य प्रकाशित नहीं करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऋण करारों में इस प्रकार की धाराएं समाविष्ट न किए जाने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि वह ऋण मंजूर करते समय तकनीकी उद्यमियों से इस आशय का हलफनामा प्राप्त करने की प्रथा का पालन नहीं करता कि वे किसी प्रकार का राजनीतिक साहित्य प्रकाशित नहीं करेंगे । बताया गया है कि ऋण करार में ऐसे खण्ड को शामिल करने के बारे में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास कोई मांग नहीं भेजी गई है ।

मोटर बीमा दावे

[अनुवाद]

381. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 12 महीनों के दौरान इससे पूर्व तीन वर्षों की तुलना में मोटर बीमा दावों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जांच के बाद कितने दावे फर्जी पाए गए ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य कारण सड़कों पर बढ़ती हुई मोटर वाहनों की संख्या और उसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या है ।

(ग) जो दावे जांच करने पर वास्तविक नहीं पाए जाते उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता । ऐसे मामलों के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते ।

जनरल अग्रीमेंट आन टैरिफ एण्ड ट्रेड (गेट) की उरुग्वे दौर की बातचीत में भारत का रुख

382. श्री शांताराम पोटदुखे :
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ए० के० ए० अब्दुल समद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या उन्होंने ब्रसेल्स में हाल ही में हुई जनरल अग्रीमेंट आन टैरिफ एण्ड ट्रेड (गेट) की उरुग्वे दौर की बातचीत में एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था;

(ख) यदि हां, तो भारत ने वस्त्र, सेवाओं और पेटेंट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति क्या रुख अपनाया;

(ग) इस संबंध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय और अमरीका सरकार के प्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रिया थी; और

(घ) इस बातचीत के क्या परिणाम निकले और तत्संबंधी विश्व व्यापार प्रणाली में क्या-क्या सुधार करने के सुझाव दिए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (घ) इस विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) अभी हाल ही में ब्रसेल्स में हुई गाट वार्ताओं के उरुग्वे दौर में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री ने किया था ।

(ख) टेक्सटाइल्स, सेवाओं और एकस्वों के ज्वलंत मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण निम्नानुसार रहा—

(1) टेक्सटाइल्स—टेक्सटाइल्स में विश्व व्यापार से संबंधित बहुरेशा करार (एम एफ ए) में दिए गए विभेदकारी और प्रतिबंधित क्षेत्र को चरणबद्ध किया जाना चाहिए।

(2) सेवाएं—करार में औद्योगिक देशों में श्रम के अस्थायी पुनर्स्थापन की सुविधा का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।

(3) एकस्व मानदंडों में विकास स्तर प्रतिबिम्बित होना चाहिए और प्रतिबन्धों का एक या स्तर सभी देशों में लागू नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) इन मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों की स्थिति निम्नलिखित है—

(1) टेक्सटाइल्स—यू० एस० ए० और ई० ई० सी० बहुरेशा करार को चरणबद्ध करने के इच्छुक हैं। चरणबद्ध करने की रूपात्मकताओं और समय सारणी के बारे में वार्ताएं अब भी चल रही हैं।

(2) सेवाएं—अब तक, यू० एस० और ई० ई० सी० केवल व्यावसायिक और प्रबंधकीय कार्मिकों को ही अस्थायी प्रवेश की अनुमति देने पर सहमत हैं। वे केवल सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक संचलन की स्थिति में कार्मिकों के संचलन की संभावना को भी प्रतिबंधित करना चाहते हैं।

(3) एकस्व—यू० एस० और ई० ई० सी० एकस्वों के बारे में समान मानदंडों के प्रमुख मांगकर्ता हैं।

(घ) वार्ताओं का उरुग्वे दौर, कृषि व्यापार के विषय में गतिरोध के कारण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है।

व्यापार घाटा

383. श्री शान्ताराम पोटदुखे :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री हरि शंकर महाले :

श्री मान्धाता सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1990 माह में प्रत्येक माह से अधिक व्यापार घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक और 1990-91 से अब तक हुए व्यापार घाटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) तेजी से बढ़ते जा रहे इस व्यापारिक घाटे की स्थिति को रोकने के लिए चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान वित्तीय तथा अन्य क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) सितम्बर, 1990 के दौरान रिकार्ड किया गया 1208 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान रिकार्ड किए गए किसी भी महीने के व्यापार घाटे से सर्वाधिक है।

(ख) उक्त व्यापार घाटे का प्रमुख कारण पी ओ एल उत्पादों का आयात था जो सितम्बर, 1990 के महीने में 1353 करोड़ रुपए का हुआ जबकि सितम्बर, 1989 के दौरान यह 413 करोड़ का हुआ था।

(ग) वर्ष 1987-88 से 1990-91 (आज की तारीख तक) के व्यापार घाटे का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	(करोड़ रुपए)
वर्ष	व्यापार घाटा
1987-88	6570
1988-89	8004
1989-90 (अ)	7730
1990-91 (अ) (अप्रैल-अक्तूबर)	5334

(अ-अनन्तिम)

स्रोत—डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता

(घ) सरकार ने व्यापार घाटे को रोकने के उद्देश्य से निर्यात संवर्धन और प्रभावकारी आयात प्रतिस्थापन के लिए कई उपाय किए हैं। निर्यात मोर्चे पर सरकार ने विश्व कीमतों के आस-पास कच्चे माल, संघटक तथा पूंजीगत सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को मजबूत बनाने, अवस्थापना संबंधी सुविधाओं तथा प्रभावकारी मांग प्रबन्ध नीतियों में सुधार के लिए उपाय किए हैं। आयात को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं—पूंजीगत सामान, कच्चे माल, संघटक तथा उपभोज्य माल की कुछ मदों को ओ जी एल से हटाकर लाइसेंस की श्रेणी में रखना आदि। साथ ही, सरकार ने बल्क आयात के संबंध में प्रभावकारी आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय

384. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन ने चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान निर्यात-क्षेत्र में अतिरिक्त अवसर जुटाने के लिए कोई विशेष नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (फिओ) ने यह पता लगाने का प्रयास किया था कि व्यापार घरानों और सुविधा

निर्यात घरानों की निर्यात में वृद्धि के लिए सरकार से किस तरह की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।

(ख) उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ जो मदद चाहिए उसका ब्योरा इस प्रकार है—अतिरिक्त सी० सी० एस०, शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति लाइसेंसिंग योजना को पुन: आरम्भ करना, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं के वित्त-पोषण में एस० डी० एफ० सी० मानदंडों का अनुपालन किया जाए, परियोजना निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देना, आदि।

सरकार ने उपयुक्त कार्रवाई के लिए इन सुझावों को नोट कर लिया है।

उत्तर प्रदेश में किसानों को ऋण

[हिन्दी]

385. श्री हरीश पाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किसानों को किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत ऋण दिए जा रहे हैं;

(ख) क्या तत्संबंधी प्रक्रिया और नीति को सरल और उदार बनाने की कोई गुंजाइश है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश में छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण देने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में किसानों को कृषि और इससे सम्बन्धित सभी कार्यों के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा ऐसे कार्यों को वित्त प्रदान करना निरन्तर आधार पर उनके द्वारा सामान्य ऋण देने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण प्रक्रिया को सरल और उदार बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में ये बातें हैं :

1. फसल ऋणों के लिए वित्त के मानदण्डों का निर्धारण जैसा कि वे विभिन्न फसलों के लिए जिलों में गठित तकनीकी समितियों द्वारा तैयार किए गए हैं और बैंकों द्वारा उन्हें समान रूप से अपनाया जाना।

2. 25,000/- रुपए तक के ऋण आवेदनों का 15 दिन के भीतर तथा 25,000/- रुपए से अधिक तक के आवेदनों का 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटान।

3. ग्रामीण शाखा के प्रबन्धकों को ऋण मंजूरी के लिए उचित अधिकार देना ताकि अधिकांश ऋण आवेदन शाखा स्तर पर ही स्वीकृत हो जाएं।

4. 10,0080/- रुपए तक के फसल ऋणों और 10,000/- रुपए तक के सावधि ऋण, जहां पर परिसम्पत्तियां सृजत की जाती है, के मामले में बंधक/भूमि-प्रभार या तीसरी पार्टी की गारंटी के रूप में कोई संपार्श्विक प्रतिभूत नहीं ली जानी चाहिए।

5. अल्पावधि, मध्यावधि/दीर्घावधि ऋणों के लिए 10,000/-रुपए तक के कृषि ऋण के लिए किसी मार्जिन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऋणों पर रियायती ब्याज दरें ली जाती हैं।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में मामलों की पैरवी करने वाले अधिकारियों को मानदेय

386. **श्री हरीश पाल :** क्या विधि और न्याय मन्त्री केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में मामलों की पैरवी करने वाले अधिकारियों को मानदेय देने के बारे में 7 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5056 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी मंगा ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह जानकारी कब तक प्राप्त हो जाएगी।

वाणिज्य मंत्री विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ग) सरकार ने न्यायालयों या अधिकरणों में मामलों में प्रतिरक्षा करने के लिए वकील नियुक्त न करने के बारे में कोई विनिश्चय नहीं किया है। चूंकि सरकारी मामलों की प्रतिरक्षा सरकारी काउन्सेल करते हैं अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि अधिकारी मामलों में प्रतिरक्षा करे या इस सम्बन्ध में उन्हें कोई मानदेय दिया जाए।

वियतनाम के साथ व्यापार समझौता

387. **श्री हरीश पाल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर में तत्कालीन वाणिज्य मंत्री की वियतनाम यात्रा के दौरान किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते में कौन-कौन-सी मदों को शामिल किया गया; और

(ग) क्या उक्त समझौते में कोई विशेष शर्तें निर्धारित की गई थीं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) भारत गणराज्य सरकार और वियतनाम, समाजवादी गणराज्य सरकार के बीच दिनांक 26 फरवरी, 1978 को हस्ताक्षरित व्यापार एवं आर्थिक सहयोग करार के अनुसरण में भारत और वियतनाम द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 1990 को एक व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) उक्त व्यापार संलेख में यह व्यवस्था है कि दोनों पक्षकार उसके प्रचलन प्रथम वर्ष में 100 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का कारोबार पूरा प्रयास करेंगे और इस आशय के क्रियान्वयन की आवधिक समीक्षा करने के लिए समुचित मानीटरिंग कार्यतंत्र को शामिल किया जाएगा। भुगतान मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में अथवा वस्तु विनिमय, परस्पर व्यापार और खरीद वापसी प्रबन्धों के रूप में किया जाएगा जो सम्बन्धित पक्षकारों के बीच निर्धारित विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगा। संलेख में यह भी प्रावधान है कि उसकी वार्षिक समीक्षा की जाएगी और व्यापार संलेख का क्रियान्वयन बढ़ाने के लिए समुचित उपाय करने के प्रयास किए जायेंगे। वित्तीय लेन-देन और व्यापार संलेख में निर्धारित व्यापार लक्ष्यों को लागू करने के उद्देश्य से नोडीय बैंक और नोडीय अभिकरण नामित किए गए हैं। यह व्यापार संलेख दिसम्बर, 1993 तक वैध रहेगा।

विवरण

(1) भारत गणराज्य से वियतनाम समाजवादी गणराज्य को निर्यात होने वाली मदों की सूची :

1. रुई
2. इलैक्ट्रोड्स
3. कीटनाशी दवायें
4. रसायन तथा रंजक सामग्री
5. पोलीएस्टर स्टेपल फाइबर, मानव-निर्मित फाइबर के अलावा
6. विभिन्न किस्मों का इस्पात
7. वाणिज्यिक विस्फोटक सामग्री
8. तम्बाकू, सिगरेट कागज तथा फिल्टर
9. वस्त्र मशीनरी, जूट मशीनरी, सीमेन्ट मशीनरी तथा अतिरिक्त पुर्जें।
10. परिवहन उपस्कर-बसें तथा ट्रक, भण्डारण तथा परिवहन के लिए कन्टेनर
11. दूर संचार उपस्कर-इलैक्ट्रानिक पशु बटन, टेलीफोन, पी॰ ए॰ बी॰ एक्स/ई॰ पी॰ बी॰ एक्स॰ एक्सचज।
12. टेलीविज्नस तथा टेलीविजन संघटक, इलैक्ट्रानिक संघटक।
13. रैफ्रीजरेशन उपस्कर तथा कोल्ड स्टोरेज सुविधायें।
14. खनन उपस्कर-रबड़ वाहक पट्टे।
15. कृषि सम्बन्धी उपस्कर जैसे-कृषि मशीनरी, खाद्य प्रसंकरण उपस्कर, धान कूटने के एकक, चावल-भूसी तेल उपस्कर, खाद्य तेल मशीनरी, चार मशीनरी, चीनी मिल उपस्कर।
17. अस्पताल के उपकरण
16. मशीनी औजार
18. औषधियां, भेषज और बल्क औषधियां
19. आवश्यक उपभोक्ता वस्तुयें।
20. परामर्शी सेवायें।

(2) वियतनाम समाजवादी गणराज्य से भारत गणराज्य को निर्यात की जाने वाली मदों की सूची :

1. ऐपेटाइट
2. एन्थ्रासाइट कोयला
3. टिन
4. ढलवां लोहा

5. सगन्ध तेल

6. स्टैरेनीसीड तथा उसका तेल

7. टंग आयल

8. मूंगफली

9. गोंद रेजिन

10. तेजपात

11. रगड़

12. काजू

13. चावल

14. मक्का

15. विभिन्न प्रकार की सेम

16. अपरिष्कृत रेशम

17. औषधीय जड़ी-बूटियां ।

सुपर 301 का मामला

[अनुवाद]

388. डा० वेंकटेश काबडे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी व्यापार अधिनियम के सुपर 301 उपबन्ध के अन्तर्गत भारत का नाम शामिल किये जाने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार का विचार अमरीका के साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्री विधि एवं न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) दिनांक 14 जून, 1990 को अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि (यू० एस०टी०आर०) ने यह बात निर्धारित की कि भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ तथाकथित व्यापार प्रतिबन्धात्मक पूंजीनिवेश उपाय तथा विदेशी बीमाकर्ताओं पर लगाए गए प्रतिबन्ध अनुचित हैं और अमरीकी वाणिज्य के लिए बोझिल और प्रतिबन्धात्मक हैं । किन्तु, अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि ने यह भी निर्णय लिया है कि इस समय अमरीकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के अधीन कोई जवाबी कार्रवाई करना उचित नहीं है । क्योंकि व्यापार से सम्बन्धित पूंजी निवेश उपायों तथा सेवाओं के बारे में आयोजित उरुग्वे वार्ता-दौर में भारत सरकार की सहभागिता से परिणाम मिलने की सम्भावना थी । इसलिए भारत के विरुद्ध आरम्भ की गई जांच रद्द की गई थी और भारतीय व्यवहार की स्थिति के सम्बन्ध में उरुग्वे वार्ता-दौर समाप्त होने के पश्चात समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव था । यह बताया गया कि यदि उन वार्ताओं में

व्यापार से सम्बन्धित पूंजीनिवेश के उपायों तथा सेवाओं के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई तो अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि इस बात पर विचार करेगा कि क्या व्यापार अधिनियम की धारा 301 के अधीन कोई कार्रवाई की जाए। उरूग्वे दौर का समापन दिनांक 7 दिसम्बर, 1990 को होना था, किन्तु, उसे आगे बढ़ाया गया है। इस विषय पर संयुक्त राज्य सरकार की आगे कोई घोषणा नहीं मिली है।

(ख) उरूग्वे दौर में संयुक्त राज्य अमरीका और भारत ने इस आशय के प्रस्ताव रखे कि वे एक-दूसरे के बाजार में प्रवेश बढ़ा दें। इन प्रस्तावों पर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ताएं चल रही हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के वेतनमान

[हिन्दी]

389. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के लिए वेतनमानों, भत्तों और अन्य लाभों के बारे में हैदराबाद न्यायाधिकरण पंचाट को कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : सरकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को देय वेतन, भत्तों तथा अन्य लाभों का निर्णय करने के लिये स्थापित किए गए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट को लागू करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। चूंकि उक्त न्यायाधिकरण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पदों तो प्रायोजक बैंकों के बराबर करने का काम सरकार पर छोड़ दिया है, अत: पदों के समीकरण और वेतनमानों को उचित बनाने से सम्बन्धित अनेक मसलों पर विचार करने के लिए पहले ही एक समीकरण समिति गठित कर दी गई है। यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट यथा शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही।

केन्द्रीय स्तर पर ग्रामीण बैंकों की स्थापना

390. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्तर पर ग्रामीण बैंकों की स्थापना हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। इस समय, केन्द्रीय स्तर पर अखिल भारत ग्रामीण बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सोने की तस्करी

391. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तस्करी का कुल कितना सोना जब्त किया गया;

(ख) सोने की तस्करी रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त तस्करी में सीमा शुल्क अधिकारियों के शामिल होने का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गत तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान पूरे देश में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए निषिद्ध सोने की मात्रा नीचे सारणी में दी गई है :

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)
1988	6093.785
1989	8214.829
1990 (नवम्बर तक)	4729.653*

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(ख) तस्करी निरोधी अभियान को पूरे देश में तेज कर दिया गया है । तस्करी-निरोधी तन्त्र विशेष रूप से, समुद्र के तटवर्ती, भू-सीमाओं तथा अन्तरराष्ट्रीय समुद्री पत्तनों और हवाई अड्डों के तस्करी के सुगम्य क्षेत्रों में निषिद्ध सोने की तस्करी पर अंकुश लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए चौकस रहता है । यात्रियों के अपने शरीर तथा अपने बैगेज/इनकार्गो में छिपा कर लाए हुए सोने की रोकथाम करने और उसका पता लगाने के लिए ऐक्सरे बैगेज मशीनों, मेटल डिटेक्टरों जैसे आधुनिकतम तस्करी-निरोधी उपयोग किया जाता है । निषिद्ध माल की तस्करी की रोकथाम करने और उसका पता लगाने के कार्य में जुटी सभी सम्बद्ध एजेंसियों के बीच निकट सहयोग बनाए रखा जाता है ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भाड़ी प्रभार लगाया जाना

[अनुवाद]

392. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगमित क्षेत्र पर 7% भाड़ी प्रभार लगाए जाने के परिणामस्वरूप कितनी धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ख) क्या इसका औद्योगिक उत्पादन दर पर कोई प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो कितना;

(ग) क्या सरकार को उक्त प्रभाव लगाए जाने के मामले में पुनरीक्षा करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) निगमित क्षेत्रों पर 7% का खाड़ी अधिभार लगाए जाने से अनुमानतया 400 करोड़ रु० के प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) चूंकि विविध पहलू औद्योगिक विकास की गति को पारस्परिक रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए औद्योगिक विकास की गति पर इस अधिभार में वृद्धि के प्रभाव को अलग-अलग करना संभव नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) निगमित क्षेत्रों पर 7% के खाड़ी-अधिभार को समाप्त किए जाने संबंधी सुझाव को स्वीकार्य नहीं पाया गया है ।

खाड़ी संकट का व्यापार अन्तर पर असर

393. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाड़ी संकट के कारण व्यापार अन्तर पर पड़े प्रभाव के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस संकट से निर्यात के किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इससे भुगतान सन्तुलन का अन्तर कितना बढ़ने की सम्भावना है और इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क), (ख) और (घ) वर्तमान खाड़ी संकट का भारत के भुगतान शेष पर अक्तूबर, 1990 से सितम्बर 1991 तक 12 महीनों में 2.8 बिलियन अमरीकी डालर (या 5000 करोड़ रुपये) का विपरीत प्रभाव पड़ेगा । यह आकलन अक्तूबर, 1990 से सितम्बर, 1991 की अवधि के 12 महीनों के लिए कच्चे तेल की 25/- अमरीकी डालर प्रति बैरल औसत कीमत पर आधारित है । यदि तेल की कीमतों की ओर अधिक औसतन 30 या 35 अमरीकी डालर प्रति बैरल आंका जाए तो खाड़ी संकट का समस्त प्रभाव 12 महीनों की अवधि के लिए क्रमश: 3.51 बिलियन अमरीकी डालर (या 6300 करोड़ रुपया) और 4.1 बिलियन अमरीकी डालर (या 8300 करोड़ रुपया) होगा । खाड़ी संकट के प्रभावों का सामना करने के लिए विभिन्न आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं ।

(ग) जिन निर्यात क्षेत्रों पर खाड़ी संकट का प्रभाव पड़ने की संभावना है, वे हैं परियोजना निर्यात, इन्जीनियरी सामान, रसायन, औषध और भेषज, टैक्सटाइल्स, संसाधित खाद्य, मसाले और चाय ।

"परिस्थिति-विज्ञान प्रेक्षण केन्द्र"

394. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने सरकार पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों पर निगरानी रखने के लिए विश्व का सबसे बड़ा परिस्थिति-विज्ञान प्रेक्षण केन्द्र स्थापित करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रेक्षण केन्द्र कहां स्थापित किया जायेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) । (क) भारत में पारिस्थितिकी परीक्षण केन्द्र की स्थापना करने के लिए सोवियत संघ से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा स्थिति

395. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 दिसम्बर, 1990 को विदेशी मुद्रा निधि की क्या स्थिति थी;

(ख) क्या सरकार ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने का निर्णय लिया है; और

(ग) क्या देश के वित्तीय संकट से निपटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 360 को लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) अक्तूबर, 1990 के अन्त में 3820.45 करोड़ रुपए।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

"नान जुडिशियल स्टाम्प पेपरों" की मांग

396. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "नान जुडिशियल स्टाम्प पेपरों" तथा सम्बद्ध प्रपत्रों की बढ़ती हुई मांग और आए दिन इन फार्मों के उपलब्ध न होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन प्रपत्रों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का देश और पूर्वी क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उड़ीसा में "सेक्यूरिटी प्रेस" स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी कब तक स्थापना की जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पिछले दो/तीन वर्षों में न्यायिकेतर स्टाम्प और सम्बद्ध फार्मों की मांग में मामूली वृद्धि हुई है। मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, यथा प्रतिभूति मुद्रणालयों में स्टाम्प पेपर और सम्बद्ध फार्मों का उत्पादन बढ़ाना, कम/गैर प्रतिभूति वाली वस्तुओं को व्यवस्थित करके उनके उत्पादन को युक्तियुक्त बनाना इत्यादि। इन वस्तुओं के वितरण में कुछ तर्कसंगत कठिनाइयां हैं, क्योंकि ये वस्तुएं देश भर में स्थित 600 सरकारी खजानों को उपलब्ध करवाई जानी होती

है। राज्य सरकारों को इन वस्तुओं की पूर्ति कुछ निश्चित प्रमुख स्थानों पर प्राप्त करने और वैगनों में आगे पुनः वितरण करने की सलाह दी गई है।

(ग) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर में प्रौद्योगिकी का उन्नयन

397. **डा॰ दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाए स्टील प्लांट, दुर्गापुर ने अपने कार्यकरण में सुधार करने के लिए अद्यतन तकनीक जानकारी हेतु एक आस्ट्रियाई कम्पनी के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) संयंत्र में तकनीकी सुधारों को समेकित करने हेतु अन्य किस तरह के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय किए जाएंगे ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालबराम पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। "सेल" ने अलाए स्टील्स प्लांट (ए॰ एस॰ पी॰) दुर्गापुर की प्रौद्योगिकी तथा उत्पादकता में सुधार करने के लिए 14 अक्तूबर 1988 को परामर्श सेवा के लिए आस्ट्रिया की मेसर्स वोएस्ट अल्पाइन इंडस्ट्रियल सर्विस के साथ एक करार किया है। यह करार अप्रैल, 1989 से चार वर्षों के लिए वैध है।

(ग) प्लांट में उत्पादन, उत्पादकता, तकनीकी आर्थिक प्राचलों तथा संभार तन्त्र में सुधार लाने के लिए 65 करोड़ रुपए की कुल लागत की अवस्थापना सम्बन्धी विभिन्न उन्नयन उपाय विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त 2.6 लाख मी॰ टन तरल इस्पात की विस्तृत क्षमता की प्राप्ति के लिए उत्पादन करने का कार्य भी किया जा रहा है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में लघु/छोटे इस्पात संयंत्र

398. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा इस्पात संयंत्रों की स्थापना पर प्रतिबन्ध हटाने के पश्चात् कुछ गैर-सरकारी कम्पनियों ने लघु/छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास ऐसे कितने आवेदन विचाराधीन हैं; और

(ग) गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा किन-किन स्थानों के लिए आवेदन किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालबराम पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) 16.

(ग) निम्नलिखित स्थानों के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं—

उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, गौरीगंज (जिला-सुल्तानपुर), उड़ीसा में क्योंझर, सुकिन्दा (जिला-

कटक), मध्य प्रदेश में जगदलपुर, बोराई जिला-दुर्ग (2) रायपुर, रायगढ़, कर्नाटक में पैराम्बुर (जिला दक्षिण कन्नड), विजयनगर, आन्ध्र प्रदेश में कोयुर (जिला-महबूब नगर), महाराष्ट्र में बुतिबोरी (नागपुर के समीप) (2) तथा गोवा (2)

जापान को लोह-अयस्क का निर्यात

399. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को लोह अयस्क निर्यात किया जाता है, और यदि हां, तो कब से;

(ख) जापान को प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में लोह-अयस्क का निर्यात किया जाता है और यह किन खानों से निकाला जाता है;

(ग) क्या इस संबंध में जापान के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) लोह अयस्क जापान को निर्यात होने वाली एक ऐसी मद है जो उन्हें अब से लगभग चार दशक से निर्यात हो रही है।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान जापान को निर्यात किए गए लोह अयस्क की मात्रा नीचे दी जा रही है—

वर्ष	मात्रा (मिलियन मी० टन में)
1985-86	20.054
1986-87	21.587
1987-88	19.944
1988-89	21.341
1989-90 (अन०)	21.052

जिन खानों से लोह अयस्क जापान को निर्यात होता है, वे इस प्रकार हैं—

(1) उड़ीसा में बड़ाजामदा—बांसपनी,

(2) मध्य प्रदेश में बेलाडीला,

(3) कर्नाटक में बेलारी-होसपेट क्षेत्र तथा कुद्रेमुख; और

(4) गोवा।

(ग) जी हां।

(घ) एम एम टी सी तथा कुद्रेमुख आइरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा संचालित लोह अयस्क के निर्यात के संबंध में जापानी स्टील मिल्स और एम एम टी सी के बीच दिनांक 1 अप्रैल, 1991 से पांच वर्षों की अवधि के लिए अक्तूबर, 1990 में एक करार-समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के अनुसार, इस बात पर सहमति हुई है कि प्रतिवर्ष 11.53 से 13.75 मिलियन मी० टन लोह

अयस्क का निर्यात किया जाएगा। इस मात्रा में 4.52 में से 5.5 मि० मी० टन बेलाडीला अयस्क, 2.5 मि० मी० टन मद्रास से, 1.5 से 2 मि० मी० टन पारादीप से और 3.03 से 1.25 मि० मी० टन कुद्रेमुख लोह अयस्क सान्द्रण शामिल होगा।

हीरे-जवाहरात और स्वर्ण आभूषणों का निर्यात

400. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरे-जवाहरात और स्वर्ण आभूषण के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हीरे जवाहरात और स्वर्ण आभूषण संवर्धन परिषद की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हीरे-जवाहरात और स्वर्ण आभूषण संवर्धन परिषद द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और चालू वर्ष के लिए परिषद का क्या कार्यक्रम है; और

(ग) हीरे-जवाहरात और स्वर्ण आभूषण संवर्धन परिषद के अन्य लक्ष्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना मूल रूप से देश से रत्न और आभूषणों का निर्यात बढ़ाने के लिए किया गया है। परिषद के कार्यकलापों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बाजार अध्ययन करना, तकनीकी की सहायता और सहयोग के कार्यक्रमों का समन्वय करना भारत और विदेश में आभूषण प्रदर्शनियों में भाग लेना, भारत में निर्यातकों और विदेशों में खरीददारों को जानकारी देना, कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना और रत्न एवं आभूषणों के निर्यात उत्पादन के विकास के लिए नीतिगत पहल का सुझाव देना शामिल है।

प्राकृतिक रबड़ का समर्थन मूल्य

401. श्री पी० सी० थामस :
श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :
श्री के० मुरलीधरन :
प्रो० के० वी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राकृतिक रबड़ का समर्थन मूल्य 24 रुपये प्रति किलो निर्धारित करने के लिए अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) रबड़ की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का रबड़ की खेती के लिए राजसहायता में वृद्धि करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) रबड़ उत्पादकर्ताओं तथा उनके संघों से रबड़ की कीमतों में संशोधन करके न्यूनतम कीमत विभिन्न स्तरों पर जैसे 24 रुपए, 28 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपये आदि प्रति किलोग्राम करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा, जो प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में विभिन्न अंतर्निविष्टियों की लागत में समय-समय पर हुई वृद्धि पर विचार करती है, की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और संशोधित बेंच मार्क कीमत की घोषणा करने से पहले उस पर सभी संबंधितों के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है।

(ग) और (घ) रबड़ बोर्ड ने रबड़ की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए आठवीं योजना के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों पर तीन-तरसा रणनीति का सुझाव दिया है—

(1) रबड़ के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार।

(2) पुराने और कम उपजाऊ क्षेत्र में अधिक फसल देने वाली आधुनिक मशीनों से पुन: रोपण।

(3) पौध संरक्षण, खाद, कटाई और फसल प्रोसेसिंग में आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने का वर्तमान बागानों की उत्पादकता बढ़ाना।

इसे प्राप्त करने के लिए नए सिरे से रोपण के लिए तथा पुन:रोपण के लिए आर्थिक सहायता की वर्तमान दर को 5,000 रुपये प्रति हैक्टेयर से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति हैक्टेयर अर्थात् दुगनी करने का सुझाव दिया गया है। इन प्रस्तावों पर 8वीं योजना के परिव्यय निश्चित करने के बाद विचार होगा।

"राजस्थान में जहरीले रसायन छोड़ने वाले खतरनाक उद्योगों का पता लगाना"

[हिन्दी]

402. **श्री नन्दलाल मीणा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, राजस्थान को जहरीले रसायन छोड़ने वाले उन कारखानों का पता लगाने का निर्देश दिया है जिनके कारण पानी प्रदूषित होता है; और

(ख) यदि हां, तो स्थानों के नाम क्या है; जहां विशेषज्ञों ने ऐसे परीक्षण किये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) भारतीय पर्यावरण कानूनी कार्य परिषद बनाम भारत संघ की 1989 की रिट याचिका सं० 967 में सर्वोच्च न्यायालय ने 11-12-89 को राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान को यह निदेश देते हुए आदेश जारी किए गये थे वह पिछड़ी, राजस्थान में कुछ उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण, विशेषकर उस क्षेत्र में इकट्ठे हुए खतरनाक अपशिष्टों के सम्बन्ध में समस्या का विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन कराएं।

(ख) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान के पांच वैज्ञानिकों के एक दल ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी इंजीनियर के साथ मिलकर 13 और 14 फरवरी, 1990 को निम्नलिखित फैक्टरियों का दौरा किया—

1. मैसर्स सिल्वर केमिकल लिमिटेड
2. मैसर्स ज्योति केमिकल्स लिमिटेड

ये दो इकाईयां एच. एसिड का विनिर्माण कर रही थी और अपशिष्टों के उत्पादन के लिए जिम्मेवार थीं। इन दोनों इकाइयों को अप्रैल, 1989 से बन्द कर दिया गया है और वैज्ञानिकों के दल ने देखा कि इन दोनों इकाइयों को तोड़ा जा रहा है। दल की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अप्रैल, 1990 को उक्त

दोनों इकाइयों को निदेश दिया था कि वे पांच सप्ताह के भीतर कीचड़ को इकट्ठा करके वहां से ले जाने और कवर किए गए शेडों में उसके भंडारण के लिए कार्रवाई करें और बाद में उस कीचड़ का राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के निदेशों के अनुसार निपटान करें। चूंकि इकाइयां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार कार्रवाई करने में विफल रहीं, इसलिए भारत सरकार ने दिसम्बर- 1990 में सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें न्यायालय में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है—

(1) इकाइयों द्वारा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्ध और सम्भलाई) नियमावली, 1989 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें दण्डित किया जाए।

(2) इकाइयों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों का जानबूझकर अनुपालन न किए जाने के लिए उनके विरुद्ध यथावश्यक आदेश जारी किये जायें।

(3) इकाइयों को निदेश दिए जाये वे उस क्षेत्र में फसलों और वृक्षों को हुई हानि, कुओं और जल संसाधनों तथा पालतू जानवरों को हुई क्षति के रूप में पर्यावरण को हुए समग्र नुकसान की लागत वहन करें।

विवरण

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान के अध्ययनदल की सिफारिशें

अल्पावधि उपाय :

नवंबर, 1989 और जनवरी, 1990 के बीच फैक्टरी से ले जाए गए और विभिन्न स्थानों पर (8 क्षेपण स्थलों का पता लगाया गया है) रखे गए कीचड़ को इकट्ठा करके फैक्टरी के भीतर किसी स्थान पर ठोस अपशिष्टों के साथ ऐसे तरीके से रखा जाना चाहिए कि उससे कोई निक्षालन न हो। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि डाई मध्यम विनिर्माण से उत्पन्न अपशिष्ट खतरनाक अपशिष्टों की श्रेणी में आते हैं और इन अपशिष्टों की मात्रा हाल ही में बनाई गई खतरनाक अपशिष्ट प्रबन्ध और सम्भलाई नियमावली, 1989 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है। इससे पर्यावरण की और अधिक क्षति नहीं होगी।

मध्यमावधि उपाय :

तरल और ठोस अपशिष्टों के निपटान के कारण आस-पास के पर्यावरण को हुई क्षति की मात्रा का पता लगाने के लिए एक जांच की जानी चाहिये। संदूषित-जल, मृदा और ठोस अपशिष्टों के शोधन के बारे में अध्ययन दिए जाने चाहिए।

दीर्घावधि उपाय :

प्रभावित क्षेत्र के पर्यावरणीय स्तर की बहाली की, भूमि और सतही जल, मृदा और वनस्पति के विशेष संदर्भ में, योजना बनाई जानी चाहिए।

उदयपुर में "वन श्रमिक सहकारी समितियों" को वित्तीय सहायता"

403. श्री नन्दलाल मीणा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उदयपुर जिले में विभिन्न वन श्रमिक सहकारी समितियों में से प्रत्येक

समिति को वर्ष 1987 से 1989 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड द्वारा दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दी गई धनराशि और इसके उचित उपयोग के बारे में कोई लेखा परीक्षा की गई है; और

(ग) क्या लेखा परीक्षा के दौरान इसमें कोई अनियमितता पाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

क्रम सं०	एजेंसी का नाम	वर्ष 1987 से 1989 तक स्वीकृत धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	आशापुर वन श्रमिक सहकारी समिति, उदयपुर	7.67
2.	आदर्श मीणा वन श्रमिक सहकारी समिति, उदयपुर,	2.08
3.	अलसीगढ़ वन श्रमिक सहकारी समिति, उदयपुर	1.73
4.	अंबावी दया आदिवासी मजदूर सहकारी समिति; उदयपुर	5.81
5.	सुखदन श्रमिक सहकारी समिति, उदयपुर	3.80
6.	वन श्रमिक सहकारी समिति, तिलोई,	5.17
7.	पतिया वन श्रमिक सहकारी समिति, उदयपुर	3.86

(ख) और (ग) लेखा परीक्षा नहीं की गई है । राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि के उपयोग का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा आयोजित मूल्यांकनों के दौरान किया जाता है । उपर्युक्त वन श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया गया है जो कि आमतौर पर संतोषजनक पाया गया है ।

काले धन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा छापे

[अनुवाद]

404. **श्री नन्द लाल मीणा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आलीशान भवनों के निर्माण तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्व-वित्त पोषी फ्लैटों की खरीद में लगे काले धन का पता लगाने के लिए आयकर प्राधिकारियों ने कुल कितने छापे मारे तथा उनका परिणाम क्या रहा;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मारे गए छापों तथा उनके परिणामों से इन छापों तथा इनके परिणामों की किस प्रकार तुलना की जा सकती है;

(ग) सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त में लगे काले धन का तेजी से पता लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ग) ऐसे कर-अपवंचन तथा परिसम्पत्तियों के अधिभोग के बारे में सूचना मिलने पर आयकर अधिनियम के अधीन तलाशियां ली जाती हैं, जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से ऐसी आय होती है, जिसे आयकर अधिनियम के अधीन घोषित नहीं किया गया हो। तलाशी की कार्यवाहियों के दौरान इस प्रकार की परिसम्पत्तियों पर, जिनमें आलीशान भवन, डी० डी० ए० फ्लैट्स आदि भी शामिल हैं, किये गये अघोषित पूंजी-निवेश विषयक साक्ष्य पाए जा सकते हैं। इस समय जो सूचना समेकित की गयी है, उसमें तलाशी विषयक उन मामलों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, जिनमें परिसम्पत्ति-वार अघोषित पूंजी-निवेश के साक्ष्य पाए गए हों। इस वित्त वर्ष में तथा तीन पूर्ववर्ती वर्षों में जो तलाशियां ली गयी हैं, उनकी काफी बड़ी संख्या को मद्देनजर रखते हुए जिन मामलों में आलीशान भवनों तथा स्व-वित्त पोषित डी० डी० ए० फ्लैटों के निर्माण में किए गए अघोषित पूंजी-निवेश के साक्ष्य पाए गए गए थे, उन मामलों से संबंधित सूचना को समेकित करने में समूचे भारत के तलाशी-विषयक प्रत्येक मामले के रिकार्डों की जांच-पड़ताल अन्तर्ग्रस्त होगी; और इसलिए इस सूचना को समेकित करना व्यावहारिक नहीं होगा। इस वित्त वर्ष के दौरान तथा तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान ली गयी तलाशियों के ब्योरे निम्न प्रकार हैं —

वित्त वर्ष	ली गयी तलाशियों की संख्या	अभिगृहीत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रु० में)
1987-88	8464	145.02
1988-89	7405	152.70
1989-90	3984	128.02
1990-91 (नवम्बर, 1990 तक)	2996	131.32

(ग) और (घ) सरकार कर-अपवंचन की रोकथाम के लिए तथा विविध परिसम्पत्तियों में, जिनमें अचल सम्पत्ति भी शामिल है, अघोषित आय के किए गए निवेश का पता लगाने के लिए समय-समय पर विविध विधायी तथा प्रशासनिक उपाय करती रहती है। यह निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है।

10वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किया गया व्यापार

405. **श्री वामन राव महाडीक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आई आई टी एफ) में स्वदेशी और विदेशी स्तर पर कुल कितने मूल्य का व्यापार किया गया;

(ख) प्रत्येक विदेशी/राज्य मण्डप में कितनी धनराशि का व्यापार किया गया; और

(ग) 10वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आई आई टी एफ) के दौरान हुए कारोबार-सौदे की मात्रा बताना अभी संभव नहीं है क्योंकि कारोबार के परिणाम का पता आमतौर पर मेले के काफी समय बाद चलता है। आई आई टी एफ के मुख्य उद्देश्य ये हैं—कारोबार सम्पर्क सुकर बनाना, निर्यात क्षमता का अनुमान लगाना, भारतीय उद्योगों को प्रौद्योगिकी विकल्पों आदर करना और विभिन्न क्षेत्रों में हुई ताजा गतिविधियों के संबंध में भारतीय जनता और विदेशी प्रदर्शकों में अधिक जागरूकता पैदा करना।

(ग) 10वें आई आई टी एफ पर हुआ व्यय 1.52 करोड़ रु० आंका गया है।

पंजाब को धन-राशि का आवंटन

406. **श्री कमल चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब के लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त धनराशि आबंटित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) पंजाब सरकार ने आठवीं योजना प्रस्तावों के एक हिस्से के रूप में रोजगार के अवसर पैदा करने वाली अनेक योजनाओं के प्रस्ताव रखे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने आठवीं योजनावधि के दौरान 363.77 करोड़ रुपए के परिव्यय के आर्थिक पैकेज के एक हिस्से के रूप में अनेक रोजगारजन्य स्कीमें प्रस्तावित की हैं। इस पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ एक लाख युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम, तीन सीमावर्ती जिलों में मानव संसाधन विकास, अमृतसर, फिरोजपुर तथा गुरदासपुर को "बेरोजगारी रहित जिले" बनाना और पांच चीनी मिलें तथा चार सूती कपड़ा मिलें लगाना शामिल है। दोनों तरह के प्रस्ताव तथा उनको वित्त व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली न्यायालयों में लंबित तलाक के मामले

407. **श्री कमल चौधरी** :

श्री यशवंत राव पाटिल : क्या विधि और न्याय मन्त्री 17 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1472 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत तलाक तथा विवाह निष्प्रभावन से संबंधित कितने मामले दिल्ली न्यायालयों में पांच वर्ष से भी अधिक समय से लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में परिवार न्यायालय स्थापित किए गए हैं तथा इन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इन न्यायालयों तथा इनमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या प्रगत तथा निर्णय के स्तर पर पहुंचे मामलों तथा वर्तमान न्यायालयों को

हस्तांतरित किया जाएगा तथा वर्तमान न्यायालयों द्वारा निर्णय किए जाने की अनुमति दी जाएगी; और

(ङ) न्यायालयों में इन मामलों की विचाराधीनता को कम करने के लिए तथा इन्हें शीघ्र निपटाने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन विवाह-विच्छेद और विवाह के वातिलीकरण से संबंधित कुल 179 मामले, दिल्ली के न्यायालयों में पांच से भी अधिक वर्षों से लंबित हैं।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 10 कुटुंब न्यायालयों की स्थापना करने का विनिश्चय किया है। इन्होंने अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया है। इस विषय का पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

(ङ) न्यायाधीशों के पदों की संख्या बढ़ाने के अतिरिक्त, न्यायालयों में बकाया मामलों की संख्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर साधारणतया कई उपाय किए गए हैं। सरकार द्वारा न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए गठित की गई तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की समिति की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों, सभी संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए उपलब्ध कर दी गई हैं।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में कत्ल तथा अपराध के लंबित मामले

403. **श्री कमल चौधरी :** क्या विधि और न्याय मंत्री दिल्ली और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालयों में कत्ल और आपराधिक मामलों के बारे में 7 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5117 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालयों में, न्यायालयवार कत्ल तथा अपराध के लंबित मामलों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन मामलों को शीघ्र निपटाने तथा विचारधीनता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) दिल्ली तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों में हत्या और दाण्डिक के लंबित मामलों की संख्या निम्नलिखित है :—

उच्च न्यायालय	हत्या के मामले (निर्देश) 3 वर्ष पुराने	दाण्डिक मामले 3 वर्ष पुराने
दिल्ली (30-6-90 को)	शून्य	2665
पंजाब और हरियाणा (1-9-90 को)	शून्य	3610

(ख) समय-समय पर न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाने के अतिरिक्त, समान विधि प्रश्न वाले मामलों को एक ग्रुप में रखने, विशेष न्यायपीठों का गठन करने आदि जैसे विभिन्न अन्य उपाय किए गए हैं। एकल न्यायाधीश द्वारा ऐसी दाण्डिक अपीलों से भिन्न, जिनमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की व्यवस्था (जिनमें सुनवाई खण्ड न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए), दाण्डिक अपीलों और पुनरीक्षण आवेदन की सुनवाई करने ऐसी एकल न्यायाधीश दाण्डिक अपीलों में पेपर बुक के तैयार न किए जाने, दोषमुक्ति के आदेशों/निर्णय के विरुद्ध अपील करने सम्बन्धी प्रस्तावों की सावधानी-पूर्वक और वस्तुनिष्ठ रूप में इस उद्देश्य से कि, ऐसे विनिश्चयों के विरुद्ध राज्य सरकारें तंग करने वाली अपीलें फाइल न कर सकें, समीक्षा करने के लिए उपयुक्त तन्त्र स्थापित करने, विधि की विभिन्न शाखाओं में विशेषज्ञ न्यायपीठों के गठन आदि के बारे में बकाया मामला विषयक समिति (मालीमथ समिति) की विभिन्न सिफारिशें, आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को भेज दी गई हैं।

पंजाब में एकत्र किए गए सोने के नमूने

409. **श्री कमल चौधरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत वर्ष 1987 से सोने के कितने नमूने एकत्र किये हैं; और

(ख) ऐसे मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने स्वर्ण नियंत्रण अनिनियम, 1986 के अन्तर्गत वर्ष 1987 से पंजाब में कोई नमूने एकत्र नहीं किए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गरीबों को कानूनी सहायता

410. **श्री बालगोपाल मिश्र :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तथा किन-किन राज्यों में गरीबों को कानूनी सहायता निःशुल्क प्रदान की जाती है; और

(ख) किन-किन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) और (ख) विधिक सहायता, अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर, जहां केवल अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध की जाती है, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निःशुल्क उपलब्ध की जा रही है।

स्वर्ण का आयात

411. **श्री बालगोपाल मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपरिष्कृत सोने के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रतिबंध से कितनी विदेशी-मुद्रा की बचत होने का अनुमान है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाई गई स्वर्ण आभूषण निर्यात संवर्धन और पुन: पूर्ति योजना को क्रियान्वित करने के लिए सोने के आयात को, भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से आभूषण निर्यातकों को जब्त किए गए सोने की बिक्री द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वर्ण आभूषण निर्यात संवर्धन और पुन: पूर्ति योजना के प्रचालन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से जब्त किए गए सोने की बिक्री के कारण अनुमानत: 80 करोड़ रुपए की बचत होगी।

असम में चाय कम्पनियों द्वारा प्रतिष्ठानों को बन्द करना

412. **श्री राजमोहन रेड्डी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कुछ चाय कंपनियों ने अपने प्रतिष्ठान बन्द कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) चाय बोर्ड के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार आसाम में जो इंस्टेटस कंपनियां बन्द पड़ी हैं वे सोगरा, तोमिया, तोपिए, नोनुड्डी और काशिकता हैं। आसाम के कचार जिले में बन्द पड़े चाय इंस्टेट्स/कंपनियां आपिन, आलमबाग, कुम्बिला, इरालिगूल, बनोविनी, उबारानी, सलचारा और खोरील हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात का उत्पादन

413. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात उत्पादन का लक्ष्य क्या निर्धारित किया है और इस अवधि में इसका वास्तविक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के इस्पात वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालासाहब पाटिल) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 426.38 लाख मी० टन अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि वास्तविक उत्पादन 380.33 लाख मी० टन रहा।

(ख) और (ग) "सेल" में इस्पात उत्पादन में गिरावट आने के मुख्य कारणों में खराब तथा घटिया क्वालिटी के कोककर कोयले तथा कुछ अन्य कच्ची सामग्रियों की सप्लाई, बिजली की अनियमित सप्लाई, संयंत्र तथा उपस्करों का पुराना होना, कुछ समय तथा अधिकारी-कर्मचारी संबंधों का संतोषजनक न रहना और प्रबन्धकीय अपर्याप्तताएं शामिल हैं।

(घ) इस दिशा में किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं :—संयंत्रों का आधुनिकीकरण तक प्रौद्योगिकीय उन्नयन, निजी विद्युत उत्पादन में वृद्धि, कम राख की मात्रा वाले कोककर कोयले का आयात, सुव्यवस्थित अनुरक्षण तथा उच्च प्रौद्योगिकीय विषय और बेहतर कार्य संस्कृति।

(ङ) सम्पूर्ण आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, हालांकि "सेल" द्वारा प्रायोगिक रूप से 522.84 लाख मी० टन का लक्ष्य दर्शाया गया है।

"प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त बड़ी नदियां"

414. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की उन बड़ी नदियों के नाम क्या हैं, जो प्रदूषित हैं;

(ख) इन नदियों के प्रदूषित होने के क्या कारण हैं;और

(ग) इन नदियों में प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) औद्योगिक और घरेलू मलजल के विसर्जन से देश की सभी बड़ी नदियों के कुछेक भाग प्रदूषित हैं।

(ग) उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. प्रदूषण फैलाने वाली बड़ी इकाइयों और मलजल शोधन संयंत्रों के लिए बहिस्राव मानक निर्धारित किए गए हैं;
2. प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योगों और नगरपालिकाओं को निर्धारित समय के भीतर प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित करने के निदेश दिए गए हैं;
3. साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए लघु अद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता दी जा रही है;
4. प्रदूषण नियंत्रण उपाय लगाने वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जाती है;
5. इन नदियों की जल की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए निगरानी केन्द्र स्थापित किए गए हैं;
6. दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

खाड़ी देशों से तेल का आयात

415. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी देशों की आयातित तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि से विदेशी मुद्रा की स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ता है;और

(ख) विदेशी-मुद्रा की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव का सामना करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पी० ओ० एल० आयात बिल में वृद्धि के अनुसार प्रभाव की सीमा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों पर निर्भर करती है, जो कि अस्थिर रही हैं और पहले के स्तर से काफी अधिक स्तर पर रही हैं। अक्तूबर, 1990 से सितम्बर, 1991 की अवधि के लिए पी० ओ० एल० आयात बिल में वृद्धि का वर्तमान मूल्यांकन निम्न प्रकार हैं :—

कच्चे तेल (क्रूड) के	25 डालर	प्रति बैरल पर	: 4250 करोड़ रुपए
,,	30	,,	: 5600 करोड़ रुपए
,,	35	,,	: 7600 करोड़ रुपए

(ख) किए गए अनेक उपायों में ये शामिल हैं : निर्यात संवर्धन, आयात नियंत्रण, विदेशी सहायता का त्वरित संवितरण, अनिवासी भारतीयों और अन्य विदेशी स्रोतों से संसाधन जुटाना, संभरण ऋण और अतिरिक्त द्विपक्षीय सहायता के लिए प्रयास करना।

महिला उद्यमियों के ऋण-प्रार्थना पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए प्रकोष्ठ

416. श्री आर० एल० राकेश : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महिला उद्यमियों के ऋण-प्रार्थना पत्रों के शीघ्र निपटान के बारे में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को अलग प्रकोष्ठ बनाने के लिए निर्देश देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे अलग कक्ष के सृजन के लिए बैंकों को निर्देश जारी नहीं किए हैं। तथापि, अन्य लाभार्थियों की भांति महिला उद्यमी भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से सम्पर्क कर सकती हैं, जो प्रस्ताव की तकनीकी व्यवहार्यता तथा आर्थिक अर्थक्षमता को ध्यान में रखकर उनके अनुरोध पर विचार कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जो मार्गनिर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए हैं, उसकी शर्तों के अनुसार बैंकों को महिला उद्यमियों के आवेदनों सहित 25,000 रुपए तक के सभी आवेदनों को 15 दिन के अन्दर-अन्दर और 25,000 रुपए से अधिक के आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर निपटाने के लिए कहा गया है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का विकेन्द्रीकरण

417. प्रो० राम गणेश कापसे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा गहन अध्ययन करने के बाद पूर्ति और निपटान महानिदेशालयों के कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस निर्णय का सम्पूर्ण विश्लेषण करके ऐसी समिति नियुक्त करने का है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) सम्पूर्ण मामले का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

कृषि ऋण माफ करना

[हिन्दी]

418. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी कृषि मजदूरों, सीमान्त और छोटे किसानों को लाभान्वित करने की दृष्टि से कृषि और ग्रामीण ऋण माफ करने के लिये निर्धारित किये गये मानदण्ड और की जा रही समयबद्ध व्यवहारिक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जिन किसानों ने आरम्भ में किये अपने ऋण की राशि की दुगुनी राशि ब्याज सहित लौटा दी है उनसे ब्याज की शेष देय राशि माफ कर दी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों और कारीगरों को ऋण राहत देते के वास्ते "कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990" नामक एक योजना तैयार की है। राज्य सरकारों से भी सहकारी बैंकों के लिए समान योजनाएं बनाने के लिए पहले ही अनुरोध किया गया है। ये योजनाएं लागू की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत कोई भी किसान, बुनकर या कारीगर या भूमिहीन किसान, जिसने किसी भी कार्य के लिए एक या अधिक बैंकों से ऋण लिया था और जिसने जानबूझकर ऋण चुकाने में चूक नहीं की है, वह ऋण राहत के लिए पात्र है यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है :—

(एक) ऐसा ऋणकर्ता जिसने 1-4-1985 को या इसके बाद ऋण प्राप्त किया है और जो 2-10-1989 को चूककर्ता था और जिसकी 2 वर्षों की फसलें खराब हुई थीं और जिसमें एक वर्ष वह था जिसमें ऋण चुकाने में चूक हुई थी।

(दो) 2-10-1989 की स्थिति के अनुसार सभी अतिदेय ऋणों को पुराने अतिदेय के रूप में माना जाएगा और इस योजना के अन्तर्गत वे ऋण राहत के पात्र होंगे।

(तीन) ऐसे ऋणकर्ता द्वारा लिया गया ऋण जिसकी 2-10-1989 को या उसके पहले मृत्यु हो गई।

(चार) ऐसे ऋणकर्ता के अतिदेय ऋण जिसे दिवालिया घोषित किया जा चुका है या जिसकी

याचिका दिवालिया घोषित किये जाने के लिए अदालत में 2-10-89 को या उसके पहले विचाराधीन है।

(पांच) कारीगर या बुनकर के मामले में परिसम्पत्तियों में हानि के कारण वापसी अदायगी न होने पर।

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना की घोषणा 15 मई 1990 को की गई थी और बैंकों को योजना के तहत लाभार्थियों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया था। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के वास्ते, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने योजना के प्रत्येक प्रावधान के सम्बन्ध में विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किए थे। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पूरे देश में योजना के कार्यान्वयन पर निरन्तर नजर रख रहे हैं।

(ख) से (घ) योजना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

नशीले पदार्थों की तस्करी

[अनुवाद]

419. **श्री बलवन्त मनवर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान नशीले पदार्थों, हशीश तथा अन्य नशीली औषधियों की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) गुजरात में इन पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1989 तथा 1990 (30-11-90) के दौरान अभिग्रहीत की गई विभिन्न औषधियों की मात्रा नीचे दी गई है, जिससे यह पता चलता है कि निम्नलिखित वर्षों में भारतीय क्षेत्रों से होकर होने वाली तस्करी की गतिविधियों में कमी आई है :—

	1989		1990	
	कि० ग्रा०	मामलों की संख्या	कि०ग्रा०	मामलों की संख्या
अफीम	4855	1608	1589	405
हैरोइन	2714	1218	1710	706
गांजा	54463	3612	17076	1080
हशीश	8179	687	4636	482
कोकिन	3	23	1	2
मैथाक्वालान	7	75	1813	53

(ग) केन्द्रीय सरकार संगठन अर्थात सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों और सीमा सुरक्षा बलों को सतर्कता बरतने के लिये कहा गया है, तथा उन राज्य सरकारों को, जो प्रवर्तन की जिम्मेवारियों के लिए भागीदार हैं, यह सलाह दी गई है कि वे राज्य पुलिस में विशेष स्वापक कक्ष स्थापित करें।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीश

420. श्री बलवन्त मणवर : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में, न्यायालयवार, कितनी महिला न्यायाधीश हैं;

(ख) क्या वरिष्ठ महिला अधिवक्ताओं में से पर्याप्त संख्या में रिक्तियां नहीं भरी जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विधि मंत्रियों ने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और राज्य प्राधिकारियों को पत्र लिखकर, विधि व्यवसायियों में से उपयुक्त महिलाओं का पता लगाने के लिए अनुरोध किया है जिससे कि उन्हें उच्च न्यायालयों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सके। केन्द्रीय सरकार द्वारा महिला न्यायाधीशों की नियुक्त के बारे में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त सिफारिशों पर, सम्यक् रूप से विचार किया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	उच्च न्यायालय का नाम	महिला न्यायाधीशों की संख्या
1.	मुंबई	1
2.	कलकत्ता	2
3.	दिल्ली	4
4.	गुवाहाटी	1
5.	हिमाचल प्रदेश	1
6.	मद्रास	1
7.	उड़ीसा	1
8.	पटना	1
9.	राजस्थान	2
		14

निगमों की परिसम्पत्ति

421. श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (I) राज्य व्यापार निगम, (II) मसाला व्यापार निगम, (III) खनिज और धातु व्यापार निगम और (IV) परियोजना तथा उपकरण निगम की कुल परिसम्पत्तियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन निगमों ने गत एक वर्ष में कोई सम्पत्ति खरीदी है;

(ग) ये निगम विद्यमान सम्पत्तियां या नई सम्पत्तियां खरीद करते समय सामान्यतः क्या मार्गदर्शी सिद्धांत अपनाते हैं; और

(घ) क्या उक्त में से किसी निगम के कब्जे में कोई विवादित सम्पत्ति है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) दिनांक 31-3-90 की स्थिति के अनुसार, एम० टी० सी०, एस० टी० सी० एल०, एम० एम० टी० सी० तथा पी० ई० सी० की कुल परिसम्पत्तियां क्रमशः 48.15 करोड़ रुपये, 9.26 लाख रुपये, 24 90 करोड़ रुपये तथा 1.07 करोड़ रुपये हैं।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान केवल एस० टी० सी० तथा एम० एम० टी० सी० ने क्रमशः 5.61 लाख रुपये तथा 0.58 करोड़ रुपये की सम्पत्ति अर्जित की।

(ग) एम० टी० सी० तथा एम० एम० टी० सी० ने विज्ञापनों के जरिए आफर देकर तथा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके सम्पत्ति अर्जित की।

(घ) उपर्युक्त (क) के अनुसार किसी भी निगम के पास विवादित सम्पत्ति नहीं है।

असम में दंगों के कारण चाय व्यापार निगम को घाटा

422. **श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम को असम में दंगों के कारण कोई घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना घाटा हुआ है; और

(ग) गत वर्ष विभिन्न राज्यों से कितनी मात्रा में चाय खरीदी गई और कितने मूल्य की चाय का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) टी० ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के स्वामित्व में असम में केवल एक बागान कछार में है जहां पर कोई अशांति नहीं है। इस प्रकार वास्तव में टी० टी० सी० आई० को कोई हानि नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त की गई चाय की मात्रा निम्नानुसार है :

असम (गुवाहाटी तथा कलकत्ता दोनों नीलामियों से)	2423.5 एम० टी०
पश्चिम बंगाल	640.5 एम० टी०
तमिलनाडु	580.0 एम० टी०
केरल	191.0 एम० टी०
कुल	3835.0 एम० टी०

दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के दौरान निर्यात का मूल्य 22.76 करोड़ रुपये था।

काजू का निर्यात

423. **श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों के दौरान भारत से कितनी मात्रा में काजू का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में निर्यात की गई काजू गिरी की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार थे—

मात्रा : एम० टी० में

मूल्य : करोड़ रुपये में

1988-89 (अनन्तिम)		1989-90 (अनन्तिम)	
मात्रा	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
34,020	276.48	45,133	362.33

सोवियत संघ को चावल का निर्यात

424. **श्री जगपाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सोवियत संघ को चावल के निर्यात में कुछ अनियमिततायें बरतने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सोवियत संघ को किन-किन कम्पनियों द्वारा चावल का निर्यात किया जा रहा है;

(घ) क्या इस व्यापार में किसी कम्पनी का एकाधिकार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) निर्यात निरीक्षण एजेंसी के अनुसार, सोवियत संघ को चावल के निर्यात में कोई अनियमितता जानकारी में नहीं आयी है। इसके अलावा सोवियत संघ में क्रेताओं से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सोवियत संघ को चावल के निर्यातकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सोवियत संघ को चावल के निर्यातकों की सूची

1. मै० टाना एक्सपोर्ट्स
   टाना हाऊस, दूसरी मंजिल,
   11/ए, नाथुलाल पारेख मार्ग,
   बम्बई-400039

2. मै० वेलवर्थ एजेंसीज प्रा० लि०,
39, कम्युनिटी सेंटर,
जमरुदपुर, कैलाश कालोनी,
नई दिल्ली-110048

3. मै० बतरा ब्रादर्स,
39, कम्युनिटी सेंटर,
जमरुदपुर. कैलाश कालोनी,
नई दिल्ली-110048

4. मै० मीमा एसोसिएट्स लि०,
बी-10, लारेंस रोड,
इण्डस्ट्रियल एरिया,
नई दिल्ली-110035

5. मै० ऐसेल इन्टरनेशनल,
बी-10, लारेंस रोड,
इण्डस्ट्रियल एरिया,
नई दिल्ली-110035

6. मै० एसिल पैकेजिंग लि०
कांटीनेंटल बिल्डिंग,
135, डा० अन्नी बसन्त रोड,
वर्ली, बम्बई-400018

7. मै० श्री एक्सपोर्ट्स,
निर्मल छठी मन्जिल,
नरीमन पाइन्ट,
बम्बई-400021

8. मै० एलासन्स लि०,
ऐलना हाऊस,
4, एलाना रोड कोलाबा,
बम्बई-400039

9. मै० जमनादास माधवजी, एण्ड कं०
थाना हाऊस,
11/ए, नाथुलाल पारेख मार्ग,
बम्बई-400039

10. मै० वेस्टपुन इन्टरनेशनल,
एन०-86, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली-110001

घटिया सामान का निर्यात

425. श्री जगपाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक निर्यातक निर्यात-मानदंडों का उल्लंघन और घटिया सामान का निर्यात कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) घटिया क्वालिटी के सामान के निर्यात से सम्बन्धित कोई शिकायत जब कभी प्राप्त होती है तो क्वालिटी सम्बन्धी शिकायतों पर गठित क्षेत्रीय समितियां इसकी जांच करती हैं जिनको इस उद्देश्य के लिए संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की अध्यक्षता में बम्बई, अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, कानपुर और मद्रास में गठित किया गया है। ये समितियां क्वालिटी के बारे में प्राप्त इन शिकायतों की जांच करती है और गलती करने वाले निर्यातकों के खिलाफ समुचित दडात्मक कार्रवाई करती है। व्यापार विवादों और क्वालिटी सम्बन्धी शिकायतों सहित सभी शिकायतों के निपटारे के लिए दिशानिर्देश बनाये गए हैं और उन सभी संबंधित कार्यालयों विदेश स्थित मिशनों को ये दिशानिर्देश विस्तृत रूप से परिचालित किए गए जिनको ऐसी शिकायतों के बारे में जानकारी मिलती है।

निर्यात संसाधन क्षेत्रों की निर्यात क्षमता

426. श्री जगपाल सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक निर्यात संसाधन क्षेत्र की आगामी पांच वर्षों की निर्यात क्षमता का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्षेत्र-वार कब किया गया था; और

(ग) क्षेत्र-वार प्रत्येक क्षेत्र से, किन-किन मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) वास्तविक अनुमान वार्षिक आधार पर तैयार किए जाते हैं और निर्यात के क्षेत्र-वार लक्ष्य हर वर्ष निर्धारित किए जाते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :

क्षेत्र	लक्ष्य
कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र	350 करोड़ रु०
सांताक्रूज इलैक्ट्रानिक्स निर्यात संसाधन क्षेत्र	335 करोड़ रु०
नोएडा निर्यात संसाधन क्षेत्र	75 करोड़ रु०
मद्रास निर्यात संसाधन क्षेत्र	50 करोड़ रु०
कोचीन निर्यात संसाधन क्षेत्र	20 करोड़ रु०
फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र	20 करोड़ रु०
कुल	850 करोड़ रु०

(ग) वर्तमान क्षेत्रों से निर्यात की जा रही वस्तुओं की प्रमुख मदें नीचे दी गई हैं :

कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र :

घरेलू रासायनिक पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, टायलेटरीज, इलेक्ट्रानिक घटक, लकड़ी का तेल, भेषजीय पदार्थ, सिले-सिलाए एवं बुने हुए परिधान, स्टोरेज बैटरी, स्टेनलैस स्टील के बर्तन, एयर कम्प्रेसर्स, बिल्डर्स हार्डवेयर और ओवरहैड कंडक्टर्स ।

सांताक्रुज इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात संसाधन क्षेत्र

कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर साफ्टवेयर, इलैक्ट्रानिक घटक, उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक्स विडियो कैसेट तथा रत्न एवं आभूषण ।

नोयडा, मद्रास, कोचीन और फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र

कंप्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर, चमड़े के जूते, सिले-सिलाए परिधान, बुने हुए वस्त्र, रबड़ उत्पाद, परिशुद्धता घटक, दस्ताने, इन्जीनियरी उत्पाद, हाइड्रालिक पम्प, इलैक्ट्रानिक घटक, आयुर्वेद उत्पाद और रत्न एवं आभूषण ।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा खरीद

427. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के सुधार सम्बन्धी कार्यों में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के हितों की अनदेखी करते हुए उत्तरी क्षेत्र से खरीद में वृद्धि की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से सरकारी मन्त्रालयों/विभागों के लिए माल और उपस्करों की केन्द्रीयकृत खरीद की नीति का पुनरीक्षण किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि मन्त्रालय/विभाग के अपने इस्तेमाल के लिए मदों की तदर्थ अधिप्राप्ति के कार्य को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में इस कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों और स्टाफ के साथ विभिन्न मांगकर्ता मन्त्रालयों/विभागों में स्थानान्तरित कर दिया जाए । सरकार द्वारा की जाने वाली अधिकांश खरीद से होने वाले लाभ में कोई कमी न आए इसलिए पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय उन आम इस्तेमाल में आने वाली मदों की अधिप्राप्ति का कार्य करता रहेगा जिनके लिए एक से अधिक मन्त्रालयों/विभागों से मांग प्राप्त होती है ।

सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की गई थी । तथापि, उक्त निर्णय की पुनः समीक्षा की जा रही है और इस निर्णय के आधार पर की जा रही विभिन्न कार्रवाइयों को आस्थगित कर दिया गया है ।

(ख) से (घ) जी नहीं ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों से की गई कुल खरीद का विवरण निम्नलिखित है। इससे पता चलता है कि उत्तरी क्षेत्र से की गई खरीद लगभग एक समान है, पूर्वी क्षेत्र से की गई खरीद में बढ़ोत्तरी हुई है और दक्षिणी क्षेत्र से की गई खरीद में गिरावट आई है। तथापि, खरीद को व्यापक बनाने के लिए और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की खरीदों में अन्य क्षेत्रों के पूर्तिकर्ताओं को शामिल करने के लिए हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि फर्मों के पंजीयन को विकेन्द्रीकृत कर क्षेत्रीय मुख्यालयों को दे दिया जाए जो कि इस समय केवल नई दिल्ली से किया जा रहा है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा 1987-88 से 1989-90 में की गई कुल खरीद

वर्ष	उत्तरी क्षेत्र मूल्य (करोड़ रु०)	पूर्वी क्षेत्र मूल्य (करोड़ रु०)	दक्षिण क्षेत्र मूल्य (करोड़ रु०)
1987-88	903.94	538.33	412.04
1988-89	1049.68	643.97	383.36
1989-90	1031.90	685.63	319.53

कोलार सोना खानों में सोने का उत्पादन

428. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की कोलार सोना खानों में सोने के उत्पादन में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) क्या कोलार सोना खानों से सोने की प्राप्ति में हो रहे ह्रास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भंडारों का पता लगाकर स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) क्या उत्पादन में हिस्सेदारी के आधार पर किसी विदेशी कम्पनी के साथ कोई सहयोग करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित सहयोग के व्यापक आधार क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्वाटेमाला इलायची

429. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल से होकर भारत में ग्वाटेमाला इलायची की तस्करी का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस तस्करी को रोकने के क्या उपाय किए गए है; और

(ग) इनके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारत नेपाल क्षेत्र की सीमावर्ती भूमि ग्वाटेमाला इलायची सहित निषिद्ध माल की तस्करी के लिए बराबर संवेदनशील बनी हुई है। इस क्षेत्र के सम्बन्धित सीमाशुल्क कार्यालयों को इस प्रकार की

तस्करी के प्रति चौकस रहने के लिए सतर्क कर दिया गया है तस्करी की रोकथाम करने और उसका पता लगाने के लिए सभी सम्बद्ध एजेंसियों के बीच निकट से ताल-मेल रखा जाता है। तस्करी के सुगम्य क्षेत्रों में कर्मचारियों की फिर से तैनाती की जाती है और उपस्कर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप, वर्ष 1988 में पकड़ी गई 3.50 लाख रुपए मूल्य की इलायची के मुकाबले वर्ष 1989 में 9.13 लाख रुपए के मूल्य की छोटी इलायची पकड़ी गई। 1990 में तस्करी-निरोधी अभियान की गति को जारी रखा गया है और सितम्बर माह तक 7.30 लाख रुपए के मूल्य (अनन्तिम) की छोटी इलायची पकड़ी जा चुकी है।

ऋणों के लिए समर्थक सहजमानत

431. **श्री उत्तम राठौड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात के बावजूद कि बकाया संविधि ऋण की राशि से अचल सम्पत्ति अधिक है और पहली वसूली और कार्यकारी पूंजी की चालू परिसम्पत्ति (कम्पनी द्वारा की गई अपेक्षित अतिरिक्त व्यवस्था सहित) से की जाती है, राष्ट्रीयकृत बैंक कम्पनियों के प्रमोटरों और निदेशकों से वैयक्तिक गारन्टी के रूप में सह-जमानत की मांग कर सकता है;

(ख) क्या इस प्रकार सहजमानत लेना भारतीय रिजर्व बैंक की नीति है;

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान में कुछ बैंक इस जमानत पर जोर दे रहे हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके दिशानिर्देशों के अनुसार, जब कभी आवश्यक हो, बैंक निदेशकों से व्यक्तिगत गारंटियां प्राप्त करने का विवेकाधिकार रखते हैं। तथापि औद्योगिक एककों में बढ़ती रूग्णता और परिणामस्वरूप बैंकों को होने वाले ऋण घाटों में वृद्धि को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि उन मामलों में जहां अग्रिम मंजूर करते समय उनके द्वारा गारन्टियां समयोचित नहीं समझी जाती हैं, उन्हें अलग-अलग निदेशकों से हलफनामा प्राप्त करना चाहिए और उधारकर्ता कम्पनियों द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध में इस आशय का शपथ पत्र भी शामिल करना चाहिए कि एकक के नकद घाटा उठाने की स्थिति में निदेशक को अपने व्यक्तिगत क्षमता पर गारन्टियां निष्पादित करना होगा यदि बैंक ऐसी मांग करते हैं फिर भी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे व्यावसायिक निदेशकों/प्रबन्धकीय कार्मिकों के व्यक्तिगत गारन्टी पर जोर न दें। ऐसा केवल उन्हीं मामलों में किया जाए जिसमें वे कम्पनी में महत्वपूर्ण शेयर धारिता रखते हों। व्यक्तिगत गारन्टी पर सामान्य नीति का उद्देश्य मुख्यतया प्रवर्तक निदेशकों के मन में अधिक उत्तर दायित्व और जिम्मेदारी की भावना डालना है। ये उन व्यवसायिक निदेशकों/प्रबन्धकीय कार्मिकों से अलग है, जो इक्विटी के द्वारा स्वामित्व पाने में अधिक रुचि नहीं रखते हों और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सहायता-प्राप्त एककों के मामलों में निरन्तर रूचि दिखलाते है और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें छोड़ते नहीं है।

शुल्क/कर अपवंचन के मामले

432. **श्री अन्नाराव हरा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व आसूचना निदेशालय ने वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 और चालू वर्ष के दौरान फर्मों/व्यक्तियों द्वारा शुल्क/कर अपवंचन तथा अन्य कपटपूर्ण लेन-देन के कितने मामलों में मुकदमे दायर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों/व्यक्तियों आदि के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप जिन फर्मों/व्यक्तियों ने दस लाख रुपयों के अधिक के दण्ड का भुगतान किया है उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राजस्व आसूचना निदेशालय ने वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 और 1990-90 (नवम्बर तक) के दौरान शुल्क/करों के अपवंचन तथा अन्य कपटपूर्ण लेन-देन के 590 मामलों और न्याय-निर्णयन के 148 मामलों मे मुकदमे दायर किए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के उपबंधों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है और वह शुल्क/करों के अपवंचन के मामलों का संचालन नहीं करता।

उन फर्मों/व्यक्तियों जिन पर दस लाख रुपए और उससे अधिक रुपए का जुर्माना और शास्ति अधिरोपित की गई है उनके नाम निम्नलिखित हैं :

1. श्री नारैन चोकसी
2. मैसर्स आर० एम० इन्डस्ट्रीज
3. मै० आर० एन० ट्रेडिंग कम्पनी
4. मै० दिनार केमीकल्स (गोआ)
5. श्री एन० पी० आजोडिया
6. मैसर्स एमफोल इन्डस्ट्रीज
7. मै० कमांडर कम्प्यूटर लिमिटेड, उड़ीसा
8. मै० ओमेक्स इण्डिया, गाजियाबाद
9. मै० शिव शंकर इण्टरनैशनल कलकत्ता
10. मै० ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई
11. मोह० हुरून कपाडिया एण्ड सुलेमान दादा गोध
12. हाजी हाजी सुभानिया आफ साल्या
13. मैसर्स माइक्स पोलीकोटस
14. मैसर्स हिन्दुस्तान अलाय मैन्यु० कम्पनी लिमिटेड, बम्बई।

बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति

433. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक महीने की पहली तारीख को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक क्या था;

(ख) वर्ष 1990 में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर क्या थी;

(ग) वर्ष 1990 में प्रत्येक महीने की अन्तिम तारीख को मुद्रा-स्फीति की अन्तः मासिक दर क्या थी; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए एक बहुमुखी नीति शुरू की है । इसमें, सरकारी व्यय पर रोक के माध्यम से कठोर राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन, नकदी के फैलाव पर रोक और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और मांग का अधिक प्रभावी तरीके से प्रबन्ध शामिल हैं ।

विवरण

थोक मूल्य सूचकांक (19-1-82=100) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100)

मास	प्रथम सप्ताह में सूचकांक	मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर	परिवर्तन प्रतिशत (मासिक)	सूचकांक	वार्षिक मुद्रास्फीति दर	परिवर्तन प्रतिशत (मासिक)
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल	172.2	9.3	1.6	180	7.8	1.7
मई	173.7	8.7	0.9	182	7.7	1.1
जून	175.3	8.4	0.9	185	8.8	1.6
जुलाई	178.8	9.8	2.0	189	9.9	2.2
अगस्त	180.2	8.6	0.8	190	9.2	0.5
सितम्बर	180.7	7.6	0.3	191	8.5	0.5
अक्तूबर	181.5	7.6	0.4	195	10.8	2.1
नवम्बर	184.1	9.7	1.4			
दिसम्बर	184.9	10.6	0.4			

जापान द्वारा खाड़ी सहायता कोष की स्थापना

434. श्री राम नाईक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाड़ी संकट की समस्या से निपटने के लिए जापान ने भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और अन्य एशियाई देशों की सहायता हेतु खाड़ी सहायता कोष बनाया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं।

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अपनी आवश्यकताओं, आवश्यकताओं के स्वरूप तथा आवश्यकता की मात्रा के बारे में जापान सरकार को सूचित कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) यह पता चला है कि जापान ने मिस्र, जोर्डन और तुर्की के फ्रंटलाइन देशों को 2 अरब अमरीकी डालर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। भारत सरकार ने खाड़ी संकट के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जापान सरकार को अवगत करा दिया है। हमने, अपनी विदेशी वित्त पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सम्भव सहायता पर विचार करने के लिए जापान सरकार से सम्पर्क किया है।

"केरल में औद्योगिक गृहों को वन भूमि पट्टे पर देना"

435. श्री पलाई के० एम० मैथ्यू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्वालियर रेयन इत्यादि जैसे औद्योगिक गृहों को वन भूमि पट्टे पर देने के केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या इसका पारिस्थितिकी संतुलन, धान की खेती, निर्धन लोगों की जलावन की आवश्यकता और हजारों स्थानीय लोगों की आजीविका पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) मंत्रालय में इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इलायची का उत्पादन

436. श्री बी० कृष्ण राव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इलायची के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इलायची का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री कांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान छोटी इलायची का उत्पादन निम्नानुसार रहा है :

1987-88	—	3200 मी० टन
1988-89	—	4250 मी० टन
1989-90	—	3100 मी० टन

उत्पादन में उतार-चढ़ाव सूखा तथा चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बार-बार आने के फलस्वरूप रहा है।

(ग) मसाला बोर्ड इलायची की उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजन से दीर्घावधि एवं अल्पावधि दोनों प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है जिनमें अधिक उपज देने वाली किस्मों पर अनुसंधान, और पुनर्रोपण, सिंचाई तथा विस्तार आदि की विकास योजनाएं शामिल हैं।

आयकर तथा उत्पाद शुल्क अपवंचकों की सूचना देने वाले को पुरस्कार

[हिन्दी]

437. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर तथा उत्पाद शुल्क चोरी करने वालों की सूचना देने वाले व्यक्ति को कोई नकद पुरस्कार दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सूचना देने वालों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी किए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां, मार्गदर्शी निर्देशों के अन्तर्गत पुरस्कार का भुगतान ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जो अतिरिक्त आयकर की वसूली के लिए और उत्पाद शुल्क की अपवंचना का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण और विशिष्ट सूचना देता है जो प्रत्यक्षतः सहायक होती है।

सूचना अथवा नकद पुरस्कार के वितरण का प्रकटीकरण करने से सूचना देने वाले व्यक्ति की जान को भयंकर खतरा हो सकता है और सूचना के इस महत्वपूर्ण स्रोत से भी हाथ धोना पड़ सकता है।

(ग) और (घ) अधिकारियों के उपयोग के लिए, सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शी निर्देश जारी किये जाते हैं। पुरस्कार का निर्धारण जिन कारकों पर निर्भर करता है, वे हैं, सूचना की यथार्थता, सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा की गई सहायता की प्रकृति और उसकी सीमा, जोखिम, कष्ट, उसके द्वारा किया गया खर्च तथा उसके द्वारा किए गए त्याग और वसूल किए गए अतिरिक्त कर/शुल्क की मात्रा। एक अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था भी है जो पुरस्कार प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी के पूर्ण स्वविवेक पर प्रदान की जाती है।

काजू बोर्ड की स्थापना

[अनुवाद]

438. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू बोर्ड की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है;

(ख) क्या काजू बोर्ड की स्थापना से सम्बन्धित कोई अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन है;

(ग) काजू उत्पादन राज्यों द्वारा 1988, 1989 और 1990 के दौरान राज्यवार कुल कितने काजू का उत्पादन किया गया; और

(घ) केरल में किन-किन जिलों में काजू का उत्पादन राज्य में सर्वाधिक रहा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) काजू बोर्ड की स्थापना और उससे संबंधित प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) वर्ष 1986-86, 1987-88 और 1988-89 के लिए उत्पादन के अद्यतन उपलब्ध आंकड़े प्रदर्शित करते हुए एक विवरण संलग्न है।

(घ) काजू निर्यात संवर्धन परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार केरल राज्य में, काजू का सर्वाधिक उत्पादन कन्नानोर जिला में होता है।

विवरण

ए : क्षेत्रफल हैक्टेयर में
पी : उत्पादन मी० टन में
पी० टी० : उत्पादकता (किग्रा०/हेक्टे०)

राज्य	1986-87			1987-88			1988-89	
	ए०	पी०	पी० टी०	ए०	पी०	पी० टी०	ए०	पी०
केरल	154854	130900	1122	155263	134000	1027	155263	136900
कर्नाटक	70557	23080	603	72374	22940	638	72374	23680
आंध्र प्रदेश	69889	29070	897	70469	31860	1024	71019	34260
तमिलनाडु	94770	11850	128	94770	11980	130	95370	12360
गोआ	44139	11310	288	44139	12090	286	44239	12780
महाराष्ट्र	22692	19120	637	22692	21360	941	22752	24380
उड़ीसा	58197	18560	782	58789	22320	833	59983	26770
प० बंगाल	6698	2440	697	6698	3404	1001	6798	2892
पांडिचेरी	363	245	761	363	257	781	363	265
त्रिपुरा	839	51	59	839	50	60	1126	48
कुल	522998	245576	654	527395	260261	674	529287	274335

काली मिर्च का निर्यात

439. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान काली मिर्च का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान किन-किन देशों को कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की काली मिर्च निर्यात की गई;

(ग) क्या वर्ष 1990 के प्रारम्भिक दस महीनों के दौरान काली मिर्च के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में उतार-चढ़ाव हुआ;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार काली मिर्च के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) काली मिर्च का उत्पादन निम्नानुसार रहा :

	सरकारी अनुमान (मि० टन)	व्यापारिक अनुमान (मि० टन)
1988-89 (नव० अक्तू०)	43420	45000
1989-90 (नव०-अक्तू०)	65000*	70000

*कोकोआ, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट के प्रारम्भिक अनुमान।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) और (घ) विवरण 2 संलग्न है।

(ङ) काली मिर्च का निर्यात बढ़ाने के लिए किए उपायों में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों का आयोजन, बाजार अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, प्रचार अभियान और मसाला बोर्ड द्वारा बंगलौर में विश्व मसाला बैठक का आयोजन शामिल है।

विवरण-I

वर्ष 1988-89 के दौरान भारत से काली मिर्च (समूची देशवार निर्यात)

(मात्रा : मि० टन : मूल्य : रु० हजार में)

देश	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सोवियत संघ	15586	847931	15432	534674
संयुक्त राज्य अमरीका	1245	51720	3817	128460
युगोस्लाविया	738	34335	835	28320
जर्मन संघीय गणराज्य	277	12265	1073	36476

1	2	3	4	5
फ्रांस	270	11886	65	1898
इटली	800	34760	1658	54019
नीदरलैंड	590	29534	531	16643
ब्रिटेन	292	13818	332	11747
जर्मन जनवादी गणराज्य	1044	44308	1720	56856
रोमानिया	150	6675	535	17661
सऊदी अरब	288	13266	1235	42846
मिस्र	15	511	264	8540
संयुक्त अरब अमीरात	338	14760	591	19549
चैकोस्लाकिया	803	39062	800	23475
कनाडा	674	26130	1240	38745
अन्य	2436	110285	1545	51040
कुल	25562	1291245	31683	1075949

नोट : आंकड़े केवल नवम्बर तक

स्रोत : मार्च 1988 तक सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रकाशित निर्यात की रोजाना की सूची
अप्रैल 1988 से : सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी लदान बिल (अनन्तिम)

विवरण-2

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का ब्योरा नीचे दिया गया है

वर्ष 1989-90 के दौरान न्यूयार्क बाजार में काली मिर्च (एम० जी०-1) की मासिक अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें

महीना	1989		1990	
	(सेन्ट्स/एल० बी०)	(रु०/किग्रा०)	(सेन्ट्स/एल०बी)	(रु०/किग्रा०)
जनवरी	153.8	51.4	107.0	35.80
फरवरी	161.8	54.4	110.8	37.30
मार्च	159.0	54.4	115.4	39.50
अप्रैल	160.0	55.4	118.0	44.86
मई	154.0	54.0	107.0	40.10
जून	141.8	51.4	97.0	37.13
जुलाई	115.5	41.9	83.0	31.76

1	2	3	4	5
अगस्त	108.0	39.6	86.0	32.77
सितम्बर	108.2	40.0	88.0	34.07
अक्तूबर	124.7	46.4	93.0	36.77
नवम्बर	131.3	49.0	92.0	36.72
दिसम्बर	112.8	37.4	—	—

स्रोत : मार्किट न्यूज सर्विस, आई० टी० सी०, जेनेवा ।

"हाथियों की जनसंख्या"

440. **श्री मुल्लापली रामचन्द्रन** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हाथियों की जनसंख्या के बारे में सरकार ने कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार का "प्रोजेक्ट टाईगर" के समान हाथियों के संरक्षण के लिए कोई कदम उठाने का विचार है;

(घ) वर्ष 1990 के दौरान मारे गए हाथियों की ज्ञात कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाथी का अधिकृत शिकार करने वालों को पकड़ने के लिए केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को कोई मार्गनिर्देश अथवा सहायता दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा हाथियों की समय-समय पर गणना की जाती है। इस समय हाथियों की अनुमानित संख्या 15,700 और 17,500 के बीच है ।

(ग) जी हां ।

(घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) (1) अवैध शिकार-रोधी गतिविधियों के समन्वय के लिए चार दक्षिणी राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों की एक समिति बनाई गई है ।

(2) "वन्यजीवों के अवैध शिकार और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवैध शिकार-रोधी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदान की गई सहायता इस प्रकार है :

कर्नाटक	—	25.50 लाख रुपये
केरल	—	12.20 लाख रुपये
तमिलनाडु	—	7.24 लाख रुपये
कुल	—	44.94 लाख रुपये

"सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित प्रतिपूरक वनरोपण"

441. श्री परसराम भारद्वाज : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरदार सरोवर परियोजना से सम्बन्धित प्रतिपूरक वनरोपण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इस संबंध में किए गए प्रतिपूरक वनरोपण का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : सरदार सरोवर परियोजना के लिए 40,700 हैक्टेयर पर क्षतिपूरक वनरोपण करने का लक्ष्य है और नवम्बर, 1990 तक 3,016 हैक्टेयर पर क्षतिपूरक वनरोपण किया गया है। वर्ष-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

महिलाओं के मामले में बचाव पक्ष के लिए सरकारी वकील के पदों का सृजन

442. श्री माधवराव सिंधिया : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार महिलाओं के मामले मे बचाव पक्ष के लिए केन्द्र में तथा राज्यों में सरकारी वकील के पदों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन पदों का सृजन कब तक किया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"वायु प्रदूषण निगरानी कार्यक्रम"

443. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न नगरों और शहरों में वायु प्रदूषण निगरानी कार्यक्रम पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन नगरों और शहरों को प्रदूषित पाया गया है;

(ग) इन नगरों और शहरों में वायु प्रदूषण के लिए किन प्रमुख तत्वों को जिम्मेवार पाया गया है; और

(घ) इन नगरों और शहरों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) देश के विभिन्न नगरों और कस्बों में वायु प्रदूषण की निगरानी निरन्तर चलने वाला कार्यक्रम है। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अब तक 220 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित कर लिए गए हैं।

(ख) और (ग) गर्मियों में धूल भरी प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण मुख्य भूमि में स्थित नगरों में निलम्बित धूल कण अधिक मात्रा मे पाए जाते हैं। इन नगरों में मुख्य रूप से औद्योगिक उत्सर्जनों, वाहनों के निस्रावों और प्राकृतिक धूल के कारण वायु प्रदूषण होता है।

(ख) देश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं।
2. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।
3. परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं।
5. उद्योगों के स्थान निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिदेश तैयार किए गए हैं।
6. उद्योगों को निर्धारित सीमाओं के भीतर उत्सर्जनों के विसर्जन के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की स्वीकृति की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
7. उद्योगों को एक समय-बद्ध आधार पर आवश्यक वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने के निदेश दिए गए हैं।
8. प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों से अन्यत्र ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
9. दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है।
10. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981 में संशोधन करके इसको अधिक व्यापक बना दिया गया है और इसमें अधिनियम में उपबंधों का उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड देने की व्यवस्था की गई है।
11. पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए संशोधित मोटर (वाहन) अधिनियम, 1988 के तहत 2-6-89 को ठोस उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं और पहली मार्च, 1990 से उनको कार्यान्वित किया जा रहा है। द्रव उत्सर्जन मानक भी अधिसूचित किए गए हैं और वे (पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए) अप्रैल, 1991 से तथा (डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए) अप्रैल, 1992 से लागू होंगे।
12. वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।
13. पेट्रोलियम उद्योग से 1993 तक पेट्रोल में सीसे की मात्रा को कम करके 0.15 ग्राम प्रति लीटर तक लाने को कहा गया है।
14. सरकार ने 6 दिसम्बर, 1990 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार 1 अप्रैल, 1991 के बाद विनिर्मित किए जाने वाले वाहनों के लिए प्रत्येक मोटर वाहन निर्माता अपने द्वारा विनिर्मित किये जाने वाले वाहन का प्रोटो-टाइप केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा परीक्षण किए जाने तथा यानीय उत्सर्जन नियमों के उपबंधों के अनुपालन की स्थिति को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करेगा।

राज्य व्यापार निगम का कारोबार

444. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1989-90 में कुल कितना कारोबार किया;

(ख) गत वर्ष की तुलना में यह कितना कम है; और

(ग) कारोबार में कमी के क्या कारण हैं तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 में दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का कुल कारोबार 1855 करोड़ रुपए का रहा था जो पिछले वर्ष की तुलना में 28% कम रहा।

(ग) कारोबार में यह गिरावट मुख्यतया खाद्य तैलों, प्राकृतिक रबड़ तथा अनेक रसायन एवं औषधीय मदों के कम आयात और बिक्रियों के कारण रही क्योंकि घरेलू बाजार मे इन मदों की पर्याप्त उपलब्धता है।

एस० टी० सी० ने कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1990-91 के लिए वस्तुवार कार्य योजना तैयार की है जिसमें ग्रस्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है और कारोबार बढ़ाने की कार्यनीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

— चुनिन्दा वस्तुओं का सप्लाई आधार सुदृढ़ करना।

— विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए अभिज्ञात एककों के उत्पादन के कुछ भाग अथवा पूरे भाग का निर्यात दायित्व लेना।

— निर्यात अभिमुख परियोजना का वित्तपोषण करना और वित्तीय तौर पर कमजोर कंपनियों को कैप्टिव सप्लाई संसाधनों में बदलना।

— सीधी खरीद तथा निर्यात को बढ़ावा देना।

सिक्किम में "मनी लाण्डरिंग रैकेट"

445. डा० ए० के पटेल :

श्री शंकर सिंह बघेला : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 दिसम्बर, 1990 के टाइम्स आफ इण्डिया में "मनी लॉण्डरिंग रैकेट अनअर्थंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो बड़े औद्योगिक गृहों ने सिक्किम और देश के अन्य भागों में बिना हिसाब-किताब के सैकड़ों करोड़ रुपयों का जाली कम्पनियों में किस प्रकार निवेश किया है;

(ग) ऐसे औद्योगिक गृहों और छापों के दौरान उनसे जब्त किए गए आपत्तिजनक दस्तावेजों का ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आयकर अधिनियम के अधीन दिनांक 15 मार्च, 1990 को तथा उसके परवर्ती दिनों में डालमिया इन्डस्ट्रीज लि०, डालमिया रिसार्ट्स इन्टरनेशनल (प्रा०) लि०, गुजरात हैवी कैमीकल्स लि०, जी० डी० सी० इण्डस्ट्रीज लि०, अन्य सम्बन्धित कंपनियों के व्यापारिक परिसरों को तथा श्री संजय डालमिया, उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं परामर्शदाताओं के आवासीय परिसरों की तलाशियां ली गई एवं सर्वेक्षण किए गए।

उक्त तलाशी की कार्यवाहियों के दौरान जो दस्तावेज अभिगृहीत किए गए, उनमें भारत के विभिन्न भागों से सिक्किम में धन का अन्तरण किए जाने तथा भारत में कारोबार के संबंध में उसका निवेश किए जाने से संबंधित दस्तावेज, शेयर प्रमाणपत्र एवं कोरे अन्तरण-मेमो भी शामिल थे।

सिक्किम में निगमित कतिपय कंपनियों के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं ताकि कर-निर्धारण से अछूती आय पर कर लगाया जा सके क्योंकि सूचनाओं से पता चला है कि उनका नियंत्रण तथा प्रबन्ध-व्यवस्था पूर्णतया दिल्ली में थे। इन कार्यवाहियों को सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

"केरल की विद्युत परियोजनाएं"

446. श्री ए० विजयराघवन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य की उन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जो केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ी है;

(ख) इन्हें कब तक मंजूरी दे दी जायेगी; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने किन-किन परियोजनाओं को मंजूरी दी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) केरल की केवल दो विद्युत परियोजनाएं अर्थात कायमकुलम ताप विद्युत स्टेशन और पूयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना लंबित हैं।

(ख) पूर्ण आंकड़े और पर्यावरणीय कार्य-योजनाएं प्राप्त होने के बाद अधिकतम तीन महीने की अवधि के भीतर निश्चित रूप से निर्णय ले लिया जाता है।

(ग) चार जल विद्युत परियोजनाओं अर्थात पोरिंगल, कुट्टियाडी, कन्नाकुझम और मनियार तथा ब्रह्मपुरम् ताप विद्युत परियोजना को पिछले दो वर्षों के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी गई है।

"राष्ट्रीय संरक्षण नीति"

447. श्रीमती श्री कनक राव गुप्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय संरक्षण नीति के सम्बन्ध में एक प्रारूप नीति विवरण तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी,

हाँ। राष्ट्रीय संरक्षण नीति और पर्यावरण एवं विकास सम्बन्धी नीति विवरण का एक प्रारूप तैयार किया गया है। इस नीति विवरण के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

—सतत विकास का संवर्धन।

—प्राकृतिक संसाधनों का सतत एवं उचित उपयोग;

—नाजुक और संवेदनशील परि-प्रणालियों की सुरक्षा; और

—जीव-वैज्ञानिक विविधता का संरक्षण।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत लगने वाले सामान्य इक्विटी प्रतिबन्धों में छूट

448. श्री अम्बारासु इरा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को निर्यात, प्रौद्योगिकीय विकास और स्वदेशीकरण सम्बन्धी कुछ निश्चित शर्तों को स्वीकार कर लेने पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत लगने वाले सामान्य इक्विटी प्रतिबन्धों से छूट दी गई है और यदि हां, तो ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक कंपनी के मामले में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ख) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध सरकार ने निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने के लिए कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार का इक्विटी मानदण्डों में छूट प्राप्त कंपनियों के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरीकी बहुराष्ट्रीय आई० बी० एम० कम्पनी का भारत में कारोबार

449. श्री अम्बारासु इरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी आई० बी० एम० को 1978 में भारत में अपना कारोबार, इक्विटी के मामले में फेरा नियमों को न मानने के कारण बन्द करना पड़ा था;

(ख) क्या आई० बी० एम० को भारत में पुनः कारोबार आरम्भ करने की अनुमति दे दी गई है, यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) आई० बी० एम० ने हाल ही में किन भारतीय कम्पनी समूहों अथवा निगमों के साथ समझौते किए हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) आई० बी० एम० विश्व व्यापार निगम ने फेरा नियमों के अनुसार चलने की बजाए भारत में अपना कारोबार बन्द कर देना उचित समझा। विदेशी कम्पनियों को भारत में कारोबार करने की

अनुमति वर्तमान निवेश नीति के अनुसार दी जाती है। भारत में किसी प्रकार के सहयोग के संबंध में आई० बी० एम० की ओर से सरकार के सामने इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

उच्च अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच

[हिन्दी]

450. **श्री शंकर मुंजारे** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात और खान मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की संख्या कितनी है तथा इनके प्रबन्ध निदेशकों और उच्च अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध विभाग द्वारा अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच की जा रही है; और

(ख) कितने मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी का निर्यात

[अनुवाद]

451. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान चीनी का भारी मात्रा में निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी चीनी निर्यात करने का विचार है;

(ग) इसका निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा;

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी; और

(ङ) भारत चीनी के उत्पादन में किस सीमा तक आत्मनिर्भर है;

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) चालू वर्ष 1990-91 के दौरान 2 लाख मी० टन चीनी निर्यात करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1991-92 के दौरान संभावित निर्यात बताना अभी संभव नहीं है।

(ग) और (घ) उन देशों को निर्यात होने की संभावना है जो सर्वोत्तम कीमतें/शर्तें देंगे। ऐसी आशा है कि चालू वर्ष के दौरान 2 लाख मी० टन के निर्यात से लगभग 120 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

(ङ) चालू मौसम के दौरान लगभग 107 मी० टन अनुमानित आन्तरिक खपत की तुलना में चालू मौसम में लगभग 110 लाख मी० टन चीनी के उत्पादन का अनुमान है।

"उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से सहायता"

[हिन्दी]

452. श्री हरीश रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कोई सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम पर अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने आगामी कुछ और वर्षों तक इस कार्यक्रम को जारी रखने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी प्रायोजना, जिसे कि विश्व बैंक और यूसेड (यू०एस०ए०आई०डी०) द्वारा सहायता दी जाती है उत्तर प्रदेश, हिमालय प्रदेश, गुजरात, और राजस्थान इन चार राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। प्रायोजना 1985-1986 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किए जाने हेतु स्वीकृत की गई थी।

(ख) उत्तर प्रदेश उप-प्रायोजना का व्यय निम्न प्रकार है—

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपए)
1985-86	19.730
1988-87	19.091
1987-88	25.345
1988-89	34.409
1989-90	43.683

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्य सरकारों के अनुरोध पर दाता एजेंसियों से राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी प्रायोजना को 31-3-93 तक जारी रखने के लिए अनुरोध किया गया है।

खाड़ी देशों के निर्यातकों के लिए समिति

[अनुवाद]

453. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :
श्री परसराम भारद्वाज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी देशों के निर्यातकों की समस्याओं को शीघ्र सुलझाने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या है;

(ग) क्या इन निर्यातकों की सहायता करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) समिति का गठन संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) और (घ) समिति द्वारा खाड़ी देशों को माल भेजने वाले निर्यातकों की समस्याओं के समाधान हेतु लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

मध्य-पूर्व के देशों में आए संकट के फलस्वरूप निर्यातकों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान हेतु गठित अधिकार प्राप्त समिति का गठन

1. वाणिज्य सचिव —अध्यक्ष

2. संयुक्त सचिव (खाड़ी प्रभाग), विदेश मंत्रालय

3. संयुक्त सचिव (विदेश व्यापार), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

4. संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

5. संयुक्त सचिव (नौवहन), भूतल परिवहन मंत्रालय

6. संयुक्त सचिव (बीमा), वित्त मंत्रालय

7. अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, निर्यात ऋण गारंटी निगम

8. नियन्त्रक, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली

9. कार्यकारी निदेशक एक्जिम बैंक आफ इण्डिया

10. संयुक्त सचिव (एफ० टी०-खाना) वाणिज्य मंत्रालय —संयोजक

विवरण-2

खाड़ी के देशों को निर्यात करने वालों के सामने आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं—

(1) ऐसा विनिश्चय किया गया है कि निर्यातकों की नौवहन समस्याओं को दूर करने के प्रयोजन से गठित बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली भ्रमण समिति को गतिशील बनाया जाए।

(2) एक विशुद्ध अस्थायी उपाय के रूप में, खाड़ी देशों को लक्षित निर्यात के लिए पैकिंग ऋण की अवधि 100 दिनों से अधिक आगे और 270 दिनों तक बढ़ाने के सभी मामलों पर रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज की 9.5% की वार्षिक रियायती दर पर प्राथमिक आधार पर विचार किया जाएगा। उन मामलों में समयावधि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा जिनमें निर्यातकों को खाड़ी देशों के अलावा दूसरे देशों में भी वैकल्पिक खरीदार मिल गए हों। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को यह सलाह दी है कि वे समयावधि बढ़ाने संबंधी आवेदन-पत्रों को शीघ्र ही आर० बी० आई० को भेज दें।

(3) वाणिज्यिक बैंकों को इस बात की अनुमति है कि वे बासमती चावल की खरीद पर पेशगियों का भुगतान कर दें। निर्यात प्रयोजन हेतु खरीद के लिए इस प्रकार की अग्रिम राशियों पर चुनिन्दा ऋण नियन्त्रण के उपबन्धों से छूट है। वाणिज्यिक बैंकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे एक ओर फसल के कम-ज्यादा होने के सीजन और दूसरी ओर, खाड़ी क्षेत्र के निर्यात गन्तव्य में चल रही मौजूदा स्थिति से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए निर्यात के लिए यथोचित मात्रा में स्टाक सीमा, अर्थात् 5-1/2 महीने के स्टाक के बासमती चावल के लिए पेशगियां देने पर विचार करें।

(4) मौजूदा स्थिति में इराक तथा कुवेत से निर्यातकों को मिलने वाली राशियां अपने देश लाने में कुछ विलम्ब हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बात दोहराई है कि हालांकि अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त का हिसाब लगाने के लिए निर्यात से मिलने वाली सभी राशियों को कुल मौजूदा परिसम्पत्ति में शामिल किया जा सकता है, फिर भी, न्यूनतम निर्धारित निवल कार्यशील पूंजी (ऋण देने की दूसरी पद्धति के अन्तर्गत कुल मौजूदा परिसम्पत्ति का 25%) का हिसाब कुल मौजूदा परिसम्पत्ति से निर्यात से मिलने वाली कुल राशि को छोड़कर लगाया जाए।

(5) निर्यातकों को यह अनुमति होगी कि वे इराक तथा कुवेत को नौवहन द्वारा भेजे गए ऐसे माल को बेच सकते हैं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक को उल्लेख किए बिना 10% तक की छूट पर वैकल्पिक खरीदारों के लिए दूसरे पत्तनों पर उतारा गया हो। ऐसे मामलों को भारतीय रिजर्व बैंक को विचार करने के लिए भेजा जाएगा जिनमें बीजक मूल्य में छूट 10% अथवा 20,000 रुपए, दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक हो। माल को छूट पर बेचने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी—

(क) यह घटी हुई कीमत जिस पर वैकल्पिक खरीदारों को माल बेचा जाएगा, न्यूनतम निर्धारित कीमत के अनुसार होगी।

(ख) निर्यातक को चाहिए कि वह अनुपातिक आधार पर निर्यात प्रोत्साहन वापिस कर दें।

"वनों और परती भूमि का विकास"

455. श्री नन्दलाल मीणा : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में वनों और परती भूमि के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान के विभिन्न जिलों में परती भूमि के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन जिलों के क्षेत्रों को परती भूमि घोषित किया गया है;

(ङ) क्या इन जिलों के लिए कोई विशेष योजना विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) निम्नलिखित केन्द्रीय केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं तैयार की गई है;

1. एकीकृत परती भूमि विकास प्रायोजना स्कीम
2. ईंधन लकड़ी-चारा प्रायोजना स्कीम
3. लघु वनोपज वृक्षारोपण परियोजना (स्कीम)
4. हवाई बीजारोपण परियोजना
5. बीज विकास परियोजना
6. मार्जिन मनी स्कीम
7. विकेन्द्रित जन-पौधशाला परियोजना
8. स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए अनुदान सहायता परियोजना
9. वनों के संरक्षण हेतु अन्त: संरचना के विकास की परियोजना
10. आदिवासी विकास हेतु लाभयोगी-परक परियोजना
11. मरु-स्थल विकास कार्यक्रम
12. सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम
13. जवाहर रोजगार योजना।
14. बाढ़ आने वाली नदियों के आवाह क्षेत्रों में एकीकृत जलसंग्रहण प्रबन्ध
15. नदी घाटी प्रायोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में भू-संरक्षण

संबंधित राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी राज्य प्लान परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात और राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी प्रायोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय परती भूमि पहचान प्रायोजना के अन्तर्गत राजस्थान के 12 जिलों, नामत: अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चुरू, डूंगरपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर,

टोंक और उदयपुर में परती भूमि का मानचित्रण किया गया है। इन जिलों में परती भूमि का कुल विस्तार 4556193 हैक्टेयर है।

(ङ) और (च) उपरिलिखित जिले, राजस्थान में कार्यान्वित की जा रही विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना के अन्तर्गत शामिल है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजनाएं भी उपलब्ध हैं। एकीकृत परती भूमि विकास के लिए प्रायोजनाएं तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

"सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सहायता"

[हिन्दी]

456. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में भारत को किन-किन देशों से कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : सामाजिक वानिकी प्रायोजनाओं के लिए वर्ष 1979-80 से 30-9-1990 तक की अवधि के दौरान विदेशी दाता एजेंसियों से कुल 455.19 मिलियन अमेरिकी डालर की विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। दाता एजेंसियों में विश्व बैंक, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फार इन्टरनेशनल डेवलपमेंट (यूसेड), स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट आथोरिटी (सीडा), कनेडियन इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (सीड), ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेन्स (ब्रिटेन), डेनिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (डेनिडा) शामिल हैं। उपरिलिखित धनराशि में वह सहायता भी शामिल है जो उन प्रायोजनाओं के लिए प्रदान की गई है जो बन्द हो चुकी हैं तथा वे प्रायोजनाएं जो वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही हैं।

"सीमेंट फैक्टरियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी"

[अनुवाद]

457. श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदूषण कम करने हेतु सीमेंट फैक्टरियों द्वारा अपनाई जाने वाली सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नवीनतम प्रौद्योगिकी क्या है;

(ख) क्या सभी सीमेंट फैक्टरियां विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकी को अपना रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सरकार ने सीमेंट संयंत्रों से होने वाले उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित किए हैं और प्रदूषण नियन्त्रण के लिए कोई प्रौद्योगिकी विनिर्दिष्ट नहीं की है

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लोक अदालतों में निपटाए गए/विचाराधीन मामले

458. श्री हरि शंकर महाले : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक अदालतों द्वारा अनेक मामले निपटाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने-कितने मामले निपटाए गए हैं तथा कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ग) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान महाराष्ट्र और दिल्ली में कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक लोक अदालतें गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों के सम्बन्ध में राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। सामान्यत: लोक अदालतों में लिए गए मामले उसी दिन निपटाए जाते हैं। ऐसे मामले जो न्यायालयों से निपटारे के लिए जाते हैं, किन्तु लोक अदालतों द्वारा निपटाए नहीं जाते हैं, सम्बन्धित न्यायालयों को निपटारे के लिए वापस भेज दिए जाते हैं। अत: लोक अदालतों में कोई मामला लंबित नहीं रहता है।

(ग) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान महाराष्ट्र और दिल्ली में आयोजित लोक अदालतों की संख्या निम्नानुसार है—

राज्य	वर्ष	
	1989	1990
महाराष्ट्र	85	92
दिल्ली	3	2

(घ) और (ङ) लोक अदालतें नियमित रूप से गठित न्यायालय नहीं हैं। वे स्वैच्छिक प्रयास हैं और देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों तथा जिला विधिक सहायता समितियों द्वारा आयोजित की जाती हैं।

विवरण

लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों को दर्शित करने वाला विवरण

(18-12-1990 को राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति को उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित)

क्र० सं०	राज्य बोर्ड का नाम	निपटाए गए मामलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,28,802
2.	असम	3,500
3.	बिहार	35,290
4.	गोवा	513

1	2	3
5.	गुजरात	58,943
6.	हरियाणा	71,094
7.	कर्नाटक	2,15,290
8.	मध्य प्रदेश	4,00,622
9.	महाराष्ट्र	33,724
10.	मणिपुर	475
11.	मेघालय	236
12.	उड़ीसा	2,06,301
13.	पंजाब	568
14.	राजस्थान	3,45,154
15.	सिक्किम	10
16.	तमिलनाडु	7,295
17.	त्रिपुरा	159
18.	उत्तर प्रदेश	9,02,243
19.	पश्चिमी बंगाल	868
20.	चंडीगढ़	98
21.	दिल्ली	4,946
22.	पांडिचेरी	326

अपव्यय रोकने के लिए मंत्रालयों/विभागों का सर्वेक्षण

459. **श्री के० सी० त्यागी :**

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार अपव्यय रोकने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का पुनः विस्तृत सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार एक विशेषज्ञ दल के माध्यम से इस प्रकार का कोई अभियान चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस अभियान का ब्योरा तथा इस प्रस्ताव का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से से (घ) व्यय को नियंत्रित करना एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रयोजन के लिए फिर से व्यापक सर्वे

करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को व्यय में अत्यधिक किफायत बरतने तथा व्यर्थ के और अनावश्यक व्यय से बचने के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

ऋण प्रदान करने में कथित अनियमितताएं

[हिन्दी]

460. **श्री जनार्दन यादव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में देवगढ़ जिले में बुधई गांव में और गोंडा जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने में की गई कथित अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि अन्य स्थानों पर काम करने के साथ-साथ बिहार के देवगढ़ और गोड्डा जिलों में कार्य कर रहे संथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका द्वारा अग्रिम देने में अनियमितताएं बरतने के सम्बन्ध में उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

तिलहनों का निर्यात

461. **डा० चिन्ता मोहन :**

श्री फूलचन्द वर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से तिलहनों का प्रतिवर्ष निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन तीन वर्षों के दौरान कितनी टन तिलहन निर्यात किए गए और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को तिलहनों का इस वर्ष भी निर्यात करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तिलहनों की कितनी मात्रा का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ग) वर्तमान निर्यात नीति के अनुसार, अधिकांश तिलहनों के निर्यात पर या तो रोक लगी है या प्रतिबंधित है। किन्तु, तिल और एच० पी०एस० मूंगफली के निर्यात की अनुमति है बशर्ते कि इण्डियन आयल एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन (आई० ओ० पी० ई० ए०) के पास पंजीकरण कराया जाए।

(ख) आई. ओ. पी. ई. ए. से मिली जानकारी के अनुसार, तिल का निर्यात वर्ष 1987-88 में नगण्य, वर्ष 1988-89 में 19.91 करोड़ रुपए मूल्य का 18,890 एम टी (अनन्तिम) तथा 1989-90 में 178.15 करोड़ रुपए का 1,38,530 एम टी (अनन्तिम) हुआ एच. पी. एस. मूंगफली का निर्यात

वर्ष 1987-88 में 5.11 करोड़ रुपए मूल्य का 4,900 एम टी, 1988-89 में 34.67 करोड़ रुपए मूल्य का 36,850 एम टी तथा वर्ष 1989-90 में 26.83 करोड़ रुपए का 24,790 एम टी हुआ।

(घ) अप्रैल-अक्तूबर, 1990 के आंकड़ों तथा वर्तमान संकेतों पर आधारित अनुमानों के आधार पर यह उम्मीद है कि तिल तथा एच. पी. एस. मूंगफली का निर्यात लगभग 160 करोड़ रुपए का हो जाएगा।

———

92.00 मध्याह्न

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि० नई दिल्ली तथा धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (तमिलनाडु) सोसाइटी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1601/90]

(2) (एक) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (तमिलनाडु) सोसाइटी, तमिलनाडु के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र (तमिलनाडु) सोसाइटी, तमिलनाडु के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1602/90]

पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद, सी० पी० आर० पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, मद्रास, गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1603/90]

(2) (एक) सी० पी० आर० पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, मद्रास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी० पी० आर० पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1603क/90]

(3) (एक) गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी के वर्ष 1990 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1604/90]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962; दिल्ली विक्रय-कर अधिनियम, 1965; सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, और जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 682(अ), जो 5 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जापानी येन और स्वीडन के क्रोनर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को जापानी येन और स्वीडन के क्रोनर में में बदलने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का० आ० 712(अ), जो 13 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सिंगापुर के डालर को भारतीत मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को सिंगापुर के डालर में बदलने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का० आ० 715(अ), जो 14 सितम्बर, 1990 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आस्ट्रेलियाई डालर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय

मुद्रा को आस्ट्रेलियाई डालर में बदलने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) का० आ० 748(अ), जो 28 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा मे अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) का० आ० 816(अ), जो 23 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जापानी येन को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को जापानी येन में बदलने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) का० आ० 820(अ), जो 26 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आस्ट्रेलियाई डालर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को आस्ट्रेलियाई डालर में बदलने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) का० आ० 868 (अ), जो 14 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेल्जियम के फ्रैंक, डच मार्क और डच गिल्डर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को बेल्जियम के फ्रैंक, डच मार्क और डच गिल्डर में बदलने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) का० आ० 880(अ), जो 21 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डेनमार्क के क्रोनर, फ्रांस के फ्रैंक और इटली के लिरे को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को डेनमार्क के क्रोनर, फ्रांस के फ्रैंक और इटली के लिरे में बदलने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) का० आ० 882(अ), जो 22 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आस्ट्रिया के शिलिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को आस्ट्रिया के शिलिंग में बदलने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा०का०नि० 610(अ), जो 2 जुलाई, 19900 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मई, 1990 की अधिसूचना संख्या 171/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह उपबन्ध किया जा सके कि उक्त आयातित माल से निर्मित पैकेजिंग सामग्री भारतीय मानक 7803 भाग (2) 1985 में निर्धारित विनिर्दिष्टों के अनुरूप हो, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० का० नि० 734(अ) और सा० का० नि० 735(अ), जो 23 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रत्यायित समाचार

एजेंसियों द्वारा आयातित दूर संचार और फोटो चित्र उपस्करों पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमाशुल्क तथा संपूर्ण अतिरिक्त और उपसंगी शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० का० नि० 743(अ), जो 30 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 अगस्त, 1989 की अधिसूचना संख्या 225/89-सी० शु० की वैधता बिना किसी समय सीमा के बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० का० नि० 750(अ), जो 3 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बलियोमाइसिन इन्जैक्शन (कैंसर रोधी औषध) के निर्माण के लिए आयातित बलियामाइसिन हाइड्रोक्लोराइड पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल सीमा-शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० का० नि० 752(अ), जो 3 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 31/89-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि ग्लैसिरीन पर मूल सीमाशुल्क की दर मूल्यानुसार 55 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 80 प्रतिशत की जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 784(अ), जो 17 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 अक्तूबर, 1985 की अधिसूचना संख्या 306/85-सी० शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 1992 तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा० का० नि० 785(अ), जो 17 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मनोरंजन पार्क स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित अपनी विदेशी मुद्रा से आयातित चक्करों और झूलों आदि पर 45 प्रतिशत की मूल सीमाशुल्क की एक प्रभावी दर निर्धारित करना और कोई अतिरित शुल्क न लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा० का० नि० 786(अ), जो 17 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जनवरी, 1990 की अधिसूचना संख्या 6/90-केन्द्रीय सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि लौह अयस्क गुटिकाओं पर मूल सीमा शुल्क के मूल्यानुसार 35 प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा० का० नि० 787(अ), जो 17 सितम्बर, 1990 को भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या 321/87-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की मूल्य सीमा में 20 लाख रुपये की सीमा तक वृद्धि की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा० का० नि० 815(अ), जो 1 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 208/81-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन (एफ० एस० एच०) इन्जक्शन और इनएक्टिवेटिड रैबीज वैक्सीन (वेरो सैल) को भी छूट प्राप्त औषधियों और दवाइयों की श्रेणी में शामिल किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा० का० नि० 838(अ), जो 12 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनसे अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट माल पर उसको बंगलादेश, कोरिया गणराज्य या श्रीलंका से आयात करते समय मूल सीमा शुल्क की रियायती दर निर्धारित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा० का० नि० 848(अ), जो 16 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जुलाई, 1990 की अधिसूचना संख्या 220/90-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा० का० नि० 850(अ), जो 19 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनके द्वारा 18 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या 197/90-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि हाई ग्रेड रॉ पाउडर स्पंज आयरन के सम्बन्ध में, जब इसका भारत में आयरन पाउडर के निर्माण के लिए आयात किया जाता है मूल्यानुसार 50 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क निर्धारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा० का० नि० 860(अ) और सा० का० नि० 861(अ), जो 24 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रक्रिया सामग्री (एप्लीकेशन सोफ्टवेयर) के आयात पर सीमा शुल्क पर पूर्ण छूट देना तथा प्रक्रिया सामग्री सहित कम्प्यूटर उपस्करों के आयात पर 25 प्रतिशत का रियायती सीमा शुल्क निर्धारित करना तथा निर्माता निर्यातकों को कम्प्यूटर उपस्करों सोफ्टवेयरों तथा फालतू पुर्जों के आयात पर उपबंगी सीमा शुल्क में पूर्ण छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा० का० नि० 862(अ) और सा० का० नि० 863(अ), जो 24 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट मदों को मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक उद्ग्रहणीय मूल सीमा शुल्क से तथा विनिर्दिष्ट मदों पर 5 प्रतिशत से अधिक अनुषंगी शुल्क से उस स्थिति में छूट देना जब इनका आयात रेडीमेड कपड़ों या होजरी उद्योग में प्रयोग किए जाने के लिए किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा० का० नि० 879(अ) और सा० का० नि० 880(अ), जो 1 नवम्बर, 1990

के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनसे यूरेनियम आक्साइड पर जब उसका न्यूक्लीय शक्ति रिएक्टर में उपयोग के लिए ईंधन तत्वों के संविचरन के लिए आयात किया गया हो, मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क और शून्य अतिरिक्त सीमा शुल्क और उपषंगी सीमा शुल्क से छूट दी जाये तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा० का० नि० 882(अ), जो कि 1 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 160/86-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि 35 प्रतिशत का रियायती मूल सीमा शुल्क लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना में फूड प्रोसेसिंग मशीनरी की कुछ और मदों को जोड़ा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) सा० का० नि० 883(अ) और सा० का० नि० 884(अ), जो कि 1 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनसे सारे माल को मूल तथा अतिरिक्त और उपषंगी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी जाये यदि ऐसे माल का आयात विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत सरकार में किसी अन्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्रों में परीक्षण किये जाने के लिए किया गया हो बशर्ते कि कतिपय शर्तों को पूरा करने पर उक्त माल को पुनः निर्यात किया जाये तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) सा० का० नि० 889(अ), जो कि 1 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनसे 18 दिसम्बर, 1978 की अधिसूचना संख्या 237/78 सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि प्रजनन के प्रयोजनों के लिए आयातित घोड़े, घोड़ियों या बछड़े या बछेड़ियों की निकासी के लिए, प्रक्रिया में सुधार किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नतीस) सा० का० नि० 897(अ), जो कि 7 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे तथा जिनसे मिट्टी हटाने की मशीनरी फोर्क लिफ्ट ट्रकों तथा लोकोमोटिव्स के लिए विद्युत पारेषण प्रणाली के निर्माण के अपेक्षित संघटकों पर 35 प्रतिशत की दर पर मूल सीमा शुल्क निर्धारित किया जाये तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) सा० का० नि० 908(अ), जो 15 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 26 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या 70/81 सी० शु० तथा 1 अगस्त, 1988 की अधिसूचना संख्या 229/88 सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि 'कम्प्यूटर सापटवेयर' को सीमा शुल्क से तब पूर्ण छूट दी जा सके जब अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अनुसंधान प्रयोजन के लिये इसका आयात किया जाये, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1605/90]

(2) दिल्ली विक्रय-कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दिल्ली विक्रय-कर (संशोधन) नियम, 1990, जो 2 जुलाई, 1990 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (15)/90-फिन० (जी०) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1606/90]

(दो) दिल्ली विक्रय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1990, जो 3 जुलाई, 1990 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(42)/88-फिन० (जी०) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1607/90]

(तीन) दिल्ली विक्रय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1990, जो 30 जुलाई, 1990 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(26)/90-फिन० (जी०) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1608/90]

(चार) दिल्ली विक्रय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1990 जो 10 सितम्बर, 1990 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(30/90-फिन० (जी०) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1609/90]

(3) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सिक्का-निर्माण (16 अक्तूबर, 1990 को दसवां विश्व खाद्य दिवस मनाने के अवसर पर 'भविष्य के लिए खाद्य' विषय पर निर्मित 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले एक रुपये के स्मारक सिक्के का मानक भार और उपचार) नियम, 1990, जो 25 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 741(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1610/90]

(4) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों का सुव्यवस्थीकरण तथा पुनरीक्षण) दूसरा संशोधन योजना, 1990, जो 6 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 542(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (अधिकारियों तथा विकास कर्मचारियों की पदच्युति, अधिवार्षिता तथा सेवा-निवृत्ति) संशोधन योजना, 1990, जो 27 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 592(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों का सुव्यवस्थीकरण तथा पुनरीक्षण) तीसरा संशोधन योजना

1990, जो 27 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 593(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) साधारण बीमा (अधिकारियों तथा विकास कर्मचारियों की पदच्युति, अधिवर्षिता तथा सेवा-निवृत्ति) (दूसरा) संशोधन योजना, 1990, को 4 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 753(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों का सुव्यवस्थीकरण तथा पुनरीक्षण) चौथा संशोधन योजना 1990, जो 4 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 754(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(छह) साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन योजना, 1990, जो 1 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 751(अ) में प्रकशित हुई थी।

(सात) साधारण बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) (दूसरा) संशोधन योजना, 1990, जो 9 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित संख्या का०आ० 766(अ)में प्रकाशित हुईथी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1611/90]

(5) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सेवा शर्तों का पुनरीक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 1990, जो 6 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 620 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम तृतीय श्रेणी कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशेष भत्ते) (संशोधन) नियम, 1990, जो 6 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 621(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम प्रथम श्रेणी अधिकारी (सेवा शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन, 1990, जो 1 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 816(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निनम अधिकारी (सेवा की शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1990, जो 9 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 825 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सा० का० नि० 817(अ), जो 4 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारतीय जीवन बीमा जिगम (कर्मचारी) विनियम, 1960 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1612/90]

केन्द्रीय लुगदी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के वार्षिक-प्रतिवेदन तथा कार्य-करण की समीक्षा

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : मैं श्री देसई चौधरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय लुगदी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय लुगदी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय लुगदी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय लुगदी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1613/90]

गर्म मसाला व्यापार निगम लि०, बंगलौर; गर्म मसाला बोर्ड, एर्नाकुलम; बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कोस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई, प्लास्टिक्स एण्ड लिनोलियम्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मुम्बई वर्ष के 989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 61क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) गर्म मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गर्म मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक

प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1614/90]

(2) (एक) गर्म मसाला बोर्ड, एर्नाकुलम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) गर्म मसाला बोर्ड, एर्नाकुलम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) गर्म मसाला बोर्ड, एर्नाकुलम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1615/90]

(3) (एक) बेसिक केमिकल्स, फर्मास्यूटिकल्स एण्ड कोस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कोस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1616/90]

(4) (एक) प्लास्टिक्स एण्ड लिनोलियम्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) प्लास्टिक्स एण्ड लिनोलियम्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1617/90]

———

12.03 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(एक) चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

———

(दो) कार्यवाही सारांश

श्री छेदी पासवान : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति चौथे अधिवेशन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

—————

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना······

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय :(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी, आप अपनी सीट पर जायें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, दल बदलुओं के बारे में जो निर्णय दिया जाना है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह विषय विचाराधीन है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : कौन-सा विषय विचाराधीन है? (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्डु, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : दल-बदलू सदस्यों की वैधता को चुनौती दी गई है, उसके सम्बन्ध में आपका निर्णय क्या है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मामला विचाराधीन है ··आप सीट पर जाएं (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसके लिए समय सुनिश्चित किया जाए। कब तक आप इसमें निर्णय ले पाएंगे? (व्यवधान) दल-बदलू सदस्यों की सदस्यता समाप्त करो···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप नहीं जानते कि इस बारे में कानून है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डु (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आप कृपया शीघ्र ही इस पर निर्णय लें। हम आपके निर्णय लेने के अधिकार पर कोई आपत्ति नहीं कर रहे, परन्तु हम शीघ्र निर्णय चाहते हैं।·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मुझे अभी इसी समय निर्णय लेना चाहिए?

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू : निर्णय लेने में विलम्ब करके आप हमें गलत व्यक्तियों के साथ बैठने के लिए और मंत्रियों द्वारा दिए गए उत्तर सुनने के लिए विवश कर रहे हैं जिन पर दल बदलने का आरोप लगाया गया है···(व्यवधान)। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि इनमें से कुछ राजनैतिक तथा जन जीवन में नैतिकता और शुचिता के नारे लगा रहे हैं और हमें यह सब सुनना पड़ रहा है···(व्यवधान)। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया कल तक अपना निर्णय दे दें। हम आपसे केवल अनुरोध कर रहे हैं···(व्यवधान)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुनी। जो कानून के अनुसार उचित होगा वही होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जाइए, अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही बात आप क्या आप अपना स्थान ग्रहण कर नहीं कर सकते ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया कि यह मामला विचाराधीन है। जो कानून के तहत होगा वही स्पीकर करेगा···यह स्पीकर के विचाराधीन है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सीट पर जाइए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, मैं आपको बुला रहा हूं, आप अपनी बात तो शुरू कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू : महोदय आपने 30 तारीख तक समय दिया था और हमने सोचा था कि आप 30 तक या अगले दिन तक निर्णय ले लेंगे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्डू, कृपया इस पर चर्चा न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्डू, आप एक वरिष्ठ सांसद हैं आप क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : क्या आप इस सत्र में अपने निर्णय की घोषणा कर देंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया अपनी सीट पर चले जाइए। मैं आपसे भी कहूंगा अपने सब दोस्तों से कहूंगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा केवल एक निवेदन है। आपने अपने निर्णय में कहा था कि नोटिसों का जवाब 30 तारीख तक दे दें। हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि 30 तारीख को उत्तर प्राप्त करने के बाद यह मामला शीघ्र निपटाया जाना चाहिए तथा इस आशय का आश्वासन देना चाहिए। बस इतना ही काफी है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी अपने नेता की बात मानिये।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : तभी जा रहा हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : मेरे साथियों के पास इस पर उत्तेजित होने का कारण है। अतः मैं इस बात की वकालत करूंगा कि इस सत्र की समाप्ति से पहले इस विशेष मामले पर साफ तस्वीर सामने आनी चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय कृपया हमारी तरफ भी ध्यान दें। महोदय, यह बहुत ही अविलम्बनीय मामला है। (व्यवधान)

श्री ए० विजयराघवन (पालघाट) : महोदय, पिछले चार दिनों से हमें दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है। मैं मांग करता हूं कि सरकार इसका उत्तर दे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश और आपकी आज्ञा से···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन रहा हूं। पहले आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से कश्मीर के माइग्रेंट्स के बारे में, इस हाउस के अन्दर, मैं इस प्रश्न को शायद सातवीं या आठवीं बार उठा रहा हूं। पहली सरकार चली गई और यह सरकार भी जाने वाली है या क्या होगा, भगवान ही मालिक है। मेरा कहना यह है कि कश्मीर से आये वे लोग जम्मू और यहां दिल्ली में बोट क्लब पर आज भी वैसे ही बैठे हुए हैं, मेरा मतलब कश्मीर के माइग्रेंट्स से है। वे डेढ़-दो लाख लोग पिछले एक साल से बंजारों की तरह अपना जीवन नारकीय रूप से व्यतीत कर रहे हैं। अपने ही देश में वे लोग शरणार्थी बन कर आये हुए हैं। लगभग एक लाख जम्मू में हैं और लगभग 50 हजार लोग यहां दिल्ली में हैं। उन्हें यहां 750 रु० [illegible]

महीना मिलता है, जो कि हमारे इतना कहने के बावजूद बढ़ाया नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई परिवार आज की महंगाई में 750 रुपये माहवार में अपना काम चला सकता है। एक 10 बाई 20 के टेंन्ट के अन्दर चार-चार परिवार आज रह रहे हैं, जम्मू के अन्दर और मैं स्वयं जम्मू में गया हूं। वे लोग वहां जिस तरह से जानवरों की तरह अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, उनका कसूर केवल यही है कि वे भारत-माता को अपनी मां कहते हैं। अगर उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया होता या उनकी बातों में आ जाते तो आज वे कश्मीर में रह सकते थे। अध्यक्ष महोदय, कल यहां सदन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं दंगा पीड़ित क्षेत्रों में इसलिए जाता हूं क्योंकि वहां पर फोर्स आ जाती है और दंगे रुक जाते हैं। न तो पहले प्रधानमंत्री ने और न वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहीं जाकर स्थिति को देखा वे जाकर देखें तो सही कि जम्मू के अंदर क्या हालत है। ठण्ड के दिन चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें एक-एक कम्बल दिया गया है परन्तु सरकार की ओर से न तो उन्हें कोई कम्बल दिया गया है और न कोई सहायता दी गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वह अपने किसी मिनिस्टर को जम्मू के कैम्पों में भेजे। दिल्ली के अन्दर उनकी मांगों पर ध्यान दे। कम से कम उनकी एक मांग तो मुख्य है कि उनका परमानेंट रूप से, सेमी परमानेंट रूप से पुनर्वास किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इसे सरकार देख रही है, आप बैठिये।

श्री मदन लाल खुराना : आपको याद होगा कि आपने पिछली बार खुद इसी कुर्सी से यह कहा था...

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं, कहा था और अभी भी कह रहा हूं।

श्री मदन लाल खुराना : तो आप सरकार को कहिये न।

अध्यक्ष महोदय : सरकार सुन रही है, मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्री मदन लाल खुराना : सरकार को वहां के लोगों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिये। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराइये। (व्यवधान) वे तो चले गये, उनको तो जाना पड़ा। तुम भी जाओगे ...(व्यवधान)...

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : उन्होंने तो पास किया था।

श्री मदन लाल खुराना : लेकिन आप तो कुछ करिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत, आप एन० डी० एम० सी० के बारे में कहिये।

12.15. म० प०

नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, सारे सदन और सरकार का ध्यान एन० डी० एम० सी के कर्मचारियों की चल रही हड़ताल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, एन० डी० एम० सी० के कर्मचारियों ने काफी समय पहले नोटिस दिया

या अपनी मांगों की पूर्ति के लिए बड़े दुख का विषय है कि एन०डी०एम०सी०प्रशासनजो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में है, वह इन कर्मचारियों को फोर्स कर रहा है कि वे हड़ताल को जारी रखें और आज उसी का परिणाम है कि नई दिल्ली एरिया में आज यह हालत हो गई है कि जितनी भी कालोनीज हैं, उनमें पानी नहीं मिल रहा है। यहां काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछ कर आप देख लीजिए उनके घरों के नलों में पानी नहीं आ रहा है। गन्दगी फैल रही है। बड़ी विषम स्थिति है। दिल्ली देश की राजधानी है, सारे मन्त्रिगण यहां रहते हैं, लेकिन आज तक भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पहले वी० पी० सिंह की सरकार थी, उनके प्रभाव में प्रशासन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रिगण और विशेषकर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे गृह मंत्री जी को कहें कि वे कर्मचारियों की हड़ताल के विषय में उनसे बात करें, उनको बुलायें, समझौता करवायें, उनकी मांगों को माना जाये, ताकि हड़ताल समाप्त हो सके। लोगों को पानी मिल सके और नई दिल्ली एरिया के अन्दर जो गन्दगी फैल रही है वह दूर हो सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, रावत जी, बैठ जाइए। अब तो एम० पीज० को भी पानी नहीं मिल रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारी 11 दिनों से अधिक समय से हड़ताल पर हैं वे अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं। करीब दो वर्ष पहले नई दिल्ली नगरपालिका कर्मचारी संघ्या तथा दिल्ली प्रशासन के बीच एक समझौता हुआ था। जो कि शिवशंकरम समिति की सिफारिशों को लागू करने के बारे था। केवल 64 प्रतिशत कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिला था तथा शेष 36 प्रतिशत कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला था। अब ये कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और वे तब तक दोबारा काम पर नहीं जाएंगे जब तक कि सरकार हस्तक्षेप करके वेतन में समानता नहीं लाएगी। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा, कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे तथा समस्या के समाधान के लिए तुरन्त प्रयास करे।

महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि एयरबस ए-320 को पिछली वी० पी० सिंह सरकार द्वारा फरवरी के महीने में उड़ान भरने से रोक दिया था।

इससे सरकार को 200 करोड़ रु० का नुकसान हुआ था। जैसे ही नई सरकार ने कार्यभार संभाला है, नागर विमानन मंत्री ने इस हवाई जहाज की उड़ान को दोबारा शुरू किया है। मैं जानना चाहूंगा, कि इस हवाई जहाज की उड़ानों को रोकने का क्या कारण था। यह केवल राजनीतिक उद्देश्य था जिसकी वजह से इस हवाई जहाज की उड़ानों को रोक दिया था जिससे सरकार को इतना नुकसान हुआ था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जायें।

श्री कमल चौधरी : मैं निवेदन करता हूं, कि इस मामले की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारी पिछले 15 दिन से हड़ताल पर है और हजारों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 3 साल से उनका मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ा है। नई दिल्ली नगर पालिका ने उनके बारे में पास कर के सेंटल गवर्नमेंट के पास मामला भेज दिया था। पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर वी० पी० सिंह की सरकार रही और अब चन्द्रशेखर जी की सरकार है, तीनों सरकारें उनके मामले पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। उनके बारे में जो शिव शंकर कमेटी बनाई गई और उसने जो रिकमेंडेशन की थीं, उनको क्यों नहीं माना जा रहा है ? लाखों लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सफाई का काम नहीं हो रहा है। अस्पतालों में काम नहीं हो रहा है। जो बातें 10 दिन के बाद मानी जायेंगी और लाखों लोगों को तकलीफ देकर मानी जायेंगी, तो उनको अभी क्यों नहीं माना जा रहा है ? मेरा आपसे निवेदन है कि आप होम मिनिस्टर साहब को कहें कि जनता को पानी नहीं मिल रहा है, एम० पीज० को पानी नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं उन कर्मचारियों को बुलाकर, उनके साथ समझौता करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

(व्यवधान)

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित किया है और यह सही है कि नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारी करीब ग्यारह दिनों से हड़ताल पर हैं। इस सम्बन्ध में जो सम्बन्धित मंत्री हैं उनका और सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा और बहुत शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : यह इतना गम्भीर मामला है कि पिछले कई दिनों से लोगों के पास इस क्षेत्र में पानी नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार आज शाम को सदन उठने से पहले जानकारी दें कि सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बात करूंगा। मुझे नहीं पता आप खड़े क्यों हो रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, जो नर्मदा परियोजना है उसमें विस्थापित हजारों आदिवासी हैं। उनका दो दिनों से धरना चल रहा है। उनकी समस्या बहुत ही विकट है क्योंकि आदिवासियों की जमीन पर सारी की सारी परियोजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन उन बेचारों को न ही कहीं कोई रीहैबीलीटेशन की व्यवस्था की जाती है, न उनको उचित प्रतिनिधित्व वहां की परियोजनाओं में दिया जाता है। उन सारी मांगों को लेकर दो दिनों से आदिवासी लोग पूरे देश से यहां पहुंचे हुए है। उनकी समस्या गम्भीर है। मैंने इस सम्बन्ध में ऐडजोर्नमेंट मोशन दिया है। वैसे आदिवासियों की समस्या पर विचार होना चाहिए, मैं चाहता हू कि सरकार इस पर विचार करे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, उड़ीसा के गंजम जिले के 19 खण्डों में 4 नवम्बर को बाढ़ आयी थी जिससे 10 लाख लोग प्रभावित हुए। इस विनाश का आलम ये था कि इस शताब्दी में इसकी मिसाल नहीं है। लोगों तबाही का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। सैंकड़ों गांव पूरी तरह से बह गए हैं और वहां रहने वाले लोगों का अस्तित्व ही उजड़ गया है। नदी ने अपना रास्ता बदला है 1857 से लेकर अब तक की सारी बस्तियों जो उस क्षेत्र में थीं, बर्बाद हो गयी हैं। आज दस लाख लोग खुले में रहे-रहे हैं और उनकी समस्या गम्भीर हो चुकी है। इस बाढ़ के आने के पहले ही राज्य मे आयी अन्य विपदाओं में सरकार ने अपना सारा राहत कोष लगा दिया है। वहां केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि और प्रधानमन्त्री भी गये। फिर श्री राजीव गांधी भी वहां का दौरा कर चुके है। पर वहां की जनता को केन्द्र से कोई मदद नहीं मिल रही है। केन्द्र ने अभी तक इस मुसीबत को खास मामले के रूप में नहीं लिया है। बिना केन्द्रीय मदद के राज्य सरकार के लिए इतने लोगों का पुनर्वास करवाना असम्भव है। हजारों बच्चे भूखे हैं। इतिहास मे बाढ़ के कारण इतना बड़ा विनाश को नहीं देखा गया है। दुर्भाग्य ही है कि राष्ट्रीय प्रेस ने भी इसका पूरा और समुचित प्रचार नहीं किया।

अत: ये मेरी इच्छा है कि सभा में इस पर विचार विमर्श किया जाए मैंने नियम 193 के अन्तर्गत एक सूचना भी दी है। आंध्र प्रदेश के तूफान पर सभा में चर्चा हुई थी। इस विपदा पर भी विचार किया जा सकता है ताकि देश के लोगों को ये पता चले कि देश के इस हिस्से के लोग किस मुसीबत में हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि सभा में इस मामले पर चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली है। कृपया अब आप बैठ जायें।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मेरे साथी श्री कमल चौधरी और श्री हरीश रावत के द्वारा उठाये गये मुद्दों को नहीं टाला जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सिर्फ एन० डी० एम० सी० (नई दिल्ली नगरपालिका) के कर्मचारियों का सवाल उठाया है।

श्री पी० जे० कुरियन : ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे लोगों के जीवन का सवाल है।

पिछली सरकार ने ए-320 विमानों को उड़ानें बन्द कर दी थी और तत्कालीन नागर विमानन महोदय ने ये कहा था, कि वे लोगों की जिन्दगी को खतरे मे नही डालना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ए-320 विमानों की उड़ानें बन्द कर दी है। अब इस सरकार ने इन ए-320 हवाई जहाजों को फिर से उड़ाना शुरू कर दिया है। क्या इसका मतलब ये है कि इस सरकार को लोगों के जीवन की कोई चिंता नही है। फिर पिछली सरकार सारे खाड़ी देश निवासी भारतीयों को वापस लाने के लिए इन हवाई जहाजों का उपयोग कर रही थी। ये अन्तरराष्ट्रीय मार्गों में भी उड़ानें भर रही थीं तथा इनका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा था। पर सभा में यह तर्क दिया गया था कि वह लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं तथा इससे उड़ाने नहीं भरवाना चाहते हैं। सभा का इस सारे घटनाक्रम की सच्चाई का पता होना चाहिए। किसके दबाव में आकर पिछली सरकार ने इसकी उड़ानों को रद्द किया था? (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : क्या आपका इशारा ए-320 एयरबस कम्पनी की ओर है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : ऐसी अफवाहें एवं जनप्रवाह है कि पिछली सरकार ने ऐसा बाहरी शक्तियों के दबाव में आकर किया था। मैं अब ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। यदि इसकी जांच करवाई जाए तो सच्चाई सामने आयेगी और हम भी साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं।

दूसरे यदि पिछली सरकार के द्वारा उड़ानों का बंद किया जाना सही था तो नई सरकार के इस कार्यवाही ने लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है : इसलिए सभा को इस बात को नोट करना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हम लोगों को सच्ची बात का पता चल सके। यह सभा लोगों के जीवन की संरक्षक है और ये सवाल सभी लोगों की जिन्दगी का है। आप भी ए-320 से यात्रा कर सकते हैं। यदि ये खतरनाक है तो हमें इसका पता होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं गया तो आपको भी साथ ले जाऊंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : अतः मेरी मांग है कि सरकार को इस पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए तथा पूरे प्रकरण की जांच करवानी चाहिए।

श्री हरीश रावत : संसदीय कार्य मन्त्री अभी यहां उपस्थित है आप श्री सत्य प्रकाश मालवीय से इस पर बयान देने को कहें।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** (कोयम्बटूर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कोयम्बटूर में जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है, के पीलामाडू क्षेत्र में पुलिस ने लोगों को सिर्फ इसलिए पीटा है कि वे पीने का पानी मांग रहे थे। ये सरकार का कर्त्तव्य है कि वह लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाये। एक तो राज्य सरकार अपने इस कर्त्तव्य के पालन में असफल रही है तो दूसरी ओर सरकार ने पुलिस से पेयजल मांग रहे गरीब लोगों पर हमला करवाया। कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। समूची सभा को इस अमानवीय पुलिस ज्यादती की निंदा करनी चाहिए। मैं इस घटना की अविलम्ब जांच के पक्ष में हूं। मैं ये भी मांग करता हूं कि उन सभी पुलिस अधिकारियों को जनता पर हुए इस अमानवीय तथा निर्दयी प्रहार के लिए जिम्मेवार हैं; मुअतल कर देना चाहिए तथा उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चित्रों की ये प्रतियां मेरे बयान का प्रमाण हैं आपकी अनुमति से मैं इन चित्रों को सदन के पटल पर** रखता हूं।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : अध्यक्ष महोदय, जी० बी० सी० सी० आई० को बाई-पास करके इंटक के साथ मजदूर विरोधी एग्रीमेंट करने पर मजदूरों में काफी रोष है। इस कारण वह 7 जनवरी को हड़ताल पर आ रहे हैं। उन मजदूरों की मांग है कि उन्हें विदआउट सीलिंग 8.33 परसेंट बोनस मिलना चाहिये, जी० बी० सी० सी० आई० में पेंशन के बारे में जो फैसला हुआ था, वह लागू होना चाहिये, 10 परसेन्ट के हिसाब से प्रावीडेंट फंड लागू होना चाहिये, बी० डी० ए० में पर-प्वाइन्ट ढाई रुपये होने चाहिए, ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए, मजदूरों को स्थायी किया जाना चाहिए, अनसाइंटिफिक माइनिंग के चलते गैस, आग और सब्सिडेंस की रक्षा के लिए स्टैबिलाइजेशन का काम होना चाहिये और जो एनवायरनमेंटल डेमेज हुआ है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी

* मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

** चूंकि अध्यक्ष ने अपेक्षित अनुमति नहीं दी इसलिए पत्र/दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

चाहिये और इससे एफेक्टिड जो वहां के लोग हैं उनके रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उनकी मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान दे वरना रेल, पावर, स्टील से सम्बन्धित कारखानों को चोट पहुंचेगी।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : मैं भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं। पिछले कुछ महीनों से हम पिछली सरकार को तमिलनाडु में विदेशियों, जो आतंकवादी हैं, के क्रियाकलापों के बारे मे बताते रहे हैं। पिछली सरकार और तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया है कि तमिलनाडु में आतंकवादी हैं, कि तमिलनाडु में कैम्प हैं, कि वहां नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी होती है और यह सब अब झूठ साबित हो गया है मैं अभी हाल ही में पूर्वी तट का दौरा करके वापिस आया हूं जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। मैं 5-6 मूल गांवों मे गया था मैंने वहां से प्रधानमन्त्री को तार भेजा था मैंने कल प्रधानमंत्री को यह बताया था। मैंने कहा कि मैं एक रिपोर्ट दूंगा जिस पर जांच की जाए यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है जिस पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार किया जाए। पंजाब में, कश्मीर में और असम में जो घटनाएं हो रही है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं हम इस सूची और श्रेणी में एक राज्य को शामिल न होने दें। तमिलनाडु के मूल गांवों में बस सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। वे गांव संपर्क हीन हैं। जल आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। डीजल उपलब्ध नहीं है। इन गांवों में मछुआरे रहते हैं। इन मछुआरा जाति के लोगों को डीजल उपलब्ध नहीं है। मुझे यह सन्देह है कि पिछले 6-12 महीनों से पहले राज्य सरकार ने इन 5-6 गांवों को धीरे-धीरे अलग-थलग कर दिया है ताकि श्रीलंका से आने वाले आतंकवादी तटीय सीमा पर आसानी से पहुंच सकें, वे लोग जब चाहें आ और जा सकें और स्थानीय जनता मुख्य भूमि पर नहीं आ सके। मैंने प्रधानमन्त्री को तार भेजा था। मुझे खेद है कि प्रधानमन्त्री ने मद्रास में एक आम टिप्पणी की। मैं इस पर अपना विरोध व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने प्रधानमन्त्री को तार भेजा है। ये वे तथ्य हैं जिनकी जांच की जा सकती है। इस मामले को राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। इन तथ्यों की जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बस सेवाएं भंग हैं क्या पानी की सप्लाई भंग है, क्या मछुआरों को डीजल नहीं दिया जाता; क्या डीजल की तस्कारी की जाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि तीन मंत्रालयों—गृह मन्त्रालय, पेट्रोलियम मन्त्रालय और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों का एक दल वहां भेजा जाए—जो मामले की जांच करे। मैं नहीं जानता कि प्रधानमन्त्री को तार दिखाया गया है या नहीं। कल जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तार नहीं देखा। मद्रास में जब एक सम्वाददाता ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि "मद्रास में हमें सूचना देने के लिए हमारा दल पर्याप्त है।" मुझे आशा है कि यह आम टिप्पणी है। यदि यह आम टिप्पणी है, तो उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी यह बहुत ही गम्भीर मामला है। विदेश मंत्री यहां उपस्थित हैं; वाणिज्य मन्त्री और विधि मन्त्री भी यहां उपस्थित हैं। उन्हें यह मामला सौंपा जाए। मैं यहां इस आश्वासन की मांग करता हूं कि वे अधिकारियों का एक दल तमिलनाडु भेजेंगे, जो तटीय गांवों में जाकर लोगों से बात करें। जब पिछले शनिवार और रविवार को मैं वहां था, 11 आतंकवादी पुदुपत्तम तथा 4 आतंकवादी सोलियाकुडी में पहुंचे थे। ये गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। मैं यह मांग करता हूं कि मन्त्रीगण इस मामले पर वक्तव्य दें और इस मामले को गम्भीरता से लें। मैं अनुरोध करता हूं कि वे तथ्यों की जांच के लिए अधिकारियों का एक दल नियुक्त करें और सभा को सही तथ्यों की

जानकारी दें कि क्या ये तथ्य सही हैं। लोगों ने मुझे लिखित रूप में दिया है। मैं इसे आज प्रधानमन्त्री को भेज रहा हूं : क्या लोग सच कह रहे हैं? अथवा क्या राज्य सरकार इसे अधिक से अधिक छिपाने में लगी है, जो कि वे पिछले दो वर्षों से कर रहे हैं? मैं सरकार से विस्तृत उत्तर की मांग करता हूं।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले की जांच करूंगा। आप संक्षिप्त वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं उल्लेख करना चाहूंगा। कृपया आप सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मैं इस मामले की जांच कर रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : यदि कोई अनौचित्यपूर्ण कार्य किया जाता है तो उसे सभा में उठाया जा सकता है। यदि आप वर्ष 1954 से इसे देखें तो ऐसे अनौचित्य के उदाहरण हैं जिनका सभा में उल्लेख किया गया है। यह अनौचित्य का कोई एक ही मामला नहीं है। दूसरी सभा में एक माननीय सदस्य ने कुछ कहना आवश्यक समझा था उसने कहा "मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आज भी लोक सभा में हम यह मामला उठा रहे हैं कि हम इस निर्णय का पालन नहीं करते, जिसे विधि विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त नहीं है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसको हाऊस में करने की परम्परा तो नहीं है।

[अनुवाद]

मैं इसकी जांच कर रहा हूं। मैं अभी भी आपको कहता हूं कि मैं इस मामले की जांच कर रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं जानता हूं। कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : हम राज्य सभा के बारे में कोई टिप्पणी न करें।

श्री जसवन्त सिंह : मैं राज्य सभा के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपके लिए जो कहा गया है कि···

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि

[अनुवाद]

मैं उपयुक्त समय पर सभा को सूचित करूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : मैं उन टिप्पणियों का उल्लेख कर रहा हूं जो अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर की गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे यहां न उठाएं क्योंकि मैं मामले की जांच कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक ने भी आपके विनिर्णय के बारे में सभा में

कहा है। मैं उनके द्वारा की गई टिप्पणी का उल्लेख कर रहा हूं (व्यवधान) कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक विरोधी पक्ष के नेता के बारे आपके विनिर्णय की खुले आम आलोचना की थी। राज्य सभा में जो कुछ आपने कहा है और निर्णय लिया है, उनका उल्लेख किया गया है। यह सर्वोच्च अधिकार का सीधा-सा प्रश्न नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : यदि कोई अनौचित्यपूर्ण बात हो जाती है यदि यह टिप्पणियां की जाती है कि सभा का कार्य संचालन कैसा है। इस सभा के अध्यक्ष कैसे निर्णय लेते हैं, निश्चित रूप से यह दलगत की स्थिति का प्रश्न नहीं है। सभा के प्रधान प्राधिकारी पर प्रश्न उठाया गया है। आपके व्यवहार पर प्रश्न उठाया गया है और यह सब किस लिए? इसका सीधा सा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित नहीं कर पा रही है। कांग्रेस दल ने अपना आधार बना लिया है। अब वे उस पर स्थिर नहीं रहना चाहते। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं कांग्रेस दल या किसी अन्य दल का उल्लेख नहीं कर रहा। मैं यहां केवल इस सभा का एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं किसी दल का उल्लेख नहीं कर रहा। मैं इस सभा के एक उदाहरण का उल्लेख कर रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा होगा यदि आप इस पर चर्चा न करें।

प्रो० मधु दंडवते : मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप केवल उदाहरण के बारे में कह सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा। मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं। मैं केवल आपके समक्ष इस सभा की एक मिसाल पेश करने का प्रयास कर रहा हूं। श्री एन० सी० चटर्जी लोक सभा के सदस्य थे। इस सभा से बाहर जाकर मद्रास में उन्होंने राज्य सभा के बारे में अपने भाषण में टिप्पणी की और कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं कि संसद के एक सदन ने विशेष विवाह विधेयक पारित कर दिया है परन्तु यह केवल शैतानों का एक जमघट है जिन्होंने यह विधेयक पारित किया है।" (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : यह एक पुरानी कहानी है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : तदुपरांत राज्य सभा के एक सदस्य द्वारा उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया, उसके उत्तर में उन्होंने कहा, "मैं इस सभा का सदस्य हूं और मैं इस सभा के क्षेत्राधिकार के अधीन हूं।" श्री मावलंकर, जो उस समय पीठासीन थे, ने कहा, "मैं अपने सदस्य को यह भी दूसरे सदन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने की अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम प्रो० कुरियन के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : पश्चिम बंगाल में बैरकपुर स्थित केन्द्रीय जूट और सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान भारत के अत्यन्त महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थानों में से एक संस्थान है। यह न केवल पूर्वी क्षेत्रों की मांग पूरी करता है अपितु देश के अन्य भागों की भी मांग पूरी करता है। यह संस्थान पिछले अक्तूबर से बन्द पड़ा है। चार महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जोकि शोध छात्र हैं तथा शिक्षित एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, ये हैं—डा० सुब्रता घोष, डा० एस० प्रधान, डा० एम० एन० साहा तथा मि० स्वप्न चटर्जी—जिनको उनके कार्यालय से बाहर निकाल कर दुर्भाग्यवश इस सभा के सदस्य श्री तरित वरन तोपदार द्वारा मारपीट की गयी। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, वह संस्थान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं।

श्री अजीत पांजा : श्री निर्मल चटर्जी वहां नहीं गये क्योंकि उन्हें पता था कि वैज्ञानिकों का मामला सही है। उन्होंने कोई दखल नहीं दिया तथा उन्होंने कुछ नहीं कहा। श्री तोपदार ने संसद सदस्य होने के नाते तथा अपने पद का लाभ उठाते हुए धारा 144 का उल्लंघन किया तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या खड़ी कर दी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं हैं।

श्री अजीत पांजा : यदि वह यहां नहीं है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं किसी बाहरी व्यक्ति का हवाला नहीं दे रहा हूं।

संस्थान के 450 कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्यों की जान-माल को बहुत खतरा है। मैं मांग करता हूं कि गृह मन्त्री तथा कृषि मंत्री को संस्थान में एक सशक्त दल भेजना चाहिये जोकि वहां जाकर जांच करे तथा सरकार को जवाब दे, तथा वहां पर शान्ति स्थापित हो सके। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : शोध संस्थान मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है। मुझे पता है कि वहां पर क्या विवाद चल रहा है। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि कर्मचारियों के वेतन में कटौती लागू की गयी है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों ने अपने इस महीने के वेतन को लेने से मना कर दिया है। यह तथ्य कि कुछ वैज्ञानिक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यह केवल प्रेस में छपा है। वहां पर वैज्ञानिकों की असुरक्षा का कोई सवाल नहीं है। कल ही उन्होंने यहां पर मुझसे बात की थी। मैंने उन्हें बता दिया था कि संस्थान में कोई खतरा नहीं है, तथा वैज्ञानिक वहां जाकर अपना कार्य कर सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मुख्य सचिव के कमरे में एक बैठक हुई थी जिसमें संस्थान के निदेशक तथा संसद सदस्य, जिनका उन्होंने जिक्र किया था, भी उपस्थित थे। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) । देश भर में डीजल की जबदस्त कमी है। केरल एक ऐसा राज्य है, जोकि इस कमी से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष महोदय, लाखों आदिवासियों का सर्वनाश हो रहा है, कोई न कोई हल निकाला जाना चाहिये। मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप जब लिखकर देंगे, तो आपको परमीशन मिलेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : केरल में सार्वजनिक उपभोग की सभी वस्तुयें पड़ोसी राज्यों से लायी जा रही है। परिणामस्वरूप, सब्जियों की कमी है। वहां पर एक किलो आलू या प्याज 11 रु० की मिलती है। बंगलौर से त्रिवेन्द्रम तक गाड़ी को आने में एक हफ्ता लग जाता है। पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां की लम्बी कतारें डीजल के लिये लगी हुई हैं। केरल में भुखमरी फैल रही है। मुझे पता लगा है कि डीजल सप्लाई में केवल 10% कटौती की है परन्तु केरल इस कटौती से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मैं पेट्रोलियम मन्त्रालय से निवेदन करता हूं कि इसकी जांच तथा यह सुनिश्चित करे, कि केरल को डीजल का पर्याप्त कोटा दिया जाये ताकि वर्तमान संकट को टाला जा सके।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, काश्मीर घाटी में सरकार नागरिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है। इनके कारण नागरिक और कर्मचारी वहां से पलायन करके देश के अन्य भागों में और जम्मू में आ गए हैं। इसी प्रकार डाक और तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी घाटी में काम नहीं कर सके, वहां से पलायन करके जम्मू में आ गए हैं। विभाग के नियमों के अनुसार अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को न तो कोई भत्ता मिलता है और न ही छुट्टी की कोई तनख्वाह मिलती है। इस समय उनके परिवार राशन के बगैर भूखे मर रहे हैं। मेरा संचार मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि जो लोग जम्मू में आ गए हैं उनको जम्मू में डाक और तार विभाग में काम दिया जाए ताकि वे तनख्वाह ले सकें और अपने परिवारों का पेट भर सकें। (व्यवधान)

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : अध्यक्ष जी, पूर्वोत्तर रेलवे, बिहार में छपरा जिले के मेरवा रेलवे स्टेशन पर दो पैसेंजर गाड़ियों में एक्सीडेंट हो गया। सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं, और अनेकों मारे गए हैं। अभी तक रेलवे मिनिस्टरी से कोई नहीं गया है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इस संसद के अन्दर रेल मन्त्री अपना वक्तव्य दें।

———

12.44 म० प०

देश में डीजल की कमी के बारे में

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में डीजल की इतनी किल्लत है कि हजारों किसान पैट्रोल पम्प पर लाइन लगा कर खड़े हैं, उनको डीजल नहीं मिल रहा है। जब से नयी सरकार आयी है किसानों को सिंचाई के लिए डीजल नहीं दे पा रही है। गांव में खेती सूख रही है। उत्तर प्रदेश का किसान डीजल न मिलने के कारण परेशान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से पैट्रोलियम मिनिस्टर यहां बैठे हैं, वे जवाब दें कि उत्तर प्रदेश में डीजल का संकट क्यों है? मैं एक बताना चाहता हूं कि डीजल का संकट कंट्रोल रेट पर मिलने पर है, ब्लैक में डीजल 8-10 रुपये लीटर पैट्रोल पम्प की बगल में बिकता है। यह सरकार क्या कर रही है? पैट्रोल पम्प पर डीजल की ब्लैक को क्यों नहीं रोक पा रही है? डीजल की सप्लाई क्यों नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश में लाखों किसान परेशान हैं। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष महोदय, नर्मदा प्रोजेक्ट में तीन लाख आदिवासी डूबने वाले हैं। आदिवासियों के साथ वहां के चीफ मिनिस्टर गैर-आदिवासियों को सामने रख कर रायट्स करवाने पर तुले हुए हैं इस तरह की दुर्घटना से बचाने का इमीडिएट उपाय किया जाए ताकि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटे। आदिवासी अपनी जमीनों के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हर जगह डिवेलेप-मेंट के नाम पर आदिवासी एरियाज से आदिवासियों को हटाया जा रहा है। ठेकेदार और दूसरे लोग पुलिस के साथ मिल कर आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। जहां पर शेड्यूल्ड एरिया है वहां पर आदिवासियों को मर्यादा नहीं दी जा रही है और संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। गोरखा लैंड हो सकती है और मुसलमानों के लिए केरल मे जगह दी जा सकती है तो शेड्यूल्ड एरियाज में आदिवासियों को सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का हक क्यों नहीं दिया जा रहा ? आज तक 40 वर्षों की आजादी के बाद भी आदिवासियों के लिए सरकार ने सोचा नहीं है। उनको इधर-उधर खदेड़ा जा रहा है। वे बेकार हो रहे है, उनको उनकी जमीनों से हटाया जा रहा है, उनकी मां-बहनों की बेइज्जती की जा रही है। सेकिण्ड क्लास के नागरिक तक का उनको अधिकार नहीं है। इस पर उचित कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पी० सी० थामस।

(व्यवधान)

12.49 म० प०

श्रीलंका से नारियल का तेल आयात करने के बारे में

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, वाणिज्य मन्त्री यहां पर मौजूद हैं। श्रीलंका से नारियल के आयात से नारियल की खेती पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है। यह आज मलयालम समाचार-पत्र में छपी है। यद्यपि वाणिज्य मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि आयातित तेल का भारत में उपयोग नहीं होगा मलयालम समाचार-पत्र में यह छपा है कि इसको पाम आयल की जगह पर दिया जायेगा। इसे पॉम आयल के स्थान पर वितरित किया जायेगा। इससे नारियल की खेती करने वालों पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

गोआ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा भारत के अनेक भागों में लाखों लोग तथा गरीब किसान ऐसे हैं जो नारियल की खेती पर निर्भर करते हैं।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आयात को रोकने के लिये गम्भीर कदम उठाये जाने चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो भारत के प्रमुख भागों की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी।

मैं इसकी वकालत करता हूं, कि वाणिज्य मन्त्री द्वारा इसका कुछ उत्तर देना देना चाहिये जो कि इस समय यहां पर उपस्थित है। (व्यवधान)

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : महोदय, माननीय सदस्य श्री थामस मेरी जानकारी में यह बात लाये हैं। उन्होने मुझसे जो कहा है जैसाकि समाचार पत्रों में छपा है।

वह मेरे द्वारा केरल से आये संसद सदस्यों के शिष्टमंडल को दिये गये आश्वासन के विरुद्ध है। मैं मामले की जांच करूंगा।

यदि यह गलत हुआ तो मैं समाचार पत्र को त्रुटि दूर करते हुये समाचार प्रकाशित करने को कहूंगा, यदि यह सही हुआ तो अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

———

12.52 म० प०

देश में डीजल की कमी के बारे में — जारी

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक सदस्यों ने इस देश में व्याप्त डीजल संकट की ओर ध्यान दिलाया है। सबसे पहले मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि पिछली 26 नवम्बर से जो दस प्रतिशत डीजल में कटौती की गई थी, उसको सरकार ने वापिस ले लिया है और 26 तारीख से उसको कंप्लिश कर दिया है। उससे जो संकट था, उसमें कम राहत हुई है और पूरा संकट खत्म नहीं हो पाया है··· (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा था कि संकट खत्म नहीं हुआ है। अगर कोई चीज ज्यादा कीमत में और ब्लैक में मिल रही है तो इसका मतलब है कि वह उपलब्ध है और उसकी चोर बाजारी में जो लोग शामिल हैं और जो लोग खरीदते तथा बेचते हैं तो मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि जो भी शिकायत मेरे पास आयेगी, उसके संबंध में सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा। न केवल व्यापारियों के विरुद्ध बल्कि जो अधिकारी दोषी होंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करूंगा। (व्यवधान)

———

डा० वेंकटेश काबडे (नान्देड़) : अध्यक्ष जी, हमारे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा विभाग पर जो अन्याय हो रहा है, वह आपके माध्यम से आपके सम्मुख लाना चाहता हूं। मराठवाड़ा रेलवे ब्राडगेज कन्वरसन के बारे में बजट में जो प्रावधान किया गया था, उसकी आपूर्ति नहीं की गई है। आदिलाबाद से परली रेलवे लाइन के लिए इस वर्ष के बजट में साढ़े नौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। मुझे यह कहने में खेद होता है कि इसमें से एक रुपया भी अभी तक खर्च नहीं किया गया है। इसके भी कुछ तांत्रिक कारण हैं जैसे कि अरजेंसी सर्टिफिकेट का न होना बताया जाता है। वैसे ही नान्देड़ रेलवे डिवीजन के लिए 1.15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। उसमें से एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। इसकी वजह से हमारे विभाग तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विकास में बाधा आ चुकी है। मैं रेल मंत्रालय से यह आश्वासन चाहता हूं कि इस बात की ओर ध्यान देकर यहां के विकास काम को रुकने न दें। (व्यवधान)

श्री हर्षवर्धन (महाराजगंज) : माननीय अध्यक्ष जी, एक विचित्र और विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। संचार राज्य मन्त्री डा० संजय सिंह को लखनऊ की एक अदालत ने सैयद मोदी कांड से दोष मुक्त कर दिया था। अभी 12-13 दिसम्बर को केन्द्रीय सरकार की जो इन्वेस्टीगेटिव एजेंसी है सी० बी० आई० उसने महान्यायवादी की राय से केन्द्रीय गृह मंत्रालय की स्वीकृति से उनको हत्या का अपराधी घोषित किया जाए और उनको मुकदमे में शामिल किया जाए। इसकी एक पिटीशन दाखिल की है वहां उच्च-न्यायालय के समक्ष।···(व्यवधान) एक अजीब विरोधाभास की स्थिति पैदा हुई है। भारत सरकार के मन्त्री को हत्याकाण्ड का दोषी बनाकर कटघरे में खड़ा करने का काम स्वयं भारत

सरकार कर रही है और वह व्यक्ति अभी भी यहां मन्त्री बना हुआ है। महा-न्यायवादी ने किन तथ्यों के आधार पर, किन साक्ष्यों के आधार पर और किन परिस्थितियों के चलते केन्द्रीय मन्त्री को हत्याकांड का दोषी बनाया उसको जानने का हमें हक है। हम यह जानने के बाद सम्बन्धित मन्त्री के बारे में अगली कार्यवाही करने की मांग करेंगे। इसलिए भारत सरकार के महा-न्यायवादी को यहां बुलाकर उनसे पूछा जाये और हम उनसे जानना चाहेंगे कि सैयद मोदी हत्याकांड के अभियुक्त संजय सिंह जोकि केन्द्रीय मन्त्री हैं क्यों भारत सरकार उन पर मुकदमा कर रही है ? मेरी मांग है कि महा-न्यायवादी की राय से हमे जल्द से जल्द अवगत कराया जाये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : महोदय मैं विकृति पैदा करने के एक मामले को आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अकबर, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिये आपकी सेवा में ही मन्त्री महोदय अगले सप्ताह के क्या कार्यक्रम होंगे वे रख रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बोलिये खुराना जी, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है अंडर सेक्शन 22 में कि मैंने आपको एक विशेषाधिकार हनन का मामला वित्त मन्त्री जी के खिलाफ दिया था कि जब सदन बुलाया गया ···

अध्यक्ष महोदय : यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। श्री मालवीय जी।

———

12.38 म० प०

सभा का कार्य

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 31 दिसम्बर, 1990 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्य सूची के सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार
2. असम राज्य में राष्ट्रपति शासन से सम्बन्धित संकल्प पर चर्चा
3. वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (असम) पर चर्चा और मतदान।
4. वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

5. गोवा राज्य में राष्ट्रपति शासन से सम्बन्धित संकल्प पर चर्चा।

6. वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (जम्मू और कश्मीर) पर चर्चा और मतदान।

7. निम्नलिखित पर विचार और पारित करना :—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1990

(ख) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1990 (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री काबड़े।

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्डू, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, मैंने श्री काबड़े को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्डू आपने अभी-अभी अपनी पर्ची भेजी है। मैंने श्री काबड़े को बुलाया है और वह बोलने को तैयार हैं।

श्री काबड़े को मौका दिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

1.00 म० प०

डा० वेंकटेश काबड़े (नान्देड़) : अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त को······

अध्यक्ष महोदय : आप केवल वही पढ़ें जो आपने लिखित में दिया है।

डा० वेंकटेश काबड़े : मैं निवेदन करता हूं, कि निम्नलिखित मुद्दे अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किये जायें :

मैं सुझाव देता हूं कि संविधान की अनुच्छेद 371 (2) में संशोधन को सरकारी सूची में शामिल किया जाये। संशोधन के अनुसार कोंकणा, मराठवाडा तथा विदर्भ जो कि महाराष्ट्र के पिछड़े हुये इलाके हैं के लिये सांविधिक विकास बोर्ड के गठन की व्यवस्था है। महाराष्ट्र का कोंकणा क्षेत्र हमेशा से ही पिछड़ा रहा है तथा इसके सम्मुख विकासोन्मुख पिछड़ेपन को दूर करने के लिये इसे विशेष सुविधायें दिये जाने की आवश्यकता है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर) : महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित मुद्दों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाये।

देश भर के लाखों भूतपूर्व सैनिकों में जबर्दस्त गुस्सा तथा निराशा विद्यमान है क्योंकि केन्द्र सरकार एक पद एक पेंशन योजना को उनके लिये लागू करने में देरी कर रही है। लोक महत्व के

इस मामले पर चर्चा 31-12-1990 से शुरू होकर 4-1-1991 को समाप्त होने वाले सप्ताह में होनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न-लिखित विषयों को सम्मिलित किये जाने के लिए निवेदन करूंगा :

(1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बकाये कोटा को पूरा करने हेतु लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जाये। इसमें जो बेकलॉग है, उनको पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार एक कानून बना दे और वह पार्लियामेंट से पास हो। जो भी अधिकारी उसको लागू नहीं करे, उसके लिए दण्ड का विधान हो। जब हम लोग सरकार में थे तो हमारी भी इच्छा थी कि इसको जल्द से जल्द पेश कर देते लेकिन समयाभाव के कारण यह पेश नहीं हो सका। मैं समझता हूं कि वैलफेयर मिनिस्ट्री ने यह बनाया हुआ है और इस-लिए आग्रह करता हूं कि बाबा साहेब डा० अम्बेडकर के जन्म शताब्दी वर्ष में इसे पेश करके इसे पास कर दिया जाये।

(2) "प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी" सम्बन्धी विधेयक को पेश किया जाये। इस सम्बन्ध में दूसरे सदन में विधेयक पेश हो चुका है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस सदन में भी इसको पेश कर जल्द से जल्द मजदूरों के हित में इसे पास किया जाये।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : यदि बातें नियम 377 के अन्तर्गत हैं तो वे केवल लिखित वक्तव्य में से ही पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : आप सावधान नहीं हैं। यह अगले सप्ताह की कार्यसूची के सम्बन्ध में है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : फिर भी केवल लिखित वक्तव्य ही पढ़ा जाना चाहिये।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये।

(1) ब्यावर की बन्द पड़ी कृष्णा मिल को शीघ्र प्रारम्भ किया जाये। हजारों मजदूर को वर्ष से बेरोजगार और दाने-दाने को मोहताज हैं।

(2) पी० एम० जी० (पोस्टमास्टर जनरल आफिस) अजमेर जो जयपुर में चल रहा है, उसे वापिस अजमेर में स्थानान्तरित किया जाये। अजमेर का अधिकार अजमेर को मिले।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किये जाने के लिए अनुरोध करूंगा :

(एक) उ०प्र० के पर्वतीय क्षेत्रों, जिन्हें योजनागत व्यय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष मदद की जाती है, पिछले एक वर्ष से धनाभाव के कारण इन क्षेत्रों की विकास सम्बन्धी योजना लगभग ठप्प सी पड़ गयी है। योजनागत विकास का धन शान्ति व्यवस्था जैसे कार्यों में खर्च किया जा रहा है। राज्य सरकार को चाहिए कि इन क्षेत्रों का वार्षिक

पर्वतीय विकास योजना का धन इन्हीं क्षेत्रों दे व्यय करे।

(दो) देश की अर्थ व्यवस्था अत्यधिक संकट के दौर से गुजर रही है। पिछले एक वर्ष के श्री वी० पी० सिंह की सरकार के समय में यह अर्थ व्यवस्था उस स्थिति में धकेल दी गयी कि अब यह गम्भीर संकट से गुजर रही है। मैं चाहता हूं कि पिछली सरकार के आर्थिक कुकृत्यों के बारे में नई सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे और मैं संसदीय कार्य मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध मे एक श्वेत पत्र जारी करके सरकार की ओर से एक स्पष्ट आश्वासन दें ताकि देश को मालूम हो सके कि किस प्रकार श्री वी० पी० सिंह की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गम्भीर स्थिति में डाल दिया।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय विधि मन्त्री भी यहां उपस्थित हैं क्योंकि चुनाव सुधारों सम्बन्धी चार विधेयक दोनों सभाओं में, दो विधेयक इस सभा मे तथा दो दूसरी सभा में लम्बित पड़े हैं। इनमें से कुछ वस्तुतः ये सभी विधेयक बहुत महत्वपूर्ण हैं जब तक इनका शीघ्र कार्यान्वयन नहीं होता, तो समय के अन्तराल से इनके कार्यान्वियन पर प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा निर्धारण का और अनुसूचित जाति के निर्वाचन क्षेत्रों के आवर्तन का भी प्रस्ताव है। यह सब कार्य शीघ्र किए जाने चाहिए। अनेक प्रकार के अध्ययन पहले ही किए जा चुके हैं और व्यापक मतैक्य का यह परिणाम सर्वदलीय बैठक में स्पष्ट रूप से सामने आया है।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : आडवाणी जी क्रिश्चियन शेड्यूल कास्ट्स के विरोध मे हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा मत बोलिए। आप कृपया बैठ जाएं···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अतः मैं सरकार से यह वकालत करना चाहूंगा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यह चार विधेयक शीघ्र पारित किए जाए क्योंकि आज सभा पटल पर रखे गये एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों पर भी इन विधेयकों के पारित होने के बाद विचार किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इन दोनों पर एक साथ विचार किया जाए। इन दोनों बातों अर्थात् विद्युत् वोटिंग मशीनों की व्यवस्था और पहचान पत्रों को बनाए जाने के प्रश्न पर एक साथ चर्चा की जानी चाहिए। इनके लिए कानून की आवश्यकता है और इसे पहले ही इसका समर्थन प्राप्त है।

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : अध्यक्ष महोदय, आज की प्रश्न सूची में विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रश्न पूछा गया था परन्तु समय की कमी के कारण इसका उत्तर नहीं दिया जा सका। फिर भी मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के बारे में सोच रहा हूं। प्रश्न यह है कि इन चार विधेयकों में से एक विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजना होगा।

क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन करने में अनेक कठिनाइयां आ रही हैं। एक और भी…

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह बहुत-सी समितियों के कार्यों का परिणाम है। आप अनावश्यक रूप से इसे क्यों टाल रहे हैं ?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह अनावश्यक नहीं है। हम इसलिए विलम्ब कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत अधिक कठिनाइयां हैं। वास्तव में इस सम्बन्ध में दो समितियां हैं। निश्चय ही हम दूसरे पर पहले ध्यान दे रहे हैं। चुनाव सुधारों सम्बन्धी समिति द्वारा एक और निर्णय लिया गया है जिसे बाद में विशेषज्ञ समिति के समक्ष भेजा गया जिसके अध्यक्ष तत्कालीन विधि मन्त्री थे। उसके बाद 11 अगस्त, 1990 को तत्कालीन मन्त्री परिषद द्वारा इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत अयोग्य ठहराने के मामले पर विचार किया गया। इसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि अयोग्य करार करने की शक्तियां अध्यक्ष से लेकर भारत के राष्ट्रपति को हस्तान्तरित की जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि श्री आडवाणी यह बताएं कि क्या वह ऐसे संशोधन का समर्थन करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : चुनाव सुधारों सम्बन्धी समिति ने यह सिफारिश कभी नहीं की थी।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : चुनाव सुधारों सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की थी कि विशेषज्ञ समिति द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह दो पहलू इसमें शामिल नहीं हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह दो पहलू सम्पूर्ण चुनाव पद्धति और दल-बदल विरोधी कानून के विभिन्न पहलू हैं। चुनाव सुधारों सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार सरकार द्वारा आवश्यक परिवर्तनों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि चूंकि सदस्यता की अन्य अनर्हताएं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसलिए 10वीं सूची के अन्तर्गत अनर्हता। (**व्यवधान**)

मैं आपका सहयोग चाहता हूं। पहले से ही आप ऐसा स्वीकार करते आ रहे हैं। क्या आप अतीत को अस्वीकार करना चाहते हो ?

श्री वी० पी० सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 11 अगस्त को निर्णय लिया कि यह संवैधानिक संशोधन किए जाने चाहिए और मैं सदन की राय जानना चाहता हूं कि क्या सदन इस संशोधन का समर्थन करता है। (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं समिति द्वारा की गई सिफारिश से चिन्तित हूं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह कह रहा हूं कि इस समिति ने विशेषज्ञ समिति को इस प्रश्न की जांच करने की शक्ति प्रदान की है। यदि श्री वी० पी० सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में आपसे बाद में सलाह नहीं ली तो यह आपके और उनके बीच की बात है। परन्तु तथ्य यह है कि मंत्रिमंडल का निर्णय है। हम इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। (**व्यवधान**)

संसद में बात करने का यह तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मंत्रि महोदय को उत्तर देने दें।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि आप मंत्रिमंडल के निर्णय को अस्वीकार करना चाहते हो, तो अलग बात है। परन्तु चुनाव सुधारों के सम्बन्ध में आपका यह विचार है।

अध्यक्ष महोदय : श्री समरेन्द्र कुन्डू।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : मैं चुनाव सुधार संबंधी समिति का सदस्य था··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री समरेन्द्र कुन्डू को अनुमति दी है।

श्री हरीश रावत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा···(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : निवेदन हमेशा ही नहीं किए जाते। यदि आप श्री कुन्डू को अनुमति प्रदान कर रहे हैं, हम भी निवेदन करना चाहेंगे। आप हमें भी अनुमति प्रदान करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपनी बात कह दी है। आप यह क्यों महसूस करते हैं कि अन्य लोगों को अपनी बात नहीं कहनी चाहिए ? कृपया बैठ जाइए। हां, श्री कुन्डू।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मंत्री महोदय कृपया मेरी बात सुनें। सम्पूर्ण कार्यसूची में हमारे पड़ोसी देशों नेपाल तथा बर्मा की स्थिति पर चर्चा करने के लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया। बर्मा में लोगों द्वारा क्रान्ति लाकर सरकार परिवर्तित की जाती है। वहां चूहों की तरह लोग मारे जाते हैं। कुछ सहानुभूति अवश्य दिखाई जानी चाहिए। बंगलादेश और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में भी, कुछ चर्चा अवश्य होनी चाहिए···(व्यवधान) मुझे एक मिनट का समय दें। मैंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है कि इस सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। सात-आठ दिन का सत्र केवल संसद की आवाज को दबाने के लिए ही है। क्या आप कभी यह स्वीकार कर सकते हैं कि केवल एक सप्ताह का सत्र हो सकता है ? इस नाटक को करने का क्या लाभ है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। आपने अपनी बात कह दी है। कृपया बैठ जाएं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : यह केवल मामले को उलझाने के लिए है। पंजाब से लेकर बोफोर्स तक··· (व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू : कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस सत्र की अवधि बढ़ाई जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई जरूरत नहीं है कहने की। आप क्या कहना चाहते हैं, वह कहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : सामान्यतया मैं इस अवस्था में खड़ा नहीं हुआ होता और आपकी अनुमति नहीं मांगता। आपकी बहुत कृपा है कि आपने मुझे एक मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी है। मैंने इस चुनाव सुधारों संबंधी समिति में अपने दल का प्रतिनिधित्व किया था। मैंने अपनी राय दी थी। हम कुछ मामलों पर सहमत हुए थे और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से सम्बन्धित कुछ अन्य मामलों में हम सहमत नहीं हुए थे। सम्बल विषय के बारे में हर किसी से अवश्य ही परामर्श करना चाहिए। कांग्रेस से भी परामर्श किया जाना चाहिये और केवल उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिन बिन्दुओं की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया हैं, वे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैंने उन्हें नोट कर लिया है।

— — — —

1.15 म० प०

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

[अनुवाद]

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री के० डी० सुल्तानपुरी के स्थान पर जिन्होंने प्राधिकरण से त्यागपत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) (घ) के अनुसरण मे इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री के० डी० सुल्तानपुरी के स्थान पर जिन्होंने प्राधिकरण से त्यागपत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

— — — —

(दो) तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा 4 (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री जे० चौक्का राव के स्थान पर, जिन्होंने बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा 4 (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री जे० चौक्का राव के स्थान पर, जिन्होंने बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित होती है और म० प० सवा दो बजे पुनः समवेत होगी।

1.17 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.22 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.22 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[श्री जसवन्त सिंह पीठासीन हुए]

समितियों के लिए निर्वाचन

(तीन) प्राक्कलन समिति

श्री हन्नन मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम 1 के साथ पठित नियम 254 के उपनियम 3 में अपेक्षित रीति से इस सभा के सदस्य प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री के० सी० त्यागी के स्थान पर, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य समिति के शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम 1 के साथ पठित 254 के उपनियम 3 में अपेक्षित रीति से इस सभा के सदस्य प्राक्कलन समिति के सदस्य रूप में कार्य करने के लिए श्री के० सी० त्यागी के स्थान पर, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य समिति के शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(चार) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों के नियय 312 ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम 3 अपेक्षित रीति इस सभा के सदस्य से सरकारी उपक्रमों संबधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, सर्वश्री दौलतराम सारण और हुकमदेव नारायण यादव के स्थान पर, जो मंत्रियों के रूप में नियुक्ति के पश्चात् समिति के सदस्य नहीं रहें हैं, अपने में से दो सदस्य समिति के शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम 3 में अपेक्षित रीति इस सभा के सदस्य से सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, सर्वश्री दौलतराम सारण और हुकमदेव नारायण यादव के स्थान पर, जो मंत्रियों के रूप में नियुक्ति के पश्चात समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, अपने में से दो सदस्य समिति के शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(पांच) लोक लेखा समिति

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम 3 में अपेक्षित रीति से इस सभा के सदस्य लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, श्री कान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल के स्थान पर, जो मंत्री के रूप मे नियुक्ति होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे, अपने में से एक सदस्य समिति के शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के साथ

पठित नियम 254 के उपनियम 3 में अपेक्षित रीति से इस सभा के सदस्य लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल के स्थान पर, जो मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे, अपने में से एक सदस्य समिति के शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छ:) लोक लेखा समिति में राज्य सभा से एक सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सिफारिश

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से श्री कमल मोरारका के स्थान पर जो मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे, समिति के शेष कार्यकाल के लिए एक सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा नाम निर्देशित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से श्री कमल मोरारका के स्थान पर जो मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे, समिति के शेष कार्यकाल के लिए एक सदस्य नाम निर्देशित करने लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा नामनिर्देशित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं कुछ अन्य प्रस्तावों का निपटारा करना चाहूंगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय।

2.26½ म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 27 दिसम्बर, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के 17वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 27 दिसम्बर, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 17वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

— — — —

2.27 म० प०

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

31 दिसम्बर, 1990 और 1 जनवरी, 1991 के लिए सूचीबद्ध किए गए प्रश्नों को क्रमशः 9 और 10 जनवरी, 1991 को लिया जाना

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 31 दिसम्बर, 1990 और 1 जनवरी, 1991 के लिए सूचीबद्ध किए गए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों को क्रमशः 9 और 10 जनवरी, 1991 को लिए जाने की अनुमति देने के लिए लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 38 और 39(2) को लागू होने से निलम्बित करती है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा 31 दिसम्बर, 1990 और 1 जनवरी 1991 के लिए सूचीबद्ध किये गये तारांकित और अतारांकित प्रश्नों को क्रमशः 9 और 10 जनवरी, 1991 के लिए जाने की अनुमति देने के लिए लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 38 और 39(2) को लागू होने से निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

— — — —

2.27 3/4 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (जम्मू और काश्मीर), 1990-91

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : मैं (जम्मू और काश्मीर) 1990-91 के लिए बजट सम्बन्धी अनुदान की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1618/90]

2.28 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

सूरीनाम में हाल की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर बयान दें :—

"सूरीनाम में हाल की घटनाओं, से उत्पन्न स्थिति ।"

विदेश मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सूरीनाम में 24 दिसम्बर, 1990 को जो राज्य विप्लव हुआ है उसका नेतृत्व लगभग 10 वर्ष पूर्व हुए राज्य विप्लव की भांति वहां के फौजी नेता ले० कर्नं० बोतरसे ने किया है। टेलीविजन पर अपनी घोषणा में सैन्य नेता ने यह घोषणा की कि चूंकि उसे संसद और सरकार में विश्वास नहीं था, इसलिए सत्ता उसने अपने हाथ में ले ली। उसने यह घोषणा भी की कि सात दिन के भीतर एक अन्तरिम सरकार की घोषणा कर दी जाएगी और सौ दिन के भीतर नए चुनाव करवाए जाएंगे।

2. सूरीनाम का यह राज्य विप्लव सत्ताच्युत असैनिक सरकार और सेना के बीच लम्बे अर्से से चले आ रहे विषम सम्बन्धों की चरम परिणति है।

3. अभी तक किसी हिंसात्मक घटना की खबर नहीं मिली है। राजधानी पारामारिबो में भी स्थिति शांत बताई जाती है। सूरीनाम में करीब 60 भारतीय राष्ट्रिक हैं। उनकी जान अथवा माल को नुकसान होने की कोई खबर नहीं है।

4. हाल के वर्षों में मध्य अमरीका और दक्षिणी अमरीका में लोकतन्त्र की तीव्र लहर चलती रही है। नवम्बर, 1987 के चुनावों से सूरीनाम में भी लोकतन्त्र की पुन: स्थापना हुई थी। सूरीनाम राष्ट्र की आबादी चार लाख है और वहां विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते हैं। भारतीय मूल के लोगों को सूरीनाम में हिन्दुस्तानी कहा जाता है और यह वर्ग वहां का सबसे बड़ा जातीय वर्ग है और कुल आबादी में 34 प्रतिशत ये लोग हैं। सत्ता से हटाई जाने वाली मिली-जुली सरकार में राष्ट्रपति, राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष और 6 मंत्री हिन्दुस्तानी पार्टी वी० एच० पी० से ही थे।

5. हमें आशा है कि सूरीनाम के लोग बहुत जल्दी लोकतन्त्र का सूर्योदय होते देखेंगे जैसा कि उन्हें वचन दिया गया है और वहां शीघ्र ही एक स्वतन्त्र रूप से निर्वाचित सरकार की पुन: स्थापना हो जाएगी। हमारी कामना है कि सूरीनाम की विभिन्न जातियां परस्पर मिलकर शांति से समरसता-पूर्वक और स्वतन्त्र रहें।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति जी, विदेश मंत्री जी ने यहां पर काल-अटेंशन का उत्तर दिया है, मैं समझता हूं कि वह संतोषजनक नहीं है। 24 तारीख को सूरीनाम में सेना ने तख्ता पलटा और वहां शासन पर अधिकार कर लिया और आज 28 तारीख को वहां के बारे में कोई सीधी सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, केवल इतनी बात कही गई है कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो। सभापति जी, इनको वहां के राष्ट्रपति रामसेवक शंकर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही वहां के मन्त्रियों के बारे में कोई जानकारी है कि वे जेल में है या बाहर हैं, कहां पर हैं। वहां पर जो घटनाएं हुई हैं, उनकी भी कोई सीधी जानकारी हमारी सरकार के पास नहीं है।

सभापति जी, यह मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि सूरीनाम ऐसा देश है जिसमें भारतीय मूल के नागरिक हैं, जैसा कि विदेश मंत्री जी ने कहा कि उनको हिन्दुस्तानी कहा जाता है, उनकी संख्या 35 परसेन्ट के लगभग है। वहां पर शासन में, काश्तकारी में, खेती में, करीबन सभी जगह एक तरह से उनका आधिपत्य है, उसके बावजूद बार-बार वहां पर जो माइनारटीज के लोग हैं, जिनका चुनाव में बहुमत के साथ ताल्लुक नहीं है, वे सेना के माध्यम से वहां के शासन पर कब्जा

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

करते रहे हैं। 1975 में सूरीनाम स्वतन्त्र हुआ और स्वतन्त्र होने के समय भी एथनिक और आई- डियालाजीकल जो समस्या है, उसने गभीर रूप धारण कर लिया था। उस समय सूरीनाम की आबादी 6 लाख थी, जिसमें अधिकांश लोग भारतीय मूल के थे, हिन्दू और मुसलमान जो इस देश से वहां पर गए थे, आधे से ज्यादा उनकी जनसंख्या थी। उस समय 2 लाख के करीब सूरीनाम को छोड़कर चले गए, क्योंकि यह डच उपनिवेश था, इसलिए वे लोग वहां पर नीदरलैंड में, अमस्टर्डम में चले गए और 4 लाख लोग बचे। 1980 में भी इसी ले कर्नल बोतरसे ने, जिसका जिक्र विदेश मंत्री जी ने किया है, तख्ता पलटा और 1980 से लेकर 1987 तक, 7 साल तक सैनिक शासन रहा, 1988 में फिर से वहां पर डेमाक्रेसी आई, वहां पर जनतन्त्र आया, भारतीय मूल का राष्ट्रपति बना, विधानसभा अध्यक्ष बना, 6 मंत्री बने और वहां पर काम ठीक प्रकार से चल रहा था। विधान सभा में 51 सदस्य थे और उन्होंने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना था, सर्वसम्मति से जो आदमी राष्ट्रपति चुना गया, हारी हुई पार्टी के ले कर्नल बोतरसे ने सैनिक शासन करके शासन पर कब्जा कर लिया। सभापति महोदय, यह हमारे भारतीय मूल के लोगों के साथ जातीय, और एथनिक डिसक्रिमनेशन दुनिया-भर में हो रहा है, रिलीजन के आधार पर, इसके बारे में भारत सरकार कार्यवाही नहीं करेगी तो और कौन करेगा।

सभापति महोदय, आशा प्रकट की गई है कि बहुत बहुत जल्दी वहां पर फिर से डेमाक्रेसी आ जाएगी। पहले 7 साल के बाद डेमाक्रेसी आई। 1980 में भी जब यह ग्रुप आया था तो वादा किया था कि थोड़े दिनों में डेमाक्रेसी बहाल कर दी जाएगी, अब फिर से कहा गया है कि 100 दिन के अन्दर डेमक्रेसी बहाल करेंगे। पहले 7 साल तक वहां पर जनतन्त्र नहीं आया, चुनाव नहीं हुए। आपने देखा है, फिजी के अन्दर इस तरह की घटनाएं हुई। फिजी में भी भारतीय मूल के लोग बहुमत में हैं, परन्तु उनसे नागरिक अधिकार छीन लिए गए हैं, उनको सीधे रूप से शासन से, सरकार से पूरी तरह से निकाल दिया गया है और ऐसा कांस्टीट्यूशन बनाया गया है जो पूरी तरह से डिसक्रिमिनेटरी है और मानव अधिकारों का हनन करता है। वही घटना यहां पर न हो जाए, इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है ? मैं यह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि भारतीय मूल के लोगों के लिए दुनियां भर में जो डिस्क्रीमीनेशन हो रहा है, पिछले 30-40 सालों में हमारी सरकार ने इसको दुर्लक्ष किया और भारतीय मूल के लोग सब जगह पर पीड़ित हैं, शोषित हो रहे हैं। इसी तरह से चीन के लोग भी दुनियाभर में गए हुए हैं। चीन ने चीन मूल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय में उसको पूरी तरह देखा जाता है। दुनियाभर में जहां-जहां वे गए हुए हैं व उनके हितों की रक्षा की जाती है। हमारे यहां पर तो अलग मंत्रालय का सवाल नहीं है परन्तु कम-से-कम विदेश मंत्रालय में कोई ऐसा सेल होना चाहिए जो इस बात को देखे कि भारतीय मूल के लोग विदेशों में जहां-जहां गए हुए हैं उनके साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, अफ्रीका के देश हैं, मध्यपूर्व के हैं और फिजी और दूसरे देश हैं। यहां भारतीय के साथ भेदभाव होता है, अनेक स्तर इन सवालों को उठाया जा सकता है। इंटरनेशनल फोर्म (फारम है, वहां उठाया जा सकता है। 1980 के बाद जब पहले वहां पर सैनिक शासन हो गया और भारतीय मूल के लोगों को दबा दिया गया, उनको सब जगह से निकाल दिया गया, जेलों में डाल दिया गया

अगर भारत सरकार इन्टरनेशनल फार्म पर यू० एन० ओ० में और दूसरी जगहों पर मानवाधिकारों के सवालों को जोरदार तरीके से उठाती तो 1987 में वहां पर फिर से जनतन्त्र आया था वह 1990 में फिर से खत्म नहीं होता और लेफ्टीनेंट कर्नल बोतरसे ने जो हरकत 1980 में की थी वह हरकत फिर से करने का उसे साहस नहीं होता। क्योंकि हमने सात साल तक कोई कदम नहीं उठाया इसलिए उनका साहस बढ़ गया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह डच सरकार की जिम्मेदारी है, उनका यह उपनिवेश था, आज भी उनका वहां पर चलन है। परन्तु अफ़ीका जो यहां पर जनतन्त्र की दुहाई देता है, जो कुवैत में सेना भेजता है, साउदी अरब में जाकर उस नवाब को तेजी से उठाते हैं, जब मानवाधिकारों के हनन का सवाल फिजी में आता है, सूरीनाम में आता है तो अमरीका चुप हो जाता है। इसलिए वहां के जो लोग माइनॉरिटी में हैं, जिनको क्रियोल कहा जाता है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से वह ईसाई हैं, इसलिए अमेरिका, इंगलेंड, और अन्य पश्चिमी देश सूरीनाम व फिजी में जनतन्त्र की हत्या कर रहे हैं। ये सब लोग सैनिक शासन का भी इतना मुकाबला नहीं करते, उनकी इतनी ज्यादा कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि उनके अन्दर धार्मिक भेदभाव भी शामिल हो जाता है। वहां पर रहने वाले हिन्दू और मुसलमानों की संख्या लगभग 35 प्रतिशत होती है और क्रिश्चियन्स हैं उनकी संख्या 25-30 प्रतिशत भी नहीं है, क्योंकि वे पुलिस, मिलिटरी में चले गए, भारतीय खेती-बाड़ी करते रहे इसलिए प्रायः यही होता रहा कि सेना की मदद से जब चाहे सरकार का तख्ता पलट दें और सालों-साल उनके जनतन्त्र कुचल कर रख दें।

इस स्थिति में भारत सरकार को अधिक प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए। भारतीय मूल के लोगों के लिए, विश्वभर में जो फैले हुए हैं, उनके लिए अलग सेल बनाना चाहिए और जो भी ऐसे सवाल हों उनको इंटरनेशनल फोर्म पर चाहे यू० एन० ए० हो, नाम कंट्रीज हो चाहे/अनअटैचड साउथ-साउथ वाले मुल्क हों उन सबसे अन्दर इन सवालों को गम्भीरता से और प्रभावी ढंग से रखेंगे तो भारतीय मूल के लोग जो भारत की ओर देखते है, 1833 के बाद जब दास प्रदा खत्म कर दी गयी, जब कानूनन तौर पर गुलामी की प्रथा को खत्म कर दिया, अफ्रिका से गुलाम बाहर ले जाने बन्द हो गए तब जाकर भारतीयों को वहां भेजा गया और उन्होंने वहां जाकर पूरी तरह से उस देश की खेती की, व्यापार को, क्योंकि वहा कोई और नहीं था, उसको सम्पन्न बनाया अब उनको वहां से निकाल दिया जाए इससे ज्यादा भेदभाव उनके साथ हो नहीं सकता। भारतीय मूल के लोग, भारत जैसी ताकत उनका ध्यान नहीं रखेगी तो और कोई नही रखेगा। इसलिए मैं विदेश मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इन प्रश्नों पर विशेषकर उन सवालों पर भारतीय मूल के लोगों को खास तौर से सूरीनाम को अधिक गम्भीरता से लें, प्रभावी ढंग से लें। यही मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभापति जी, मैं सबसे पहले प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अर्थपूर्ण सवाल यहां उठाया है। यह बात उन्हें बताना चाहूंगा कि वहां के राजदूत से निरन्तर खबरें मिलती रही हैं। आज सुबह भी फोन पर बात हुई थी और फिर दोबारा उनसे पूछ लिया है। जो वहां के निकले हुए लोग हैं जैसे राष्ट्रपति, मंत्रीगण और वहां की संसद के अध्यक्ष थे, वे पूरी तरह से इस वक्त सुरक्षित हैं और फिर किसी प्रकार का उनको खतरा नहा है। यह भी खबर मिली है कि जो नेशनल असेम्बली है, वह भंग नहीं की गई है। हो सकता है कि नेशनल असेम्बली में दूसरे लोगों को फिर से कुछ चुनकर के काम दिया जाए। स्पष्ट रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस बात की खबर वहां उड़ रही थी जो हमें बताई गई है। जो जानकारी पूर्ण रूप से शुरू है वह हम ले रहे हैं। वहां के राजदूत काफी सतर्क हैं और काफी अच्छी तरह से काम कर

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

रहे हैं। भारतीय मूल के जो विभिन्न देशों में लोग बसे हुए हैं उनकी भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए और जितना भी भारत के नजदीक आ सकें, उसके लिए दूसरे देशों को प्रभुसत्ता में धक्का न पहुंचे। जितना हो सकता है, हम करते हैं।

विदेश मंत्रालय में इसका पूरा डिवीजन बना हुआ है जो इस बात को देखता है। आवश्यकता हुई तो हम उसको बढ़ाकर और मजबूत करेंगे इस इंतजाम को जो हमारे विदेश मन्त्रालय में है। श्री विजय कुमार जी ने यह बात ठीक कही कि जबकि क्रिओल और दूसरे लोग वहां पर पुलिस और फौज मे और हिन्दुस्तानी लोग खेती में जाते रहे हैं। उसका नतीजा वही हुआ, जो होना है। हम लोगों को तो यह देखना चाहिए था और वहां के लोगों को भी यह सोचना चाहिए था। वे केवल एक तरफ खेती-बाड़ी में लगे हुए हैं और वहां की जो फौज और पुलिस है तो वह दूसरे लोगों के हाथ में रहे तो इस तरह की विसंगति उत्पन्न हो सकती है जैसी कि हम सूरीनाम में देख रहे हैं। जिस ढंग से हो सकता है, इस बारे में सोच-विचार करेंगे। हमारे जो सांसद और अन्य लोग इस बारे में रूचि रखते है तो इस बारे में आगे कार्यवाही करने की सोचेंगे। हम यह नहीं चाहते कि कोई इस तरह की शिकायत करें कि किसी देश के काम में या वहां की प्रभुसत्ता में हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो वहां की बहुत सीमित उपयोगिता है। वहां पर कोई हमेशा न्याय के ऊपर निर्धारित की जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तरह-तरह की जटिलताएं हो सकती हैं। अभी यह विचार नहीं है कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जा सकें। यदि आवश्यकता हुई तो इस काम को करने के लिए विचार किया जा सकता है। वहां पर कोई ऐसी घटना हुई तो सदन को बताना आवश्यक है और मैं इस बारे में सदन को तुरन्त बयान दूंगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : अधिष्ठाता महोदय, क्या यह सही नहीं है कि ले० कर्नल बाथर से ने जो अपने असीसटेंटस से कराया, क्या उस समय वे हालैंड में मौजूद थे। डच गवर्नमेंट का इसके अन्दर कितना हाथ है। क्या यह सही नहीं है कि सदर्न पोरशन सूरीनाम का वह दुनिया का सबसे मिनरल रीच कंट्री है। उस दृष्टि से क्या यह कूप नहीं कराया गया है। क्या इस पर मंत्री जी का ध्यान गया है या जानकारी है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभापति जी, यह बात नहीं है कि डच लोगों का हाथ है। डच सरकार ने कूप का विरोध किया है, कंडम किया है। दूसरी बात यह है कि वहां के राष्ट्रपति जिनको हटाया गया है या कर्नल साहब हालैंड गए हुए थे; जिस कारण गड़बड़ गड़बड़ पैदा हुई। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि दूसरी शक्तियों का हाथ है या जो विसंगतियां थी उसके कारण ऐसा हुआ है।

————

2.45 म०प०

छावनी (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम छावनी (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे।

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"छावनी अधिनियम, 1924 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

वर्तमान में देश में 62 छावनियां हैं तथा और इतने ही छावनी बोर्ड हैं। इन्हें छावनी अधिनियम, 1924 के अन्तर्गत प्रशासित किया जाता है। ये अधिनियम अधिसूचित क्षेत्र में नगर पालिकाओं की तरह ही सशस्त्र सेनाओं तथा उनके परिवार के लोगों के लिए उपयुक्त आवास की आपूर्ति को नियमित करता है ताकि उनके स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। सशस्त्र सेनाओं तथा उनके परिवारों के अलावा अधिकतर छावनी क्षेत्रों मे काफी असैनिक आबादी भी है।

छावनी क्षेत्रों के नगर प्रशासन का प्रबन्ध 'छावनी अधिनियम, 1924 के अनुसार गठित छावनी बोर्ड के द्वारा होता है। ये बोर्ड वैधानिक संस्थाएं है और उनका मुख्य काम नगर पालिकाओं निगमों के जैसा ही है। इन बोर्डों मे कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं और कुछ नामजद तथा पद सदस्य भी होते हैं। बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्य-काल पांच वर्षों का है। उन्हें व्यस्क मताधिकार से निर्वाचित किया जाता है।

इस अधिनियम को संशोधित करने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि छावनी अधिनियम 1924 की धारा 27(1) के अनुसार छावनी बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता के रूप मे नाम दर्ज कराने के लिए अर्हता उम्र 21 वर्ष है संविधान की अनुच्छेद 326 का संविधान (61वां संशोधन) संविधान अधिनियम, 1988 के द्वारा संशोधन किया गया है जिसके अनुसार 28 मार्च, 1989 से लोक सभा तथा हर राज्य की विधान सभाओं के लिए चुनावों में मतदान की आयु-सीमा को 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया है। कुछ राज्य सरकारों ने भी स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए उम्र सीमा को 18 वर्ष निश्चित किया है।

इसलिए यह निर्णय किया गया कि छावनी बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए 'छावनी अधिनियम' 1924 की धारा 27(1) को संशोधित किया जाए इस उद्देश्य से 20 अगस्त, 1990 को लोक सभा मे एक विधेयक लाया गया था। विधेयक का प्रारूप उद्देश्यों एव कारणों का कथन तथा वित्तीय ज्ञापन आदि सभी की एक प्रति को पहले ही परिचालित किया जा चुका है।

सम्प्रति सभी 62 छावनियों के नियमित बोर्ड है। 49 छावनियों के चुनाव दिसम्बर, 1990/ जनवरी, 1991 में नो के 1991 की विभिन्न तारीखों को तथा छावनियों के चुनाव 1992 में होने हैं। इसलिए यह निर्णय भी लिया गया है कि ऐसी छावनियों के चुनावों को 30 नवम्बर, 1991 तक स्थगित किया जाए, जहां 1990/1991 मे चुनाव होने है ताकि सदन के द्वारा मतदान मतदान को 21 वर्ष से 18 वर्ष करने के फैसले के अनुसार चुनाव (मतदाता) सूची में संशोधन किया जा सके, अतः मैं अनुरोध करता हूं कि सदन इस विधेयक का अनुमोदन करे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि छावनी अधिनियम, 1924 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

विचारार्थ प्रस्ताव पर एक संशोधन है। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 2 अप्रैल, 1991 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।" (1)

सभापति महोदय : आपको बोलने के लिए बाद में समय दिया जायेगा ।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और इसका स्वागत करते हुए माननीय मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कन्टोनमेंट बोर्ड की फंक्शनिंग को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए । इसके स्वरूप के अन्दर कई कंटोनमेंट ऐसे हैं जिनमें बुनियादी तौर पर नागरिक आबादी आर्मी की सर्विस के लिए रखी गयी थी या जिनको दुकानें इत्यादि खोलने की इजाजत दी गयी थी, आज वह संख्या बहुत ज्यादा हो गयी है और उस संख्या के बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हुए जिस प्रकार की फंक्शनिंग इन कंटोनमेंट बोर्डस के अन्दर है और जो रूल-रेगूलेशन बना रखा है, उसमें जिस प्रकार से आर्मी के आफिसर्स का बहुमत है और उनको वीटो करने का अधिकार है—इस सारे प्रोसीजर पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिये क्योंकि एक बड़ी आबादी के हिस्से की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं या भावनाओं को ज्यादा समय तक दबा नहीं सकते हैं । यही कारण है कि हर कटोनमेंट बोर्ड के अन्दर नागरिक आबादी में बहुधा असन्तोष पैदा होता है और वह असंतोष कभी-कभी ऐसा रूप ग्रहण कर लेता है जिसे नहीं करना चाहिए । कई दफा डिमांस्ट्रेशन्ज या दूसरे-तीसरे तरह की फंक्शनिंग होती है, उससे आर्मी आफिसर्स को कई बार एम्बेरेसमेंट का सामना करना पड़ता है ।

अतः अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कंटोनमेंट बोर्ड एक्ट, 1924 के अमेंडमेंट के विषय में सरकार को विचार करना चाहिये । एक बार इसमें संशोधन हुआ था लेकिन वह आकांक्षा की पूर्ति सिद्ध नहीं हुआ है । इसलिए मेरा आग्रह है कि एक काम्प्रिहेंसिव बिल इसके विषय में लाया जाना चाहिए । दूसरे, माननीय मन्त्री जी से एक सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा कि जहां सिविल पापुलेशन की संख्या 5000 से ज्यादा हो गयी है, वहां पर राज्य सरकार से बातचीत करके म्युनिसिपल बोर्ड्स, नोटिफाईड एरियाज या टाऊन ऐरियाज के गठन करने के विषय में विचार कर सकें तो आपके ऊपर जो और भार पड़ा हुआ है, उसे कम किया जा सकेगा क्योंकि बुनियादी तौर पर डेवलेमेंट करने का और सिविल अमेनटीज प्रोवाईड करने का काम राज्य सरकार का है आप तो उसी सीमा तक ही सुविधायें प्रदान कर सकते हैं जिस सीमा तक आर्मी को जरूरत होती है । आप तो आर्मी की जरूरत को ध्यान में रखकर ही नागरिक सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं या पैदा करने का काम कर सकते हैं लेकिन उस समय सिविल पापूलेशन का ध्यान आपको नहीं रहता है । यह तो ज्ञातव्य है कि वहां की रहने वाली सिविल पापूलेशन टैक्स तो राज्य सरकार को देती है और जब अमेनटीज की बात आती है तो उनको वे नहीं मिलती है जिसके वे हकदार हैं ।

अतः मैं आग्रह करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से बातचीत करके जहां पांच हजार की सिविल पापूलेशन है, वहां किस तरीके से म्युनिसिपल बोर्ड नोटिफाईड ऐरिया या टाऊन ऐरिया का गठन कर सकें, इस पर ध्यान दें । मेरे अपने क्षेत्र में भी कंटोनमेंट बोर्ड है । वहां मैंने देखा है कि बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । आप जो ग्रांट कंटेनमेंट को दे रहे हैं, वह बहुत कम है । वहां की जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं, उनकी मेनटीनेंस मुश्किल है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, उसकी मेनटीनेंस मुश्किल है और इसी प्रकार ऐजूकेशन, हेल्थ और अन्य कई स्कीमें को चलाना मुश्किल हो रहा है । उनकी ग्रांट में लगातार कटौती की जा रही है जबकि बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से बढ़ायी जानी चाहिए ।

सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि हम विषय पर विचार करें और उन अमेनटीज को कैसे बढ़ाया जावे, कैसे ज्यादा से ज्यादा धनराशि कैंटोनमेंट बोर्ड को दी जाये या एनुअल

ग्रांट के रूप में कितना रुपया बढ़ाया जाये, उस पर विचार करने का कष्ट करें। माननीय रक्षा राज्य मन्त्री जी से यह निवेदन है कि यदि हम एक सुझाव देना चाहें कि अमुक जगह पर नागरिक आबादी की सुविधा के लिए या कंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए आप ड्रिंकिंग वाटर स्कीम बना दीजिए तो आप उसको मंजूर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप कहेंगे कि हमारे पास धन का अभाव है, हमने एनुअल बजट में उसके लिए प्रोवीजन कम रखा है आदि-आदि। इसके अलावा आपने जो सफाई कर्मचारी वहां रखे हुए हैं, उनको परटेल करते जा रहे हैं। मैंने सन् 1982 में रानीखेत कंटोनमेंट बोर्ड के विषय में एक एक एडीशनल वाटर स्कीम के विषय में एक मांग रखी थी जिसे बिलकुल अनसुना कर दिया गया जबकि तत्कालीन रक्षा राज्य मन्त्री श्री के॰ पी॰ सिंह देव की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि वहां स्कीम बनायी जायेगी लेकिन अभी तक उसके लिए धन नहीं दिया गया। हमने एक जो स्कीम वहां पर प्रपोज की, उस स्कीम के विषय में जो पैसा लगने की सम्भावना है – 50 लाख रुपया करीब लगना है, उसके लिए आप धन नहीं दे पा रहे हैं।

मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि रानीखेत कंटोनमेंट बोर्ड के अन्दर नागरिकों के खेलने के लिए कोई खेल का मैदान नहीं है, वहां के लोगों को आर्मी की कृपा पर रहना पड़ता है और आर्मी के लोगों के पास जब कोई फंक्शन करने को नहीं होता है तभी वह खेलने के लिए जगह दे पाते हैं। उससे जो नागरिक खेलकूद में भाग लेना चाहते हैं उनके अन्दर एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन पैदा होता जा रहा है। इसलिए रानीखेत के अन्दर एक ओपन स्टेडियम और एक इनडोर स्टेडियम के विषय में भी विचार करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त रानीखेत कंटोनमेंट बोर्ड में कुछ ऐडीशनल ग्रान्ट्स आपने मांगी हैं, उन ग्रान्ट्स को भी मन्जूर करने की कृपा करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर यह आग्रह करते हुए कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के फंक्शनिंग को ज्यादा डमोक्रेटिक बनाने की कृपा करें और सिविलियन पापुलेशन के लिए जहां संख्या एक निश्चित नम्बर तक पहुंच गई है वहां किसी तरीके से म्युनिसिपल बोर्ड या इस तरीके की संस्थाएं गठित की जाएं, इस आग्रह के साथ एक बार मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में कोरम (गणपूर्ति) नहीं है।

सभापति महोदय : मैंने सुन लिया है। मैं घंटी बजाऊंगा। कोरम घंटी बजायी जायेगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सभापति जी, मैं केन्द्रीय सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने विधान सभा की तरह और नगर परिषद की तरह इन छावनियों में भी अधिनियम में संशोधन करके 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष का प्रावधान किया है। मैं यहां पर जैसा माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा है माननीय सभापति जी, कि वहां पर छावनियों में सैनिकों के अलावा अन्य नागरिक भी रहते हैं, तो मेरा यह निवेदन करता है कि उन नागरिकों की भी जो सुविधाएं हैं उनका भी पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना जरूरी है। फिर उसके बाद मेरा निवेदन करना है कि वोटर लिस्ट बनाकर··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : कोरम नहीं है।

सभापति महोदय : मेरी जांच कर ली है। अब कोरम है। आप कृपया जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि दिसम्बर माह में उनको चुनाव कराने हैं। कुछ स्थानों के चुनाव होने के बाद स्थगित कर दिए हैं इसलिए वहां जल्दी से जल्दी वोटर लिस्ट बनाकर के इन छावनियों में चुनाव कराएं, मेरी दूसरी प्रार्थना है। तीसरी मेरी मूल प्रार्थना है कि संवैधानिक प्रावधान पर निश्चित समय पर चुनाव करना अनिवार्य हो, टाला नहीं जाए। जैसे एक विधान सभा के चुनाव में, या नगर परिषद् का चुनाव विशेषकर टाल दिया जाता है, कई-कई जगह तो 14-14 वर्ष तक 17-17 वर्ष तक नगरपालिका के चुनाव नहीं होते हैं। इसलिए कम से कम नगरपालिका की बात तो अलग छोड़ दीजिएगा, वहां पर तो चुनाव आपको निश्चित समय पर कराने चाहिए।

एक छावनी है जहां मिलिटरी रहती है जो अनुशासनप्रिय हैं। ऐसे अनुशासनप्रिय स्थान पर भी यदि हम हम चुनाव टालेंगे तो फिर मैं समझता हूं साधारण जो लोगों की नगरपालिका, नगरपरिषद के चुनाव टालते हैं उसी प्रकार की प्रवृत्ति यहां पर भी आ जाएगी। इसलिए कम से कम छावनियों में माननीय सभापति जी, निश्चित समय पर चुनाव हों यह मेरी प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना है कि इनको मकान बनाने के जो नक्शे हैं वह शहरी कानून के अन्तर्गत हों क्योंकि वहां पर शहर की आम जनता भी रह रही है, इसलिए मकान बनाने की और जमीन खरीदने की स्वीकृत जल्दी-जल्दी मिले।

इस सम्बन्ध में भी आप ध्यान दें और इसके बाद जो रिटायर्ड फौजी लोग हैं उनको दुकानें आबंटित की जायें और उनको व्यापार करने की सुविधा मिले, यह मेरी मांग है। इस सम्बन्ध में मेरी मांग है कि चुनाव हो जाने के बाद वहां पर प्रशासन चुस्त रहना चाहिए। यह नहीं कि कहीं पर खत्म हो जाए, कहीं पर हम छोड़ दें कि यहां तो 18 वर्ष के नौजवान आ गए हैं, अब अपने आप काम कर लेंगे, यह नहीं। इसलिए इन कंटोनमेंट एरियाज में सफाई की व्यवस्था ठीक हो, उनकी सुन्दरता की व्यवस्था भी ठीक-ठाक हो, इस सम्बन्ध में भी आप ध्यान रखें। इसलिए रिटायर्ड फौजियों के बारे में और वहां के जो साधारण नागरिक हैं उनके बारे में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार विचार करे इसलिए मैं इस बिल की 21 वर्ष से 18 वर्ष करने की बात का समर्थन करता हूं और इस कंटोनमेंट के लिए अलग से बजट का प्रावधान भी निश्चित रूप से होना चाहिए।

3.00 म० प०

जिन छावनियों के अन्दर हमारे सैनिक और दूसरे लोग रहते हैं, उनके विकास के लिए केन्द्रीय सरकार अलग से बजट का प्रावधान करे, उन छावनियों में मिलिटरी वालों के अतिरिक्त जो अन्य लोग रह रहे हैं, उनकी सुविधा के लिये अधिक से अधिक धन केन्द्रीय सरकार दे, यही मेरा विनम्र निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति जी, रक्षा राज्य मंत्री जी ने सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं उन्हें इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोक सभा और विधान सभाओं के अतिरिक्त दूसरी संस्थाओं

में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किये जाने की व्यवस्था इस बिल में की गयी है, कैन्टोनमैंट बोर्ड्स में मतदान की आयु को घटाने के लिये उन्होंने यह विधेयक पेश किया है। हालांकि इस विधेयक का दायरा बहुत सीमित है लेकिन मैं दो-तीन मुख्य बातों की तरफ आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सभापति जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में छावनियों अंग्रेजों के समय अपने ही ढंग की शान और शौकत की प्रतीक हुआ करती थी, उनकी अपनी अलग ही दुनिया थी और जिन परिस्थितियों में उनका गठन हुआ था, उसका उद्देश्य अलग ही था। लेकिन देश के आजाद होने के बाद, लोकतान्त्रिक ढांचे के अनुसार, वहां रहने वाले लोगों को सभी तरह के अधिकार मिलें, उसकी व्यवस्था की गयी।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो असैनिक जनसंख्या रहती है, उन्हें अपने विकास के लिये, अपने रोजमर्रा के जीवन को सुधारने के लिये, अधिक से अधिक अधिकार मिले, यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ मुझे बड़े अफसोस के साथ यह निवेदन करना है कि इन छावनियों की आजादी के बाद जो दुर्दशा हुई है उसकी अपनी कहानी अलग है सभापति महोदय, आपने भी अपने जीवनकाल में, अपनी युवावस्था में फौजी वर्दी पहनी है। आप जानते हैं कि एक फौजी ऑफिसर को आवास के सम्बन्ध में इन छावनियों में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारी छावनियों में ऑफिसरों के लिये, जे. सी. ओज. के लिये और सिपाहियों के लिये आवास की भारी कमी है और इस कारण हमारी सेना में धीरे-धीरे असन्तोष बढ़ता जा रहा है। विशेषकर ऑफिसर ज्यादा परेशानी में हैं। सभापति जी, आप यह अनुमान लगायें कि भारतीय सेना के ऑफिसरों को वेतन कितना मिलता है।

दूसरी सुविधायें कितनी मिलती हैं, उनके आवास की क्या व्यवस्था है। दूसरी तरफ जब हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में फौजी अफसरों को मिलने वाले वेतन और सुविधाओं की ओर देखते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है। हमारे यहां जब किसी ऑफिसर का स्थानान्तरण होता है तो उसके परिवार वालों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके बच्चों के पढ़ने के लिये स्कूलों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था इन छावनियों में नहीं होती है। स्कूलों में एडमिशन के लिये ऑफिसरों के बच्चे मारे मारे फिरते हैं। स्थानान्तरण के समय इन ऑफिसरों के परिवार वालों को सेना के मैस में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है जो बड़े अफसोस की बात है। मैं मांग करता हूं कि यद्यपि हमारे पास साधन सीमित हैं, वित्तीय व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, बजट में हम उनके लिये ज्यादा प्रावधान नहीं कर सकते लेकिन इनकी परेशानियों की ओर ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिये। इन छावनियों में जो जमीन बेकार पड़ी है, उसका विकास किया जाना चाहिये। उसमें बाजार बनें, दुकानें बनें।

उन दुकानों पर यद्यपि आप बेच तो नहीं सकते, उन्हें लीज पर दिया जाये और लीज पर एक्स-सर्विसमैन को दिया जाये ताकि जहां उन्हें रोजगार मिल सके वहीं हमारी छावनियां भी सुन्दर हो सकें। राजस्थान में नसीराबाद छावनी की किसी समय अपनी एक अनूठी शान हुआ करती थी यह 20-25 साल पहले की बात है, जब मैं वहां पढ़ता था और उस छावनी से होकर आता-जाता था। उसे देखकर हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता था लेकिन आज उस छावनी की जो दुर्दशा है उससे कोई अंदाज नहीं लगा सकता कि यह वही छावनी है जो इन ऑफिसरों की सुविधा के लिये थी। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि नसीराबाद छावनी का पूरी तरह से विकास किया जाये। उसके साथ साथ हमारे यहां उदयपुर छावनी भी है, जो एक उप-छावनी के रूप में विकसित हो रही है,

[श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा]

एकलिंग-गढ़ क्षेत्र में वह छावनी स्थित है। उस एकलिंग गढ़ क्षेत्र में जिन व्यक्तियों की जमीनें अवाप्त की गयी हैं, उन निजी व्यक्तियों को अभी तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि रक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। मुझे आशा है कि उनका मुआवजा शीघ्र दिला दिया जायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ): मान्यवर, माननीय हरीश रावत जी ने एक संकेत दिया कि केवल वोटिंग की आयु 18 वर्ष कर देने से जनतांत्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती। इसी संदर्भ में, चूंकि मैं लखनऊ का प्रतिनिधित्व करता हूं और यहां पर एक विशाल छावनी क्षेत्र है। वहां के केवल दो उदाहरण मैं सदन के संज्ञान में लाकर कहना चाहता हूं अगर हम लोगों में संवेदनशीलता है, तो हम लोगों को चिन्तित होना पड़ेगा—नम्बर-1, कैन्टोनमेण्ट क्षेत्र लखनऊ में क्वीन विक्टोरिया के समय में वहां की चर्च को एक प्लाट आफ लैण्ड दिया गया था और मैंने उसके कागजात देखे हैं जिनमें लिखा है "परपैच्युअल लीज"। 99 साल की लीज हमने अपने जीवन में होती हुयी देखी है, हालांकि अब तो 30-40 साल के लिये भी लीज होने लगी है, लेकिन उसमें तो परपैच्युअल लीज, यानी हमेशा के लिये है। जब देश को आजादी आयी, तो प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के दस्तखत से फिर उस रिलीज का रिन्युअल हुआ। उनमें भी परपैच्युअल लिखा गया, लेकिन आर्मी के अधिकारियों ने उस चर्च बाउण्ड्री वाल गिराकर, चर्च के कम्पाउण्ड के अन्दर, अनधिकृत कब्जा करके, बिल्डिंग बना ली। मैंने तत्कालीन रक्षा मंत्री, जिनके पास यह विभाग था, उनको विस्तार से शिकायत लिखकर भेजी। उनका उत्तर भी आया था कि वे आवश्यक जांच और कार्रवाई करवा रहे हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि कई मंजिला वह मकान बन गया है और आज वहां दो-तीन बंदूकधारी खड़े कर दिये गये हैं। स्थिति यहां तक आ गयी है कि सण्डे, यानी रविवार को भी वहां के क्रिश्चियनों को प्रार्थनासभा नहीं करने दी जाती है। बहुत हिन्दू-मुसलमान, मंदिर-मस्जिद की बात इस देश में होती है, लेकिन गिरजाघर की बात नहीं हो रही है। मुझे आशा है, माननीय मन्त्री जी, यह किसके आदेश से हो रहा है, यह दिखवायेंगे।

दूसरी बात जनतंत्रीय व्यवस्था से सम्बन्धित है। मुझे मालूम है और मैंने सरकार का ध्यान कई बार पत्र लिखकर खुद आकर्षित किया है कि कैण्टोनमेण्ट बोर्ड, लखनऊ को जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को आर्मी अफसरों ने निर्वाचित होने के बावजूद निकाल बाहर किया है कैण्टोनमेण्ट बोर्ड से। मैं नहीं जनता कि कैण्टोनमेण्ट बोर्ड के ऐक्ट में निर्वाचित प्रतिनिधियों को, किसी अफसर को, निकाल देने का अधिकार उसी तरह से होगा जैसे भारत सरकार का कोई आई. ए. एस. अधिकारी हम लोगों को संसद से निकाल बाहर करे।

इन्ही दो बातों का उल्लेख करके मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से वर्तमान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मायनारिटीज क्रिश्चियन के प्रति किया गया अन्याय दूर हो और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति किया गया अन्याय तत्काल दूर किया जाये, नहीं, तो केवल वोटिंग की आयु घटा देने से हमारे देश का, हमारी संसद का परपज सर्व नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : इस विधेयक का मूल उद्देश्य अन्तवर्ती क्षेत्र में रहने वाले

नवयुवकों के लिए मतदान उम्र को घटाकर 18 वर्ष करने का है। यह बात संविधान के 61वें संशोधन के मुताबिक है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसे समर्थन देने के साथ-साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि वामपंथी दलों की ये मांग पहले से हो रही है कि मतदान आयु को घटाकर 18 वर्ष किया जाए और अन्तत: ऐसा ही हुआ।

इस विधेयक पर बात करते हुए, मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए मूल विधेयक को पुनर्विचारित करना आवश्यक है क्योंकि छावनी क्षेत्रों में हमारे सैनिक लोग रहते हैं। अत: उन क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं तथा विकास का होना अत्यावश्यक है। इसलिए मूल विधेयक पर फिर से विचार होना चाहिए और एक व्यापक विधेयक को पेश किया जाना चाहिए। सम्माननीय मंत्री द्वारा व्यक्त देश के विभिन्न भागों के छावनी क्षेत्रों में होने वाले चुनावों को स्थगित करने के विचार पर मेरी जबरदस्त आपत्ति है।

चुनाव होने चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेवारी कांग्रेस (इ) सरकार की है क्योंकि वे संविधान संशोधन विधेयकों समक्ष इसको लाना भूल गये थे। इस विधेयक को उसी समय पेश किया जाना चाहिए था ताकि छावनी क्षेत्रों के चुनावों को टलने से बचाया जाना चाहिए था।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि कई जो बिल पास हुए हैं लेकिन अभी तक लागू नहीं हुए हैं, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से बिल पास किया जाता है, उसी रूप में इसे लागू होना चाहिए। किन्हीं साथियों ने शंका व्यक्त की कि अगर यह कानून पास होता है तो छावनी बोर्डों का चुनाव होना चाहिए। यह स्वागत योग्य बात है कि जहां पहले इसमें मतदान के लिए 21 वर्ष की उम्र थी, वहां अब इसे 18 वर्ष कर दिया गया है लेकिन इसके साथ ही साथ सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए, चुनावों में सुरक्षा की व्यवस्था कागज पर तो कई तरह की हुई है लेकिन वास्तव में आज मैं कई गरीब लोग बूथ पर नहीं जा पाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम तो समर्थन करके कानून पास करा रहे हैं लेकिन इस बिल को पूरी तरह से लागू होना चाहिए जिससे छावनियों का विकास हो सके और सरकार के द्वारा जो कई तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह सुविधाएं मिलें।

रिलीफ कोड एक्ट भी इस सम्बन्ध में बना लेकिन रिलीफ कोड एक्ट कागज पर ही है। लेकिन दिल्ली में हो है लेकिन दिल्ली से नई दिल्ली के पश्चिम में 300 गरीब हरिजनों के घर जल गये हैं, सरकार यहां मौजूद है, मैंने शून्य काल में भी यह मामला उठाया था और अखबार में भी इसके बारे में आया था लेकिन सरकार की तरफ से रेल की पटरियों रहने वाले गरीबों के लिए रिलीफ का काम नहीं किया गया है, उनके घर जला दिये गये हैं इसलिए कानून जो बने वह लागू होने चाहिए।

इसी उम्मीद के साथ मैं इस बिल का भी समर्थन करता हूं। यह एक बहुत ही स्वागतयोग्य बात है, पास होने के बाद इसको अक्षरश: लागू होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : सभापति महोदय, हमने युवाओं की अनिवार्यतः राष्ट्रीय ढांचे में शामिल करने, उन्हें निर्णय लेने सम्बन्धी प्रक्रिया का एक हिस्सा बनाने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी विकास क्रिया की पूरी जानकारी है और भविष्य वास्तव में उनके हाथ में है; और वे भी निर्माण का एक भाग हैं; मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए संविधान में संशोधन किया है। यह उनके अपने भविष्य को बनाने की एक बात भी हो हो सकती है। दुर्भाग्यवश हमारी उपलब्धि वास्तव में उनको मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष घटा कर 18 वर्ष करने तक ही रही है।

इस विधेयक का आशय मतदान आयु की क्या करके ही के मूल निर्णय को लागू करना ही है। परन्तु एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा और मैं समझता हूं जिस पर समूचे सदन की चर्चा करनी चाहिए, वह यह है कि क्या आप युवा वर्ग प्रभावहीन है या नहीं। वे उन मार्गों की ओर अग्रसर है जहां पर हम उन्हें हिंसा और अन्य अनेक क्रियाकलापों जिन्हें हम हानिकर कह सकते हैं, में संलिप्त पाते हैं। हम सबको विदित है कि सूचना प्रणाली की प्रगति के साथ आज युवाओं के पास ज्ञान का अपरिमितहै। भंडार वे महसूस करते हैं कि यह किसी भी सरकार, राज्य, विधान सभा या विधान परिषद के लिए सम्भव है कि वह उनकी उन मूलभूत समस्याओं की जांच करे, जो कि रोजगार की दृष्टि से उनकी सुरक्षा और भविष्य है। हम आज देख रहे हैं कि युवा वर्ग के लोग बहुत से मुद्दों को लेकर सड़कों पर विरोध प्रकट कर रहे हैं। यदि अन्य प्रचंड साम्प्रदायिकता है तो उच्च मूल कारण युवाओं के भविष्य का असुरक्षित होना है। वे आज बहुत से वैकल्पिक मार्गों पर इस उम्मीद पर चल रहे हैं कि शायद दूसरा कोई मार्ग उनके भविष्य को सुरक्षा प्रदान कर सके। क्या हम इस समस्या पर चर्चा करेंगे या नहीं ? जब माननीय मन्त्री और सरकार मतदान की आयु कम करने के लिए यह विधेयक लाए हैं तो मेरे विचार में यह संगत होगा कि वे छावनियों की समस्याओं पर भी चर्चा करें जो किसी समय रोजगार का मुख्य स्रोत हुआ करती थीं। परन्तु आज वे केवल रोजगार का स्रोत ही नहीं हैं बल्कि वहां पर जो नैतिक कर्मचारी के रूप में नियोजित हुए थे वे एक दशक नैमित्तिक कर्मचारी रूप में ही कार्य कर रहे हैं। वे स्थायी प्रकृति के कार्य कर रहे हैं। परन्तु उन्हें नैमित्तिक कर्मचारी ही समझा जाता है और हम देखते हैं कि कानून से बचने के लिए हर छः महीने बाद उन्हें 15 से 20 दिन के लिए हटा दिया जाता है और फिर रख लिया जाता है। महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री को कहना चाहूंगा कि वे इस विषय की गम्भीरता से लें और नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने के प्रश्न पर विचार करें। मेरे विचार से देश की छावनियों में वर्षों से कार्य कर रहे नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों, हजारों में नहीं बल्कि कई हजार तक हो सकती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, वह है भूमि हथियाना जो कि छावनियों में हो रहा है। हमने देखा है कि बहुत से महत्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्ति, अधिकारी वर्ग छावनियों की भूमि को बहुत ही आसानी और चतुराई से हथिया सकते हैं। यदि आवश्यक होता है तो वे प्राधिकारियों से बहुत अधिक कीमत वाली शहरी क्षेत्रों की जमीन को बहुत ही कम कीमत पर प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। कानून में संशोधन जरूरी है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी जमीन छावनियों के पास है उसे किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को बिना बारी के या प्राथमिकता के आधार पर आवंटित न किया जाए। छावनी की जमीन को केवल छावनी को ही आवंटित किया जाए। यह सार्वजनिक सम्पत्ति

होनी चाहिए यदि इसे किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा तो शीघ्र ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहां पर यह एक स्वीकृत तथा बन जाएगी कि यदि कोई व्यक्ति जो विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी पदों पर आधीन हो, सस्ती दर पर गुप्त रूप से जमीन प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए इसे प्राप्त करने का सबसे सुलभ तरीका छावनियों द्वारा ही हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, परन्तु साथ ही आपके माध्यम से, माननीय रक्षा राज्य मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस अधिनियम की पूरी तरह से जांच कर लें। यह एक बहुत ही पुराना अधिनियम है, बहुत समय बीत गया है और बहुत-सी अवैध बातें हुई हैं, इसलिए इसमें संशोधन करने की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री दाउ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति जी, जहां तक इस विधेयक में संशोधन का सवाल है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते, जनतांत्रिक तरीके से हमने एक निर्णय लिया है और अभी कुमारमंगलम जी ने जो बात कही कि यह बहुत पुराना एक्ट है और इसमें संशोधन होना चाहिए, यह बात भी बिल्कुल ठीक है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा विस्तृत संशोधन आए, जिसके तहत चुनाव समय पर हों। दुर्भाग्य से नसीराबाद छावनी में चुनाव हुए एक युग बीत गया है, लोगों को कल्पना भी नहीं है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव होते हैं या नहीं। फिर जनप्रतिनिधियों और सैनिक छावनियों के प्रतिनिधियों के बीच विवाद भी हैं। जहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, वहां पर राज्य सरकार भी भरपूर सहायता करने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाती और यह क्षेत्र कैंटोनमेंट बोर्ड पर आश्रित हो जाता है। मेरा निवेदन है कि इन क्षेत्रों को भरपूर तरीके से सहायता दी जाए, जिससे वहां की नागरिक आबादी ठीक तरह से उन्नति कर सके। आज नागरिक आबादी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि छावनी क्षेत्र के बिल्कुल साथ मिलती जा रही है और छावनी क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र को अलग-अलग रखने का हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से कभी-कभी गंभीर बातें भी हमारे दुश्मनों के हाथ लग जाती हैं।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। कोटा नगर में सैनिक छावनी नहीं है, लेकिन अर्द्धसैनिक छावनी वहां बनी हुई है। वहां पर रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना है तथा 5-7 प्रकार केन्द्रीय कर्मचारी वहां पर रहते हैं। वहां पर सेना के लोगों के बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश में कठिनाई आती है। इसलिए छावनी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय भी व्यवस्था आवश्यक रूप से होनी चाहिए।

मेरा तीसरा निवेदन है कि सैनिक छावनियों में टैंटों में लोग जीवन व्यतीत करते हैं, उनको रहने के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएं। जिस प्रकार सैनिक अधिकारियों का पूरा ध्यान रखा जाता है, इसी तरह से सैनिकों की रिहाइश की भी पक्की व्यवस्था की जाएगी तो नए मन्त्री महोदय को निश्चित रूप से साधुवाद प्राप्त होगा, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : सभापति महोदय, यह जो कैंटोनमेंट बिल में संशोधन मताधिकार की उम्र के सम्बन्ध में आया है, उसका समर्थन करता हूं। कैंटोनमेंट का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और कैंटोनमेंट क्षेत्र की हिफाजत बहुत जरूरी है। अंग्रेजों के समय कैंटोनमेंट एरिया शहरी आबादी से दूर रखा जाता था, लेकिन इधर आबादी इतनी बढ़ गई है कि शहरी आबादी कैंटोनमेंट से बिल्कुल

[श्री आर० एन० राकेश]

मिल गई है। इसकी वजह से शहरी क्षेत्र की कमियां छावनी क्षेत्र में भी प्रवेश करती जा रही हैं। मेरा कहना है कि छावनी क्षेत्र को शहरी आबादी क्षेत्र से दूर रखा जाए। इस बारे में नए सिरे से विचार किया जाए। इलाहाबाद छावनी क्षेत्र की ओर में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इलाहाबाद में कैंटोनमेंट एरिया शहरी आबादी क्षेत्र से बिलकुल मिल गया है। वहां पर पड़या और इरादतपुर में काफी जमीन कैंटोनमेंट की पड़ी हुई है। इसलिए कैंटोनमेंट एरिया को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाना चाहिए।

इसी तरह से लैंड ग्रेबिंग की कार्यवाही होती है। दो ढंग से कैंटोनमेंट की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। एक तो किसी प्रभाव में आकर लोगों को कैंटोनमेंट की जमीन अलाट कर दी जाती है और दूसरा नाजायज कब्जे होते जा रहे हैं। इस तरह से लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मेरा कहना है कि कैंटोनमेंट की जो जमीन कल्टावेशन के लायक है, वह गरीबों, भूमिहीनों में वितरित की जाए, न कि बड़े लोगों को दी जाए।

दूसरा, मेरा कहना यह है कि कैंटोनमेंट की जमीन सरकारी जमीन होती है और सरकारी पद पर बैठने के बाद अगर हम सरकारी जमीन पर कब्जा कर लें और अपना बना लें तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। एक व्यक्ति जब बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद इलाहाबाद के ऐश महल को जो जयचन्द से 38वीं पीढ़ी को देश से गद्दारी के रूप में दिया गया था, 12 एकड़ जमीन है, उस जमीन का असैसमेंट दिखाने लगे हैं तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत 40 हजार रुपये है। अपना असेसमेंट दिया है 40 हजार। कैंटोनमेंट एरिया की जमीन 12 एकड़ में है, जो महल बना हुआ है वह कम से कम 50 लाख का है। यह एक तरफ दिया गया है। दूसरी तरफ यह है कि न जाने कैसे कैंटोनमेंट से उस जमीन को अलग करवा लिया। 12 एकड़ जमीन ऐश महल से लगी हुई थी जो देश से गद्दारी की कीमत के रूप में जयचन्द से 38वीं पीढ़ी को मिली थी, उसकी 40वीं पीढ़ी जब कुर्सी पर बैठी तो कंटोनमेंट की जमीन को अपनी जमीन बना लिया, निजली सम्पत्ति हो गई। हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा पूर्व प्रधान मंत्री वी० पी० सिंह ने किया, उस जमीन को अपनी जमीना बना लिया। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ऐश महल कंटोलमेंट एरिया की जमीन 12 एकड़ है। एक तरफ लोग सामाजिक न्याय का नारा देते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं दूसरी तरफ जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, बेरोजगार हैं उनको निकालने के लिए अदालती कार्यवाही की जा रही है। यह कैसा सामाजिक न्याय है? मैं करता हूं कि बड़ी कुर्सी पर बैठ कर कंटोनमेंट की जमीन पर, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, अगर उसमे कब्जा किया है तो उसने देश को बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। पूर्व प्रधानमन्त्री ने ऐसा किया है। ऐश महल जो कि मण्डा कोठी के नाम से जाना जाता है वहां ऐसा किया गया है। इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, छावनी में मतदाताओं की उम्र कम करने सम्बन्धित विधेयक पर जो संशोधन होने आ रहा है, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। परन्तु यह भी निवेदन करता हूं कि इसमें और भी संशोधनों की आवश्यकता है, आगे सरकार इस पर विचार करे। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्वाचन समय पर होना चाहिए और नसीराबाद जैसी छावनी में भूमि की सीमा बढ़ानी चाहिए। बहुत सी जमीन खाली पड़ी हुई है जहां पर सैनिकों के लिए क्वाटर नहीं बने हैं नागरिक आबादी रहती है, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं पंचमढ़ी गया था। वहां पर इस प्रकार की समस्या थी। छावनी की सीमा जहां पर है उसको बढ़ाया जाए। जो प्लाट

खाली पड़े हैं वे नागरिकों को दिए जाएं और सैनिकों को नागरिक सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। छावनी बोर्ड में जनता के प्रतिनिधियों को अधिक स्थान मिलने चाहिए।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय सभापति जी, मैं, सरकार द्वारा छावनी संशोधन विधेयक यहां उम्र कम करने के लिए रखा गया है, उसका हृदय से स्वागत करता हूं। जैसे अन्य व्यक्तियों ने अपने विचार रखे हैं कि केवल छावनी विधेयक की उम्र कम करने तक सीमित रखा जाए, मैं उससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि आप भी जानते हैं, आप तो स्वयं आर्मी में रहे हैं, हम लोग बहुत दिन पहले की बात नहीं करते, बचपन की बात करते हैं जब छावनी के बाजार थे, कण्टोनमेंट एरिया था, शहरों में माडल टाउन की तरह रहा करता था। आज हालत यह है कि छावनी बाजार की बहुत दुर्दशा है। वहां पर जो जमीन है, जैसे हमारे साथी ने कहा, उस पर लोगों ने कब्जे किए हैं। इसमें दो राय नहीं है। मन्त्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें इसमें संशोधन होना चाहिए।

छावनी की जो जमीन है, नाजायज कब्जे हुए हैं उन्हें सख्ती से वापिस लिया जाए। उन्हें संशोधित किया जाए, धाराएं नियमित करें कि उन जमीनों पर कब्जे न हो सकें। दूसरे जो बाजार थे, जो बहुत अच्छे किसी जमाने में कंटोनमेंट हुआ करते थे। उनकी स्थिति दयनीय है। जो जायदाद हैं, वे टूट रही हैं। उनमें भी बजट प्रावधान है, ऐसा किया जाए। जनसंख्या बढ़ी है और उन बाजारों के लिए सैंक्शन करके डवलप किया जाए जिससे वहां जो आरपी के लोग हैं, जो सिविलयन हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उनका सौन्दर्यकरण किया जाए क्योंकि वहां सिविलियन और आर० पी० वालों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

यह देखने में आता है कि जो छावनी में रहने वाले लोग हैं, बाजारों को जाते हैं। किसी जमाने में शहरों के लोग बाजारों में आकर सदर बाजार में आते थे। मेरा सुझाव है कि छावनी के बाजार में, स्कूल व पार्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। आपके बजट के माध्यम से मसी का एलोकेशन अधिक हो। कंटोनमेंट बोर्ड को नेगलेक्ट किया गया है। वहां पर चुनाव नहीं हैं। उनकी दुर्दशा है और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। किसी जमाने में मथुरा में भी बहुत अच्छी छावनी कहलाती थी। इस तरह से पड़ौस में आगरा है और वहां पर भी बहुत अच्छी छावनी थी। अन्त में मैं यही कहूंगा कि फंड का ऐसा एलोकेशन करें जिससे छावनियों का सुधार हो और लोगों को सुविधाएं मिलें।

[अनुवाद]

श्री मान्धाता सिंह : सभापति महोदय, श्रीमान···

सभापति महोदय : कृपया और नहीं।

श्री मान्धाता सिंह : यह एक बहुत जरूरी विषय है।

सभापति महोदय : यह चाहे कितना भी आवश्यक क्यों न हो।

श्री मान्धाता सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, क्योंकि सभा के पास अभी कोई कार्य नहीं है। मुझे सदन की सहमति लेनी है।

3.30 म०प०

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू हो जाएगा। यह विधेयक अभी पूरा नहीं हुआ है। अब यह अपने अन्तिम चरण में है, केवल मन्त्री जी को जवाब देना है और उसके बाद हमें

इसके लिए मतदान करना है। यदि सभा इस विधेयक के लिए पांच या सात मिनट का और समय देने पर राजी हो गए तो हम इस विधेयक को पूरा कर सकते हैं और तब गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को ले सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, जी हां।

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री जी जवाब देंगे।

श्री मान्धाता सिंह : मैं उस सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार के हनन की एक मौखिक सूचना देना चाहता हूं जिसने जान-बूझकर गलत जानकारी देकर सभा को गुमराह किया है।

श्री आर० एन० राकेश : मैं चुनौती देता हूं, मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण है।

श्री मान्धाता सिंह : श्रीमान···

सभापति महोदय : आप लिखित रूप में दे सकते हैं।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री ललित विजय सिंह : माननीयीय सभापति जी, सभी सदस्यों ने इस बिल का स्वागत किया है और इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है। मैं सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं कि किसी तरह से कंटोनमेंट को अधिक लाभदायक बनाया जाए··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या मैं आपको यह सुझाव दे सकता हूं कि आपके पास जो भी विवरण है, आप उसे लिखित रूप में भेज सकते हैं ?

[हिन्दी]

श्री ललित विजय सिंह : सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है कि कंटोनमेंट में सिर्फ आर्मी के ही लोग नहीं हैं, वहां पर सिविलियन पापुलेशन भी है और उनका प्रतिनिधित्व ठीक तरह से नहीं किया जा है। मैं केवल आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कंटोनमेंट को तीन वर्गों में बांटा गया है, क्लास वन, टू और थ्री। क्लास वन में सदस्यों की संख्या 15 है उसमें से 7 सदस्य निर्वाचित हैं वे सिविलयन के भी प्रतिनिधि होते हैं। इसमें सिविलियन आर्मी दोनों के ही प्रतिनिधि होते हैं और उनका उचित प्रतिनिधित्व रहता है। हमारी सेना तथा डिफेंस फोर्स के लोगों की सुख-सुविधाओं के लिए ही कंटोनमेंट का गठन किया गया है। इसमें सिविलियन का प्रतिनिधित्व भी हो इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। राज्य सरकार की बात भी कही गई। नामिनेशन से राज्य सरकार का मैजिस्ट्रेट प्रतिनिधि भी रहता है जिससे उनको उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। यह बात भी कही गई कि बहुत दिनों से चुनाव नहीं हुए हैं। वह बात सही है, उसमें एक कारण यह भी था कि वोटर लिस्ट का रिवीजन होना

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

था 21 से 18 वर्ष करना था। इसकी वजह से भी देरी हुई है। मैं आश्वासन देता हूं कि जैसे ही यह बिल एक्ट हो जाएगा हम लोग रिवीजन का काम करेंगे और चुनाव करायेंगे।

जहां तक कंटोनमेंट की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है यह बात बहुत हद तक ठीक है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी और धन की कमी की वजह से भी कठिनाइयां आती हैं। कंटोनमेंट को टैक्स लगाने की ताकत भी बहुत कम है, फिर भी भारत सरकार समय-समय पर उनको ग्रांट देती है, पिछले साल उनको करीब 9 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई। जितने भी सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आए हैं मैंने उनको नोट किया है और उन पर ध्यान दूंगा ऐसा मैं आश्वासन देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं भार्गव साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपना अमेंडमेंट वापस ले। सभी जगह चुनावों में वोट डालने की आयु सीमा 21 से 18 वर्ष हो रही है, यहां भी हो जाएगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद अपना संशोधन वापस लेता हूं, केवल समय पर चुनाव हो जाएं और इनको टाला न जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या श्री गिरधारी लाल भार्गव को अपना संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन सं० 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह हैं :

"कि छावनी अधिनियम, 1924 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ललित विजय सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

— — — —

सभापति महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे। श्री बसुदेव आचार्य।

3.40 म० प०

रेलवे संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक*

पूरे नाम आदि के स्थान पर नए पूरे नाम का प्रतिस्थापन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

— — — —

सभापति महोदय : श्री हरीश रावत अनुपस्थित अब श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति।

3.41 म० प०

सिविल अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक*

धारा 3 आदि में संशोधन

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 19955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

— — — —

*दिनांक 28-12-90 के भारत राजपत्र असाधारण, भाग दो, खंड 2, में प्रकाशित।

3.41 म० प०

रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक*

पूरे नाम, आदि के स्थान पर नए पूरे नाम का प्रतिस्थापन

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.41½ म० प०

कृषि प्रतिरोपण कर्मकार कल्याण विधेयक*

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि प्रतिरोपण कर्मकारों की सेवा शर्तों को विनियमित करने तथा उनमें सुधार करने और उनके कल्याण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि प्रतिरोपण कर्मकारों की सेवा शर्तों को विनियमित करने तथा उनमें सुधार करने और उनके कल्याण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

3.42 म० प०

एक-कुटुम्ब एक-पद (सरकारी सेवा में) विधेयक*

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ के कार्यों से संबंधित लोक सेवाओं तथा पदों में एक कुटुम्ब के केवल एक सदस्य की नियुक्ति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

*दिनांक 28-12-90 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

"कि संघ के कार्यों से संबंधित लोक सेवाओं तथा पदों में एक कुटुम्ब के केवल एक सदस्य की नियुक्ति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

———

3.42½ म० प०

आयात और निर्यात व्यापार विधेयक*

श्री के० राम मूर्ति (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आयात और निर्यात व्यापार का प्रबंध ग्रहण केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उस प्रयोजनार्थ स्थापित किसी अभिकरण द्वारा किये जाने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयात और निर्यात व्यापार का प्रबन्ध ग्रहण केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उस प्रयोजनार्थ स्थापित किसी अभिकरण द्वारा किए जाने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.42⅔ म० प०

लोक कार्यालय (लोक अवकाश दिनों और कार्य के घंटों का नियतन) विधेयक*

श्री के० राम मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक कार्यालयों के लिए लोक अवकाश दिनों और काम के घंटों का नियतन करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक कार्यालयों के लिए लोक अवकाश दिनों और काम के घंटों का नियतन करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राम मूर्ति : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

———

3.43 म० प०

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक*

(धारा 5 में संशोधन)

श्री के० राम मूर्ति (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*दिनांक 28-12-90 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राम मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

————

3.43½ म० प०

गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक*

(धारा 3 तथा 4 में संशोधन)

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

————

3.44 म० प०

मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री ए० जी० एस० राम बाबू (मदुरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ मदुरै में स्थापित करने हेतु उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ मदुरै में स्थापित करने हेतु उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० जी०० एस० राम बाबू : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

*दिनांक 28-12-90 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

3.44½ म० प०

भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक*

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) मैं प्रस्ताव करता हूं कि भिक्षावृत्ति उत्सादन और उससे संबंधित अथवा अनुषंगी मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भिक्षावृत्ति उत्सादन और उससे संबंधित अथवा अनुषंगी मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.45 म० प०

उधार सीमा नियतन विधेयक*

श्री चित्त बसु (बारसात) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन भारत सरकार द्वारा उधार लिए जाने की सीमा नियत करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन भारत सरकार द्वारा उधार लिए जाने की सीमा नियत करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

———

3.45½ म० प०

नि:शक्त व्यक्ति (पुनर्वास तथा कल्याण) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम 7 सितम्बर, 1990 को श्री उत्तम राठोड़ द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेंगे :

"कि नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास तथा कल्याण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

*दिनांक 28-12-90 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री उत्तम राठौड़ जी, आपने पिछली बार जहां अपना भाषण समाप्त किया था, वहां से शुरू कीजिये। आप तीन मिनट पहले ले चुके हैं। अब आपके पास काफी समय है।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : क्योंकि सभा में कम सदस्य हैं, इसलिए मैं अधिक समय ले सकता हूं।

नि:शक्त व्यक्ति (पुनर्वास तथा कल्याण) विधेयक लाए जाने का मूल उद्देश्य इस भाग में व्यक्तियों का कल्याण और इनका पुनर्वास करना था। जैसाकि आप जानते हैं कि अस्पतालों तथा अन्य सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण इलाकों के लोग नि:शक्त हो जाते हैं जिसमें वे रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। इसी उद्देश्य से मैंने यह विधेयक पुर:स्थापित किया था ताकि ऐसे व्यक्ति को शिक्षित करने, किसी विशेष प्रयोजना हेतु प्रशिक्षित करने की ओर ध्यान दिया जा सके और उसे कोई रोजगार प्रदान किया जा सके।

पिछली बार जब मैं बोल रहा था तो श्री बनातवाला ने कहा था कि इन लोगों के लिए जो आरक्षण किया गया था वह भी वापस ले लिया गया है। आरक्षण वापस लेने के कारण इन नि:शक्त व्यक्तियों में काफी असंतोष है। वे लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या वह आरक्षण अभी भी जारी है या नहीं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय जब इस विधेयक का उत्तर दें तो यह स्पष्ट करें कि क्या केन्द्र सरकार तथा उसके उपक्रमों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में यह आरक्षण अभी जारी है यदि ऐसा है, तो नि:शक्त लोग इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे कि कोई उनका ध्यान रख रहा है।

हमने देखा है कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग एजेंसियां काम कर रही हैं। उदाहरणार्थ, अंधों की समस्याओं को ही लीजिए। दी नेशनल एसोसिएशन फार फार ब्लाइंड दी रायल कामनवेल्थ सोसाइटी फार दी ब्लाइंड और इसी तरह की सभी सोसाइटियां अंधे लोगों की सहायता कर रही हैं। पुनर्वास के लिए वे कोई न कोई प्रशिक्षण लेते हैं जिससे उन्हें मदद मिलेगी और इन लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए इन्हें तैयार किया जा सकेगा।

मुम्बई में हमने देखा है कि अंधों के लिए वहां एक कर्मशाला है जहां वे बच्चों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देते हैं। हमने देखा है कि ये लड़के न केवल गैर-सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों में रोजगार पाते हैं बल्कि वे अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तथा अपनी आजीविका कमाते हैं। मैं चाहता हूं। कि इस पहलू का पूरे देश में प्रचार किया जाए विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में जहां इस नए दृष्टिकोण या पहलू को नहीं अपनाया है। उन्हें अपने क्षेत्र में और संस्थाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन संस्थाओं के लिए और धन की जरूरत होगी। मैं यह बात इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं भी एक अन्ध विद्यालय चलाता हूं और मुझे लगता है कि इन अन्धे लड़कों तथा लड़कियों को प्रशिक्षित करने हेतु कुछ सहायता, कुछ उपकरणों की जरूरत है। ये उपस्कर बहुत महंगे हैं और कभी-कभी हमें उन्हें आयात करना पड़ता है। इन संस्थाओं के लिए उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा ऐसे अन्य शुल्क वहन करना कठिन है। इसलिए, मैंने यहां इसका उल्लेख किया है और सरकार से अनुरोध किया है कि इन पर किसी प्रकार का शुल्क चाहे वह सीमा शुल्क हो या उत्पाद शुल्क, नहीं लगाया जाना चाहिए।

इस विधेयक में मैंने सुझाव दिया है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय परिषद होनी चाहिए। पिछली बार हमने देखा था कि जब विकास

[श्री उत्तम राठौड़]

नीति घोषित की गई थी तो हमने इस पर चर्चा की थी। इसमें शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना भी शामिल है, जिसे लागू किया गया था। यह बहुत अच्छी योजना है। महाराष्ट्र में हमने इसका परीक्षण किया है और मुझे विश्वास है कि अन्य राज्य भी इसका प्रयोग करेंगे।

मैं माननीय मन्त्री जी से आशा करता हूं कि वे इस पहलू पर प्रकाश डालेंगे और हमें यह बतायेंगे कि कितने राज्यों ने इसे कार्यान्वित किया है और इसके क्या परिणाम रहे। मैंने राज्य स्तर पर राज्य परिषद बनाने का भी सुझाव दिया है। यह सुझाव इस विचार से दिया गया है कि राज्य में सभी संस्थाओं के बीच समन्वय और सहयोग का रहे और वे ठीक प्रकार से कार्य करें। मैंने देखा है कि कई संस्थाओं के अपंग व्यक्तियों को जो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये, वह पूरी तरह नहीं दिया जाता। हो सकता है ऐसा वित्त और उपकरणों की कमी के कारण हो। राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद को ऐसे मामले का ध्यान रखना चाहिये और उनकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिये।

इन लोगों को न केवल रोजगार दिया जाना चाहिये, अपितु आवास सुविधा भी दी जानी चाहिये। उन्हें इस प्रयोजन के लिए ब्याजमुक्त ऋण भी दिया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करे तो वे राष्ट्र की अच्छी सेवा कर सकते हैं।

इस सभा में एक माननीय सदस्य श्री यमुना प्रसाद शास्त्री हैं, जो दृष्टिहीन है। वे बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार का अनुभव हुआ था। श्री भाई रोट्टी अपने कम में बहुत कुशल थे। मैं कानून के एक प्रोफेसर को भी जानता हूं, जो दृष्टिहीन थे, जिन्होंने स्थान सम्बन्धी कानून पर एक शोध सामग्री प्रस्तुत की थी। जो दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं की जा सकी। इसे उनकी मृत्यु के बाद तत्कालीन उप राष्ट्रपति श्री हिदाम तुल्ला द्वारा जारी किया जाना था। हमने देखा है कि शारीरिक रूप से विकलांग लोग काफी कुछ कर सकते हैं। मिस्र में क्रांति के बाद प्रथम शिक्षा मन्त्री डा० ताहा हुसैन थे, जो दृष्टिहीन थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी विचारों को लागू किया। हम चाहते हैं कि इन शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की सेवाओं का हमारे समाज की बेहतरी के लिए उपयोग किया जाये।

मैंने इन अपंग लोगों के लिये आवास के बारे में कहा है। बेशक ऐसी अनेक संस्थायें हैं जो इस विचार से सहमत नहीं हैं, किन्तु मेरे विचार से कुछ ऐसी संस्थायें अवश्य होंगी जहां ये लोग जा सकते हैं, ठहर सकते और नाम मात्र का भुगतान करके भोजन और सस्त आवास प्राप्त कर सकते है। यदि ऐसा कर किया जाये, तो इससे शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की परेशानियों में कमी होगी।

मैं अनुसंधान के बारे में भी कह चुका हूं। रोज नई बातें सामने आ रही हैं। पहले हमारे पास बड़ी-बड़ी पुस्तकें थीं। अब छोटी-छोटी मशीनें शुरू की गई हैं और वे बहुत कारण हैं। आस्ट्रेलिया ने ये उपकरण दिये हैं। इससे पूर्व अमरीका ने पुस्तकें दी थी। इन उपकरणों की सहायता से विकलांग लोग आसानी से अपनी समर्थ में वृद्धि कर सकते हैं। हमारी संस्थाओं और इन लोगों के ऐसे उपकरण उपलब्ध कराने जाने चाहिए।

मैंने यह भी सिफारिश की है कि यदि किसी संस्था अथवा व्यक्तियों ठीक प्रकार से काम करते नहीं पाया जाता, तो उसे दण्डित किया जाना चाहिए। मैंने यह सिफारिश की है कि इन शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की सेवाओं में लिया जाना चाहिये। परसों ही मेरी कुछ विकलांग लोगों से बातचीत हुई थी। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि गैर सरकारी संगठन

भी इन लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। महाराष्ट्र में इन लोगों को छोटे पी० सी० एक्स दिये गए हैं और वे उन पर बहुत कुशलता से काम कर रहे हैं। मैंने इन उद्देश्यों से यह विधेयक पुर:स्थापित किया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मन्त्री जी के सैद्धान्तिक रूप से इसे स्वीकार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इन लोगों की देखभाल की जा रही है। हमें चाहिये कि हम इन लोगों को यह संदेश दें कि सरकार इन अभागों के दायित्व में समान रूप से योगदान कर रही है। इस शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को दया की जरूरत नहीं है। वे चाहते हैं कि आप उनकी थोड़ी बहुत देखभाल करें। थोड़ी बहुत देखभाल और सम्मान से नि:संदेह उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। वे भी हमारे समाज के कल्याण में अपना योगदान कर सकते हैं। हमें उनका सहयोग लेकर अपने समाज को समृद्ध बनाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, अक्षम व्यक्ति में ईश्वर की कुछ ऐसी कुदरत रहती है कि वह सामान्य व्यक्ति की तरह से काम नहीं कर पाता है। उसके लिए अगर समाज भी सहारा नहीं देगा या सरकार उसे सहारा नहीं देगी, तो उस व्यक्ति का जीना और भी दुर्लभ हो जायेगा। लोग उससे घृणा और नफरत करेंगे और एक ऐसी हीन भावना आ जायेगी, जिसके कारण स्वयं उसका और उसके परिवार के लोगों का जीना कष्टदायक हो जायेगा। जो बिल आपने यहां रखा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। आपने जिस भावना से इस बिल को रखा है, उसका भी स्वागत करता हूं। सरकार और समाज इन लोगों के जीवन को उन्नत बनाने के लिये जिस प्रकार के भी कार्य कर सके, उससे इन लोगों के जीवन में एक नयी रोशनी पैदा की जा सकती है और इस प्रकार के व्यक्ति जगह-जगह मिलेंगे, जिनको कुछ साधन पढ़ने के, शिक्षा के, कुछ सुविधायें रोजगार की देकर, हम उन लोगों के जीवन में एक प्रकार से खुशी ला सकते हैं और इस प्रकार के कई इंस्ट्रीट्यूट हैं जो इनकी सहायता करते हैं। कुछ सार्वजनिक संस्थायें हैं और कुछ स्वयंसेवी ने भी ऐसे संस्थान चला रखे हैं, लेकिन उन पर सरकार को पूर्णत: निगरानी करनी आवश्यक है क्योंकि समाज के कुछ लोगों ने इनको आधार बनाकर भी अपनी जीविका कमाने का साधन बना लिया है और उनको मदद न देकर, उनका शोषण शुरू कर दिया है। सरकार से उनको मदद देने के नाम पर अनुदान प्राप्त करते हैं, लेकिन उस अनुदान को जिस प्रकार से उन लोगों को सुख-सुविधा प्राप्त करने पर खर्च करना चाहिये, वह न कर, स्वयं खा जाते हैं।

सभापति महोदय, उदयपुर में एक अन्ध विद्यालय है। उसको चलाने के लिये एक सोसायटी बनी और उसने एक इतना बड़ा गबन किया जिसका सत्यापन हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजमेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब राज्य सरकार ने इतना काम किया है कि सिर्फ एक व्यक्ति को उस संस्था के ऊपर अपाइंट कर दिया है। अगर इस प्रकार की संस्थाओं में इस प्रकार से कार्य होंगे, तो हम जो अक्षम लोगों के भले के लिए कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी। हमारे प्रयत्न ज्यादा सफलता नहीं दिला सकेंगे। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि इनको ठीक प्रकार से चला सके।

अन्ध विद्यालय के बालक किस प्रकार से और किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना चाहिये। मेरे विचार से अन्धे बालक अच्छे टीचर बन सकते हैं। अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। गाना-बजाना अच्छा कर सकते हैं और भी कई प्रकार की ऐसी एक्टीविटीज हैं जिनमें ऐसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में सबसे अधिक कूवत होती है, सबसे अधिक क्षमता

[श्री गुलाब चन्द कटारिया]

और मानसिक शक्ति होती है। उनको इसी प्रकार का कार्यों में लगाया जाये, वे अपने जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं।

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है।

सभापति महोदय : क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है ?

प्रो० राम गणेश कापसे : जी हां, सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस विषय पर अभी बहस चल रही है, उस विषय को जो मन्त्री देखते हैं, वे यहां नहीं हैं। उनकी हाजिरी आवश्यक है। यहां पर सोश्यल वैलफेयर के मन्त्री नहीं हैं।

सभापति महोदय : वैसे भी साधारणत: कैबिनेट की सम्मिलित जिम्मेदारी है और मंत्रिमंडल के एक मंत्री यहां विद्यमान हैं। आप कृपया बैठ जाइये।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : सभापति महोदय, सोश्यल वैलफेयर मिनिस्टर इस समय राज्य सभा में व्यस्त हैं।

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : सभापति महोदय, इस गैर-सरकारी कार्य दिवस को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है यह इसी से जाहिर है कि यहां पर संबंधित विषय के मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं। यह केवल इसी सरकार की बात नहीं है भूत-काल में भी ऐसे अवसर आये हैं। इसलिये किसी माननीय मंत्री को यह नहीं समझना चाहिये कि यह उनके ऊपर कटाक्ष है। सरकारों की हमेशा यह नीति रही है कि इस गैर-सरकार कार्य दिवस को नजर-अन्दाज किया जाये।

सभापति महोदय : मान्धाता सिंह जी, कृपया आप बैठ जायें। साधारणत: आपका जो यह प्रश्न है उसके बारे में कहना यह है कि कैबिनेट में कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी होती है। हालांकि जो इसके मिनिस्टर हैं, उनका उपस्थित रहना अच्छा होता है, परन्तु जैसी अभी सूचना दी गयी है, वे दूसरे हाउस में व्यस्त हैं। उनको वहां भी काम करना पड़ रहा है। एक मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे इस काम को देख रहे हैं। गुलाब चन्द जी, आप बोलिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, जिस प्रकार की उसकी अक्षमता है, उसको देख कर उसके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो लोग अपने हाथ-पैरों से अपंग हैं, ऐसे लोगों को हम कई प्रकार की सरकार की सुविधायें दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं वह उनके

4.00 म० प०

लिये हम बिना किसी प्रकार का पैसा दिये हुये उपलब्ध करवा सकते हैं। सर्विस में, जो हाथ और पैरों से अपंग हैं, उनको अगर टेलीफ़ोन का कनैक्शन देकर बिठा दिया जाए जिससे कि सामान्य व्यक्ति वहां पर आकर टेलीफोन करे और उससे कुछ अनुदान प्राप्त हो। जिस प्रकार से एस० टी० डी० का कनैक्शन प्राईवेट लोगों को देते हैं, वह ऐसे अक्षम लोगों को प्रायरिटी के आधार पर देकर सुपुर्द कर दें तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी संख्या में जो असहाय लोग हैं, उनको सहारा प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से कितने लोग बोल नहीं सकते हैं लेकिन देख और सुन सकते हैं। उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर उनके लिए कौन का काम उपयोगी हो सकता है, कौन सी नौकरी में, कौन

से धन्धे के लिए उपयोगी हो सकता है, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार ने बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह नहीं है कि प्रयास नहीं हुआ है लेकिन जिस मात्रा में प्रयास होना चाहिए वह नहीं हो पाया है। हिन्दुस्तान में जितने अक्षम लोग हैं उतने दुनिया में और किसी देश में नहीं होंगे। इसके बारे में सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। आखिर हमारे यहां अन्धे, लंगड़े, लूले और इस प्रकार के लोग इतनी बड़ी संख्या में किस प्रकार से होते हैं। क्या कहीं खाने-पीने के सामान में कोई दोष है, क्या और कोई ऐसी सुविधा जो उपलब्ध होनी चाहिए और उपलब्ध न होने के कारण वे अक्षम हो जाते हैं? इन सब बातों पर विचार करना सरकार का दायित्व है, सरकार का प्रमुख कार्य है जिसे सरकार को करना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे ऐसा लगता है कि कोरम गणपूर्ति नहीं है। मेरे लिए सभा के संचालन

4.02 म० प०

हेतु गणपूर्ति आवश्यक है। घंटी बजाई जाये।

4.03 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

4.04 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है। कटारिया जी आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सबसे पहले जो अक्षम लोग हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में और आगे के जीवन के बारे में सरकार को पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। उनको पूर्णतया फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, आने-जाने के जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें उनको रियायत मिलनी चाहिए जिससे कि वे अपनी जिन्दगी ठीक प्रकार से गुजार सकें। इसके साथ ही जिस प्रकार के विषय में हम उनको ट्रेंड कर सकते हैं करें जिसके कारण वे लोग किसी भी प्रकार से अपने आपको भार-स्वरूप महसूस न करें और सम्मान की जिन्दगी जी सकें। जो प्रयत्न पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं उनकी तुलना में इनकी संख्या अत्यधिक है। शहरों में कुछ स्थानों पर ऐसे केन्द्र जरूर स्थापित किए गए हैं जहां पर समय-समय पर बहरे-गूंगों का कोई छात्रावास खोला जाता रहा है लेकिन गांवों में इनकी संख्या क्या है। गांवों में जो इस प्रकार के लोग हैं उनके बारे में हम सबसे पहले ठीक प्रकार से सर्वे करें।

इस सर्वे के लिए हम कोई आधार बनाये। अभी यह जो जनगणना का वर्ष था, अगर हमारी सरकार चाहती तो एक फोरम हस्ताक्षरित का बनाती कि किसी व्यक्ति में, कोई इस प्रकार की अक्षमता तो नहीं है। अगर इस प्रकार के सारे आंकड़े इकट्ठे होते तो उन आंकड़ों को ध्यान में रख कर हम यह सोच सकते थे कि इस देश में अन्धे लोग कितने हैं, लूले-लंगड़े कितने हैं और गूंगे-बहरे कितने हैं? फिर उनके आधार पर किस प्रकार की योजना, हम कहां और कैसी बनायें, यह निर्णय हम कर सकते हैं। जिससे कि उनके जीवन को हम नया रास्ता देकर आगे बढ़ा सकें, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इतने लम्बे सालों तक हम ये जरूर निष्पक्ष अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि हिन्दुस्तान इसमें सबसे अग्रणीय है, लेकिन हिन्दुस्तान में उस अग्रणीय संख्या की तुलना में, हम लोगों ने अपने प्रयत्न उस

[श्री गुलाब चन्द कटारिया]

हिसाब से नहीं किये। एक बहुत बड़े, पूरे का पूरा डिविजनल हैड-क्वार्टर पर भी अन्धविद्यालय आपको नहीं मिलेगा, जहां पर गूंगे और बहरे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध हों। यहां तक कि जो लोग डिसेबल हैं अगर उनको मेडीकल प्रपज के लिए डाक्टरों से सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़े तो वह भी उनको प्राप्त नहीं होता है, इसका उन्हें बहुत अफसोस होता है। इसलिए डाक्टर से सर्टिफिकेट प्राप्त करना भी उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा का विषय हो जाता है।

इसलिए मैं इस सरकार से चाहता हूं कि कम-से-कम तहसील हैड-क्वार्टर पर इस प्रकार के कैम्प लगायें और उन कैम्पों में जो अक्षम लोग हैं या इस प्रकार के जो अन्य व्यक्ति हैं, उनको सर्टिफिकेट तो कम-से-कम आसानी से उपलब्ध हो जायें, ऐसी सुविधा उनके लिए आवश्यक होनी चाहिए। उस सर्टिफिकेट के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में वे उसका लाभ प्राप्त कर सकें और इसके लिए हम उनका सहयोग कर सकें और इनको आगे बढ़ा सकें। वैसे जिस प्रकार की भावना को लेकर यह बिल रखा गया है मैं उसका सम्मान और स्वागत करता हूं और इस सरकार से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर वास्तव में सरकार इन लोगों की मदद करना चाहती है तो निश्चित रूप से इसका एक कम्पलीट सर्वे करे और उसके अनुसार योजना बनाये ताकि हम इन लोगों को सहयोग दे सकें और जो स्वयंसेवी संस्थायें अच्छे काम कर रही हैं उनको हम जरूर बढ़ावा दें। लेकिन इन अक्षम लोगों के आधार पर सरकार से अनुदान और पैसा लेकर जो लोग एक धन्धा करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों पर आप लगाम लगायें और उनके हाथ से लेकर हमें इस संस्था को छीनना भी पड़े तो उनसे छीन करके हम उनका सरकारीकरण करें क्योंकि इस प्रकार के कई विद्यालयों का अनुभव आता है कि सारे सरकारी पैसा लेते हैं और प्राइवेट में जो उनकी व्यवस्था करते हैं, उसमें से भी सारा पैसा खाकर ये लोग उनको एक तरह से नारकीय जीवन के लिए मजबूर करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि यह एक सवेदनशील विषय है इसलिए इस विषय पर हम गंभीरता से विचार करें और इसका पूरा आउट-लाइन बना करके, इस समस्या का हमेशा के लिए तो हम समाधान नहीं कर सकते लेकिन इसको हम एक अच्छे रूप में आगे जरूर बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का प्रयत्न हमें अवश्य करना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस गैर सरकारी विधेयक का समर्थन करता हूं जिसका शीर्षक "अपंग व्यक्ति (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 1990" है।

मैं इस विधेयक को रखने वाले श्री राठोड के प्रति आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक को तैयार करने और सभा के समक्ष लाने के लिए बहुत परिश्रम किया है। इससे हमें उन लोगों की दुर्दशा पर विचार करने का अवसर मिला है जो दुर्भाग्यवश विकलांग हैं अथवा विभिन्न कारणों से अपंग हो गये हैं। कुछ लोग दुर्घटना के कारण, कुछ युद्ध में हमारी रक्षा सेनाओं में रहकर लड़ते हुए, कुछ काम करते हुए और कुछ किन्हीं गंभीर बीमारियों के कारण अपंग हो गये हैं। इस प्रकार अपंग और विकलांग लोगों की सूची बहुत बड़ी है और इनमें भी विशेषकर ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो दी जस्त

का खाना भी नहीं जुटा पाते । हर कोई जानता है कि हमारे देश में लाखों बालक और बालिकायें विटामिन ए की कमी के कारण अन्धे हो जाते हैं और खाने में प्रोटीन की कमी के कारण मानसिक और शारीरिक दृष्टि से विकलांग हो जाते हैं । इसलिए, यह समस्या बहुत बड़ी समस्या है और प्रस्ताव का सुझाव यह है कि केन्द्रीय और राज्य स्तर पर कार्यकलापों की देख रेख करने उनमें समन्वय स्थापित करने और साथ ही सरकारी एजेंसियों और स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी एजेंसियों के कार्यकलापों में तालमेल बिठाने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद गठित की जानी चाहिए। उद्देश्य प्रशंसनीय हैं। विधेयक के लक्ष्य और उद्देश्य बहुत स्पष्ट है और उनके प्रति किसी को भी कोई गंभीर आपत्ति नहीं हो सकती । किन्तु मैं इस अवसर पर कतिपय विशेष वर्गों के व्यक्तियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन्हें वे अल्पमात्र सुविधायें भी नहीं मिल पाती जो विभिन्न विभागों और विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपंग लोगों को दी गई है । सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं इस बात को नहीं समझ पाता कि देश के सभी राज्यों में विशेषकर जिस राज्य मैं हूं, यानि उत्तर प्रदेश में, जिस देश का सम्पन्न प्रान्त कहा जाता है, हरिजन कल्याण विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग को इस प्रकार जोड़ दिया गया है जैसे कि हरिजन कल्याण और समाज कल्याण विभाग एक साथ काम कर सकते हैं और उन्हें राज्य स्तर पर एक ही मन्त्री अथवा एक ही सचिव के प्रभार में रखा गया है । जिला स्तर पर भी एक ही अधिकारी है जिसे जिला हरिजन और समाज कल्याण अधिकारी पदनामित किया गया है । इस प्रकार हरिजनों की ही समस्यायें इतनी व्यापक और गंभीर है कि उन्हें समाज कल्याण की समस्याओं के साथ नहीं मिलाना चाहिए उसके लिए एक अलग मन्त्रालय होना चाहिए और राज्य के मुख्यालय और जिला स्तर पर तथा उससे निचले स्तर पर अलग विभाग प्रमुख नियुक्त किया जाना चाहिए ।

महोदय, हर कोई जानता है और हमें भी अपने को 'कल्याणकारी राज्य' कहने में गर्व है और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के इन 43 वर्षों के दौरान हम एक 'कल्याणकारी राज्य' के निर्माण के बारे में बात करते आये हैं।

परन्तु इन लाखों लोगों जवान तथा बूढ़ों को उनके जीवन यापन को, उनके कार्य करने के लिए आवश्यक वस्तुयें प्रदान नहीं की गयी है तथा इनको इस बात का अवसर भी नहीं दिया गया है कि उन्हें जिस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए, वह उन्हें प्राप्त हो सके । लाखों विकलांग बच्चे तथा विकलांग लोग अनेक प्रकार की परेशानियों तथा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । पिछले दिनों दो से मुझे दो बहुत अच्छे उदाहरणों मिले जिनमे पता चलता है कि हम लोग विकलांग लोगों के दुःखों के प्रति कितने उदासीन, लापरवाह, गैर-जिम्मेदार हैं । जब मैं 'हम' शब्द का प्रयोग करता हूं, तो इसका मतलब पूरी व्यवस्थ से है जिसके अन्तर्गत हम कार्य कर रहे हैं । महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपको तथा सभा के अन्य सदस्यों को पिछले दो दिनों के अनुभव के बारे में बताना चाहूंगा । मैंने उत्तर प्रदेश के एक स्वयंसेवी संस्था के शिष्ट मण्डल से मुलाकात की थी ।

यह संस्था विकलांग लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा पिछले वर्ष मार्च में इसके सचिव एक योजना के सम्बन्ध में यहां आये थे । मैं उन्हें भी अपना आभार व्यक्त करता हूं । उन्होंने परियोजना में गहन दिलचस्पी दिखायी थी तथा प्रतिनिधि मण्डल से सुन्दर बातचीत की तथा इस परियोजना का अध्ययन किया था तथा सोचा कि यह लोग बहुत ही लाभकारी कार्य कर रहे हैं तथा उन्होंने कलकत्ता में उनको एजेंसी से कहा था । कुछ विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग दिये गये हैं । कलकत्ता में एक फर्म है जो ये सब उपकरण बनाती है । सचिव ने कलकत्ता के संस्थान के निदेशक को आदेश दिया कि एक दल को संस्था का तत्स्थानिक दौरा करने के लिए तथा उसकी कार्य प्रणालों का आकलन

[श्री मान्धाता सिंह]

करने के लिए लखनऊ भेजे और 15 दिन के अन्दर भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह पखवाड़ा अभी पूरा नहीं हुआ है यद्यपि अगला मार्च आने वाला है। यह रिपोर्ट अभी दिल्ली में सचिव तक पहुंचनी है, जिसे सचिव (कल्याण) पदनाम दिया गया है।

इस सभा में आने से पहले मैंने सचिव टेलिफोन पर बातचीत की है तथा उसे यह जानकर अचम्भा हुआ कि साफ-साफ आदेश दिये जाने के बावजूद कि 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट दी जानी चाहिए ताकि भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित एजेंसी को आवश्यक सहायता दी जा सकें। उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने मुझसे फिर से निवेदन किया कि सम्बन्धित व्यक्ति को आज दोपहर बाद उनके पास भेजा जाये और मुझे आशा है उन्होंने स्थिति का जायजा लिया होगा तथा वे इस मामले में कुछ गम्भीर कार्यवाही कर रहे होंगे। यह एक ऐसा उदाहरण है कि हम अपने लोगों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के बारे में कितने लापरवाह हैं।

दूसरा उदाहरण, भोजनकाल के दौरान, मेरे संसद भवन कार्यालय में मुझ से मिलने एक व्यक्ति आया था। वह मेरे अपने गांव का युवा था मैं उसके बारे में लिखता रहा हूं मैं उसके मामले पर मैं कहता आया हूं। यह भूतपूर्व सैनिक है जोकि सेना के सेवाकाल के दौरान विकलांग हो गया था। वह सेना में सिपाही भर्ती हुआ था तथा उसे एक या दो पदोन्नतियां मिली थी तथा वह हवालदार या ऐसा ही कुछ बन गया था। परन्तु वह अधिकारी नहीं बना था।

जब वह विकलांग हो गया था तो उसे सेना से पदमुक्त कर दिया गया—तब वह उ० प्र० लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी० सी० एस० तथा आई० ए० एस० की परीक्षा में बैठा था। सभा को यह जानकर खुशी होगी कि जो व्यक्ति सेना में जवान भर्ती हुआ था वह उ० प्र० लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी० सी० एस० तथा आई० ए० एस० की परीक्षा में पास हो गया था।

केन्द्र में गृह मन्त्रालय का कहना है कि अखिल भारतीय सेना में उसे विकलांग सैनिक तथा जितना समय वह सेना में रहा तथा उसने अपने इलाज में जो समय लगाया सभी में आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि वह आयु सीमा में छूट का हकदार है। परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार में यद्यपि तीन वर्ष बीत चुके हैं तथा उसके बैच के 87 पी० सी० एस० अधिकारियों ने पहले ही पदभार ग्रहण कर लिया है, इस नौजवान को अभी तक उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी है। इस दोपहर को मैंने उ० प्र० के मुख्य सचिव को एक अ० शा० पत्र भेजा था कि इस मामले की गम्भीरता से लिया जाए। इससे यह संकेत मिलता है कि केन्द्रीय एजेंसी तथा राज्य सरकार की एजेंसी में तालमेल की कमी है।

मैं और कोई उदाहरण प्रस्तुत करके सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं मैं केवल इस बात का महत्व बताना चाहूंता हूं, कि यदि हम वास्तव में अपने को कल्याणकारी राज्य कहते हैं तो हम अपने लाखों विकलांग बच्चों, बड़ों, जवानों तथा महिलाओं, पुरुषों की उन मुख्य आवश्यकताओं को नजरन्दाज नहीं कर सकते जो अनेक कारणों से कष्ट उठा रहे हैं।

सब लोग रोजगार में आरक्षण की बात करते हैं। अध्यापक होने के नाते मैं इस बात पर जोर दूंगा कि नेत्रहीन तथा विकलांग लोगों को विशेष शैक्षिक सुविधायें दी जानी चाहिये। आरक्षण के बारे

में बहुत ही हल्ला होता है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि विकलांग लोगों को रोजगार तथा शिक्षा दोनों में ही विशेष आरक्षण मिलना चाहिये।

आपको मेरे साथ सहयोग करना होगा। मैंने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं जोकि प्रशंसा करने के योग्य हैं। बहुत से खण्डों तथा उपखण्डों की व्याख्या की आवश्यकता है। परन्तु हम जानते हैं, कि इन गैर-सरकारी विधेयकों का हमेशा क्या भविष्य होता है। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री दोनों ही पहली पंक्ति में आ गए हैं मुझे नहीं पता कि कोई मन्त्री इस सभा में उपस्थित है या नहीं।

मुझे इस पर गम्भीर आपत्ति है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभा कैसे कार्य करेगी जब सरकार का मन्त्री ही उपस्थित नहीं है? यहां केवल एक मन्त्री उपस्थित हैं। खैर यह औपचारिकता मात्र है। (व्यवधान)

मेरे मित्र जोकि मेरे बगल में बैठे हैं अभी-अभी बताया है कि हमारे मन्त्री पिछली बेंचों पर बैठने वालों में से हैं जो अभी-अभी अगली बेंचों पर आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कैबीनेट मन्त्री पर लागू होता है, वह राज्य मन्त्री हैं।

श्री मान्धाता सिंह : आपके आसन ग्रहण करने से पहले हमने पीठासीन अधिकारी श्री बसवन्त सिंह जोकि तब पीठासीन थे, को बताया था कि सभा ने इस पर गम्भीर आपत्ति की है। समाज कल्याण को सभा में उपस्थित रहना चाहिये था। यह बहुत अच्छी परम्परा नहीं है और हम इस पर गम्भीर आपत्ति उठाते हैं मैं यहां उपस्थित मित्रों की ओर से आग्रह करता हूं कि वे इस बात को गम्भीरता से लें।

उपाध्यक्ष महोदय : में सूचित करता हूं कि समाज कल्याण मन्त्री दूसरी सभा में हैं।

श्री मान्धाता सिंह : यह एक और बहाना है। अच्छा होता कि श्री सत्य प्रकाश मालवीय जोकि राज्य सभा के सदस्य हैं वहां पर उपस्थित रहें तथा वहां के क्रियाकलाप को देखें।

श्री रामजी लाल सुमन जोकि समाज कल्याण मन्त्री हैं इस सभा के सदस्य हैं, अत: उन पर हमारा अधिक हक है परन्तु यदि वह सदस्य नहीं रहे हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है। यदि वह सदस्य नहीं रहे हैं जैसाकि आपने कहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है तथा कोई शिकायत नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि इस अल्प अवधि में जो कुछ भी मैंने कहा है, उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा।

मुझे नहीं पता है कि इसे कौन गम्भीरता से लेगा जब सम्बन्धित मन्त्री ही यहां नहीं है तथा शायद दीर्घाओं में भी कुछ अधिकारी होंगे तथा मैं आशा करता हूं कि कल्याण मन्त्रालय के सचिव दीर्घाओं में होंगे क्योंकि मैंने उनको मामले पर काफी रुचि लेते हुए देखा है तथा वह इस बात को ठीक करने का प्रयास करेंगे ताकि अधिकतम लाभ सरकारी खजाने से दिया जा सके तथा विधेयक के प्रस्तावक इस सभा तथा संविधान के निर्माताओं के इरादे को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के सम्बन्ध में वास्तव में कार्य रूप दिया जा सके।

[हिन्दी]

श्री रामप्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री उत्तम राठौड़ साहब द्वारा यह जो गैर-सरकारी विधेयक लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

साथ मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने यह बिल लाकर सदन का ध्यान इस पर आकर्षित किया है। हमारा देश विश्व में कई मामलों में बहुत आगे है और कई चीजों में काफी पिछड़े हुए हैं। खासकर अपंग व्यक्तियों के मामले में संख्या के हिसाब से हमारा प्रथम स्थान है। यहां पर यह बात कही गई कि ये व्यक्ति दिमागरी तौर पर काफी तेज होते हैं, यह बात सत्य है। अगर कोई अपंग व्यक्ति किसी सम्पन्न घर में पैदा होता है तो यह देखा गया है कि उनके लिए जो पढ़ाई-लिखाई के इन्तजाम किये जाते हैं उससे वह काफी विकास करता है और प्रतिभावान होता है और अच्छे शिक्षक के रूप में कई ऐसे अपंग व्यक्ति विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं। जो निम्न परिवार से आते हैं उनके लिए पढ़ाई-लिखाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है और उनकी मृत्यु बहुत दुःखदाई होती है।

सरकार अपंग व्यक्तियों के लिए रहने की व्यवस्था करे। सरकार जब कल्याण की बात करती है तो उसे इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग प्राकृतिक तौर पर अपंग नहीं होते। यह भी देखा गया है कि हमारे देश में कई ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो छोटे-छोटे बच्चों को उठा लेते हैं और उनके अपंग बनाकर उनसे भीख मांगने का धंधा कराते हैं। इससे भी अपंगों की संख्या में वृद्धि होती है। ऐसे गिरोहों का सरकार को सफाया करना चाहिए और इसमें लिप्त लोगों को मृत्यु दण्ड से कम की सजा नहीं देनी चाहिए। सरकार के ध्यान में यह चीज है, लेकिन वह इसमें अभी तक सफल नहीं हो पाई है। इन लोगों के लिए हर अनुमण्डल में एक आवासीय विद्यालय होना चाहिए। जहां उस इलाके के अपंग व्यक्तियों को पढ़ाई-लिखाई का काम कराया जाये और उनके रहन-सहन की व्यवस्था की जा सके। यह सबसे अनिवार्य चीज है।

इन लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग इंजीनियर भी बने हुए हैं। इससे साबित होता है कि ये अच्छे इंजीनियर भी हो सकते हैं, अगर इनको सही रूप से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए। भारत सरकार ने इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। यह हर राज्य में होनी चाहिए और शिक्षा में भी इनको आरक्षण देना चाहिए।

कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनको उपलब्ध कराकर इनको जीविका का साधन बनाया जा सकता लेकिन उन उपकरणों के लिए उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिये। सरकार द्वारा ये उपकरण एक अनुदान के रूप में मुहैया कराना चाहिए। इनको आरक्षण न केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि प्राईवेट नौकरियों में भी दिया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते है कि जो इन अपंगों की स्थिति आज देश के अन्दर है, इनका ज्यादा से ज्यादा मदद देकर उनकी पीड़ा को दूर करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जैसे भिखारियों की दशा है, फिजा और उससे बोझिल बनती जा रही है, यह एक जटिल समस्या बनी हुई है। हमें कैसे भी इन लोगों को आगे लाना होगा। ये लोग अपने परिवार पर बोझिल बने हुए हैं, इनकी जिन्दगी को सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। मेरी यही गुजारिश सरकार से है कि मेरे इस सुझाव को मान लेना चाहिए। यद्यपि यह बिल सरकार की ओर से आना चाहिए था परन्तु माननीय सदस्य ने इसे पेश किया है, इसलिए सरकार को इसे मान लेना चाहिए कि अपंगों को जितनी ज्यादा से ज्यादा हम राहत पहुंचा सकें, हमें देनी चाहिए ताकि राष्ट्र के विकास में इनको भी उठा सकें।

[अनुवाद]

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। समाज का अपंग व्यक्तियों के प्रति दायित्व है। हमारे देश में इन अपंग व्यक्तियों की संख्या लगभग 120 लाख है। यह हमारी कुल जनसंख्या का करीब 5 प्रतिशत है। हमने यह भी देखा है कि इन अपंग व्यक्तियों में से कई प्रतिभावान व्यक्ति हुए हैं। परन्तु अब तक उनके लिए क्या किया गया है ? बहुत से आयोग, अधिनियम, और सरकारी आदेशों के बावजूद भी सब कुछ वैसा ही है। यहां तक कि एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें बताया गया कि अपंग व्यक्तियों में से केवल 5 प्रतिशत व्यक्ति ही उनके लिए आरक्षित सेवाओं में लग पाते हैं। वर्ष 1987 में न्यायमूर्ति बी० बहरूल इस्लाम आयोग का गठन किया गया था जिसमे इन अपंग व्यक्तियों के लिए रोजगार में कुछ आरक्षण प्रदान करने, मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण देने में और आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए संविधान में संशोधन करने का सुझाव दिया गया। परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई घोषणा का कार्यान्वयन नहीं किया गया। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अपंग लड़के तथा लड़कियों के लिए शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, विशेष रोजगार कार्यालयों तथा आवासों व्यवस्था करना अत्यधिक आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक कार्य हैं। यह केवल शुभ कामनाएं व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए अनेक आयोग गठित किए गए हैं, अनेक बार इस पर चर्चा की गई है, प्रश्न उठाए गए हैं और अनेक आश्वासन दिए गए हैं। परन्तु सत्य यही है कि उनका कार्यान्वयन नहीं किया गया। यह लोग उनके लिए दी गई थोड़ी बहुत सुविधाओं से भी वंचित हैं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सुझावों को स्वीकार करेगी और विकलांगों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड नियुक्त करेगी जैसी कि पहले घोषणा की गई थी। यह बोर्ड इन उपबन्धों को लागू करने सम्बन्धी प्रश्न की जांच करेगा। सरकार को इस बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपने उत्तम राठोड़ जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की समस्याओं की तरफ उन्होंने इस सदन का ध्यान आकर्षित किया। उपाध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह जानते है कि दुनिया में निःशक्त, हैंडीकैप्ड जितने भी लोग पैदा होते हैं उसका करीब-करीब 50 प्रतिशत भारत मे अनुपात है। 40-42 साल की आजादी के बाद चाहे केन्द्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, उनके द्वारा इन करोड़ों निःशक्त लोगों की तरफ कोई योजनाबद्ध तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। हमारे साथी जो "रीहैबिलिटेशन एंड वैलफेयर फार द डिसेबल्ड परसन्स" का प्राइवेट मेम्बर्स बिल लाए है, उन्होंने इस पर कुछ सुझाव दिए हैं। मैं जानता हूं कि सरकार इस प्राइवेट मेम्बर बिल को ऐक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मैं मांग करता हूं कि वैसे तो सरकार की सीरियसनेस इस बात से साबित होती है ... (व्यवधान) ... करोड़ों लोगों की समस्याओं पर विचार हो रहा है और वेलफेयर मिनिस्टर इस सदन में उपस्थित नहीं है हमारे मंत्रीजी बैठे हैं वह भी कोई सीरियस नोट नही ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि जब आप इस पूरी डिबेट का जवाब देंगे तो जो सुझाव हमारे माननीय संसद सदस्यों ने रखे हैं उनका आप किस तरीके से जवाब इस सदन में देंगे ? इसलिए उनको उपस्थित होना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे सभा को क्या समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम की घन्टी को बजने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोरम पूरा है, श्री जगपाल सिंह अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह : शुक्रिया उपाध्यक्ष जी। संसद सदस्य तो ज्यादा नहीं आ पाए जैसा कि हम लोगों को मालूम ही था कि वे मौजूद नहीं हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी आए गए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं :

उपाध्यक्ष जी, इस देश में करोड़ों की संख्या में निशक्त लोग पैदा होते हैं और निशक्त ही इस दुनिया से चले जाते हैं। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार ने अभी तक इन निशक्त लोगों की वैलफेयर के लिए कोई योजना नही बनाई है। आप जानते हैं कि इनके लिये शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, उनके लिए भत्ते की व्यवस्था, उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था अभी तक इस देश में नहीं हो पाई है। इस सदन में इस विषय पर विचार तो अवश्य किया गया होगा लेकिन भारत सरकार ने अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई ताकि इन लोगों की वैलफेयर का काम किया जा सके। यही नहीं, इन लोगों की सहायता के उद्देश्य से जिन सोशल इंसटीट्यूशन्स का गठन किया गया है, जो इन लोगों की वैलफेयर का काम कर रही हैं, वे भी इनके लिये अभिशाप बन गई हैं। वेइंसटीट्यूशन्स इन लोगों से भीख मंगवाने का काम करती हैं, वे इंसटीट्यूशन्स भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंटस से सहायता तो लेती हैं परन्तु इन लोगों की वैलफेयर के लिए समुचित ढंग से खर्च नहीं करतीं, इन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करतीं। इन कामों की ओर उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा है।

हमारे साथी श्री उत्तम राठौड़ ने अपने बिल में इन लोगों के लिए अनेक व्यवस्थायें की हैं। यदि सरकार अपनी ओर से कोशिश करे और कोई ऐसा काम्प्रीहेन्सिव बिल सदन में लाये जिसमें ऐसी भ्रष्ट इंसटीट्यूशन्स के खिलाफ सजा देने का प्रावधान हो, जिससे भारत सरकार को और राज्य सरकारों को कुछ विशिष्ट प्रकार की शक्तियां मिलें, तभी इन सोशल इंसटीट्यूशन्स के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि बड़े शहरों में लाखों अपंग लोग भीख मांगते फिरते हैं। किसकी टांगें नहीं होतीं, किसी के हाथ नहीं होते या कोई दूसरा अंग नहीं होता। ऐसे लाखों अंगहीन लोग आपको भीख मांगते मिल जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो लोग इस देश में निशक्त पैदा हुए हैं, उनका कोई दोष नहीं है। दोष है तो हमारी अर्थव्यवस्था का है जिस अर्थ व्यवस्था के चलते हम हिन्दुस्तान के ऐसे करोड़ों लोगों के लिए न तो अच्छी दवाई की व्यवस्था कर पाये, न उनके खाने की व्यवस्था कर पाए, न उनके कपड़े की व्यवस्था कर पाये और न उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कर पाये।

इसमें निशक्त लोगों का कोई दोष नहीं है। अर्थव्यवस्था के कारण यदि हम उनके मां-बाप को वे सारी चीजें उपलब्ध नहीं करा पाये, जिन चीजों की गैर-मौजूदगी में ये निशक्त लोग पैदा हुए तो इसमें दोष उनका नहीं है। आज वे करोड़ों लोग हमारे लिये अभिशाप बन गये हैं, जिन्हें देखकर हमें शर्म आती है। उन्हें रोजगार दिया जा सकता है, शिक्षा दी जा सकती है, यात्रा की सुविधाएं दी जा

सकती है, और दूसरी सुविधाएं दी जा सकती हैं, जिनका जिक्र राठौड़ साहब ने अपने बिल में किया है। उपाध्यक्ष जी, हमने भारत के संविधान में इस देश के गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिये, हरिजन आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। मेरी मांग है कि उसी तरह इन अपंग लोगों के लिए भी संविधान में रिज़र्वेशन की व्यवस्था की जाए। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाये, एजूकेशनल इंसटीट्यूशन्स में भी उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। तभी हम इस अभिशाप को खत्म करने की स्थिति में आ सकेंगे।

मेरा सुझाव है कि उत्तम राठौड़ जी ने इस बिल में व्यवस्थाएं की है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की एक कौंसिल बनेगी, उसके अन्डर स्टेट कौंसिल बनाई जायेंगी, उससे आगे बढ़कर मेरा सुझाव है कि इस उद्देश्य हेतु जितनी राशि की आवश्यकता हो, उस फाइनेंशियल एक्सपेंडीचर का 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार वहन करे और 50% भाग राज्य सरकारें वहन करें। तभी हम इन लोगों की वास्तविक अर्थ में सहायता कर पायेंगे। इसके अतिरिक्त इस बिल में 10 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान का जिक्र आया है, मेरी मान्यता है कि 10 करोड़ रुपये से कुछ होने वाला नहीं है, यदि 50 या 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी इन लाखों-करोड़ों लोगों की वेलफेयर के लिए किया जा सके तो भारत सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ, माननीय उत्तम राठौड़ जी जो बिल इस सदन में लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि सरकार अपनी ओर से भी एक काम्प्रीहैन्सिव बिल लाये, जो बाद में एक्ट का रूप ले और उस एक्ट के अन्तर्गत सारी व्यवस्थाएं इस देश में पैदा की जायें ताकि इन लोगों की वेलफेयर के लिए, सुव्यवस्थित ढंग से काम किया जा सके।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अपंग होना एक अभिशाप है और पहले अक्सर ऐसा मान लिया जाता था कि ऐसे लोगों को प्रकृति ने पिछले जन्म के किसी पाप की सजा दी है और अपंग, विकलांग, व्यक्ति को उसके भाग्य पर छोड़ दिया जाता था, परन्तु समाज की जिम्मेदारी है कि जो विकलांग हैं, जो अपंग हैं, उनकी सहायता करे। दुर्भाग्यवश कई बार उनके साथ, सहायता करने की अपेक्षा अमानवीय व्यवहार किया जाता है।

मान्यवर, पिछले मानसून सत्र में, अंधे, विकलांग लोगों ने बोट क्लब पर धरना दिया। संसद के कुछ माननीय सदस्यों के साथ मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। मैं जब वहां गया, तो मुझे मालूम हुआ कि बारिश में भीगते हुए वे लोग मांग कर रहे थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय को वे अपना एक ज्ञापन देना चाहते थे और उनकी यह शिकायत थी कि वहां एक अधिकारी उनसे कहता था कि जब तक मैं यहां हूं, तुमको मैं प्रधानमंत्री से नहीं मिलने दूंगा। इस प्रकार से जो अमानवीय व्यवहार इन विकलांग व्यक्तियों के प्रति किया जाता है, यह उसका एक स्पष्ट उदाहरण है।

मान्यवर, इसी दिल्ली में अंधों पर लाठी चार्ज हुआ था। कुछ लोग जो टैस्ट में उत्तीर्ण हो गए थे, उनको साक्षात्कार देने के लिए नहीं जाने दिया गया। उन्हें धक्का देकर निकाल दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री राठौर जी ने जो बिल यहां पेश किया है, वह केवल मात्र औपचारिकता बन कर न रह जाये। इस देश में कभी विकलांग वर्ष, कभी शिशु वर्ष, कभी महिला वर्ष हम मना लेते हैं और इस प्रकार से केवल कागजी कार्रवाई होकर रह जाती है। संसद् में जब यह बिल आया है तो सरकार या तो इसे अपने संशोधनों के साथ स्वीकार करे या जैसा बिल आया है, उसको उसी रूप में स्वीकार करे या अपनी ओर से एक सम्पूर्ण बिल लाये, ताकि सचमुच में ही जो विकलांग

[प्रो० प्रेम कुमार धूमल]
हैं, जो अपंग हैं, उनकी सेवा के लिए काम हो सके, यह केवल मात्र औपचारिकता निभाना या प्रस्ताव पेश कर देना, यह एक फैशन सा बन गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप यह सुनकर हैरान होंगे कि केन्द्रीय सरकार के टेलीफोन विभाग में एक व्यक्ति, जो 75 प्रतिशत राम मनोहर लोहिया के डाक्टरों के अनुसार आंखों से अपंग है, यानी उसकी 75 प्रतिशत रोशनी जा चुकी है, जब उसके बारे में मैंने पत्र लिखा, एक बार नहीं तीन बार जब पत्र लिखे, तो भी उसको आज तक मकान आबंटित नहीं हो सका है। उसके कार्य-स्थल के निकट उसको शासकीय आवास आबंटित करने के मेरे तीन बार अनुरोध के बावजूद आज तक उसको आवास का आबंटन नहीं हुआ है। कल सुबह वह व्यक्ति मुझे फिर मिला था, वह कह रहा था कि उसके बाद कुछ व्यक्ति मन्त्री जी से मिले और उन्हें शासकीय आवास कर दिए गये, लेकिन जो व्यक्ति 75 प्रतिशत आंखों की रोशनी खो चुका है, यानी अपंग है उसको उसके कर्तव्य-स्थल के निकट, मेरे तीन बार लिखने के उपरान्त आज तक आबंटन नहीं हुआ। डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डाक्टरों के सर्टिफिकेट के बावजूद इस सरकार या पिछली सरकार को यह दया नहीं आयी कि कम से कम ऐसे व्यक्ति को एक क्वार्टर तो दे दो जिससे वह अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार से कर सके। क्या करेंगे हम यह प्रस्ताव पास करके ? जब हमारे देश की सरकार में इतनी भी मानवता नहीं है कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास आबंटित किये जा सकें। जिनके साथ कुदरत ने बेइंसाफी की है, हम उनको आवास की सुविधा भी न दे सकें, यह उनके प्रति कैसा न्याय है ?

मान्यवर, मैं प्रधान मन्त्री जी, से जो सौभाग्य से यहां उपस्थित हैं, अनुरोध करूंगा कि ऐसे केसेस में अपंग और विकलांग लोगों को आवास की सुविधा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाकर उनको सहूलियत प्रदान करेंगे। उस व्यक्ति के बारे में, मैं प्रधानमन्त्री जी को भी पत्र लिखूंगा, ताकि उसको और कुछ तो नहीं कम से कम आवास की सुविधा तो प्राथमिकता के आधार पर मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव भी है कि ऐसे लोगों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाये कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और किसी की दया के पात्र न बनें। कुछ अर्जन कर सकें, कुछ सेवा कर सकें और ऐसा महसूस न करें कि उनका जीवन समाज के ऊपर बोझ है, बल्कि वे समाज के प्रति अपना योगदान दे सकें। उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि कुदरत ने जो अन्याय उनके साथ किया है, उसको दूर करने के लिए समाज और सरकारी आगे आये। इसके लिये जो भी करना पड़े, जो भी कानून बनाना पड़े, वह कानून सरकार बनाये और उनको अपना जीवन ठीक ढंग से बिताने के लिए, जो सहायता संभव है, वह दी जाए।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमन्त्री जी बैठे हुए हैं और हमारे माननीय साथी श्री राठौर वह विधेयक लाए हैं जो शायद इस देश में या विश्व में इससे ज्यादा लाचारी का कुछ नहीं हो सकता है। विकलांग लोगों के लिए आज तक भारत सरकार की ओर से योजनाएं बनाई गई, कुछ विकलांग लोगों को शिक्षा दिया गया, कुछ को नौकरी भी मिली लेकिन बुनियादी चीज की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। आज प्रधानमन्त्री जी बैठे हुए हैं, वे समाजवादी रहे हैं और है भी और यह गैर-सरकारी विधेयक है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इन समस्याओं को कम से कम इस सदन में घोषणा करके दूर कर दें। यह इस देश के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यदि लाख-दो लाख लोगों की व्यवस्था करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि आज तक इस देश में अपाहिज और प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। आज पढ़े-लिखे विकलांग लोग जिला मुख्यालयों पर या राज्य सरकारों में या भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में जहां भी कोई

बेकेन सी निकलती है, नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उनके लिए दो या तीन प्रतिशत आरक्षण रहने के बाद भी उनको पर्याप्त नौकरी नहीं दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मां के गर्भ में भी बच्चे विकलांग हो जाया सकते हैं। भारत सरकार की ओर से और कहीं-कहीं राज्य सरकार की ओर से भी ऐसी योजनाएं चलाने का काम किया गया है। जो बच्चा मां के गर्भ में पौष्टिक आहार की कमी के कारण विकलांग होता है उन माताओं को पौष्टिक आहार देना चाहिए। मैं प्रधानमन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वह खुद देखें कि आज से डेढ़ महीना पहले कैसे थे और आज राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात खुद देखें कि उनकी शक्ल कैसी है, कितना परिवर्तन आ गया है। वैसे ही माताओं को गर्भ मे पौष्टिक आहार न मिलने के कारण जो बच्चे विकलांग हो जाते हैं, उनके पैदा होने के बाद सरकार को अपने ऊपर उनका दायित्व लेना चाहिए, यह मैं मांग करता हूं। उनकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था कर उनको तुरन्त नौकरी देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मान्यवर, मैं बिहार के सहरसा जिले से आता हूं। वहां पर परिमंडल (कमिश्नरी लेवल पर) के आधार पर विकलांगों ने अपनी संस्था बनाई है लेकिन बिहार सरकार हो या भारत सरकार, कोई भी सरकार इस मद में फंड देने के लिए तैयार नही है। मैंने सांसद कोटे से बिहार सरकार में फैसला किया कि चार लाख रुपये सांसदों को छोटी-छोटी योजनाओं पर खर्च करने के लिए दूंगा। (व्यवधान) मैंने एक लाख रुपये उस मद में दिए लेकिन क्या उससे समाधान हो सकता है। मेरी जो ताकत है, मैंने व्यवहारिक रूप से उस कार्य को किया है लेकिन मैं प्रधानमन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे राठौर साहब यह बिल लाए हैं, आप भी जानते होंगे कि गांवों में जब सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण लगता है तो माताओं को चांद और सूरज नही देखने दिया जाता है क्योंकि कहते हैं कि इससे बच्चे विकलांग हो जाएंगे।

आज भी इस देश मे ऐसा भ्रम फैला कर महिलाओं को गुमराह किया जाता है। उन महिलाओं को यहां तक कहा जाता है कि प्रभु की कृपा से ही बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। प्रधान मन्त्री जी, सबसे पहले यह जो ढोंग है, इसको समाप्त करने के लिये आपको कोई कदम उठाना चाहिये। कहां तो आज चन्द्रमा पर चढ़ाई करते हैं, सूर्य को पास से देख रहे हैं और भूतल की बातें कर रहे हैं और कहां आज भी गांवों में लोग इन पुरानी बातों को मानते हैं। एक साधारण वर्ग जो कि इस हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में है उनको आप ऊपर उठायें। प्रधानमन्त्री जी, आपका ध्यान मेरी ओर है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं केवल इतना चाहता हूं कि शिक्षा में और खास तौर से तकनीकी में आप 10 परसेंट स्थान विकलांगों के लिये आरक्षित करें तभी जाकर विकलांगों को नौकरी मिलेगी।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आरक्षण व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाये। मुझे मालूम है कि अभी दो या तीन परसेंट स्थान विकलांगों के लिये आरक्षित है लेकिन देखने में आया है कि उसके अन्तर्गत उनको नौकरी नहीं मिल पाती है जिससे विकलांग हिन्दुस्तान भर में मारे-मारे फिर रहे हैं। इसके अलावा भारतवर्ष के प्रत्येक जिले में विकलांगों के लिए विद्यालय की स्थापना की जाये और होस्टलों की व्यवस्था की जाये। किसी भी तरह से उनको पढ़ाने की व्यवस्था की जाये चाहे कोई युद्ध में विकलांग हो या एक्सीडेंट से विकलांग हो उनको अलग से विशेष सुविधा देने की व्यवस्था की जाये। मैं मानता हूं कि सरकार को इस बारे में काफी चिन्ता है। हम तो यही चाहते हैं कि विकलांग आगे आयें लेकिन केवल चाहने मात्र से ही कुछ होने वाला नही है। चूंकि आप जानते हैं कि इस देश मे ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी है और वह गरीब विकलांगों को ऊपर नही उठाना चाहती है। प्रधानमन्त्री जी, चूंकि आप समाजवादी हैं, अतः आप इस ओर विशेष ध्यान दें।

[श्री सूर्य नारायण यादव]

इस देश में गरीब, उपेक्षित विकलांग है। आज वह ठेले पर चढ़ कर भीख मांगने का काम करता हूं। आप तो रेल के डिब्बे में लिख देते हैं कि उसे कोई एक पैसा दान में न दो, दान देना बुरा है। जो कोई उसे दान देना चाहता है उसको आप दान देने से रोकते हैं। माननीय राठौड़ जी ने 10 करोड़ की मांग इस काम के लिए आपसे की है। आप ऐसी व्यवस्था अवश्य करें। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिल में जो प्रावीजन है उन पर बोलिये। यह कोई रेजाल्यूशन नहीं है। आप जनरल बात बोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जायेगी। और भी कई मेंबरों ने इस पर बोलना है।

श्री सूर्य नारायण यादव : मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूं। आपने मुझे गरीबों और विकलांगों की समस्याओं पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तम राठौड़ जी द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तव में हमारा कल्याणकारी शासन है। कल्याण कारी शासन के अन्दर कल्याणकारी सरकार का पहला कर्त्तव्य हो जाता है वह अशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये और कल्याण के लिये निरन्तर ऐसी योजनायें बनाये जिससे राष्ट्र लाभान्वित हो सके। स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था।

[अनुवाद]

मानवता की सेवा ही सच्ची ईश्वर मानते है।

[हिन्दी]

अर्थात दुखी मनावता की सेवा करना वास्तव में ईश्वर की सच्ची उपासना है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि "न त्वाहम् कामये राज्यं, न स्वर्गम्, न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्ति-नाशनम्" अर्थात हे भगवन्, मुझे राजपाट नहीं चाहिये, स्वर्ग या पुर्नजन्म नहीं चाहिये, अशक्त या दुख से प्रभावित जो प्राणी हैं उनके दुखों का नाश करने में मैं समर्थ हो सकूं।

हमारे देश में प्रारम्भ से यह परम्परा रही है कि स्वयं सेवी क्षेत्र के अन्दर हो चाहे शासकीय क्षेत्र के अन्दर हो निरन्तर इस प्रकार के प्रयास होते रहे जिससे इस प्रकार से अशक्त लोगों का कल्याण हो सके और उनको पुनर्वास की सुविधा हो सके। हमें वास्तव में उन कारणों को मिटाना होगा जिस के कारण यह बीमारी पैदा होती है।

माननीय सदस्य ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही है। वास्तव में यह कहना बिलकुल ठीक है। सरकार का चाहे समाज कल्याण विभाग हो, बाल कल्याण विभाग हो, महिला कल्याण विभाग हो या दूसरी एजेंसियां हों उनके माध्यम से वह उनके कल्याण का काम करे।

5.00 म० प०

लेकिन इस की जड़ को मिटाना बहुत आवश्यक है कि आखिर यह व्यवस्था क्यों आई? ये अपंग और हैंडी कैप्ड क्यों बनें? इसके लिए प्रदूषण कारण हो, संतुलित भोजन का अभाव हो, चीजों में मिलावट हो या गलत पानी पीने के लिए हो, इस प्रकार के कई कारण हो सकते हैं। राजस्थान के

अन्दर या देश के कई अन्य भागों में ऐसा पानी पीने को मिलता है, वहां पर पेयजल का अभाव है इसलिये गन्दा पानी पीने से वह लोग कूबड़े हो जाते हैं और हमेशा के लिये उनको यह रोग हो जाता है। इसलिए ऐसा गलत पानी जहां मिलता हो उनके लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये और कुपोषण को मिटाने की बात, इन सारी बातों का समाधान होना आवश्यक है।

इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो गैर सरकारी विधेयक रखा है, इसको अवश्य ही पारित होना चाहिए और यह सरकार की तरफ से आना चाहिए। सरकारी नौकरियों में अपंग और अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण होना चाहिये और सरकार को आरक्षण के साथ-साथ यह भी देखना चाहिये कि जो कोटा 2 और 3 प्रतिशत का इनके लिये रखा गया है वह भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है। जो व्यक्ति अपंग और अशक्त हैं उनको भी सामाजिक दृष्टि से आगे लाना होगा। आज जब ये अपंग और गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए जाते हैं तो इनको वहां पर हेय और उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है इसलिए इस समाज के दृष्टिकोण को भी बदलना पड़ेगा। ईश्वर ने इनको इस प्रकार से बनाया है इसलिये इन प्रति उदारता, दया, मानवता और इन्सानियत का व्यवहार होना चाहिए। आज से लगभग दो वर्ष पहले या दिल्ली में जिन लोगों का पहले केन्द्र के अन्दर शासन था उन लोगों ने अंधे व्यक्तियों पर लाठियां चलाई। ये लोग बेचारे पहले ही अन्धे थे और ऊपर से इनके ऊपर इस प्रकार के जुल्म भी किए गए। इस तरह से इस देश में इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता रहा है। जो अनुचित है।

जैसे सूरदास जी अन्धे होते हुए भी एक बहुत अच्छे कवि बन गए और स्वामी विरजानन्द जी भी इसी प्रकार से एक बहुत बड़े गुरू बन गए। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं। इनकी जो योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य है, उसका राष्ट्र के लिए पूरा-पूरा उपयोग किस प्रकार से हो। इसके लिए ऐसा विधेयक बना करके और उसको पारित करवाने के लिए, सरकार को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह समाज का भी कर्तव्य है और इस शासन का भी कर्तव्य है कि इस प्रकार का विधेयक पास करवाये ताकि इस देश में अपंग और अशक्त व्यक्तियों को इस प्रकार के शोषण से मुक्त कराया जा सके और इस समाज में जो ऐसे संगठन बने हुए हैं जोकि बच्चों के हाथ-पैर काट कर, तेजाब डाल कर उनसे भीख मंगवाते हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये ताकि मानव, मानव का शोषण न करे। इस प्रकार की कुरीतियां इस देश से समाप्त होनी चाहियें। अगर इन लोगों को सुविधायें प्राप्त होंगी तो ये लोग भी सूरदास और विरजानन्द की तरह एक अच्छे व्यक्ति बन सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग एक विशेष मानव वर्ग को प्राथमिकता के आश्रय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको भगवान ने अपंग बना दिया है और इसलिए यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उनके बस से बाहर है। संवेदनशील अंगों, जैसे बहरापन, अन्धापन, गूंगापन और पागलपन की दशा, की विकृति आज के प्रतियोगी एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। इन लोगों को कर्मठ नागरिक बनाया राष्ट्र का उत्तरदायित्व है। इसलिए उनका पुनर्वास करना और अपंगों का कल्याण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय कुछ सहकारी संस्थायें और स्वैच्छिक संघ अपंगों के पुनर्वास के कार्य को देख रही हैं। फिर भी इस विशिष्ट वर्ग की तरफ हमारी सहानुभूति उनकी संख्या के अनुपात में विषय नहीं है। यहां तक कि

[श्री गोपी नाथ गजपति]

विद्यमान गृह और सामाजिक संस्थाओं के पास इस हेतु सुविधाएं अपर्याप्त हैं। इस सम्बन्ध में मैं निम्नलिखित उपायों की पुरजोर सिफारिश करता हूं।

(1) विकलांगों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परिषदों का गठन किया जाना चाहिए।

(2) विस्तृत राष्ट्रीय नीति विकलांगो के पुनर्वास के लिए बनाई जाए।

(3) विकलांगों के लाभ के लिए नए गृहों, आदर्श प्रायोगिक योजनाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किए जाएं;

(4) विकलांगों को मुफ्त चिकित्सा, सहायता, उपकरण और दिए जाने चाहिए ताकि जिनके उपयोग से विकलांगता के कुप्रभाव को विशेषतौर पर अविकासित ग्रामीण क्षेत्रों में, कम किया जा सके,

(5) इस वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों मकानों, जमीन, रियायती यात्रा सुविधा शिक्षा इत्यादि में कुछ आरक्षण दिया जाये।

अन्त में, श्री उत्तम राठौड़ द्वारा लाए गए इस कल्याण विधेयक को तहेदिल से समर्थन करते हुए, मैं केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों से आग्रह करता हूं कि वे इन प्रस्तावित उपायों की शीघ्रता से लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री महेन्द्र पाल सिंह। इससे पहले कि आरम्भ करें, मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में बात लाना चाहूंगा कि संकल्प पर और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा में अन्तर है। संकल्पों में आपके पास एक विस्तृत क्षेत्र होता है। परन्तु विधेयक पर आपको प्रावधानों संशोधनों तक ही सीमित रहना होता है।

अब श्री महेन्द्र पाल सिंह।

[अनुवाद]

श्री एम० एस० पाल (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम श्री राठौर साहब द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जिस तरह पिछली सरकार महिला बोर्ड और एस सी एस टी बोर्ड को स्टेचुटरी पावर्स देने संबंधी बिल लाई थी, उसी तरह से यदि यह सरकार डिसेबल परसंस के लिए किसी कौंसिल या बोर्ड का गठन करती है तो इस कदम का स्वागत किया जाएगा। इससे देश में डिसेबल परसंस को उचित देखरेख; रख-रखाव इस बोर्ड द्वारा किया जाए।

मान्यवर इसी तरह से केन्द्र सरकार की नौकरियों में डिसेबल परसंस के लिए रिजरवेशन होना चाहिए और यह रिजरवेशन इनकी संख्या के परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए, 2-3 परसेंट नहीं, बल्कि इनकी तादाद के आधार पर रिजरवेशन होना चाहिए। इसी तरह से गैर सरकारी नौकरियों में भी इनका कोटा निश्चित किया जाना चाहिए, ताकि गैर-सरकारी नौकरियों में इनको रोजगार प्राप्त हो सके। नौकरियों के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकार में तालमेल होना चाहिए ताकि डिसेबल परसंस के कल्याण के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। बोर्ड द्वारा दी गई गाइडलाइन्स पर केन्द्र और राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिए।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यातायात साधनों में भी

डिसेबल परसंस के लिए कोटा निश्चित किया जाना चाहिए, परसेंटेज के आधार पर निश्चित होना चाहिए, ताकि इनको यातायात की उचित सुविधाएं प्राप्त हो सकें। इसी तरह से सरकार द्वारा जो कोटा और परमिट तथा लायसेंस दिए जाते हैं, उनमें भी डिसेबल परसंस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनका कोटा निश्चित किया जाना चाहिए।

मैं एक बात पर और अधिक जोर देकर कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर डिसेबल परसंस को फ्री मेडीकल एंड और फ्री एजूकेशन का प्रबन्ध होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और इस बिल का समर्थन करते हुए आशा करता हूं कि सरकार अपनी ओर से एक विधेयक लाएगी, दिए गए सुझावों के निष्कर्ष के रूप में सरकार एक विधेयक लाएगी और उसका स्वागत किया जाएगा।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री उत्तम राठौर ने निःशक्त व्यक्तियों की सहायता के संबंध में एक परिषद् बनाए जाने को लेकर सदन में जो निजी प्रस्ताव रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं और राठौर जी को इस बिल को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। श्रीमन्, राठौर जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। क्योंकि यह बात अपनी जगह सही है कि आजाद भारत में बहुत वर्षों से जो निःशक्त, विकलांग व्यक्ति रहे हैं उनको किसी न किसी रूप में सहायता दिए जाने का प्रयास किया जाता रहा है, चाहे अंधों के लिए स्कूल खोलने का काम है, वह किया गया है, विकलांग लोगों को लिम्ब सेंटर खोल कर उनकी सहायता के लिए अंग देने का काम किया जाता रहा है, इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा माननीय प्रधान मंत्री जी से कि यह सब कुछ किया गया है, ऐसा नहीं कि कुछ न किया गया हो, लेकिन इसके बाद भी नतीजे माकूल नहीं निकले और इसी के कारण असंतोष जन-मानस में भी है। जो विकलांगों से संबंध रखते हैं, जो उनकी दुर्दशा को देखते हैं वे भी दुःखी हैं और विकलांगों को कुछ मिल नहीं पाया। ऐसा लगता है कि इससे हम सब और सारा सदन चिन्तित है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कोई योजनाबद्ध तरीके से अगर सरकार काम करें, विकलांगों के लिए काम करें तो बेहतर है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगा। लखनऊ में एक अन्ध-विद्यालय खोला। लेकिन अन्ध-विद्यालय···

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप विषय पर आईए।

श्री रामलाल राही : मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। विकलांगों की बात कर रहा हूं, निःशक्त व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा हूं। अंधे भी निःशक्त व्यक्ति हैं और बहरे भी निःशक्त व्यक्ति हैं, जिनका अंग भंग हो गया है, वे भी निःशक्त व्यक्ति हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य स्तर पर भी और राष्ट्र स्तर पर कोई संस्था कायम कर दी गई है, बना देंगे तो क्या सुदूर गांवों में 4-5 किलोमीटर दूर नगरों से रहने वाले विकलांग लोग कोई सहायता, सुविधा पा सकेंगे? क्या वहां पल सकेंगे, रह सकेंगे, प्रशिक्षण पा सकेंगे? सबके सब पा सकेंगे, ऐसा सम्भव नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मैं जानता हूं कि यह बिल आप स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कृपा करके आप कोई व्यापक विधेयक लाईए जिसमें इस तरीके से उपाय किए जाएं कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनें, राज्य स्तर पर जिला स्तर पर संगठन हों और जिला स्तर पर विकलांगों के लिए इस तरह के इंस्टीच्यूशनज खोले जाए जिनमें ऐसे लोग रखे जा सकें, वहां ट्रेनिंग पा सकें जो जिस लायक हो वह उस काम को कर सके। अगर कोई काम लायक नहीं है तो उसमें इस तरीके की व्यवस्था रखिए कि जो काम सीखना चाहे व सीखकर उसमें उत्पादन कर, सकें और उत्पादन बाजारों में बिके ताकि वह संस्थान चले। यह बात सही है कि कुछ संस्थाएं निजी लोगों ने चलाकी और सरकार ने सहायता की है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने

[श्री राम लाल राही]

सहायता की है, केन्द्र सरकार का समाज कल्याण विभाग हो या प्रान्तों का, लाखों रुपये दिए गए हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रधान मन्त्री जी, उनसे कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अगर लाख रुपया ले गए तो 10 हजार लगा दिया, 90 हजार वे निजी कामों में लगा देते हैं, खा जाते हैं, पैसा बेकार हो गया। सरकार का धन भी लगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए पैसा दिया था वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। यदि उद्देश्य पूरा करना है तो योजनाबद्ध तरीके से विकलांगों की, नि:शक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए आप कोई प्रोग्राम बनाएं, कोई विधेयक लाएं और उनको निश्चित रूप से सहायता दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मैंने स्वयं देखा है बड़े-बड़े रेलवे स्टेशनों पर बड़े-बड़े शहरों में विकलांग आज इस स्थिति में आ गए हैं, चाहे कल उनकी जो भी दशा रही हो, यदि वे काम नहीं कर पाते हैं तो घर से तिरस्कृत होते हैं। घर से भाग जाते हैं तो जीवनयापन के लिए जिन्दा रहते हैं और जिन्दा रहने के लिए भिक्षावृत्ति का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है मैं देख रहा हूं कि भिक्षा मांगने वालों की तादाद निरन्तर बढ़ती जा रही है, जिसमें नि:शक्त व्यक्तियों का बहुत बड़ा भाग है। मैं तो प्रधानमन्त्री जी से कहना चाहूंगा इससे पहले सन् 1977 से दो-तीन राज बदल गए हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं श्री मोरारजी भाई, श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जी के बारे में नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं उस वक्त नहीं रहा, दोनों व्यक्तियों ने हाउस के अन्दर कहा था कि जो भिक्षा-वृत्ति मांगने वाले लोग हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है और ऐसे लोग भी इसमें लगने लगे हैं जो कमा सकते हैं और जीविका चला सकते हैं और दूसरों को रोजी-रोटी दिला सकते हैं। ऐसे लोगों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए और भिक्षावृत्ति पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। यहां पर एक व्यापक बिल लाए जाने की बात भी दोनों सरकारों ने कही थी। उसका क्या हुआ। उसको क्यों नहीं लाया गया। वह बिल भी लाया जाए। मैं समझता हूं कि भिक्षावृत्ति अभिशाप को भी दूर सकेंगे। जो लोग इसमें लगे हैं तो उनको रोजी-रोटी कमाने लायक बना सकते हैं। देश के लिए कोई न कोई बेहतर काम हम ले सकते हैं। मैं पुन: इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वे मुनासिब समझें तो प्रयोग के तौर पर इस व्यक्तिगत बिल का सदन में स्वीकार करें। इसके आधार पर कोई संविधान में उपाय करके ऐसा कानून बनाएं ताकि नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता मिल सके।

श्री रोत लाल वर्मा (कोडरमा): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले राठौड़ जी को यह धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने विकलांगों के प्रति एक श्रद्धा दिखायी है। आजादी के 44 वर्षों के दौरान भी भारत सरकार विकलांगों के लिए ऐसा कोई बिल नहीं लायी है। यहां की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो डेढ़-दो परसेंट तक भारतवर्ष में विकलांग हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी एक राष्ट्र बन सकता है। ऐसे लोगों की संख्या इस देश में मौजूद है। यह प्रजातन्त्र देश है और ऐसा बिल लाना चाहिए था जो अब राठौड़ जी लाए हैं। इस बिल में प्रावधान ठीक हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो कुल कमियां भी हैं। इन्होंने धारा-3 के अन्तर्गत बहुत सी बातें दी हैं। राष्ट्रीय विकलांग परिषद बनेगा तो उसमें कुछ विशेषज्ञ भी होने चाहिए जिसमे मानसिक या शारीरिक दृष्टि से विशेषज्ञों को काउन्सिल में रहना चाहिए ताकि वे विकलांगों के प्रति न्याय कर सकें कि उनके लिए कौन सा उचित उपाय हो सकता है, यह भी जोड़ना था। धारा-10, क्लाज-2 में यह कहा है कि किसी व्यक्ति या किसी संस्था को नहीं चलने देना चाहिए या प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। उस हालत में सरकार ने अभी तक जो

व्यवस्था की है वह नाकाफी है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा प्रतिबन्ध उचित नहीं है। उसमें संशोधन होना चाहिए कि अगर सरकार पूरे राष्ट्रव्यापी जिले के प्रमंडल पर विकलांगों के कल्याण के लिए उपाय नहीं कर सकती है तो तब तक ऐसी संस्था को चलने देने पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, उनका पंजीकरण होना चाहिए।

पंजीकरण में भी कालबद्धता होनी चाहिए। अपंग व्यक्तियों के लिए कोई व्यक्ति या संस्था अगर पंजीकरण के लिए सप्लाई करे तो 6 सप्ताह के अन्दर उसको राज्य सरकार पंजीकृत करे। कभी-कभी ऐसी संस्थाओं को पंजीकरण कराने में दो-दो साल लग जाते हैं और कभी-कभी उनको भ्रष्टाचार के रास्ते से पंजीकरण कराना पड़ता है। जयपुर में कई संस्थायें हैं। इनमें से कई ने अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के तहत अच्छी सफलता प्राप्त की है। अभी दो-तीन महीने पहले धनबाद में 400 व्यक्तियों के अंग प्रत्यारोपण करके रिलीफ दिया गया है। जयपुर की ये संस्थायें अंग प्रत्यारोपण का सामान काफी कुशलता से बनाती हैं। जो संस्थायें इस काम के बदले में अनैतिक कार्य करती हैं उनको सजा दी जानी चाहिए। भ्रष्टाचारियों प्रति सजा देने का प्रावधान इस बिल में नहीं है, यह एक कमी रह गई है जिसको दूर किया जाये। जैसे बच्चों का अपहरण करके उनको अपंग बनाने का कार्यक्रम चल रहा है और कई गिरोह उनसे भिक्षावृत्ति कराते हैं। ऐसे गिरोहों और व्यक्तियों को पकड़ने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसे गिरोहों ने इन अपंग लोगों की फौज बना रखी है जो कि रेलवे स्टेशन और सड़कों पर भिक्षा मांगते हैं। जो इसको बढ़ावा देते हैं उन लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए। इन सब अभावों को भी इस बिल से दूर किया जाना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी काफी बड़े पैमाने पर सहायता के रूप में इनके कल्याण के लिए राशि का आबंटन किया गया है। हमारी सरकार ने भी कल्याण विभाग के द्वारा यह आबंटन किया है। लेकिन उसका अभी तक जमीनी स्तर पर सही उपयोग नहीं हो पाया है। वह केवल कागजों में ही है। कुछ निहित स्वार्थी तत्व इसका दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। इसलिए इसका अनुसंधान सामयिक तौर पर होते रहना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा, तब तक विकलांगों को कोई राहत नहीं पहुंच सकेगी। सरकार घोषणा करती रहती है, लेकिन उसका जमीन पर प्रयोग नहीं हो पाता। अभी 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था विकलांगों के लिए है, लेकिन क्या सरकार यह बतायेगी कि अभी तक अपंग के लिए आरक्षित स्थानों में से कितने भर दिये गये हैं? यह केवल कागजों काम होता है। जो अधिकारी अपंग व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों को नहीं भरता और इनकी नियुक्ति नहीं करता उसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। इससे भी समस्या हल नहीं हो पाती। इसलिए इस दृष्टिकोण से बिल आना चाहिए जो कि सर्वांगीण हो। हमारे प्रधान मन्त्री इन सब बातों को सुन रहे हैं इसलिए उन्हें इस बिल को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो सदन में कल्याण मन्त्री यह बतायें कि इस बिल को अगले सत्र में अवश्य लाकर विकलांगों के कल्याण के लिए एक सम्पूर्ण विधेयक बनाया जायेगा और उसे पास कराया जायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिल का स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सम्मानित उपाध्यक्ष महोदय, राठौड़ जी जो बिल लाये हैं उसका मैं साधुवाद करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वैसे तो यह केवल उनकी शिक्षा आदि के लिए है। लेकिन इसमें मैंटल शब्द नहीं है वह भी डिसेबल के साथ जोड़ दिया जाये। क्योंकि यह बिल अपंगों के लिए है, लेकिन मेरा निवेदन है कि इसमें मानसिक विकलांगता को भी शामिल किया जाये।

[श्री दाऊ दयाल जोशी]

मैं यहां पर आया उससे पहले कोटा राजस्थान में मेंटल डिसेबल पर्सन्स के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जिसमें केवल 5-7 विद्यालय ने भाग लिया, लेकिन जिस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसको देखकर मन को इतना सन्तोष हुआ कि कोई संस्था इस प्रकार का सोचती तो है। यह सही है कि इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक भाग जे० के० सिंथेटिक्स के मालिक की पत्नी ने लिया, जिन्होंने इसका आयोजन किया।

उस कारण जो प्रतियोगिता हुई, उसे देखकर मन को संतोष हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है और मैं पूर्व प्रधान मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री चन्द्रशेखर को साधुवाद देता हूं कि इन दोनों ने कल्याण विभाग उसे दिया जो इसका पात्र है और श्रीमती ऊषा जी भी स्वयं उस श्रेणी में आती है। यदि वे इस समय सदन में मौजूद होतीं तो अच्छा रहता लेकिन दुर्भाग्य से वे किसी अन्य काम से दूसरे सदन में है। मेरा यही निवेदन है कि यह कार्य मनोचित कार्य है। आप कितनी ही ऐड देते चले जायें, केन्द्रीय सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना पड़ेगा कि अब तक के 40 वर्षों में हमने इस मद पर कितना व्यय किया है? यदि इस बाबत एक कमेटी बना दी जाये तो वह सर्वे कर सकती है कि अब तक इस मद में कितना व्यय किया गया है? उसका परिणाम क्या रहा और इसके पीछे क्या कारण हैं कि इस कार्य को उतनी ऐसी सफलता नहीं मिल पायी है जितनी कि मिलनी चाहिए थी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक मनोचित कृषि है लेकिन आज स्वार्थ के युग में और ऐसे लोगों के द्वारा यह प्रचार किया जाता है, दलगत आधार पर यह निर्णय नहीं लेना चाहिये। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है कि जिस व्यक्ति को पैसा दिया जा रहा है या अनुदान दिया जा रहा है, उसके लिए निश्चित रूप से सर्वे करने के बाद ही वह पैसा दिया जाना चाहिए। हमारे राजस्थान में सरकारी बसों में 50 प्रतिशत का लाभ किराए के रूप में इन अपंगों को दिया गया है। मैं रेल मन्त्री से भी निवेदन करूंगा कि वे भी रेल में यात्रा करने वाले ऐसे लोगों के लिए कोई उपाय सोचें। इसके साथ ही वे लोग जो लकवे से पीड़ित हैं वे भी इस श्रेणी में आ जावें और एक निश्चित कोई क्राईटीरिया बताना चाहिए कि वे श्रेणी में होंगे और उन्हें निम्न प्रकार की सुविधायें दी जाएगी। इस बिल के द्वारा रेलवे के लिए भी कोई क्लाज देकर आरक्षण की सुविधा देनी चाहिये। मैंने कोटा में जो प्रतियोगिता हुई, उसे देखने के बाद मुझे लगा कि इसी बिल में एक क्लाज के द्वारा हिन्दुस्तान के जितने उद्योगपति हैं, अपने यहां इस प्रकार के विद्यालय भी प्रारम्भ करें ताकि जो इस उद्देश्य से जो व्यय किया जाता है, इनके नाम पर करोड़ों रुपया व्यय किया जाता है उसका ठीक ढंग से उपयोग हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने राजस्थान के एक प्रतिष्ठित आर्थोपैडिक्स डाक्टर सेठी को पद्म श्री की पदवी से अलंकृत किया था। ऐसे व्यक्तियों को, जो लाखों लोगों की सेवा करते हैं, प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने चाहिए और मेरा सुझाव है कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन उनको प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कृत करें। साथ ही मैं डा० ढालकिया को भी पद्म श्री की पदवी से विभूषित किये जाने का सुझाव रखता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को भी मान्यता दिलायी जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही यह कहना चाहता हूं कि भगवान किसी को अन्धा या लगड़ा नहीं बनाता है। स्वार्थियों के

चलते ही वह अन्धा और लंगड़ा होता है। बहुत से आदमी जन्म से अन्धे-लंगड़े होते है। और बहुत से आदमी किसी घटना के द्वारा अंधे और लंगड़े हो जाते हैं। अब यह सरकार का काम है कि उन बेचारों को देखे लेकिन यह में आता है कि सरकार ने जो नियम या कायदे बनाये हैं, उसके मुताबिक उन लोगों की पूरी सुरक्षा नहीं की जाती है। यदि अभी देहातों में देखा जाये तो वहां पर बहुत से लड़के-लड़कियां और बच्चे लंगड़े पड़े हुए हैं और सरकार द्वारा उनको पूरी सुविधा नहीं दी जाती है।

अभी कुछ दिन पहले मुझे एक लड़की मिली जो कि आई० ए० एस० पास है और उसे सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा या सहायता नहीं मिल पाई है भोजपुर जिले में। सरकार को चाहिए कि ऐसे जिलों में जितने भी अपंग लोग है, विकलांग हैं, अन्धे है, लंगड़े हैं, कोढ़िया हैं, तमाम लोगों की लिस्ट तैयार करें और लिस्ट के मुताबिक सरकार उन तमाम लोगों को सुविधाएं दे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा विकलांगों के लिए कुछ आरक्षण किया गया है। वह आरक्षण बहुत ही पर्याप्त है। मुझे यहां भी जानकारी मिलती है जब कोई वेकेन्सी निकलती है, उसमे प्रावधान रहता है कि विकलांगों के लिए इतनी सीटें रिजर्व हैं और उससे अधिक विकलांग उसमें बैठते हैं। उनको छांट दिया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इन नियमों को तोड़े और जितने भी विकलांग उपस्थित होते हैं उनको नौकरी दे। इसलिए मुझे यह कहना पड़ता है कि चाहे किसी भी आदमी के घर का अपंग हो, उस आदमी को बिना सरकार द्वारा सुविधा दिए उसकी जिंदगी का निर्वाह ठीक से नहीं हो सकता है और अगर सरकार उनको सुविधा दे तो ठीक से उन लोगों की जिन्दगी का निर्वाह हो सकता है। दोनों हाथ और दोनों पैर वाला आदमी तो अपनी जिंदगी का निर्वाह कर सकता है लेकिन अगर दोनों पैर का लंगड़ा आदमी हो और वह कितना ही परिपक्व क्यों न हो वह आदमी ठीक से अपनी जिंदगी नहीं निर्वाह सकता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सरकार ने जो कुछ अभी तक किया है वह बहुत ही अपर्याप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको केवल बिल पर बोलना है।

श्री तेज नारायण सिंह : इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार अगर इस बिल को मान लेगी तो देश में रहने वाले लाखों विकलांगों को सहायता मिल सकेगी।

[अनुवाद]

श्री ए० के० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं अपने मित्र श्री उत्तम राठोड़ सांसद को ऐसा विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं जिसका मेरे विचार से इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए महत्व है। महोदय, यह दुःख की बात है कि स्वतन्त्रता के 43 वर्षों के बाद भी विकलांग और अपंग अभी भी समाज पर बोझ बने हुए हैं। जहां एक अपंगों का सवाल है, समाज का बहुत अधिक उत्तर-दायित्व है। कुछ जन्म से ही विकलांग होते हैं और कुछ बाद में विकलांग हो जाते हैं कई तरह विकलांग हैं—अन्धे, लंगड़े, बहरे गूंगे और मानसिक रूप से कम विकसित।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप विधेयक पर बोलें तो मैं आपको समय दूंगा। इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है पर आपको विधेयक के प्रावधानों पर बोलना होगा।

श्री ए० चार्ल्स : मुझे प्रसन्नता है कि विधेयक के खण्ड 3 अन्तर्गत राष्ट्रीय परिषद के गठन की व्यवस्था है, क्योंकि इससे बहुत सहायता मिलेगी। हमारे यहां स्वैच्छिक संस्थाएं है, लेकिन इन संस्थाओं के कार्य को समन्वय करने के लिए कोई संस्था नहीं है। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पिछले 25 वर्षों से मैं धर्मार्थ ट्रस्टों से सम्बन्धित रहा हूं लेकिन राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार की तरफ से सहायता किसी भी प्रकार की एक बार भी नहीं दी गई है। मैं यहां पर यह केवल वित्तीय

[श्री ए० चार्ल्स]

सहायता की बात नहीं कर रहा हूं। विकलांगों को प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है और उनको लाभकारी रोजगार दिया जा सकता है। मैं यहां पर एक उदाहरण दे रहा हूं। जब मैं एक संसदीय शिष्टमण्डल के साथ ऊटी गया तो मुझे हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् का दौरा करने का मौका मिला था। हमारे दौरे के दौरान वहां हमें डार्क रूम में ले जाया गये जहां पर 4 सीट तैयार की जा रही थी मैंने चेयरमैन से पूछा कि क्या यहां पर किसी अन्धे व्यक्ति को नौकरी पर रखा गया है और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि वहां पर डार्क रूम में 30 से भी अधिक अन्धे व्यक्ति इस कार्य पर लगाया गया था और मुझे बताया गया कि अन्धे व्यक्ति वहां पर अच्छा कार्य कर रहे थे क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में वे ज्यादा अच्छे हैं और भी बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर इन विकलांगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है और उनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए, मैं राष्ट्रीय परिषद के गठन का स्वागत करता हूं। इसको व्यापक शक्ति दी जानी चाहिए।

महोदय विधेयक के खंड 7 में कहा गया है :

"प्रत्येक नि:शक्त व्यक्ति को नि:शुल्क चिकित्सीय शल्य तथा अन्य प्रकार का उपचार कराने तथा सहायक सामग्री, साधित तथा उपकरण जिनके प्रयोग से है उसकी नि:शक्तता के प्रतिकूल प्रभाव कम हो सके और नि:शक्त व्यक्तियों की क्रियात्मक योग्यता प्रत्यावर्तित हो सके, पाने का अधिकार होगा और वह इनको पाने के लिए पात्र होगा ?"

मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इन सबको कौन सुनिश्चित करेगा ? मेरे विचार से परिषद को खंड 7 के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।

बजट में विकलांगों के कल्याण के लिए पर्याप्त धन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। केवल तब ही विकलांगों का प्रशिक्षण उनका पुनर्वास और देखभाल सुनिश्चित की जा सकेगी। यदि ऐसा होता है, तो मेरे विचार से यह विकलांगों के लिए वरदान होगा।

यदि मेरी सूचना सही है संसार में विकलांगों की कुल जनसंख्या का 60% भारत में है और यह बड़े दुःख की बात है कि इन 60 प्रतिशत में से 50 प्रतिशत पोलियों का शिकार हैं। 1978 के बाद से हमारे यहां व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के बावजूद भी हम इसे असफल रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक की सिफारिशों को स्वीकार किया जाए। यदि विधेयक को पारित करने में कोई कठिनाई हो तो विधेयक की भावना को स्वीकार किया जाए। मेरे विचार से गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पारित करने की कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। संसद के बजट सत्र में, सरकार को गठित होने वाले बोर्ड को व्यापक शक्तियां देने सम्बन्धी विधेयक को लाना चाहिए और उन्हें इन क्षेत्रों में लगे सभी व्यक्तियों विशेष तौर पर स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रतिनिधित्व भी देना चाहिए इसलिए मैं माननीय सदस्य को यह विधेयक पेश के लिए धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक को अपना पूर्ण समर्थन देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष जी, मैं भी इस बिल पर केवल एक मिनट में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। आपकी पार्टी के सबसे ज्यादा लोगों को मैंने इस पर मौका दिया है।

अब नहीं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : लेकिन यह तो एक प्राइवेट मेम्बर बिल है, इस पर तो कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, एक मिनट में अपनी बात कहिये लेकिन वह बिल पर हो, जनरल टौपिक नहीं, बल्कि प्रोवीजन्स आफ दिस बिल पर ही बोलिये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य श्री उत्तम राठौड को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे विकलांग लोगों के हित में एक महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में लाये हैं और मैं उस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। यह विधेयक वास्तव में स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की आम जनता राठौड जी के इस विधेयक का स्वागत करेगी। इस विधेयक में उन्होंने एक राष्ट्रीय परिषद गठित किये जाने का प्रस्ताव किया है, जिसे मैं बहुत जरूरी मानता हूं माननीय मन्त्री जी से आशा करता हूं कि वे इस विधेयक को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे क्योंकि यह किसी एक सदस्य की या हम लोक सभा में इस समय जितने माननीय सदस्य उपस्थित हैं, उनमें से किसी एक के दिल की पीड़ा नहीं है बल्कि यह हिन्दुस्तान की आम जनता की पीड़ा है। एक कारण यह भी है कि अभी तक भारत सरकार या राज्य सरकारों की ओर से विकलांगों के लिए जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलायी गयी हैं, वे सब एक मजाक बन कर रह गयी हैं, एक खिलवाड़ बनकर रह गयी हैं। भारत सरकार या राज्य सरकारें उन योजनाओं के लिए जितने धन का प्रावधान करती हैं उन कल्याणकारी योजनाओं के लिये जितना धन आबंटित किया जाता है, उसके खर्च करने में काफी भ्रष्टाचार है और उससे इन लोगों की वास्तविक सहायता नहीं हो पा रही है मैं चाहता हूं कि जब बिल में प्रस्तावित राष्ट्रीय परिषद का गठन हो तो शिक्षा के क्षेत्र में विकलांगों की किस प्रकार मदद की जा सकती है, कैसे उनकी वैल्फेयर हो सकती है, वह इसको देखेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये अग्निहोत्री जी, आप इस बिल के प्रावधानों पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : इन शब्दों के साथ मैं केवल एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी, राठौड जी द्वारा प्रस्तुत बिल को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें और इसके सभी प्रावधानों को तुरन्त लागू किये जाने की व्यवस्था करें यह विधेयक सदन द्वारा एकमत से पारित किया जाना चाहिये, यही मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन): सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के मूवर और इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री उत्तम राठौड के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का और देश ध्यान आकृष्ट किया है। विकलांगों का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में विकलांगों के साथ इंसाफ हो, कमजोर वर्ग के लोगों के साथ इन्साफ हो इस देश मे जिनका कोई प्रवक्ता नहीं है उनके साथ राज इंसाफ करे, आपकी इस भावना के साथ मैं अपने को भी जोड़ता हूं। इससे किसी को गुरेज नहीं हो सकता, परहेज नहीं हो सकता कि जिस तरह आप सोचते है, वही सोचने का तरीका, वही सोचने का नजरिया सरकार का भी है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि न सिर्फ अगले सत्र में, बल्कि इसी सत्र में विकलांगों के अधिकार और कल्याण के लिए सरकार एक विधेयक ला रही है, जो आजाद हिन्दुस्तान में विकलांगों के कल्याण के लिये पहला विधेयक है। हमारे

[श्री रामजी लाल सुमन]

तमाम माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय मन्त्री जी, जब सरकार विधेयक ला रही है, तो फिर इस विधेयक को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ? इसी को स्वीकार कर लीजिए या इसी विधेयक में संशोधन हो सकता है, उस पर बहस हो जाये।

श्री रामजी लाल सुमन : सरकार विधेयक ला रही है, जो आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में विकलांगों के लिये पहला सरकारी विधेयक होगा और उसमें व्यापक रूप से उनकी समस्याओं के निवारण का प्रयास होगा। माननीय सदस्य ने अभी कहा और माननीय उत्तम चन्द राठौर जी का प्रस्ताव है और जो गैर सरकारी विधेयक है, उसमें भी कहा गया है कि एक नैशनल काउंसिल स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं राठौर जी को यह बताना चाहता हूं कि सरकार इस पर पहले ही फैसला कर चुकी है और नेशनल कौंसिल गठित हो गयी है।

मैं, आज आप सम्मानित साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की धरती पर जो पैदा हुआ है, जिसकी आंख नहीं है, कान नहीं है या जो विकलांग हैं, सरकार का प्रयास होना चाहिये कि उनको हम आत्म-निर्भर बनायें उनमें एक सम्मान की जिन्दगी जीने का माद्दा पैदा हो और वे ऐसा अहसास करें कि वे दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं हैं।

उपाध्यक्ष जी, हम यह भी जानते हैं कि सरकार के पास सीमित साधन हैं, लेकिन सरकार को अपनी प्राथमिकतायें निश्चित करनी होंगी। लम्बे समय से जिनके बेइन्साफी होती रही है, उनके साथ बेइन्साफी न हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 3 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा विकलांगों को दी गयी है और समय-समय पर यह देखा जाता है कि विकलांगों का आरक्षण यदि पूरा नहीं होता है, तो उसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाता है। रेल, बस और हवाई-जहाज के किराये में रियायतें हैं और मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विकलांगों के लिए जो संस्थायें काम कर रही हैं, उनके लिए अनुदान दिये जाते हैं। जो सामान वे विदेश से अपंगों के लिये मंगाना चाहती हैं, उस सामान पर कस्टम ड्यूटी जो लगायी जाती है, उसमें भी रियायत की बात है। विकलांगों के उत्थान के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय समय-समय पर टीके आदि लगाने का प्रयास करता रहता है और अपंगता दूर करने के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाये जाते हैं। 23 रोजगार केन्द्र सरकार ने चला रखे हैं। इन केन्द्रों में सरकार ने 42 विशेष प्रशिक्षणों की स्थापना की है। रोजगार बढ़ाने के लिए 13 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भी हिन्दुस्तान में काम कर रहे हैं और मैं आपकी मार्फत यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मन्त्रालय द्वारा जो विकलांगों की सेवा में स्वयंसेवी संस्थायें लगी हुयी हैं, उनको 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जो करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपया होता है। विकलांगों के लिये जिनकी आमदनी 1250 रुपये प्रति मास है, उनको हम मुफ्त उपकरण देते हैं और जिनकी मासिक आय 1250 से 2500 की बीच में है, उनको हम आधा पैसा उपकरण खरीदने के लिए देते हैं और उस पर 6 करोड़ रुपया खर्च होता है। केन्द्रीय सरकार ने 4 राष्ट्रीय संस्थानों की भी स्थापना की है। ये संस्थान विभिन्न प्रकार की विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान का काम कर रहे हैं। ये केन्द्र हैं—राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कलकत्ता, अली यावरजंग राष्ट्रीय विकलांग संस्थान बम्बई, राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान, देहरादून और राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, हैदराबाद। ये 4 केन्द्र बने हुए हैं जो काम करते है विकलांगों के क्षेत्र में 12 पुनर्वास केन्द्र भी पूरे देश में बनाये गये हैं।

उपाध्यक्ष जी, आज इस अवसर पर मैं आपकी मार्फत यह भी कहना चाहूंगा कि जैसा माननीय

सदस्य निवेदन कर रहे थे कि पैसा कम है, सरकार के जरिए ही मानवता की सेवा नहीं हो सकती है। जब तक हिन्दुस्तान के समाज का दृष्टिकोण गरीब लोगों के लिये, विकलांगों के लिए नहीं बदलेगा, जब तक कोई बड़ा प्रेरकता नहीं होगा, तब तक यह काम नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री उत्तम राठौर जी से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि वे मेहरबानी करके, अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें। हम अविलम्ब इसको अमल में लायेंगे।

(व्यवधान)

प्रो॰ राजा सिंह रावत : ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो अपंग, अपाहिज हैं, उनकी सुविधा का मुझे मालूम है। ···(व्यवधान)···उनके लिए भी कुछ करना चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन : आप कुछ सुझाव दीजिए, हम विचार करेंगे।

प्रो॰ दाऊ दयाल जोशी : 12 हजार रुपये, 25 हजार रुपए की बात किसी को पता नहीं है, कहां बंटती है, कैसे बंटती है। ··(व्यवधान)···आप जितना दे रहे हैं उसका 90 प्रतिशत सदुपयोग नहीं हो रहा है।

श्री रामजीलाल सुमन : अगर आपको कोई निश्चित जानकारी है कि दुरुपयोग हो रहा है तो हमें बताएं, हम उसकी जांच करवाएंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे यहां अन्ध विद्यालय में जांच होकर रिपोर्ट फाईनल होकर पड़ी है लेकिन उनके खिलाफ एक्शन लेने को कोई तैयार नहीं है ···(व्यवधान)···बच्चों के 80 हजार रुपए खा गए हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि यदि उनके पास कोई निश्चित जानकारी है तो वह जानकारी दें, मैं भरोसा दिलाता हूं कि सरकार उस पर जरूर कार्यवाही करेगी। मैं उत्तम राठौर जी से प्रार्थना करूंगा कि मेहरबानी करके इस विधेयक को वापिस ले लें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन के सभी सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस विधेयक के लिए आबंटित समय सिर्फ 5.45 अपराह्न तक था। हम इसके लिए समय को तब तक बढ़ा देंगे जब तक कि कार्य-सूची की इस मद को निपटा नहीं दिया जाता।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : यह तो माननीय सदस्यों के भाषण देने तथा इस ओर ध्यानाकर्षण करने के कारण ही माननीय मन्त्री महोदय इस विधेयक को सही रूप में स्वीकार करने को विवश और लाचार हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने जहां तक कह दिया कि शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के कल्याण के लिए इसी सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। मेरे ख्याल से यह हमारी बड़ी सफलता है।

माननीय सदस्यों द्वारा दो मुद्दे उठाए गये थे। उनमें से एक सजा देने के बारे में था। मैंने कुछ सजाओं का सुझाव दिया था। यह सजा। उन संघों के लिए है जो सरकार के द्वारा जारी किए गये अनुदेशों करते। इस अधिनियम के अन्तर्गत, हम चाहते हैं ऐसे सभी संस्थान सरकार की अनुमति से खोले और चलाये जाने चाहिए तथा उन्हें सरकार के द्वारा निर्धारित शर्तों को भी स्वीकार करना चाहिए।

दूसरा मुद्दा मानसिक रूप मंद लोगों के बारे में था। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान खण्ड को

[श्री रामजी लाल सुमन]

की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है कि विकलांगों का अभिप्राय मानसिक रूप से अविकासित तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों से होना है। मैं समुचित विधेयक को तैयार करने संबंधी अक्षमता को स्वीकार करता हूं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। मुझसे ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि सारी चीजों की जानकारी रखूं परन्तु अब चूंकि इस मामले पर विचार कर रही है इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इसके साथ न्याय करेगी।

श्री मान्धाता सिंह : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बाद में अनुमति मिलेगी।

श्री उत्तम राठोड़ : मैं दो सुझाव दूंगा। जहां तक मुझे याद है जब तक श्री लाल कृष्ण आडवाणी इस विभाग में थे उनके द्वारा पारित किए गये सारे प्रस्तावों को उच्च प्राथमिकता मिलती तथा धन संवितरित हो जाता था। पर दिनों दिन वांछित सहयोग में कमी आती जा रही है। मैं चाहूंगा कि उन पदों पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नामित किया जाए ताकि वे अपने भाई-बन्धुओं की देखभाल कर सकें।

दूसरे माननीय मंत्री जी ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी बताया था। जहां तक परिवहन सुविधाओं का सवाल है, मुझे बम्बई में बताया गया था कि हालांकि भाड़ा कम है फिर भी ईंधन अधिशुल्क इतना ज्यादा है कि उनके लिए यात्रा करना करीब करीब असंभव हो जाता है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस सुझाव को खास रूप से ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ अपना एक अभ्यावेदन आपको भेज चुका है। जब शारीरिक रूप से विकलांग सभी व्यक्तियों के मामले में लागू किया जा सकता है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह समस्या के इस पहलू पर ध्यान दें।

अन्तत: मैं सभी सदस्यों तथा आदरणीय मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी केन्द्र में जो कोटा विकलांगों के लिए फिक्स किया गया है। रेल विभाग में दस साल से उस कोटे को पूरा नहीं किया है।

श्री रामजीलाल सुमन : मैं पहले ही इसके बारे में कह चुका हूं कि जो निश्चित जानकारी इस बारे में है वह आप हमें दीजिए, हम उसको देख लेंगे।

श्री मान्धाता सिंह : मैं मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं कि उनको विभाग ने गलत बताया है कि तीन प्रतिशत कोटा नौकरी में आरक्षण का विकलांगों के लिये है। मैं पूर्व मंत्री से निरन्तर 11 महीने लिखा-पढ़ी करता रहा हूं और मेरे पास मंत्रालय के जवाब हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ये बातें प्राइवेट मैम्बर्स बिल में नहीं उठा सकते हैं।

श्री मान्धाता सिंह : मैं तो यह बता रहा हूं कि पूर्व मंत्री से भिन्न सूचना वर्तमान मन्त्री ने दी है। मैं तो केवल उन्हें आगाह कर रहा हूं कि वह इसको चैक-अप कर लें। उनकी सूचना सही है या नहीं, अगर वह सही नहीं है तो तीन प्रतिशत कोटे का वायदा निभाए और उसके लिए आदेश प्रसारित करें।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, जो जानकारी मेरे पास विभाग की है उसके अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में तीन परसेंट आरक्षण की उनके लिए व्यवस्था है।

श्री मान्धाता सिंह : आपने पहले तो तृतीय और चतुर्थ नहीं कहा है।...(व्यवधान)...प्रथम और द्वितीय श्रेणी का क्या होगा? (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ये तो अन्तहीन सिलसिला चल निकलेगा। यह विषय से जरा हटकर है।

(व्यवधान)

श्री उत्तम राठौर : मिल्टन ने कहा था, "वे भी प्रभु की सेवा करते हैं जो धैर्य रखकर सब सहते हुए उसके न्याय की प्रतीक्षा करते हैं।" मेरे ख्याल से सभी माननीय सदस्यों के अनुरोध पर मन्त्री महोदय ने आज न्यायोचित कार्य किया है। मेरा आदरणीय मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इस कार्य को शीघ्र करें। सदन में यह सुस्पष्ट आश्वासन दे दिये जाने के बाद कि मन्त्री जी इस विषय पर शीघ्र ही एक व्यापक विधेयक लाने वाले हैं, मैं सभा से इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास तथा कल्याण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

अनेक माननीय सदस्य—हां।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तम राठौर : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया है।

———

5 54 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 341 तथा 342 में संशोधन)

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : "भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की एक सूची बनी है और इस सूची में दोनों को मिला कर लगभग डेढ़ हजार जातियां हैं। इसमें मैंने यह देखा कि केवल पांच परसेंट ऐसी जातियां हैं जो सभी राज्यों में कामन हैं: यह राज्यवार लिस्ट बनी हुई है। केन्द्र शासित प्रदेश भी इसमें सम्मिलित है।

श्रीमन्, मैं अभी कई राज्यों की बड़ी राजधानियों जैसे मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में गया,

दिल्ली में भी बहुत अर्से से आ रहा हूं। वहां पर जाकर देखा जाय तो पता चलता है कि कोई ऐसा राज्य नहीं है, जिस राज्य से काम के बहाने से, बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए जहां देश को आम जाति के लोग आये हैं, वहीं शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भी आकर इन बड़े नगरों में और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम के लिए, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए बसे हैं।

संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति की जो आरक्षण की सुविधा राज्य सेवाओं में या दूसरे कामों के लिए दी गई है, जब एक राज्य का अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति दूसरे राज्य के किसी नगर में जाकर बसता है और उस राज्य की सूची में उस जाति का नाम नहीं है तो उस जाति के व्यक्ति को उस राज्य में कोई लाभ नहीं दिया जाता है जबकि आप जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति चला जाय, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में काम करने के लिए, रोजी कमाने के लिए तो उसके रहन-सहन, उसके खाने-पीने, उसके जीवन में ऐसा कोई व्यापक परिवर्तन नहीं हो जाता है, मात्र जब मजदूरी करने के लिए जाता है, वस्तु उसको वहां की अनुसूचित जाति, जनजाति को जो सहायता मिलती है, उस व्यक्ति को वह सहायता नहीं दी जाए।

मैं अण्डमान निकोबार गया, मैंने वहां पर देखा कि छोटे-छोटे टापुओं में बिहार का आदिवासी केरल का आदिवासी, बंगाल का हरिजन, उत्तर प्रदेश का हरिजन, यह सब जाकर बसे हैं, काम के लिए। काम के सिलसिले में वहां गये हैं, मजदूरी के लिए गये है, सरकारी बागानों में, फोरेस्ट डिपार्टमेंट में और दूसरे निजी उद्यमों में या किसी व्यवस्था के अपने बागान वगैरह में गये हैं, उनमें वह काम करते हैं, मजदूरी करते है तो वहां पर उनको मात्र मजदूरी के सहारे रहना पड़ता है। आप ताज्जुब करेंगे कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग 10-10, 15-15 साल से वहां जाकर बसे हैं और उन्होंने वहां अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मजदूरी करके या कोई काम करके पढ़ाने के बाद इस लायक भी बनाया कि अगर वह चाहें तो सरकारी नौकरियों में एप्लाई कर सकते हैं, प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं, परन्तु प्रार्थना-पत्र देने पर, एप्लाई करने पर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है जबकि बहुत से ऐसे राज्य हैं और बहुत से राज्यों में ऐसे जनपद हैं, जहां पर आरक्षण के आधार पर कोटा पूरा करने के नाम पर बिल्कुल निल स्थिति है। अण्डमान निकोबार में मैंने देखा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के किसी एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है जबकि 20-25 सालों से वहां पर नहीं मालूम कितने लोग उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, केरल के हैं, आन्ध्र प्रदेश के हैं, कर्नाटक के हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग वहां आकर बस गए हैं, वहां मजदूरी के सहारे रह रहे हैं। उन्होंने मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है लेकिन जब वह सरकारी विभागों में दरख्वास्त देते हैं, वहां जगह खाली हैं, आरक्षण के आधार पर जगह निकाली जाती है परन्तु उनको यह कहकर टाल दिया जाता है कि आप उस राज्य की सूची में नहीं है इसलिए आपको हम सेवा में नहीं ले सकते। मेरा कहना यह है कि यह जो सूची है, यह राज्यवार सूची बनी है... इस राज्यवार सूची से एक तो आरक्षण को पूरा करने में कठिनाई है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप इसको यहीं पर समाप्त कर दीजिए, इस पर आप बुद्धवार को बोल लीजियेगा।

6.00 म० प०

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश (संशोधन) विधेयक

(अनुसूची में संशोधन)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरीश रावत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आगामी तीन दिनों के भीतर हम 1990 से 1991 में पहुंच जायेंगे। हम 2 जनवरी 1991 को फिर मिलने वाले हैं। मैं सदन के सभी सदस्यों तथा अधिकारियों को नए वर्ष की शुभकामना देता हूं और चाहता हूं कि उनका नया साल खुशनुमा हो।

अनेक माननीय सदस्य : धन्यवाद महोदय, और आपको भी हमारी शुभकामनायें।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2 जनवरी, 1991 को ग्यारह बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2 जनवरी, 1991/12 पौष, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : सनलाइट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6